

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1995 की संख्या 1

संघ सरकार (सिविल)

काश्मिरियाल्लिहस-कालिनी के लिये

के

लक्ष्मी

पुस्तिका के लिये प्रथम प्रकाश के १९९१ ईस १६

१ प्रकाश के २००१

(लक्ष्मी) प्रकाश के

विषय सूची

| | पैराग्राफ | पृष्ठ |
|-------------|-----------|-------|
| प्रस्तावना | | vii |
| विहंगावलोकन | | ix |

अध्याय -I संघ सरकार के लेखे

| | | |
|-------------------------------------|------|----|
| प्रस्तावना | 1.1 | 1 |
| वर्ष के दौरान मूल्य की प्रवृत्तियां | 1.2 | 3 |
| समेकित निधि | 1.3 | 3 |
| राजस्व घाटे में वृद्धि | 1.4 | 15 |
| पूँजीगत व्यय | 1.5 | 17 |
| निवेश और प्रतिफल | 1.6 | 18 |
| कर्जे तथा अग्रिम | 1.7 | 20 |
| संघ सरकार का कुल व्यय | 1.8 | 22 |
| घाटा | 1.9 | 23 |
| लोक ऋण तथा अन्य देयताएं | 1.10 | 24 |
| संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां | 1.11 | 25 |
| उपयोगिता प्रमाण पत्र | 1.12 | 26 |
| लेखाओं पर टिप्पणियां | 1.13 | 27 |

अध्याय -II विनियोग लेखे

| | | |
|----------------------------------|-----|----|
| बजट अनुदान तथा व्यय | 2.1 | 30 |
| विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.2 | 31 |
| अनुदान/ विनियोग पर आधिक्य | 2.3 | 31 |
| अनुदानों/विनियोगों में बचत | 2.4 | 33 |
| निधियों का अभ्यर्पण | 2.5 | 53 |
| अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग | 2.6 | 55 |
| व्यय की कटौती में वसूलियां | 2.7 | 55 |
| आरक्षित निधियां | 2.8 | 56 |
| निधियों का अनाधिकृत पुनर्विनियोग | 2.9 | 57 |

| | | |
|-------------------------------------|------|----|
| 'नयी सेवा/सेवा के नये साधन' पर व्यय | 2.10 | 61 |
| अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन | 2.11 | 61 |

अध्याय -III

कृषि मंत्रालय

| | | |
|--|-----|----|
| दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के वितरण में हानियां | 3.1 | 64 |
|--|-----|----|

अध्याय- IV

कोयला मंत्रालय

| | | |
|--|-----|----|
| कोयले/कोक पर उत्पाद शुल्क की गैर-वसूली | 4.1 | 67 |
|--|-----|----|

अध्याय -V

नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागरिक विमानन विभाग)

| | | |
|--|-----|----|
| 'स्वाति' विमानों की खरीद के लिए निधियों का अनुचित निर्गम | 5.1 | 68 |
|--|-----|----|

पर्यटन विभाग

| | | |
|---------------------------------|-----|----|
| खाली आवास पर निष्फल व्यय -पेरिस | 5.2 | 70 |
|---------------------------------|-----|----|

अध्याय -VI

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

| | | |
|---|-----|----|
| नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) से सम्बन्धित मामले | 6.1 | 71 |
|---|-----|----|

| | | |
|---|-----|----|
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 6.2 | 75 |
|---|-----|----|

आपूर्ति विभाग

| | | |
|---|-----|----|
| त्रुटिपूर्ण निरीक्षण के कारण लैम्पों की आपूर्ति | 6.3 | 77 |
|---|-----|----|

| | | |
|----------------------------------|-----|----|
| तम्बुओं की खरीद पर परिहार्य व्यय | 6.4 | 78 |
|----------------------------------|-----|----|

अध्याय -VII

विदेश मंत्रालय

| | | |
|--------------------------------------|-----|----|
| न्यूयार्क में स्थायी मिशन के लिए भवन | 7.1 | 80 |
|--------------------------------------|-----|----|

| | | |
|---|-----|----|
| अभियांत्रिकी ड्राइंगों पर अप्राधिकृत व्यय- लंदन | 7.2 | 88 |
|---|-----|----|

| | | |
|--|-----|----|
| पारपत्र कार्यालय - बम्बई में निष्क्रिय और दोष पूर्ण संचालित कम्प्यूटर सुविधा | 7.3 | 90 |
|--|-----|----|

| | | |
|---|-----|----|
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 7.4 | 91 |
|---|-----|----|

अध्याय -VIII

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक मामलों का विभाग)

| | | |
|---|-----|----|
| वित्तीय संस्थाओं से बन्धपत्रों के लिए गारंटी शुल्क की गैर वसूली | 8.1 | 92 |
|---|-----|----|

| | | |
|-------------------------------|-----|----|
| निष्क्रिय वातानुकूलित संयंत्र | 8.2 | 93 |
|-------------------------------|-----|----|

| | | |
|---|-----|----|
| चांदी की बिक्री प्राप्तियों का अप्रापण | 8.3 | 94 |
| प्रशासकीय व्यय की अनियमित वसूली | 8.4 | 94 |
| वातानुकूलित इकाई को चालू करने में विलम्ब | 8.5 | 95 |
| आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अवांछित उदारता | 8.6 | 95 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 8.7 | 96 |

राजस्व विभाग

| | | |
|---|-----|----|
| प्रोटोटाइप पेट्रोल बोट के लिए खरीदे गये निष्क्रिय इंजिन | 8.8 | 98 |
| असंचालनात्मक जलयान के कारण निष्फल व्यय | 8.9 | 99 |

अध्याय -IX

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

| | | |
|---|-----|-----|
| राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम | 9.1 | 100 |
| सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता | 9.2 | 123 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 9.3 | 133 |

अध्याय - X

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)

| | | |
|---|------|-----|
| विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार | 10.1 | 135 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 10.2 | 163 |

युवा मामले व खेल विभाग

| | | |
|------------------------|------|-----|
| राष्ट्रीय भारतीयम 1989 | 10.3 | 165 |
|------------------------|------|-----|

अध्याय -XI

सामान्य

| | | |
|---|------|-----|
| बट्टे खाते डाली गई हानियां तथा अप्राप्य दातव्य | 11.1 | 192 |
| विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम - प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति | 11.2 | 192 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 11.3 | 193 |

परिशिष्ट

| | | |
|---------------|--|-----|
| परिशिष्ट-I | निवेश पर प्रतिफल | 195 |
| परिशिष्ट-II | 20 वर्षों से अधिक से बकाया ऋण | 197 |
| परिशिष्ट-III | बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र | 199 |
| परिशिष्ट-IV | प्रतिशेष | 201 |
| परिशिष्ट-V | अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले | 202 |
| परिशिष्ट-VI | दत्तमत अनुदानों के अन्तर्गत बचतें | 204 |
| परिशिष्ट-VII | निधियों का अभ्यर्पण | 205 |
| परिशिष्ट-VIII | अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामले | 207 |

| | | |
|---------------|--|-----|
| परिशिष्ट-IX | वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं | 211 |
| परिशिष्ट-X | विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की उन्नति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निधियों का जारी करना तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनका उपयोग (1987/94) | 212 |
| परिशिष्ट- XI | 1993-94 के दौरान बटूटे खाते डाली गई हानियों तथा अप्राप्य दातव्यों का विवरण | 213 |
| परिशिष्ट-XII | विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम | 214 |
| परिशिष्ट-XIII | विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की 30 सितम्बर 1994 को संक्षिप्त स्थिति | 216 |

तालिकाएं

| | | |
|-----------|--|----|
| 1.3.1 | भारत की समेकित निधि | 4 |
| 1.3.2.1 | राजस्व प्राप्तियां | 6 |
| 1.3.2.2 | कर राजस्व | 7 |
| 1.3.2.3 | प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि | 8 |
| 1.3.3 | गैर-कर राजस्व | 9 |
| 1.3.4 | राजस्व व्यय | 10 |
| 1.3.4.1 | ब्याज भुगतान | 11 |
| 1.3.4.2.1 | 1989-90 से 1993-94 के दौरान परिदानों पर व्यय | 13 |
| 1.3.4.2.2 | बजट प्राक्कलनों से परिदानों की तुलना | 14 |
| 1.3.4.4 | राज्य तथा सं.शा. सरकारों को अनुदान | 15 |
| 1.4 | राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच तुलना | 16 |
| 1.5 | पूँजीगत व्यय | 17 |
| 1.6.1 | राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजटीय सहायता | 19 |
| 1.6.2 | प्रतिभूतियों पर दिया गया ब्याज | 20 |
| 1.7.1 | राज्य सरकारों को कर्जे तथा अग्रिम | 20 |
| 1.7.2 | 'अन्यों' को कर्जे तथा अग्रिम | 21 |
| 1.8 | संघ सरकार का कुल योजनागत तथा योजनेतर व्यय | 22 |
| 1.10.1 | लोक ऋण तथा अन्य देयतायें | 24 |
| 1.11 | संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां | 26 |
| 1.13.1.1 | उचंत शेष | 27 |
| 1.13.1.2 | उचंत शेष | 28 |
| 2.1 | विनियोग एवं व्यय | 30 |
| 2.2 | चुने हुये अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें | 31 |
| 2.3 | अनुदानों पर आधिक्य | 32 |
| 2.4.1 | विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बचतें | 34 |
| 2.4.2 | अनुदानों के अन्तर्गत बचतें (20-100 करोड़ रू.) | 39 |
| 2.5(क) | अधिक अभ्यर्पण | 54 |
| 2.5(ख) | अधिक व्यय के बावजूद अभ्यर्पण | 54 |
| 2.8 | मोरीबन्द आरक्षित निधियां | 56 |
| 2.9.1 | अप्राधिकृत पुनर्विनियोजन | 58 |
| 2.9.2 | अप्राधिकृत विनियोग | 59 |
| 3.1.1 | वापिस किये गए दूध के पुनर्संसाधित करने पर अतिरिक्त व्यय | 64 |
| 3.1.2 | दूध में वसा और ठो व र की निम्न मात्राओं के कारण हानियों का मूल्य | 65 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 6.2 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही | 76 |
| 7.4 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही | 91 |
| 8.7 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही | 97 |
| 9.1.10.1 | सी टी स्केनरों की स्थापना में विलम्ब | 117 |
| 9.1.10.2 | सी टी स्केनरों का अव उपयोग | 118 |
| 9.2.5 | प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में विलम्ब | 125 |
| 9.2.6 | चिकित्सा भंडारों की मांग और आपूर्ति | 126 |
| 9.2.7 | चि भं डि द्वारा स्थानीय खरीद | 126 |
| 9.2.12 | प्रतिबंधित औषधियों की अधिप्राप्ति | 132 |
| 9.3 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही | 133 |
| 10.1.5.1 | अनुदान एवं व्यय | 139 |
| 10.1.5.2 | निधियों के उपयोग में कमी | 140 |
| 10.1.6 | वर्ष के अंत में जारी निधियां | 140 |
| 10.1.7 | निधियों का विपथन | 141 |
| 10.1.10 | लक्ष्य एवं उपलब्धियां; विद्यालयों को विज्ञान किटों की आपूर्ति | 143 |
| 10.1.11 | लक्ष्य एवं उपलब्धियां; प्रयोगशालाओं की प्रौन्नति | 148 |
| 10.1.12 | लक्ष्य एवं उपलब्धियां; पुस्तकालय सहायता | 154 |
| 10.2 | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उपचारी कार्यवाही | 163 |
| 10.3.4 | बजट तथा व्यय | 166 |

प्रस्तावना

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (1995 की सं. 1), 1993-94 के लिए संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखाओं से उद्भूत मामलों और विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को आवृत करता है। संघ सरकार के कृषि मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय-वाणिज्य विभाग और आपूर्ति विभाग, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय लेनदेनों के नमूना लेखा परीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर आधारित अभ्युक्तियां भी शामिल की गई हैं। शेष मंत्रालयों और विभागों से संबंधित मामले 1995 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2 में सम्मिलित किए गए हैं (जिसे पृथक रूप से जारी किया जा रहा है)। वैज्ञानिक विभाग (सं. 6), रेलवे (सं. 10), रक्षा मंत्रालय (सं. 8 और 9) डाक व दूर संचार (सं. 7), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (सं. 3) और संघ सरकार की प्राप्तियां (सं. 4 और 5) के लिए भी पृथक प्रतिवेदन जारी किए गए हैं।

वर्तमान प्रतिवेदन में निम्नलिखित कार्यक्रमों, परियोजनाओं और संगठनों के लेखा परीक्षा पुनरीक्षण शामिल हैं:

- (i) न्यूयार्क में स्थायी मिशन के लिए भवन
- (ii) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम
- (iii) सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता
- (iv) विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार
- (v) राष्ट्रीय भारतीयम 1989

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं, जो कि 1993-94 की अवधि से लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आये। पूर्णता की दृष्टि से, मामले, जो पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं, परन्तु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए गए, भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से, 1 अप्रैल 1994 के बाद के लेनदेनों की लेखा परीक्षा के निष्कर्ष भी, जहां कहीं उपलब्ध और सुसंगत हैं, उल्लिखित किए गए हैं।

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस खंड में 5 पुनरीक्षणों सहित 54 पैराग्राफ शामिल हैं। मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त निम्नवत है:

I संघ सरकार के लेखे

वर्ष 1993-94 के दौरान राजस्व लेखे पर भारत सरकार की कुल प्राप्तियां तथा व्यय क्रमशः 119601.60 करोड़ रु. तथा 152317.17 करोड़ रु. के परिणामतः 32715.57 करोड़ रु. का राजस्व घाटा हुआ। इसी प्रकार पूंजीगत लेखे पर कुल प्राप्तियां तथा व्यय क्रमशः 177200.60 करोड़ रु. तथा 164475.43 करोड़ रु. थे परिणामतः 12725.17 करोड़ रु. का पूंजीगत अधिशेष हुआ।

पूंजीगत लेखे पर 12725.17 करोड़ रु के अधिशेष का समायोजन करने के बाद समेकित निधि के अंतर्गत कुल घाटा 1992-93 के दौरान 15470.90 करोड़ रु. की तुलना में 1993-94 में 19990.40 करोड़ रु था, जो कि 1992-93 से 29.2 प्रतिशत की वृद्धि संरचित करता था। पूंजीगत लेखे पर 12725.17 करोड़ रु. का अधिशेष सरकार के राजस्व घाटे को नीचे की ओर ले गया।

1993-94 में, उधार ली गई निधियां, 296802 करोड़ रु की कुल समेकित निधि की प्राप्तियों के 57.1 प्रतिशत को समाविष्ट करती थी। आंतरिक ऋण में वृद्धि का मुख्य संघटक बाजार उधार (निवल) के कारण था, जो कि 1992-93 में 3676 करोड़ रु से 1993-94 में बढ़ कर 28929 करोड़ रु हो गया।

राजस्व व्यय के मुख्य संघटक, ब्याज भुगतान, परिदान, सहायक अनुदान तथा राज्यों और ग्रामीण विकास एवं निर्धनता कम करने के लिए कार्यक्रमों को अंशदान थे।

वर्ष 1993-94 के दौरान, वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, बजट प्राक्कलनों से 11249 करोड़ रु तक कम थी। 1993-94 में कर राजस्व में वास्तविक संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 604 करोड़ रु घट गया था। इसे मुख्य रूप से कर राजस्व में वृद्धि की घटती हुई दर तथा कर बकायों में तीव्र वृद्धि पर आरोपित किया जा सकता है। प्राथमिक रूप से सार्वजनिक उद्यम से कम प्रतिफलों के कारण गैर-कर राजस्व में वृद्धि धीमी पड़ गई।

राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच बढ़ते हुए अंतराल के परिणामस्वरूप 1993-94 में राजस्व लेखे में घाटा 32715 करोड़ रु तक बढ़ गया था, 1989-90 से 175 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1989-94 की अवधि के दौरान, पूंजीगत व्यय 13400 करोड़ रु से बढ़कर 24650 करोड़ रु हो गया। 1993-94 में, अ.मु.को. के लिए अंशदान और राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश 11423 करोड़ रु था, जो कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय के 46 प्रतिशत से अधिक था।

यद्यपि, 31 मार्च 1994 को निगमों और सरकारी कम्पनियों में सरकार का कुल निवेश 63005.84 करोड़ रु था, जिसने पिछले वर्ष से 21.1 प्रतिशत की वृद्धि संरचित की, पिछले वर्ष में 4.75 प्रतिशत के प्रति कुल लाभांश केवल 3.9 प्रतिशत था।⁶

1993-94 में, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिए गए कुल ऋणों और पेशगियों की राशि 15263 करोड़ रु थी, पिछले वर्ष से 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 31 मार्च 1994 को राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों और सा.क्षे. उ. और अन्य संगठनों से वसूली योग्य मूलधन और ब्याज के कुल बकाया क्रमशः 591.18 करोड़ रु और 17408 करोड़ रु थे।

(अध्याय 1)

II विनियोग लेखे

92 अनुदानों में से, 7 अनुदानों में व्यय, 'राजस्व' अथवा 'पूंजीगत'- अनुभागों के अंतर्गत दत्तमत अथवा विनियोजित (प्रभारित) राशियों से 6.72 करोड़ रु की कुल राशि तक बढ़ गया था। इसके लिए संसद के कार्योत्तर अनुमोदन की आवश्यकता है।

218 मामलों में, 1993-94 के दौरान वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से कम पड़ गया था। शुद्ध बचत, 20817 करोड़ रु थी जो 291935 करोड़ रु के कुल आबंटन की 7.13 प्रतिशत बनती थी। अनुदानों के राजस्व और पूंजीगत अनुभागों में (लोक ऋण और कर्जों तथा पेशगियों को छोड़कर) 14470 करोड़ रु का एक अनुपूरक प्रावधान किया गया था, यद्यपि, इन अनुदानों में 7317 करोड़ रु की समग्र बचत थी। 21 अनुदानों से संबंधित 24 मामलों में, 827 करोड़ रु के कुल अनुपूरक अनुदान अप्रयुक्त रहे।

8 अनुदानों में, बचतें बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत बढ़ गईं। 11 अनुदानों और 3 विनियोगों से संबंधित 16 मामलों में, प्रत्येक मामले में बचतें 100 करोड़ रु से अधिक थीं तथा

⁶ कुल निवेश से संबंधित आंकड़े, सा.क्षे. उ./सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों, सहकारी समितियों इत्यादि में किए गए निवेश को प्रतिबिम्बित करते हैं।

31 अनुदानों और 2 विनियोगों के 38 मामलों में प्रत्येक मामले में बचतें 20 करोड़ रु से अधिक थीं।

बहुत से अनुदानों/विनियोगों में, बचतें समय पर अभ्यर्पित नहीं की गई थीं। 20817 करोड़ रु की अंतिम बचतों के प्रति, अभ्यर्पित राशि 14680 करोड़ रु थी, जिसमें से 99 प्रतिशत (14599 करोड़ रु) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई थी। 58 मामलों (32 दत्तमत और 26 प्रभारित विनियोग) में 1884 करोड़ रु की समग्र बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थीं। 7 मामलों में, अभ्यर्पित राशि, समग्र बचत से अधिक थी, जबकि 2 मामलों में राशियां अभ्यर्पित की गई थीं, हालांकि कोई बचतें उपलब्ध नहीं थीं।

30 अनुदानों/विनियोगों में 94 उप-शीर्षों के मामले में, 222.12 करोड़ रु का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, क्योंकि (i) उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें, उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि की तुलना में अधिक थीं तथा (ii) उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य उप शीर्षों से पुनर्विनियोजित राशि की तुलना में अधिक था।

एक मामले में, व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना अथवा संसद को तथ्यों की सूचना दिए बिना ही 'नयी सेवा' अथवा 'सेवा के नये साधन' पर व्यय किया गया था।

तीन मामलों में, मार्च 1994 में प्राप्त 508.67 करोड़ रु का अनुपूरक अनुदान विलम्बित और असमन्वयित था।

(अध्याय II)

III. न्यूयार्क में स्थायी मिशन के लिए भवन

जून 1980 में, एक भवन के निर्माण के अभिप्राय से, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (भा स्था मि) के साथ-साथ भारतीय महावाणिज्य दूतावास (भा म वा) न्यूयार्क के अधिकांश कार्यालय तथा आवासीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा, 990,000 यू एस डालर की लागत से मिड-मैनहटन में एक भूखंड खरीदा गया।

सरकार ने अर्थापत्तियों पर पूरी तरह विचार किये बिना ही परियोजना के लिए एक भारतीय वास्तुकार को नियुक्त किया। एक स्थानीय वास्तुकार फर्म को साझीदार बनाये बिना परियोजना के निष्पादन में वास्तुकार की विफलता तथा बातचीत की दीर्घ कालिक प्रक्रिया के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप, लागत वृद्धि 5.3 मिलियन यू एस डालर के प्रारम्भिक प्राक्कलन से 27 मिलियन यू एस डालर हो गई।

एक प्रमुख ठेकेदार को टर्न की के आधार पर संविदा प्रदान करने की बजाय 'निर्माण प्रबंधन' प्रणाली के ग्रहण करने के परिणामस्वरूप तीव्र निष्पादन के लाभ के बिना परियोजना विनिर्देशन अनिश्चित समापन के रहे; महत्वपूर्ण लागत वृद्धि अधिकतर इन बिल्ट और परिहार्य थी।

स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता के कारण परियोजना में विचारा गया फर्श क्षेत्र अनुपात कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

एक भारतीय वास्तुकार जिसने अन्यथा निर्माण में विलम्ब किया था, की नियुक्ति से प्राप्त किसी महत्वपूर्ण लाभ को संदिग्ध बनाते हुए डिजाइन में भारतीय अद्वितीयता से उत्तरोत्तर समझौता किया गया था।

प्राक्कलनों और डिजाइनों को तैयार करते समय स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया था तथा मितव्ययता के महत्व से परिवेश की श्रेष्ठता को प्राथमिकता दी गई थी, यद्यपि, परियोजना बजटीय प्राक्कलनों का पहले ही अतिक्रमण कर चुकी थी।

सरकार के मानदण्डों के अनुसार प्रारम्भ से ही योजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। इसके बावजूद योजना पास कर दी गई थी, परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का ऐसे समय भारी बर्हिगमन हुआ, जब राष्ट्र विदेशी मुद्रा संकट का सामना कर रहा था।

(पैराग्राफ 7.1)

IV. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 के दौरान प्रारम्भ किया गया था, जब कैंसर उपचार सुविधाओं के सम्बर्धन हेतु क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (क्षे कै के) को कोबाल्ट थेरापी यूनिटों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

सातवीं योजना के दौरान, कैंसर की रोकथाम और उपचार तथा क्षे कै के और चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सकीय सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संस्थानों को 23.84 करोड़ रू जारी किये गये थे।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में कैंसर की रोकथाम व शीघ्र पता लगाने पर भारी बल दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए 1990-94 के दौरान 58.40 करोड़ रू की राशि जारी की गई थी।

(i) उन क्षेत्रों में, जहां इसके उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, कैंसर की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने पर विशेष बल देने के साथ भली भांति सज्जित ओंकोलोजी शाखाओं के

विकास हेतु देश भर में पन्द्रह चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों का चयन किया गया था। छः राज्यों (असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश) में 1990-94 के दौरान सरकार द्वारा जारी किये गये 8.70 करोड़ रू में से 8 महाविद्यालयों/अस्पतालों को जारी की गई 5.70 करोड़ रू की राशि मई 1994 तक प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। 3 महाविद्यालयों/अस्पतालों द्वारा खरीदी गई कोबाल्ट थैरापी यूनितें चालू नहीं की गई थी। इस प्रकार से, लेखा परीक्षा किये गये 11 अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में से किसी ने भी ओंकोलोजी शाखाओं की स्थापना नहीं की गई थी।

(ii) 900 यूनितों की अनुमानित आवश्यकता के प्रति केवल 180 कोबाल्ट थैरापी यूनितों (सी टी यू) की स्थापना की गई थी, इनका भी अन्ततोगत्वा वितरण नहीं किया गया था। सात राज्यों में, 6.32 करोड़ रू की लागत से अर्जित सी टी यू और अन्य उपकरण, भवनों की अनुपलब्धता और स्टाफ के अभाव के कारण 3 माह से साढ़े आठ वर्षों के बीच विलम्बों से चालू किये गये थे। चार राज्यों में, मुख्यतः कोबाल्ट थैरापी यूनितों के लिए जारी किये गये 64 लाख रू, 9 से 48 माह के बीच की अवधियों से व्यक्तिगत लेजर खातों में रखे गये थे। सात राज्यों में, मुख्यतः अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता के कारण कोबाल्ट थैरापी यूनितों की स्थापना हेतु 2.70 करोड़ रू के अनुदान अप्रयुक्त रहे। 1985-93 के दौरान, पांच राज्यों (असम, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश) द्वारा केन्द्रीय सहायता में से 5.48 करोड़ रू की लागत से अर्जित सात कोबाल्ट थैरापी यूनित और अन्य उपकरण, मुख्यतः, असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में विलम्बित भवनों और कर्नाटक तथा राजस्थान में कोबाल्ट सोर्स के अभाव के कारण चालू नहीं किये जा सके। नमूना जांच ने यह भी दर्शाया कि 1988-89 के दौरान, लखनऊ में एक संस्थान द्वारा जापानी सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिप्राप्त 1.75 करोड़ रू मूल्य का एक लाइनियर एक्सीलिरेटर अतिरिक्त पुरजों के अभाव में केवल आंशिक रूप से ही संचालनात्मक था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित निधिकरण के बावजूद, नयी प्रारम्भ योजनाएं जैसे-जिला परियोजनाएं, चुने हुए चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में ओंकोलोजी शाखाओं के विकास, स्वास्थ्य शिक्षा तथा कैंसर का शीघ्र पता लगाने हेतु कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों के समावेष्टन, जैसा कि प्रक्षेपित था, प्रारम्भ नहीं किये गये। राज्य सरकारों और अनुदान ग्राही संस्थाओं को जारी की गई निधियां बजट प्रावधान से काफी कम थी तथा राज्य सरकारें निधियों को प्रयोग में लाने के विफल रहीं, क्योंकि अनुदान, उपकरणों की लागत के सम्मेष नहीं थे।

1985-94 के दौरान, 13 राज्यों को अनुदानों के रूप में संस्वीकृत 29.52 करोड़ रू में से, राज्य सरकारों द्वारा इन्हें आगे जारी न किये जाने के कारण, छः राज्य (पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली) निधियों का 50 प्रतिशत भी उपयोग में लाने में सक्षम नहीं हुए थे। राज्य सरकारें/अनुदान ग्राही संस्थाएं आवश्यक अवसंरचना का

सृजन नहीं कर सकी तथा चिकित्सा महाविद्यालयों और क्षेत्रों के में अन्य अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकी, परिणामस्वरूप कार्यक्रम का अल्प निष्पादन हुआ। नौ राज्यों को संस्वीकृत 4.17 करोड़ रु में से, 2.28 करोड़ रु की राशि अनुदान के लिए अर्हक उद्देश्यों के बाहर प्रयोग में लाई गई थी।

1985-94 के दौरान, राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किये गए 82.24 करोड़ रु के प्रति, 68.18 करोड़ रु के लिए लेखा परीक्षित विवरणों के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे। अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्रों और लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरणों को प्रस्तुत करने के साथ, गति प्रदान करने तथा निधियों के आगे निर्गम को जोड़ने, के लिए मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं थी।

विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावकारी समन्वय तथा समग्र कार्यक्रम के प्रबोधन की राज्य सरकारों द्वारा कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 9.1)

V सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता (चि.भ.डि.), महा-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से प्रशासित है। चि. भ. डि. के मुख्य कार्य विभिन्न मांगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित औषधियों, शल्य चिकित्सकीय उपकरणों तथा अन्य चिकित्सा भंडारों की खरीद तथा आपूर्ति करना है।

चि.भ.डि. के प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में असामान्य विलम्ब थे। वर्ष 1985-86 के आगे से प्रोफार्मा लेखे अभी तक (दिसम्बर 1994) तैयार नहीं किए गए थे। इन लेखाओं के संकलन में लम्बे विलम्ब से प्रबंधकीय नियंत्रण को हानि पहुंची।

चि.भ.डि. मांग की गई बड़ी संख्या में मदों की आपूर्ति में विफल रहा। आपूर्ति 53 से 62 प्रतिशत के बीच रही थी।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के बावजूद कि स्थानीय खरीद न्यूनतम तक नीचे लाई जानी चाहिए, 1989-94 के दौरान, स्थानीय खरीद, कुल वार्षिक खरीदों का 88 से 100 प्रतिशत बनती थी। आगे, स्थानीय खरीदों के दो मामलों में 29.07 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ था।

अवमानक दवाओं की बारम्बार आपूर्ति के बावजूद, दोषी फर्मों को काली सूची में नहीं डाला गया था। मांगकर्ताओं को अवमानक दवाओं का निर्गम किया गया था। निजी फर्मों से 8.22 लाख रु की वसूली देय थी।

मार्च 1980 और जनवरी 1994 के बीच में 1.36 करोड़ रु मूल्य की औषधियां समय समाप्त हो गई थीं।

चि.भं.डि. ने एक मांगकर्ता द्वारा आपूर्तियों की कम-प्राप्ति के कारण 33.32 लाख रु की हानि उठाई। चि.भं.डि. ने 5.85 लाख रु मूल्य की प्रतिबंधित दवायें अधिप्राप्त की।

(पैराग्राफ 9.2)

VI विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की उन्नति

'विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की उन्नति' योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा निधिप्रदत्त केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह 1987 से संचालन में है। सात वर्षों की अवधि के दौरान जारी 163.79 करोड़ रु के अनुदान के प्रति, राज्यों/सं शा प्र के पास 47.74 करोड़ रु का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल 116.05 करोड़ रु का व्यय किया गया था।

सात राज्यों में योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किये गये 13.99 करोड़ रु व्यक्तिगत जमा खाते/व्यक्तिगत लेजर खाते/बैंकों में रखे गये थे। ये अनियमितता विशेषकर राजस्थान और कर्नाटक में सुस्पष्ट थी, जो दोनों में 9.62 करोड़ रु लेखाबद्ध हुई।

विज्ञान किट प्रदान करने के लिए, 69287 पहचान किए गए उच्च प्राथमिक विद्यालयों, के लक्ष्य के प्रति वास्तव में केवल 37316 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, को ही आवृत किया गया था। जम्मू एवं काश्मीर में 1517 के लक्ष्य के प्रति, खरीदे गए 593 विज्ञान किटों में से, केवल 451 किट ही वितरित किए गए थे।

12 राज्यों में अनावश्यक अथवा आवश्यकताओं से अधिक उपकरणों अथवा विनिर्देशनों से असदृश्य मदों की खरीद के कारण 6.86 करोड़ रु तक की राशि के परिहार्य/अधिक व्यय के बहुत से मामले देखे गए थे। इनमें से 4 राज्यों (मध्य प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश) में 5.78 करोड़ रु लेखाबद्ध हुए। सात राज्यों में, फर्नीचर की मदों के लिए 3.25 करोड़ रु का अनियमित व्यय हुआ जिसमें में उचित प्रयोगशाला विहीन विद्यालयों को इस्पात फर्नीचर की मदें अथवा चालानों की अप्राप्ति अथवा आवश्यकता से अधिक खरीदी गई मदें शामिल थी। इनमें से, उत्तर प्रदेश ने 2.34 करोड़ रु लेखाबद्ध किए।

दस राज्यों में, 1.37 करोड़ रु मूल्य के उपकरण भंडार में रखे अथवा अप्रयुक्त पड़े थे, इनमें से पंजाब में 69.75 लाख रु लेखाबद्ध हुए। सात राज्यों में 60.03 लाख रु मूल्य की खरीदी गयी पुस्तकें विद्यालयों को वितरित नहीं की गई थीं।

आठ राज्यों/सं शा प्र में, जिला संसाधन केन्द्र नहीं खोले गये थे तथा किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। 1987-94 के दौरान, 2.23 लाख उच्च प्राथमिक अध्यापकों के लक्ष्य के प्रति केवल 29652 को ही प्रशिक्षित किया गया था। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण लक्ष्य के दस प्रतिशत से कम था। प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कम थी। तथापि, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में यथेष्ट रूप से अधिक थी। प्रशिक्षण दिये जाने 26488 कुशल लोगों में से केवल 1305 (पांच प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया था। कमी, प्रशिक्षार्थियों को यात्रा भत्ते के लिए राज्य सरकारों द्वारा निधियों की असंस्वीकृति के कारण थी।

इक्कीस राज्यों में विद्यालय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के प्रबोधन हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। योजना के प्रारम्भ होने के समय से ही त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें तैयार नहीं की गई थी। मा सं वि मंत्रालय ने योजना के मूल्यांकन के लिए एक समिति की स्थापना की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि योजना के अन्तर्गत आवृत्त किये जाने वाले सभी विद्यालयों तक किटें, प्रयोगशाला उपकरण और पुस्तकें नहीं पहुंची थी। जिला संसाधन केन्द्रों को राज्यों द्वारा कम प्राथमिकता दी गई थी तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन खराब था। इसके अतिरिक्त, बहुत से राज्यों के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण ने दर्शाया कि पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 10.1)

VII राष्ट्रीय भारतीयम 1989

सरकार ने नवम्बर 1986 में सारे देश से युवा स्कूली बच्चों द्वारा खेलों तथा एथलीट के विशाल प्रदर्शन द्वारा नेहरू शताब्दी समारोह का समापन करने का निर्णय लिया। 'भारतीयम 1989' के नाम से पुकारा गया समारोह, 14 नवम्बर 1989 को भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे प्रा.) तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (ल.रा.शा.शि.म.) ग्वालियर द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के प्रबंधन हेतु भा खे प्रा ने एक समिति का गठन किया जिसे मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1989 में 'विशेष आयोजन समिति' (वि आ स) नामित किया गया था।

वि आ स एक स्वायत्त निकाय, पंजीकृत समिति अथवा मा.स.वि. मंत्रालय अथवा युवा मामलों व खेल विभाग से संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय नहीं था। फिर भी वि आ स ने भा खे प्रा के माध्यम तथा सीधे भी संघ सरकार से कुल 2.69 करोड़ रु तथा राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 1.96 करोड़ रु के अनुदान प्राप्त किए। ये राशियां तथा इन राशियों से खर्च को सरकारी लेखे से बाहर रखा गया था।

83.62 लाख रु के व्यय को अंतर्ग्रस्त करते हुए 37 मामलों में भा.खे.प्रा. के महानिदेशक तथा सचिव ने वित्तीय शक्तियों (जिनका उन्हें अधिकार नहीं था) का उपयोग किया। वि आ स के सदस्य सचिव द्वारा कुल 1.26 करोड़ रु की संस्वीकृतियां दी गई थीं जो उसकी शक्ति से बाहर थीं।

भारतीयम 1989 के बाहरी स्थानों के भाग लेने वालों की बड़ी संख्या को ठहराने के लिए स्काउट तथा गाइड शिविर स्थान पर विशेष रूप से मोडयूलर मकानों का निर्माण किया गया था। इन मोडयूलों का निर्माण निविदायें आमंत्रित किए बिना अथवा दरों का समुचित विश्लेषण किए बिना किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच तथा लेखापरीक्षा से 58.43 लाख रु के अतिरिक्त व्यय का पता चला। मोडयूल दोषपूर्ण भी पाये गए थे तथा छतों से वर्षा के दौरान रिसाव हुआ था। 1.47 करोड़ रु की लागत पर निर्मित किए गए मोडयूल तथा शौचालय नवम्बर 1989 के बाद अप्रयुक्त रहे क्योंकि विभाग अथवा भा खे प्रा द्वारा आगे कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था। जब समारोह का समापन हुआ, मोडयूल सुविधा अधूरी थी। कार्यक्रम के लिए टैटों तथा बिस्तरों को किराये पर लेना पड़ा था।

वास्तविक मांग (5810) से अधिक बसों (7229 बस दिवसों) को किराये पर लेने के परिणामस्वरूप 7.59 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ। भुगतान की गई दरें प्रचलित बाजार दरों से बहुत ऊंची थीं।

खानपान तथा जलपान का ठेका ऊंची दरों पर दिया गया था जिससे 4.05 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ। 0.94 लाख रु की राशि एक खानपान प्रबंधक से वसूली योग्य थी जो दिल्ली प्रशासन का अनुमोदित ठेकेदार था; इसके अतिरिक्त सैद्धांतिक गणना ने खानपान प्रबंधक को 13.04 लाख रु (भुगतान किए गए 72.26 लाख रु में से) के अधिक अग्रिम को दर्शाया।

ल.रा.शा.शि.म. ग्वालियर ने भाग लेने वालों के प्रशिक्षण पर 13.69 लाख रु खर्च किए। यद्यपि उपकरणों पर व्यय के विवरण अभिलेख में थे, कार्यक्रमों द्वारा आवृत्त अध्यापकों तथा स्कूली बच्चों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

समापन के पश्चात 36.80 लाख रु की विशेष रूप से तैयार की गई पोशाकें भाग लेने वालों से वापस नहीं ली गई थी तथा भण्डार लेखे को प्रभारित की गई थी।

21.39 लाख रु के मूल्य के भंडार लेखाबद्ध नहीं किए गए थे। अन्य अनियमितताएं ये थीं: आवश्यकता से अधिक खरीद 8 लाख रु, उपकरणों का अप्राधिकृत कर्जा 1.64 लाख रु, भंडार को अंततः प्रभारित किया गया स्टॉक 32.87 लाख रु तथा कम पाया गया स्टॉक 3.87 लाख रु। फर्मों तथा व्यक्तियों को 26.79 लाख रु का किया गया भुगतान अनियमित पाया गया था।

मूल कैशबुक एक दूसरे से बदली गई थीं; दोनों में बहुत सी कटफट तथा ओवर राइटिंग थीं। बहुत सी कमियां तथा गलत प्रविष्टियां थीं। वि.आ.स. द्वारा मार्च 1991 में नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट ने, बहुत अनियमित लेन देन, गंभीर गलतियां तथा बहुत से अभिलेखों का गुम पाया था। सम्पूर्ण अभिलेखों के अभाव में 1.66 करोड़ रु का व्यय (कुल 4.45 करोड़ रु में से) लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 10.3)

अध्याय I

संघ सरकार के लेखे

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 सरकारी लेखाओं की संरचना

सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि और (iii) लोक लेखा।

राजस्व, ऋणों और कर्जों की वसूलियों से सरकार की सभी प्राप्तियां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (I) के अन्तर्गत संस्थापित समेकित निधि में जाती है। सरकार का समस्त खर्च इस निधि से उठाया जाता है तथा संसद से अनुमोदन के बिना निधि से कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती है। यह दो मुख्य भागों अर्थात् राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय) और पूंजीगत लेखे (पूंजीगत व्यय, लोक ऋण और कर्जे आदि) से बनती है।

भारत सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त किया गया सारा सरकारी धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, भविष्य निधि, अल्प बचत संग्रहण, अन्य निक्षेप आदि, सरकार की साधारण प्राप्तियों का गठन नहीं करती है। वे निरंतर निक्षेपकों से सम्बन्धित बनी रहती है, परन्तु किसी विशिष्ट अवधि अथवा उद्देश्य के लिए सरकार के आधिपत्य में रहती है। लोक लेखे से भुगतानों के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, जब सरकार को संसद से अनुमोदन के लम्बित रहते अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय उठाना पड़ जाता है। संविधान के अनुच्छेद 267(I) के अन्तर्गत सृजित आकस्मिक निधि, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति के अधिकार में रखा गया एक अग्रदाय है। ऐसे व्यय हेतु तथा समेकित निधि से आकस्मिक निधि को एक तुल्य राशि के अन्तरण के लिए तदन्तर संसद का अनुमोदन ले लिया जाता है। संसद द्वारा अनुमोदित इस निधि का संग्रह, वर्तमान में, 50 करोड़ रूप है।

1.1.2 वार्षिक लेखे

संघ सरकार के लेखाओं का वित्त मंत्रालय में महानियंत्रक, लेखा द्वारा वार्षिक रूप से संकलन किया जाता है। लेखे दो खंडों अर्थात् वित्त लेखे और विनियोग लेखे में, तैयार किये

जाते हैं। वित्त लेखे सरकार के लेखाओं में समुचित वर्गीकरण के अन्तर्गत प्राप्तियों और व्यय दोनों से सम्बन्धित सभी लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर विनियोग लेखे, बजट अनुदानों में संसद द्वारा अनुमोदित राशियों की तुलना में सरकार द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशियों के विवरण प्रस्तुत करता है। अनुदानों से अधिक व्यय का संसद द्वारा नियमन अपेक्षित है।

1.1.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वित्त लेखाओं और विनियोग लेखाओं के साथ साथ इन लेखाओं में विभिन्न लेनदेनों की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा, नि मं ले प के (कर्तव्य, अधिकार व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार लेखा परीक्षा की जाती है। नि मं ले प लेखाओं को प्रमाणित करता है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार राष्ट्रपति को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करता है।

31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नि मं ले प के प्रतिवेदनों की निम्न


प्रकार से संरचना की गई है:

| प्रतिवेदन सं. | इन पर अभ्युक्तियां समाविष्ट करते हुए |
|---------------|---|
| 1995 की 1 | वित्त और विनियोग लेखे तथा संघ के कुछ मंत्रालय |
| 1995 की 2 | प्रतिवेदन सं 1 में शामिल न हुए, संघ के मंत्रालय |
| 1995 की 3 | रा रा क्षेत्र दिल्ली* |
| 1995 की 4 | संघ सरकार अप्रत्यक्ष कर |
| 1995 की 5 | संघ सरकार प्रत्यक्ष कर |
| 1995 की 6 | संघ सरकार वैज्ञानिक विभाग |
| 1995 की 7 | संघ सरकार डाक व तार |
| 1995 की 8 | संघ सरकार रक्षा (थल सेना और आयुध कारखाने) |
| 1995 की 9 | संघ सरकार रक्षा (वायु सेना और नौ सेना) |
| 1995 की 10 | संघ सरकार रेलवे |
| 1995 की 11 | अन्य स्वायत्त निकाय |

इसके अतिरिक्त, संघ सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यमों की कार्यप्रणाली पर भी राष्ट्रपति को बहुत से प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं।

नवम्बर 1993 के अंत तक निधि बद्ध, संसद से बजट अनुदान में से संघ सरकार के लेखाओं के भाग।

1.2 वर्ष के दौरान मूल्य की प्रवृत्तियां



भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1993-94 के लिए अपने प्रतिवेदन में अवलोकित किया है कि अर्थव्यवस्था में स्फीति कारी दबावों की स्थाई विद्यमानता 1993-94 के दौरान गम्भीर चिंता का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। सभी वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक, पूरे वर्ष, विशेषकर जून 1993 से, अधिकतर वृद्धि की ओर अभिमुख था। 1993-94 के दौरान, अंक से अंक के आधार पर वार्षिक मुद्रा स्फीति दर 10.8 प्रतिशत थी, पिछले वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशतता अंक अधिक थी। तथापि, औसत के आधार पर, पूर्ववर्ती वर्ष में 10.00 प्रतिशत की तुलना में 1993-94 में औसत दर 8.3 प्रतिशत पर कम हो गई थी। संघ सरकार के लेखाओं के विश्लेषण का, इन प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में आदर्शतः

अवलोकन किया जाना चाहिये। प्राप्तियां, विशेषकर यथा मूल्य शुल्कों से, विभिन्न सेवाओं पर व्यय के साथ साथ अर्थ व्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को, मूल्य प्रवृत्तियों के पृष्ठ पट के प्रति देखा जाना चाहिये।


1.3 समेकित निधि

1.3.1 पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के साथ 1993-94 के लिए भारत की समेकित निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां और व्यय निम्नवत थे:

तालिका 1.3.1 भारत की समेकित निधि

(करोड़ रूपयों में)

| प्राप्तियां | | | व्यय | | |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1992-93 | | 1993-94 | 1992-93 | | 1993-94 |
| राजस्व लेखा | | | | | |
| 114219.93 | राजस्व प्राप्तियां | 119601.60 | 132794.48 | राजस्व व्यय | 152317.17 |
| 18574.55 | घाटा | 32715.57 | | | |
| 132794.48 | | 152317.17 | 132794.48 | | 152317.17 |
| पूंजीगत लेखा | | | | | |
| 1961.00 | पूंजीगत प्राप्तियां | (-) 47.74 | 20586.31 | पूंजीगत व्यय | 24650.07 |
| 7678.21 | प्राप्त ऋण व पेशगियां | 7611.28 | 17618.71 | दिए गए ऋण व पेशगियां | 21874.05 |
| 103379.18 | लोकऋण के रूप में बुक की गई प्राप्तियां | 169637.06 | 71709.72 | लोकऋण की चुकौती | 117951.31 |
| | | | 3103.65 | पूंजीगत अधिशेष | 12725.17 |
| 113018.39 | | 177200.60 | 113018.39 | | 177200.60 |
| 15470.90 | समेकित निधि में शुद्ध घाटा | 19990.40 | | | |




यह अवेक्षणीय है कि 1993-94 में लोक ऋण प्राप्तियां (उधार की गई निधियां) कुल समेकित निधि प्राप्तियों (296802 करोड़ रु) का 57.1 प्रतिशत बनती थी। चूंकि सरकारी उधार भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर है, ऐसे स्तरों पर उधारों के माध्यम से निधियां एकत्र करना, एक सम पार्श्व पर ऋण लेने के बराबर होता है, जिसका एक महत्वपूर्ण भाग पहले से ही उधार ली गई निधियों से संरचित है।

वास्तविक समेकित निधि प्राप्तियां, बजट प्राक्कलनों से 42878.65 करोड़ रू तक और संशोधित प्राक्कलनों से भी 6800.30 करोड़ रू तक अधिक थी। पूंजीगत आधिक्य को समायोजित करने के पश्चात समेकित निधि के अन्तर्गत निवल घाटा, 1992-93 के दौरान 15470.90 करोड़ रू की तुलना में 1993-94 में 19990.40 करोड़ रू था, जो कि पिछले वर्ष से 29.2 प्रतिशत की वृद्धि संघटित करता था। पूंजीगत लेखे पर 12725.77 करोड़ रू का अधिशेष सरकार के राजस्व घाटे को नीचे की ओर ले गया। 1993-94 के दौरान, पूंजीगत व्यय 24650 करोड़ रू था। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (अ मु को) को अंशदान तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश 11423 करोड़ रू अर्थात् पूंजीगत व्यय के 46 प्रतिशत से अधिक लेखाबद्ध हुआ। इसकी विवक्षा की नीचे पैराग्राफ 1.5 और 1.6 में विस्तार में चर्चा की गई है।

यह अवेक्षणीय है कि आन्तरिक ऋण में वृद्धि का मुख्य संघटक बाजार उधार (निवल) के कारण था, जो कि 1992-93 में 3676 करोड़ रू से 1993-94 में बढ़ कर 28929 करोड़ रू हो गयी।

खजाना बिलों (जो कि संसाधनों में अन्तराल को अस्थायी रूप से भरने के लिए 91/364 दिनों के अल्पावधि ऋणों को एकत्र करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किये जाने वाले वित्तीय साधन है) तथा प्रतिभूतियों में प्रत्यावर्तित खजाना बिलों के संबंध में 1993-94 के दौरान 123213.14 करोड़ रू जारी किये गये थे। इसके प्रति, 1993-94 में 11591.12 करोड़ रू की निवल प्राप्ति छोड़ते हुए 111622.02 करोड़ रू का उन्मोचन किया गया था।




1.3.2 राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 1993-94 और पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियां (आय कर और उत्पाद शुल्क के राज्यों के अंशों और कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क के संघ शासित प्रदेशों के अंशों को छोड़कर) नीचे दी गई हैं:-

तालिका 1.3.2.1: राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | राजस्व प्राप्तियां | | पिछले वर्ष से वृद्धि |
|---------|--------------------|----------|----------------------|
| | बजट प्राक्कलन | वास्तविक | |
| 1990-91 | 87769 | 84403 | 6179 |
| 1991-92 | 100249 | 99830 | 15427 |
| 1992-93 | 114518 | 114220 | 14390 |
| 1993-94 | 130851 | 119602 | 5382 |



उपरोक्त तालिका से यह अवलोकित किया जायेगा कि पिछले चार वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियों के बजट प्राक्कलन, वास्तविक प्राप्तियों से अपेक्षाकृत अधिक थे, अर्थात् बजट प्रस्तुत करने के समय पर प्रक्षेपण उच्चतर थे। वर्ष 1993-94 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां बजट प्राक्कलनों से 11249 करोड़ रु तक कम थी, परन्तु निरपेक्ष रूप से पिछले वर्ष से, 5382 करोड़ रु तक बढ़ गई थी।


यह मुख्यतया निगम कर (1162 करोड़ रु), ब्याज प्राप्तियों (2557 करोड़ रु) और संघीय उत्पाद शुल्कों से (865 करोड़ रु) राजस्व में वृद्धि के कारण थी। उसी समय, पिछले वर्ष से, निगम कर से भिन्न आय पर कर 484 करोड़ रु तक घट गये, सम्पत्ति कर 314 करोड़ रु तक, उपहार कर 4.34 करोड़ रु तक (अर्थात् 50 प्रतिशत तक) और उत्पाद शुल्क 1583 करोड़ रु तक घट गये थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ का अंश भी, पिछले वर्ष से 77 करोड़ रु तक घट गया था। 1989-90 से 1993-94 के दौरान कर राजस्व के ब्यौरे निम्नवत हैं:

तालिका 1.3.2.2 कर राजस्व

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | कर राजस्व | पिछले वर्ष से प्रतिशतता (%) | संबद्ध वर्ष के बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद | स.घ.उ. से कर राजस्व की प्रतिशतता (%) |
|---------|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1989-90 | 47714 | 14.36 | 456820 | 10.44 |
| 1990-91 | 53456 | 12.03 | 532030 | 10.05 |
| 1991-92 | 62257 | 16.45 | 615655 | 10.11 |
| 1992-93 | 68579 | 10.15 | 705566 | 9.72 |
| 1993-94 | 67975 | (-) 0.88 | 803632 | 8.46 |


(स घ उ के लिए स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 1993-94 और 1993-94 के लिए भारि बै प्राक्कलन)



उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि प्राप्तियों में वृद्धि की निम्न दर मुख्यतया कर राजस्व में वृद्धि की घटती हुई दर के कारण रही है, 1993-94 में घटा 0.88 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि थी। स घ उ की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व भी 1989-90 में 10.44 प्रतिशत से 1993-94 में घट कर 8.46 प्रतिशत हो गया है। राजस्व की न्यूनतर वृद्धि दर के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारक, कर बकायों में तीव्र वृद्धि रहा है। निगम कर और आय कर के संचयी बकाये, 1992-93 में 9488.54 करोड़ रू से 31 मार्च 1994 को समाप्त

होने वाली अवधि के दौरान बढ़ कर 11365.33 करोड़ रू हो गये थे। इसी प्रकार से, केन्द्र उत्पाद शुल्कों के मामले में, बकाया मांगों में अन्तर्ग्रस्त राशियां, 1992-93 में 5160.32 करोड़ रू से 1993-94 में बढ़ कर 35075.83 करोड़ रू हो गई थी। (भारी विभिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए, मंत्रालय से आंकड़ों की पुनः जांच करने का अनुरोध किया गया है)। 31 मार्च 1994 तक आंकी गई सीमा शुल्क की राशि, जो कि 30 जून 1994 को अभी भी प्राप्त की जानी थी, पिछले वर्ष में 106 करोड़ रू की इसी प्रकार की राशि के प्रति 117.61 करोड़ रू थी।

स घ उ से कर राजस्व की प्रतिशतता



कर राजस्व में यह कमी, 1993-94 के लिए बजट प्राक्कलनों से 10297 करोड़ रु और संशोधित प्राक्कलनों से भी 1003 करोड़ रु की कमी के बराबर थी। 1993-94 में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण भी पिछले वर्ष से 604 करोड़ रु तक घट गया है, एक परिणाम जिसके लिए बढ़ते हुए राजस्व घाटे को दृष्टिगत रखते हुए सावधानी की आवश्यकता है।

पिछले पांच वर्षों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का पुनः विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है:-

तालिका 1.3.2.3: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | *प्रत्यक्ष कर | वृद्धि की प्रतिशतता (%) | अप्रत्यक्ष कर | वृद्धि की प्रतिशतता (%) | प्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता | अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता (%) |
|---------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | पिछले वर्ष से | | | | कुल कर राजस्व में | |
| 1989-90 | 6087 | 0.13 | 41627 | 16.78 | 12.76 | 87.24 |
| 1990-91 | 6910 | 13.52 | 46546 | 11.82 | 12.93 | 87.07 |
| 1991-92 | 10248 | 48.31 | 52009 | 11.74 | 16.45 | 83.53 |
| 1992-93 | 12082 | 17.90 | 56497 | 8.63 | 17.62 | 82.38 |
| 1993-94 | 12531 | 3.72 | 55444 | (-) 1.86 | 18.43 | 81.59 |

* भू- राजस्व और स्टाम्प तथा पंजीकरण से प्राप्तियों को छोड़कर

1993-94 में प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष कर



प्रत्यक्ष कर में वृद्धि की प्रतिशतता 1991-92 में शीर्ष 48.31 प्रतिशत से 1993-94 में घटकर 3.72 प्रतिशत हो गयी थी, जो कि आंशिक रूप से आय कर की दरों में कमी पर अरोप्य थी।

इसी प्रकार से 1993-94 में, अप्रत्यक्ष करों अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं पर उद्ग्रहीत शुल्क जैसे उत्पाद शुल्क और बिक्री कर का संग्रहण, पिछले वर्ष से 1.86 प्रतिशत तक नीचे आ गया था। अप्रत्यक्ष करों में गिरावट का मुख्य कारण पिछले वर्ष से 1583 करोड़ रु तक सीमा शुल्क प्राप्तियों में यथेष्ट गिरावट थी। यद्यपि, जब्त किये गये माल की बिक्री प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में 142

करोड़ रू तक बढ़ गई थी, पिछले वर्ष से आयात शुल्क में 1588 करोड़ रू तक तथा निर्यात शुल्क में 85 करोड़ रू तक गिरावट आई थी।

कर राजस्व प्राप्तियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) पर विस्तृत अवलोकन नि म ले प के राजस्व प्राप्तियों पर 1995 के प्रतिवेदन सं 4 और 5 में उल्लिखित है।


1.3.3 गैर कर राजस्व में वृद्धि

पिछले पांच वर्षों के लिए कुल गैर कर राजस्व की प्रवृत्ति नीचे दी गई है:

तालिका 1.3.3: गैर कर राजस्व

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | गैर कर राजस्व | पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता (%) |
|---------|---------------|---------------------------------------|
| 1989-90 | 29755 | 26.21 |
| 1990-91 | 30361 | 2.04 |
| 1991-92 | 36625 | 20.63 |
| 1992-93 | 44721 | 22.11 |
| 1993-94 | 50634 | 13.22 |



तालिका दर्शाती है कि 1993-94 में गैर कर राजस्व की प्रतिशतता में वृद्धि, 1989-90 में 13.22 प्रतिशत से घटकर 26.21 प्रतिशत हो गई है। गैर कर राजस्व में वृद्धि भी प्राथमिक रूप से 1993-94 के दौरान सार्वजनिक उद्यमों से कम प्रतिफल तथा राज्य सरकारों को ऋणों पर प्रभारित ब्याज की सहाय्य दरों के कारण भी कम हो गई थी। सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने 44116 करोड़ रू के निवेश पर 633 करोड़ रू के लाभांश का योगदान दिया, जो कि 1.44 प्रतिशत की प्रतिफल की दर की संरचना करता है (देखिये पैराग्राफ 1.6)।

आगे, यद्यपि गैर कर राजस्व में पिछले वर्ष से 1993-94 में 8.89 प्रतिशत तक गिरावट आई थी। निरपेक्ष रूप से प्राप्तियों में 1992-93 में 44721 करोड़ रू से 1993-94 में 50634

करोड़ रू की वृद्धि हुई थी। गैर कर राजस्व में यह वृद्धि मुख्यतया 2557 करोड़ रू तक की ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। तथापि, लाभांश और लाभ, जो कि पिछले वर्ष से 1992-93 के दौरान 1435 करोड़ तक बढ़ गये थे, पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 के दौरान 42 करोड़ रू तक घट गये थे।

1.3.4 राजस्व व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान, राजस्व व्यय (योजनागत और योजनेतर) में वृद्धि नीचे दिये गये अनुसार थी:


तालिका 1.3.4: राजस्व व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | राजस्व व्यय | | | | स घ उ की प्रतिशता के रूप में राजस्व व्यय | पिछले वर्ष से |
|---------|---------------|---------|---------|--------|--|---------------|
| | बजट प्राक्कलन | योजनागत | योजनेतर | जोड़ | (वास्तविक) % | वृद्धि |
| 1989-90 | 85295 | 12071 | 78067 | 90138 | 19.73 | 13727 |
| 1990-91 | 100800 | 12703 | 90261 | 102964 | 19.42 | 12826 |
| 1991-92 | 114103 | 15160 | 100931 | 116091 | 18.86 | 13127 |
| 1992-93 | 128399 | 19862 | 112932 | 132794 | 18.82 | 16703 |
| 1993-94 | 148480 | 24890 | 127427 | 152317 | 18.95 | 19523 |

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सभी पांच वर्षों का वास्तविक राजस्व व्यय बजट प्राक्कलनों से अधिक था। यह व्यय एवं घाटे पर अधिक वास्तविक प्राक्कलन तथा साथ साथ नियंत्रण की आवश्यकता का संकेत होगा।

कुल राजस्व व्यय 1992-93 में 132794 करोड़ रूप से 1993-94 में बढ़ कर 152317 करोड़ रूप हो गया, जिसने पिछले वर्ष से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि संरचित की। योजनागत व्यय 1992-93 में 19862 करोड़ रूप से 1993-94 में 25 प्रतिशत तक उछलकर 24890 करोड़ रूप हो गया, जबकि योजनेत्तर व्यय 1992-93 में 112932 करोड़ रूप से 1993-94 में बढ़कर 127427 करोड़ रूप हो गया, जिसने पिछले वर्ष से 12.8 प्रतिशत की वृद्धि संरचित की। 1993-94 में राजस्व व्यय, स घ उ का 18.95 प्रतिशत था।



क्षेत्रों, जिनमें भारी वृद्धियां हुई थी, की चर्चा आगामी पैराग्राफों में दी गई है।


1.3.4.1 ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष से ब्याज भुगतान 5666 करोड़ रूप तक बढ़ गये थे। 1993-94 के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 24.1 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 30.7 प्रतिशत लेखाबद्ध हुए थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ब्याज भुगतान की प्रवृत्ति नीचे दी गई है:

तालिका 1.3.4.1: ब्याज भुगतान

(करोड़ रूपयों में)


| वर्ष | निम्न पर ब्याज | | | | जोड़ |
|---------|----------------|----------|--------------------------------|------|-------|
| | आंतरिक ऋण | बाह्य ऋण | अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि | अन्य | |
| 1989-90 | 8273 | 1494 | 7573 | 417 | 17757 |
| 1990-91 | 9814 | 1834 | 9413 | 437 | 21498 |
| 1991-92 | 11317 | 2704 | 12083 | 492 | 26596 |
| 1992-93 | 13542 | 3529 | 13436 | 568 | 31075 |
| 1993-94 | 15587 | 3724 | 16936 | 494 | 36741 |



कुल ब्याज भुगतान 1989-90 में 17757 करोड़ रु से 1993-94 में बढ़ कर 36741 करोड़ रु हो गया, जिसमें 107 प्रतिशत वृद्धि संरचित थी। 1993-94 के दौरान लोक ऋण (आंतरिक जमा बाह्य) पर ब्याज भुगतान कुल ब्याज भुगतानों का 53 प्रतिशत था तथा अल्प बचतों और भविष्य निधियों एवं अन्य पर ब्याज भुगतान 47 प्रतिशत था।

निरपेक्ष रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि आन्तरिक ऋण पर ब्याज के भुगतान में थी, जो कि पिछले वर्ष से 15.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हुए 2045 करोड़ रु थी। 1993-94 के दौरान, खजाना बिलों और प्रतिभूतियों प्रत्यावर्तित खजाना बिलों पर ब्याज भुगतान का संघटक, आंतरिक ऋण पर कुल ब्याज भुगतान का लगभग 40 प्रतिशत था, जबकि बाजार ऋणों पर ब्याज 59 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान बाजार उधारों में वृद्धि, पिछले वर्ष से लगभग पांच गुणा थी।

1.3.4.2 परिदान



वर्ष 1993-94 के दौरान, मुख्य परिदान विशेषकर पिछले वर्ष के स्तर पर ही रही। तथापि, पिछले पांच वर्ष की अवधि में, वे 1989-90 में 9700.83 करोड़ रु से 1993-94 में बढ़ कर 11823.46 करोड़ रु तक बढ़ गई थी, जिसमें 21.9 प्रतिशत की वृद्धि समाविष्ट हुई। खाद्य परिदान पिछले वर्ष से 2737.14 करोड़ रु तक तीव्रता से बढ़ गया था। नीचे तालिका, पिछले पांच वर्षों के लिए मद वार मुख्य परिदान को बताती है।

तालिका 1.3.4.2.1

1989-90 से 1993-94 के दौरान परिदानों पर व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| खाद्य परिदान | 2476.00 | 2450.00 | 2850.00 | 2800.00 | 5537.14 |
| देशज उर्वरकों पर परिदान | 3771.00 | 3729.73 | 3500.00 | 4800.00 | 3800.00 |
| ब्याज परिदान | 435.79 | 349.10 | 323.09 | 112.56 | 147.74 |
| निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास हेतु सहायता | 2014.34 | 2741.53 | 1753.77 | 818.50 | 664.72 |
| लाभांश राहत आदि के लिए रेलवे को परिदान | 232.60 | 283.35 | 311.76 | 352.61 | 412.03 |
| आयातित उर्वरकों पर परिदान | 771.10 | 659.33 | 1299.60 | 996.11 | 761.83 |
| किसानों को ऋण राहत | — | 1502.00 | 1425.00 | 1500.00 | 500.00 |
| जोड़ | 9700.83 | 11715.04 | 11455.22 | 11379.78 | 11823.46 |

बजट प्राक्कलनों के साथ परिदानों की तुलना

खाद्य, देशज उर्वरकों और निर्यात पर वास्तविक परिदान, बजट प्राक्कलनों की तुलना में यथेष्ट रूप से अधिक थे, जैसा कि निम्नलिखित तालिका दर्शाती है:-

तालिका 1.3.4.2.2: बजट प्राक्कलनों से परिदानों की तुलना

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | खाद्य परिदान | | | देशज उर्वरक | | | निर्यात परिदान | | |
|---------|--------------|----------|--------------------------|-------------|----------|--------------------------|----------------|----------|--------------------------|
| | ब प्रा | वास्तविक | % ब प्रा से वृद्धि | ब प्रा | वास्तविक | % ब प्रा से वृद्धि | ब प्रा | वास्तविक | % ब प्रा से वृद्धि |
| 1990-91 | 2200 | 2450 | 11 | 3250 | 3730 | 15 | 2316 | 2742 | 18 |
| 1991-92 | 2600 | 2850 | 10 | 2900 | 3500 | 21 | 1224 | 1754 | 43 |
| 1992-93 | 2500 | 2800 | 12 | 3500 | 4800 | 37 | 480 | 819 | 71 |
| 1993-94 | 3000 | 5537 | 85 | 3500 | 3800 | 9 | 500 | 665 | 33 |

यह अवलोकित किया जायेगा कि खाद्य परिदानों के लिए बजट प्राक्कलन 3000 करोड़ रूपये थे, जबकि वास्तव में 5537 करोड़ रूपये थे, जिसने 1993-94 के दौरान, बजट प्राक्कलनों से 85 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शाई। 1993-94 के दौरान निर्यात परिदान भी बजट प्राक्कलन से 33 प्रतिशत तक अधिक थे।

1.3.4.3 ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास और निर्धनता उत्थान कार्यक्रमों ने वर्ष के दौरान यथेष्ट वृद्धि दर्शायी। जवाहर रोजगार योजना पर व्यय 1992-93 में 14.73 करोड़ रूपये से 1993-94 में कई गुणा बढ़ कर 1002.71 करोड़ रूपये हो गया। इसी प्रकार से स ग्रा वि का पर व्यय 1992-93 में 356.75 करोड़ रूपये से 1993-94 में बढ़कर 563.70 करोड़ रूपये हो गया।

1.3.4.4 सहायक अनुदान और अंशदान

सहायक अनुदान और अंशदान 1992-93 में 32590 करोड़ रूपये से 1993-94 में बढ़कर 35637 करोड़ रूपये हो गये, जिसने पिछले वर्ष से 9.3 प्रतिशत की वृद्धि संरचित की तथा 1993-94 में कुल राजस्व व्यय के 23.4 प्रतिशत का निरूपण किया।

मुख्य वृद्धि राज्य सरकारों को अनुदानों के भारी भुगतानों के कारण थी, जो कि पिछले वर्ष 3000 करोड़ रूपये तक बढ़ गया था। इसी प्रकार 1993-94 के दौरान संघ शासित क्षेत्रों को

सहायता अनुदान 13 करोड़ रु. तक बढ़ गया। 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य सरकारों को अनुदानों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3.4.4

राज्य सरकारों तथा सं शा सरकारों को अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

| | | 1992-93 | 1993-94 |
|--------------------------|--------------------|----------|----------|
| योजनेतर | | 3171.64 | 3192.37 |
| राज्य | योजनागत योजनाएं | 8027.92 | 9812.24 |
| केन्द्रीय | उपरोक्त | 1386.15 | 1380.66 |
| केन्द्र द्वारा प्रायोजित | उपरोक्त | 5299.36 | 6494.89 |
| विशेष | उपरोक्त | 58.01 | 75.70 |
| | जोड़ | 17943.08 | 20955.86 |


कुछ योजनाओं के विस्तृत अध्ययन, जिन पर अभ्युक्तियां, इस तथा अन्य प्रतिवेदनों में उल्लिखित हैं, राज्य सरकारों तथा स्वायत्त निकायों, गैर सरकारी और स्वैच्छिक सगठनों को दिये गये सहायक अनुदान के उपयोग का, ध्यानपूर्वक प्रबोधन की आवश्यकता का संकेत देता है।

1.4. राजस्व घाटे में वृद्धि

निम्नलिखित तालिका दर्शाती है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय तीव्र गति से बढ़ रहा है:

तालिका 1.4.1
राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच तुलना
(करोड़ रु में)

| वर्ष | राजस्व प्राप्तियां | राजस्व व्यय | राजस्व घाटे के बजट प्राक्कलन | राजस्व घाटा | कुल राजस्व व्यय से राजस्व घाटे की प्रतिशतता (%) |
|---------|--------------------|-------------|------------------------------|-------------|---|
| 1989-90 | 78224 | 90138 | 7012 | 11914 | 13.22 |
| 1990-91 | 84403 | 102964 | 13031 | 18561 | 18.03 |
| 1991-92 | 99830 | 116091 | 13854 | 16261 | 14.01 |
| 1992-93 | 114220 | 132794 | 13881 | 18574 | 13.99 |
| 1993-94 | 119602 | 152317 | 17629 | 32715 | 21.48 |



राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के बीच बढ़ते हुए अन्तराल के परिणामस्वरूप 1989-90 में राजस्व लेखे में घाटा 11914 करोड़ रु से 1993-94 में बढ़कर 32715 करोड़ रु हो गया, जो कि 175 प्रतिशत की वृद्धि संरचित करता था।

यह विचारणीय है कि राजस्व घाटा पिछले वर्ष से 76 प्रतिशत तक बढ़ गया है अर्थात् 1992-93 में 18574 करोड़ रु से 1993-94 में 32715 करोड़ रु। कुल राजस्व व्यय से राजस्व घाटे की प्रतिशतता

1989-90 में 13.22 प्रतिशत से 1993-94 में 21.48 प्रतिशत तक हो गयी थी, जबकि स्वयं पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता 7.49 प्रतिशत थी। संयोग से 1993-94 में राजस्व घाटा बजट प्राक्कलनों से 15086 करोड़ रु तक अधिक हो गया था, अर्थात् 86 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इस प्रकार से सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति को मुख्यतया योजनेत्तर व्यय द्वारा संसाधनों का भारी अवशोषण, कर राजस्वों की घटती हुई वृद्धि, कर बकायों में तीव्र वृद्धि तथा सार्वजनिक उद्यमों, से कम प्रतिशत के कारणों पर आरोपित की जा सकती थी।


1.5 पूंजीगत व्यय

परिसम्पत्तियां अधिकतर पूंजीगत व्यय से सृजित की जाती है, जिनकी परिणति ठोस और अमूर्त परिसम्पत्तियों में होती है, जो कि राजस्व और प्रतिफलों के सृजन में सक्षम बनती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के बाहर संस्थाओं और उपक्रमों (जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगमों) में निवेश किये गये धन से वित्तीय परिसम्पत्तियों उद्भूत होती है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय के विवरण निम्नवत थे:-

तालिका 1.5: पूंजीगत व्यय

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | पूंजीगत व्यय | पिछले वर्ष से पूंजीगत व्यय की वृद्धि की प्रतिशतता | वर्तमान बाजार मूल्यों पर स घ उ | स घ उ की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय (%) |
|---------|--------------|---|--------------------------------|--|
| 1989-90 | 13400 | 18.20 | 456820 | 2.93 |
| 1990-91 | 13387 | (-)0.10 | 532030 | 2.52 |
| 1991-92 | 13911 | 3.90 | 615655 | 2.25 |
| 1992-93 | 20586 | 48.00 | 705566 | 2.92 |
| 1993-94 | 24650 | 19.74 | 803632 | 3.07 |



उपरोक्त तालिका से यह अवलोकित होगा कि पूंजीगत व्यय की वार्षिक औसत वृद्धि दर 1989-90 से 1993-94 तक 20 प्रतिशत थी। 1993-94 को छोड़ कर जब यह 3.07 प्रतिशत था, पूंजीगत व्यय स घ उ का 3 प्रतिशत से कम रहा था। यह वृद्धि मुख्यता अं मु को के दिए गए अंशदान में वृद्धि, जोकि 1991-92 में 1805 करोड़ रु. था तथा 1992-93 में 7017 करोड़ रु. तथा 1993-94 में 5698 करोड़ रु. तक बढ़ गया था के कारण थी। आगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश

में 1992-93 में 761 करोड़ रु. से 1993-94 में 5725 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। यदि कुल पूंजीगत व्यय में से अं मु को के अंशदान तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश को छोड़ दिया जाए तो पूंजीगत व्यय की वास्तविक वृद्धि प्रवृत्ति को स्थिरता की ओर दिखाती है।


1.6 निवेश और प्रतिफल

1989-90 से 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों इत्यादि में कुल किये गए निवेश के साथ प्रतिफल की प्रतिशतता में प्राप्त हुये लाभांश का ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों सहकारी बैंकों तथा समितियों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों इत्यादि में सरकार का कुल निवेश 31 मार्च 1993 में 52038.46 करोड़ रु से 31 मार्च 1994 को 63005.84 करोड़ रु तक बढ़ गया था जो कि 21.1 प्रतिशत की वृद्धि संगठित करता है। इसमें 2464.50 करोड़ रु वह शामिल है जो कि विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना के सम्बन्ध में कर्जों से इक्यूटी में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

अभी भी परियोजना कार्यान्वयन चरण अंतर्गत रहे 5 उद्यमों में, निवेश किये गए 6309.51 करोड़ रूपयों पर कोई लाभांश देय नहीं था। इनमें से 1981-82 में आरम्भ हुई विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना ने 1993-94 के अन्त तक 6276.24 करोड़ रु का परिव्यय लेखाबद्ध किया। अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में निवेश किये गए 718.85 करोड़ रु पर भी कोई लाभांश देय नहीं था यद्यपि ब्याज प्राप्ति योग्य है।


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं निगम



यह प्रकट करता है कि वर्ष के आरम्भिक तथा अंतिम अनुमान 10 प्रतिशत से अधिक बताये गए थे।

238 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में निवेश किये गए 44116.15 करोड़ रु से औसत लाभांश केवल 1.44 प्रतिशत था। 178 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ था। 1993-94 में 63005.84 करोड़ रु के निवेश पर कुल लाभांश पिछले वर्ष के 4.75 प्रतिशत के प्रति केवल 3.9 प्रतिशत था। वर्ष 1993-94 के दौरान कुल लाभांश व लाभ का बजट अनुमान 2690.81 करोड़ रु तथा संशोधित अनुमान 2737 करोड़ रु था जबकि वास्तविक 2450.80 करोड़ रुपये था जो

राष्ट्रीयकृत बैंकों, औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य बैंकों में 691 करोड़ रू के निवेश पर कुल लाभांश, 1.79 प्रतिशत गठित करते हुये, केवल 12 करोड़ रूपये था। 31 मार्च 1993 तक, 1975 में स्थापित किये गए ग्रामीण बैंकों में 68.75 करोड़ रू के निवेश पर अभी तक कोई लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है। 1993-94 के दौरान इन बैंकों में 3.25 करोड़ रू की और राशि निवेश की गई है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (रा कृ ग्रा वि बैं) जिसमें 1992-93 तक कुल निवेश 50 करोड़ रू था तथा जो 1993-94 में 10 करोड़ रू तक बढ़ाया गया था, ने कोई लाभांश नहीं दिया। ग्रामीण क्रेडिट की यह प्रवृत्ति, उनकी कार्यात्मक दक्षता तथा निवेश पर प्रतिफल के सुधार के उद्देश्य से इन संस्थाओं के कार्यों की निकट प्रबोधन का संकेत करेगी।



राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश 1992-93 के अंत में 3740 करोड़ रू से 1993-94 के अंत में 9465 करोड़ रू तक बढ़ गया है। परन्तु प्राप्त हुये लाभ की प्रतिशतता 1992-93 में 2.16 प्रतिशत से 1993-94 में 0.04 प्रतिशत तक घट गई है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उनकी पूंजीगत हिस्से को बढ़ाने के लिए बजटीय सहायता भी दी जा रही है। पिछले चार वर्षों के दौरान किये गये आबंटन/ व्यय तथा उपरोक्त पूंजी में से बैंकों द्वारा विशिष्ट उपक्रम्य सरकारी प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश

निम्न प्रकार है:

तालिका 1.6.1: राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजटीय सहायता

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | बजट अनुमान | वास्तविक भुगतान | सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया पुनर्निवेश |
|---------|------------|-----------------|---|
| 1990-91 | 719.65 | 770.86 | 707.19 |
| 1991-92 | 718.00 | 817.55 | 705.27 |
| 1992-93 | 753.00 | 760.58 | 701.25 |
| 1993-94 | 5760.00 | 5725.30 | 5722.77 |

पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल निवेश पर प्राप्त लाभ तथा राष्ट्रीकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किये गये ब्याज का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.6.2 प्रतिभूतियों पर दिया गया ब्याज

(करोड़ रु में)

| वर्ष | प्राप्त लाभ | ब्याज भुगतान |
|---------|-------------|--------------|
| 1989-90 | 55.47 | 74.07 |
| 1990-91 | 50.70 | 68.02 |
| 1991-92 | 54.59 | 170.38 |
| 1992-93 | 80.88 | 209.89 |
| 1993-94 | 3.58 | 327.73 |

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि राष्ट्रीकृत बैंकों से प्राप्त लाभ का हिस्सा 1992-93 में 80.88 करोड़ रु से 1993-94 में 3.58 करोड़ रु अर्थात् 95.6 प्रतिशत तक घट गया था। लाभों में यह गिरावट फरवरी 1993 में वित्त मंत्री के बजट भाषण जो बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन तथा बैंकों की ओर से अप्राप्य तथा सन्देहास्पद कर्जों के प्रति आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता के बारे में उल्लेख करती है, के दृष्टिकोण से देखी जानी है।

1.7 कर्जे तथा अग्रिम

1993-94 तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक उद्देश्यों के लिए राज्यों तथा संघ शासित सरकारों को दिये गए कर्जे तथा चुकायी गई राशियां एवं प्राप्त ब्याज के साथ साथ मूल तथा वसूली योग्य ब्याज नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1.7.1

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को कर्जे तथा अग्रिम

(करोड़ रु में)

| | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| अथ शेष | 64242 | 74111 | *82858 | 91555 |
| वर्ष के दौरान दी गई राशि | 14552 | 13199 | 13336 | 15263 |
| वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 4653 | 3781 | 4639 | 5192 |
| अंत शेष | 74111 | 83529 | 91555 | 101626 |
| पिछले वर्षों के शेष से निवल वृद्धि | 15% | 13% | 9.61% | 11% |
| वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज | 5174 | 6565 | 7843 | 9558 |
| वसूलीयोग्य मूलधन का बकाया | 97.71 | 155.51 | 241.45 | 250.32 |
| वसूली योग्य ब्याज का बकाया | 94.19 | 152.78 | 396.19 | 340.86 |
| वसूली योग्य कुल बकाया | 191.90 | 308.29 | 637.64 | 591.18 |

* पूर्व अवधि समायोजन के कारण अथ शेष में परिवर्तन

1993-94 के दौरान कर्जों की वापसी के सम्बन्ध में राज्य तथा संघ शासित सरकारों से प्राप्तियां, पिछले वर्ष से 53 करोड़ रु. के मुकाबले 219 करोड़ रु. की कमी को प्रकट करते हुये, 5411 करोड़ रु के बजट अनुमानों के प्रति 5192 करोड़ रु थी। इसी प्रकार 1993-94 के दौरान प्राप्त किया गया ब्याज, 208 करोड़ रु की कमी को दशति हुये 9766 करोड़ रु के बजट अनुमानों के प्रति 9558 करोड़ रूपये था। जबकि 1993-94 में, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को कर्जों के वितरण का बजट अनुमान 13152 करोड़ रु. था, वास्तव में 15263 करोड़ रु. था, जो बजट अनुमानों से 2111 करोड़ रु. तक बढ़ गया। 1993-94 में कर्जों की चुकौती में कमी के साथ बजट अनुमानों से अधिक वितरण यह संकेत करेंगे कि इस संबंध में बजट अनुमान अतिआशावादी थे।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिये गए कुल कर्जें तथा अग्रिम 1992-93 में 13336 करोड़ रु से 1993-94 में 15263 करोड़ रु अर्थात पिछले वर्ष से 14.4 प्रतिशत तक, बढ़ गए थे।

31 मार्च 1994 को राज्यों/संघ शासित सरकारों से वसूली योग्य मूल धन तथा ब्याज का कुल बकाया 591.18 करोड़ रु. था।

1993-94 तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अन्य निकायों (सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि) को दिये गये कर्जों तथा चुकौतियों का ब्यौरा निम्नवत दिया जाता है:

तालिका 1.7.2 'अन्यों' को कर्जें तथा अग्रिम

(करोड़ रूपयों में)

| | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|--|-----------------|---------|---------|---------|
| अथ शेष | 35550 | *38487 | 41328 | *40962 |
| वर्ष के दौरान दी गई राशि | 4468 | 4369 | 4015 | 6564 |
| वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 1317 (+ 191) | 1528 | 1913 | 2157 |
| अंत शेष | 38510 | 41328 | 43430 | 45369 |
| लघु शीर्ष 190 (उपरोक्त में शामिल) से साक्षे उ तथा अन्यों को कर्जें | (22300) | (24082) | (24565) | (24530) |

* अथ शेष से भिन्नता, पूर्व अवधि समायोजन के कारण

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि 31 मार्च 1994 को सा क्षेत्र तथा अन्य संगठनों को कर्जे का अन्त शेष कम अथवा अधिक उसी स्तर पर रहा। 1993-94 के दौरान सा क्षेत्र तथा अन्य संगठनों को कर्जे के रूप में 3572 करोड़ रु वितरित किये गये थे, तथापि, 31 मार्च 1994 को वसूलीयोग्य मूलधन की राशि 7970 करोड़ रु थी। इसी प्रकार 31 मार्च 94 को सा क्षेत्र तथा अन्यो से 9438 करोड़ रु के वसूली योग्य ब्याज के बकाया के प्रति प्राप्त किया गया ब्याज 3224 करोड़ रु था। कुछ सा क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के मामले में कर्जे 20 से 41 वर्षों से बकाया में है (परिशिष्ट II देखिये)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 802 करोड़ रु (पिछले वर्ष में 102 करोड़ रु के प्रति) के कर्जे संस्वीकृत किये गये थे। इसमें से 791 करोड़ रु नए कर्जे के रूप में केवल राष्ट्रीय इस्पात निगम, विशाखापट्टनम को ही दिये गये थे।

सरकारी स्वामित्व की कम्पनियों/निगमों गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों इत्यादि को दिये गए समग्र 1284 करोड़ रूपये के कर्जे की शर्तें कुछ से मामलों में कर्जे के वितरण के बहुत से वर्षों के बाद भी, उदाहरणार्थ इंडियन रेयर अर्थ लि., बम्बई, तथा केन्द्रीय सचिवालय कैन्टीन नई दिल्ली, अभी तक निपटाई नहीं गयी है।

यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि यदि राज्यों/संशा तथा सा क्षेत्र/अन्यों से वसूली योग्य मूलधन तथा ब्याज का भुगतान हो गया होता, सरकार को इसके अनुरूप बाजार से ब्याज की उच्चतर दर पर न्यूनतर राशि उधार लेनी पड़ती।


1.8 संघ सरकार का कुल व्यय

पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार का कुल व्यय निम्न प्रकार था:

तालिका 1.8: संघ सरकार का कुल योजनागत तथा योजनेत्तर व्यय

| वर्ष | राजस्व व्यय | | पूँजीगत व्यय | | कर्जे | | कुल व्यय | चातुर्बाजार मूल्यों पर संघ उ | 8 से 9 की प्रतिशतता (%) |
|---------|-------------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|------------------------------|-------------------------|
| | योजनागत | योजनेतर | योजनागत | योजनेतर | योजनागत | योजनेतर | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1989-90 | 12071 | 78067 | 7269 | 6131 | 9061 | 8309 | 120908 | 456820 | 26.47 |
| 1990-91 | 12703 | 90261 | 7286 | 6101 | 9165 | 11543 | 137059 | 532030 | 25.76 |
| 1991-92 | 15160 | 100931 | 6411 | 7500 | 10182 | 8521 | 148705 | 615655 | 24.15 |
| 1992-93 | 19862 | 112932 | 7023 | 13563 | 10561 | 7058 | 170999 | 705566 | 24.23 |
| 1993-94 | 24890 | 127427 | 10879 | 13771 | 13658 | 8216 | 198841 | 803632 | 24.74 |

संघ सरकार का कुल व्यय (1993-94)




उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि संघ सरकार का कुल व्यय 1989-90 में 120908 करोड़ रू से 1993-94 में 198841 करोड़ रू तक बढ़ गया था जो कि 64.5 प्रतिशत वृद्धि संगठित करता है। यद्यपि 1989-90 से 1993-94 के दौरान संघ की प्रतिशतता के रूप में कुल व्यय घट गया था, परन्तु इसने पिछले तीन वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई। 1993-94 के दौरान योजनागत व्यय कुल व्यय का 24.8 प्रतिशत था जबकि योजनेत्तर व्यय 75.2 प्रतिशत अर्थात् योजनागत व्यय का तीन गुना था।

1.9 घाटा

1.9.1 समग्र घाटा: सरकार के व्यय तथा प्राप्तियों में समग्र घाटा वह राशि है जिस तक सरकार का कुल व्यय (राजस्व तथा पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत) कुल प्राप्तियों (राजस्व तथा पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत) से अधिक हो जाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान समग्र घाटा 12312 करोड़ रू से 10960 करोड़ रू तक घट गया, पिछले वर्ष से घटौती 11.79 प्रतिशत हुई।

समग्र घाटे के लिए बजट अनुमान में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सरकार की इक्यूटी होल्डिंग में गैर निवेश के सम्बन्ध में 3500 करोड़ रू की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल थी तथापि इस संबंध में कोई वास्तविक पूंजीगत प्राप्तियां नहीं थी। अन्ततः वास्तविक घाटा बजट अनुमानों से 6646 करोड़ रू बढ़ गया।


1.9.2 मुद्राकृत घाटा: सरकार के भारि बै का निवल क्रेडिट मुद्राकृत घाटा है जो भारि बै क्रेडिटों द्वारा सरकार को उपलब्ध करवाये गए राजकोषीय संचालनों के मौद्रिक प्रभारों की माप करता है।



1993-94 में मुद्राकृत घाटा, (अर्थात् केन्द्र सरकार को भारि बै का निवल क्रेडिट) पिछले वर्षों में 14257 करोड़ रू (संघ का 0.60 प्रतिशत) के प्रति केवल 260 करोड़ रू (संघ का 0.03 प्रतिशत) हुआ। तथापि, यह मुख्यतः दो कारणों द्वारा संभव बनाया गया था: पहला, भारि बै ने अपने स्वयं के खाते से भारत सरकार की प्रतिभूतियों की 9047 करोड़ रू की सारी बिक्रीयों को प्रभावित करते हुए, खुले बाजार में संचालन किया, दूसरा सरकार ने ब्याज की बाजार सम्बद्ध दरों पर यथेष्ट संसाधन बनाए।

1.9.3 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा, राजस्व प्राप्तियों (प्राप्त अनुदान एवं सहायता सहित) पर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के अतिरेक (दिये गए निवल कर्जों सहित) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।



राजकोषीय घाटा 1992-93 में 40173 करोड़ रू से 1993-94 में 60256 करोड़ रू तक बढ़ गया अर्थात् पिछले वर्ष से लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गया एवं 1993-94 में स घ उ का 7.5 प्रति संघटित हुआ। स घ उ से राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के बजट अनुमान 1993-94 के लिये केवल 4.6 प्रतिशत थे।

संघ सरकार के लेखे में घाटे के विस्तृत विश्लेषण, नि म ले प की 1994 के प्रतिवेदन संख्या 12 में भी शामिल किये गए हैं।

1.10 लोक ऋण तथा अन्य देयताएं

संघ सरकार की 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान कुल देयताएं नीचे दी गई हैं:-

तालिका 1.10.1: लोक ऋण तथा अन्य देयताएं

| | | 1992-93 | स घ उ की प्रतिशतता | 1993-94 | स घ उ की प्रतिशतता |
|--------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|
| सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) | | 705566 | | 803632 | |
| 1. | आंतरिक ऋण | 199100 | 28.22 | 245712 | 30.58 |
| 2. | बाहरी ऋण | 42269 | 5.99 | 47345 | 5.89 |
| लोक ऋण (1+2) | | 241369 | 34.20 | 293057 | 36.47 |
| 3. | अन्य आंतरिक देयताएं | 160554 | 22.76 | 184911 | 23.01 |
| 4. | बाह्य ऋण* | 120813 | 17.12 | 127798 | 15.90 |
| ऋणग्रस्तता (1+3+4) | | 480467 | 68.10 | 558421 | 69.49 |

* 31-3-93 तथा 31-3-94 को विनिमय दरों पर

यह देखा जा सकता है कि आंतरिक ऋण 1992-93 में 199100 करोड़ रू से 1993-94 में 245712 करोड़ रू तक बढ़ गया जिसमें पूर्व वर्ष से 23.4 प्रतिशत की वृद्धि समाविष्ट हुई।

लोक ऋण के भाग में बाहरी ऋण विनिमय की ऐतिहासिक दरों पर 1992-93 में 42269 करोड़ रू से 1993-94 में 47345 करोड़ रू तक वृद्धि हुई। तथापि, चालू विनिमय दरों पर परिवर्तित किये जाने पर यह 1992-93 में 120813 करोड़ रू से 1993-94 में 127798 करोड़ रू तक बढ़ गया।

अन्य आंतरिक देयताओं में 1992-93 में 160554 करोड़ रू से 1993-94 में 184911 करोड़ रू तक वृद्धि हो गई थी। लघु बचतों (निवल) में 1992-93 में 4373 करोड़ रू से 1993-94 में 7157 करोड़ रू तक वृद्धि हो गई जो पूर्व वर्ष से 63.7 प्रतिशत की वृद्धि संचरित करती थी। दूसरी तरफ लघु बचतों पर ब्याज भुगतानों में 1992-93 में 5219 करोड़ रू से 1993-94 में 7347 करोड़ रू तक की वृद्धि हुई जो पूर्व वर्ष से 40.7 प्रतिशत की वृद्धि संचरित करती थी।

विशेष जमा (निवल) सहित अन्य लेखों में 1992-93 में 7979 करोड़ रू से 1993-94 में 12681 करोड़ रू तक वृद्धि हुई जो 58.9 प्रतिशत की वृद्धि संचरित करती थी। यह मुख्यतः राष्ट्रीयकृत बैंकों को विशेष प्रतिभूतियां जारी करने के कारण थी जो 1992-93 में 701.25 करोड़ रू से 1993-94 में 5722.77 करोड़ रू बढ़ गई।

31.3.94 को संघ सरकार को ऋण भार (वर्तमान विनिमय दरों पर) स घ उ का 69.49 प्रतिशत था जो पूर्व वर्ष से, 1.39 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि संगठित करता था।

1.11 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत, संघ सरकार, 'विधि द्वारा ऐसी सीमाओं के अन्दर, यदि कोई हो, जो संसद द्वारा निर्धारित की गई हों, गारंटियां दे सकती हैं।' सीमा को निर्धारित करते हुए, अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है; यद्यपि लोक लेखा समिति ने अपने चौसठवें प्रतिवेदन (चतुर्थ लोक सभा, 1968-69) के पैराग्राफ 1.11 में, संविधान के अनुच्छेद 292 में अपेक्षित कानून में अन्तर्विष्ट करने के उद्देश्य से उधारों पर व्यवहार्य सीमा का परिकलन करने की सिफारिश की। गारंटियों की अधिकतम राशि से संबंधित स्थिति जिसके लिए सरकार ने करार किये हैं तथा 1989-90 से 1993-94 के वर्षों के अन्त में बकाया गारंटी की राशियां नीचे दी गई हैं:-

तालिका 1.11: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रू. में)

| वर्ष के अंत में स्थिति | गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए जिसके लिए सरकार ने करार किया | कुल बकाया गारंटियां (आंतरिक एवं बाह्य) | बकाया बाह्य गारंटियां | प्रतिशतता कॉलम 4 से कॉलम 3 (%) |
|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1989-90 | 60917 | 54537 | 13478 | 24.7 |
| 1990-91 | 49353 | 40394 | 20964 | 51.9 |
| 1991-92 | 55063 | 46744 | 19857 | 42.5 |
| 1992-93 | 79552 | 58027 | 28194 | 48.6 |
| 1993-94 | 84738 | 62857 | 30311 | 48.2 |

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाएगा कि कुल बकाया गारंटियां (आंतरिक + बाह्य) 1989-90 में 54537 करोड़ रू से 1993-94 में 62857 करोड़ रू तक बढ़ गई जिससे यह वृद्धि 15.3 प्रतिशत बनती है। यह रूचिकर बात है कि उसी अवधि के लिए बाह्य गारंटियों की अवधि 124.9 प्रतिशत थी। संघ सरकार वित्त लेखाओं में इन्हें विनिमय की चालू दरों पर परिवर्तित नहीं किया गया है। 1993-94 के दौरान बाह्य ऋण गारंटियां संघ सरकार की कुल बकाया गारंटियों का 48.2 प्रतिशत थी।

1.12 उपयोगिता प्रमाण पत्र

सांविधिक निकायों, गैर सरकारी संस्थानों आदि को जारी अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने थे। प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उसी उद्देश्य के लिए, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, समुचित उपयोग हुआ था तथा जहां जारी किए गए अनुदान सशर्त थे, निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई थी। प्रमाण पत्र संस्वीकृतिदाता द्वारा अनुदान की संस्वीकृति की तिथि से अधिकतम 18 मास तक प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं।

27 मंत्रालयों/विभागों से सितम्बर 1992 तक जारी अनुदानों के संबंध में 3312.9 करोड़ रू से संबंधित 14843 उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 1994 के अन्त तक बकाया थे। मार्च 1994

के अन्त तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति के मंत्रालय/विभाग वार विवरण परिशिष्ट- III में दिए गए हैं। रसायन तथा पैट्रो -रसायन, मानव संसाधन विकास तथा कल्याण मंत्रालय के मंत्रालयों/विभागों तथा संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों की सामायिक प्राप्ति की निगरानी की प्रक्रिया को कारगर बनाने तथा पहले दिए गए अनुदानों के सन्तोषजनक उपयोग के पश्चात अनुदानों को पुनः नियमित करने के लिए कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

1.13 लेखाओं पर टिप्पणियां

1.13.1 उचन्त शेष

उचन्त शीर्षों के अंतर्गत ऐसे सभी लेन-देन, जोकि आखिर कार भुगतान अथवा नकदी में वसूली अथवा खाता समायोजन द्वारा चुकाए जाते हैं, अभिलिखित किए जाते हैं। उचन्त शीर्षों के अंतर्गत सभी शीर्षों को थोड़े अंतराल पर देखा जाना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार साधारण तरीके से इसके निपटान के बारे में कोई मद उचित आवश्यकता से अधिक अवधि के लिए बिना निपटाए न रहीं हो। अतः इन राशियों का शीघ्र निपटान करने तथा उन्हें उनके उचित लेखाशीर्ष में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। पिछले पांच वर्षों से उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत पड़े हुए आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.13.1.1: उचन्त शेष

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष | राशि |
|---------|-----------|
| 1989-90 | डे. 3130 |
| 1990-91 | डे. 4031 |
| 1991-92 | डे. 4625 |
| 1992-93 | डे. 5894 |
| 1993-94 | डे. 28085 |

इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि में 797 प्रतिशत की वृद्धि बनाते हुए उचन्त शेष 1989-90 के अंत में 3130 करोड़ रू से 1993-94 के अंत में 28085 करोड़ रू तक बढ़ गए। उचन्त शेषों में मुख्य वृद्धि निम्नलिखित शीर्षों में देखी गई है:

तालिका 1.13.1.2: उच्चत शेष

(करोड़ रूपयों में)

| को शेष → | 31-3-92 | 31-3-93 | 31-3-94 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| उच्चत लेखा-सिविल | डे. 59.86 | डे. 361.76 | डे. 829.02 |
| उच्चत लेखा-डा एवं ता. | डे. 282.75 | डे. 239.46 | डे. 20573.09 |
| सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उच्चत | डे. 317.76 | डे. 360.23 | डे. 528.55 |
| विदेश में की गई खरीदों का उच्चत लेखा | डे. 1272.33 | डे. 1365.09 | डे. 1539.50 |

डाक व तार का उच्चत लेखा 1991-92 के अंत में 282.75 करोड़ रू. से 1993-94 के अंत में बढ़कर 20573.09 करोड़ रू. हो गया, जो कि 'चैक और बिल-डाक चैक' शीर्ष के साथ प्रति समायोजन द्वारा 19977.03 करोड़ रू. की राशि के अन्तरण द्वारा पूर्वावधि समायोजन के कारण था। लेखांकन अधिकारियों द्वारा उच्चत तथा विविध शीर्षों के अन्तर्गत बढ़ते हुए बकाया शेषों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा सरकार के वार्षिक लेखाओं में सही एवं उचित स्थिति दर्शाने के लिए पुराने बकाया शेषों के निपटान हेतु विशेष रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.13.2 शेषों की पुनरीक्षा

यह अनिवार्य है कि सरकार को नियमित अन्तरालों पर विभिन्न ऋण जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत लोक लेखों में बकाया शेषों के संबंध में अपनी परिशुद्ध देयताओं का पता लगाना चाहिए। अतः समस्त लेखा अधिकारियों को विभिन्न ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेषों की पुनरीक्षा तथा सत्यापन करना तथा यह पता लगाना अपेक्षित है कि क्या व्यक्तियों/पार्टियों, जिनके द्वारा शेषों को अपने पास रखा गया है या जिनको ये देय हैं, द्वारा शेषों की विशुद्धता को स्वीकार किया गया है तथा असमाधानित अन्तरों तथा मामलों, जहां शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला एक वार्षिक विस्तृत विवरण भेजना अपेक्षित होता है। प्रधान लेखा अधिकारी को महा लेखा नियंत्रक को समग्र, मंत्रालय / विभाग के लिए 15 अक्टूबर तक एक समेकित रिपोर्ट भेजना अपेक्षित होता है। इस पुनरीक्षा को करने का उद्देश्य लेखाओं की विभिन्न बहियों के अनुरक्षण के स्तर तथा ऋण, जमा तथा प्रेषणों के आंकड़ों के समाधान को सुनिश्चित करना है। यह देखा गया है कि सिविल विभागों के संबंध में वर्ष 1993-94 के शेषों की पुनरीक्षा केवल खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय तथा राज्य सभा के संबंध में ही पूर्ण की

गई है। शेष प्रधान लेखा अधिकारियों ने, उनको प्रत्येक वर्ष जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों में इस तथ्य के इंगित किए जाने के बावजूद, शेषों की पुनरीक्षा को पूर्ण नहीं किया गया है।

1.13.3 प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष उन लेखा शीर्षों, जहाँ सामान्यतः नकारात्मक शेष नहीं हो सकते हैं, के अंतर्गत दर्शाए जाने वाले नकारात्मक शेष हैं। उदाहरणार्थ, किसी ऋण अथवा अग्रिम में नकारात्मक शेष अग्रिम रूप में दी गई वास्तविक राशि से अधिक पुनर्दायगी दर्शाएगा। इस प्रकार की स्थितियां लेखाओं के वर्गीकरण की व्याख्या में से उत्पन्न होने वाली लेखांकन स्थितियों या लेखांकन गलतियों या एक लेखे यूनिट को भंग करके कई यूनिटों में प्रशासनिक पुनर्गठन करने के कारण उत्पन्न होती हैं। वर्ष 1993-94 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे में ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों के 50 मामले हैं। इनमें से 9 प्रतिकूल शेष वर्ष 1993-94 के दौरान हुए। 41 मामले कई वर्षों से वित्त लेखे में लगातार हो रहे हैं। इन समस्त मामलों को एक नोट का उल्लेख करके कि प्रतिकूल शेष अन्वेषणाधीन हैं, इसे हल्का कर दिया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये शेष गलतियों, त्रुटियों, गलत वर्गीकरण आदि की विद्यमानता के सूचक हैं। अपवादस्वरूप ये छुपी हुई अनियमितताएं या धोखाधड़ी हो सकती है। प्रतिकूल शेषों की मुख्य मदें परिशिष्ट- IV में दी गई हैं।

वित्त लेखे में ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों में त्रुटि सुधार करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे सरकार द्वारा रखे गए शेषों के विवरणों को वार्षिक लेखे में सही रूप से दर्शाया जा सके। इस प्रकार के शेषों की पुनरावृत्ति की जांच करने के लिए लेखा प्रबन्धों को भी कारगर बनाना चाहिए।

1.13.4 पूंजीगत व्यय के प्रगामी जोड़ में लोक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों (व्यय के प्रत्येक पूंजीगत मुख्य शीर्ष के अंतर्गत लघु शीर्ष 190 में शामिल) में निवेश, भाग-I तथा भाग-II विवरण सं. 11 के 50646 करोड़ रु के आंकड़ों के प्रति केवल 32658 करोड़ रु राशि का था। इन दो आंकड़ों के बीच के अंतर का मंत्रालय तथा विभागों के मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा अभी समाधान किया जाना है। इसी प्रकार की कार्यवाही, वित्त लेखाओं के विवरण सं 10 में प्रगामी पूंजीगत व्यय में शामिल सहकारी बैंकों, सहकारी समितियों तथा सहकारी क्रेडिट समितियों तथा विवरण सं 11 में भी दर्शाए गए निवेशों पर की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार की लेखापरीक्षा टिप्पणी वर्ष 31.3.1993 को समाप्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अध्याय 1 का पैराग्राफ 1.8) में की गई थी, लेकिन इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना नहीं दी गई है।

अध्याय II
विनियोग लेखे

2.1 बजट अनुदान तथा व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115 के अन्तर्गत पारित विनियोग विधेयक 1993 में संलग्न अनुसूची में प्राधिकृत विभिन्न राशियों के साथ, 31 मार्च 1994 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशियों के विनियोग लेखाओं (सिविल) की तुलना का सार नीचे दिया गया है:-

तालिका 2.1: विनियोग एवं व्यय

(करोड़ रु. में)

| | मूल अनुदान/ विनियोग | अनुपूरक | जोड़ | वास्तविक व्यय | बचते |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| I. राजस्व: | | | | | |
| दत्तमत | 51778.18 | 9558.62 | 61336.80 | 57543.93 | 3792.87 |
| प्रभारित | 57803.38 | 37.65 | 57841.03 | 55584.72 | 2256.31 |
| II. पूंजीगत | | | | | |
| दत्तमत | 14358.04 | 4871.28 | 19229.32 | 17972.27 | 1257.05 |
| प्रभारित | 17.87 | 2.31 | 20.18 | 9.73 | 10.45 |
| III. लोक ऋण प्रभारित | 90628.77 | 39612.00 | 130240.77 | 117951.31 | 12289.46 |
| IV. ऋण एवं पेशगियां | | | | | |
| दत्तमत | 5194.77 | 2307.78 | 7502.55 | 6980.59 | 521.96 |
| प्रभारित | 13082.74 | 2681.36 | 15764.10 | 15074.88 | 689.22 |
| सकल जोड़ | 232863.75 | 59071.00 | 291934.75 | 271117.43 | 20817.32 |

टिप्पणी: (1) अनुदानों के लिए मांग में प्रभारित व्यय हेतु प्रावधान विनियोग तथा दत्तमत हेतु अनुदान कहलाता है।

(2) डाक एवं दूरसंचार, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे को छोड़कर, विवरण नि म ले प के प्रतिवेदन 1995 की संख्या 7,8 तथा 10 में अलग से दिया गया है।

20817.32 करोड़ रु की समस्त बचतें, 59071.00 करोड़ रु के अनुपूरक अनुदान का 35.24 प्रतिशत तथा 291934.75 करोड़ रु के कुल संशोधित प्रावधान का 7.13 प्रतिशत संघटित करती है।

2.2 विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम

समग्र बचत, 218 मामलों में बचत तथा सात मामलों में आधिक्य का निबल परिणाम थी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 2.2: चुने हुये अनुदानों/विनियोगों में निबल बचतें

(करोड़ रु में)

| | बचतें | | आधिक्य | | शुद्ध बचत | |
|---------------------|---------|----------|--------|---------|-----------|----------|
| | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत | राजस्व | पूंजीगत |
| दत्तमत | 3799.30 | 1779.14 | 6.43 | 0.14 | 3792.87 | *1779.00 |
| अनुदानों की संख्या | (85) | (68) | (2) | (3) | | |
| प्रभारित | 2256.43 | 12989.16 | 0.12 | 0.03 | 2256.31 | 12989.13 |
| विनियोगों की संख्या | (41) | (24) | (1) | (1) | | |

* पूर्ण करने के कारण भिन्नता

1992-93 में 5.61 प्रतिशत के प्रति, 1993-94 के दौरान प्राप्त अनुपूरक अनुदान और विनियोग मूल अनुदान और विनियोग का 25.37 अर्थात प्रतिशत 4.5 गुणा संघटित होता था।

2.3 अनुदान/विनियोग पर आधिक्य

राजस्व अनुभाग में, दो अनुदानों में 642,69,746 रु का और एक विनियोग में 12,42,937 रु का आधिक्य था। पूंजीगत अनुभाग में तीन अनुदानों में 13,65,433 रु और एक विनियोग में 3,16,985 रु की राशि का आधिक्य था। इन अनुदानों/विनियोगों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

तालिका 2.3 : अनुदानों पर आधिक्य

| क्र. सं. | अनुदान | कुल अनुदान अथवा विनियोग | वास्तविक व्यय | आधिक्य की राशि (%) | योगदान देने वाले कारण जैसे कि सरकार द्वारा बताये गए |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. रुपये | 5. | 6. |
| | राजस्व-दत्तमत | | | | |
| 1. | 33-पेंशन | 80927,00,000 | 81568,12,316 | 641,12,316 (0.79%) | पेंशनरों की संख्या में वृद्धि। |
| 2. | 61-गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | 19798,00,000 | 19799,57,430 | 1,57,430 (0.008%) | राष्ट्रीय बायो गैस विकास परियोजना के संबंध में लक्ष्यों में अधिक प्राप्ति और पिछले वर्षों के लम्बित दावों का निपटान। |
| | जोड़ राजस्व-दत्तमत | 100725,00,000 | 101367,69,746 | 642,69,746 | |
| | राजस्व -प्रभारित | | | | |
| 3. | 97-लक्षद्वीप | 22,00,000 | 34,42,937 | 12,42,937 (56.50%) | केन्द्रीय प्रशासकीय पंचाट के निर्णय की तुष्टि में आकस्मिक मजदूरों को अप्रत्याशित भुगतान |
| | पूँजीगत-दत्तमत्त | | | | |
| 4. | 57-श्रम मंत्रालय | 71,00,000 | 75,29,764 | 4,29,764 (6.05%) | गोदामों तथा कार्यशैडों के लिए बीडी मजदूरों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता के अंतर्गत प्राप्ति में प्रत्याशित की तुलना में वृद्धि। |
| 5. | 65-योजना | 1835,00,000 | 1844,13,192 | 9,13,192 (0.50%) | विभिन्न सिविल और विद्युतीय कार्यों पर प्रत्याशित से अधिक किया गया व्यय। |

| क्र. सं. | अनुदान | कुल अनुदान अथवा विनियोग | वास्तविक व्यय | आधिक्य की राशि (%) | योगदान देने वाले कारण जैसे कि सरकार द्वारा बताये गए |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---|
| 6. | 96-दादरा व नगर हवेली | 1818,00,000 | 1818,22,477 | 22,477 (0.01%) | विभिन्न विभागों के बंटे हुए कार्यों का समापन और नये गैर-कार्यात्मक कार्यों को प्रारंभ करना। |
| | जोड़ पूंजीगत - दत्तमत | 3724,00,000 | 3737,65,433 | 13,65,433 | |
| | पूंजीगत -प्रभारित | | | | |
| 7. | 44-पुलिस | 2530,00,000 | 2533,16,985 | 3,16,985 (0.13%) | न्यायालय आज्ञापत्र / पंचाट निर्णयों की तुष्टि में किए गए अप्रत्याशित भुगतान। |

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित 1993-94 के दौरान पेंशन अनुदान में बजट अनुमानों से व्यय की अधिकता, 1991-92 से एक आवर्ती विशिष्टता रही है जो कि प्रभावी प्रबोधन प्रणाली के अभाव को इंगित करती है। वर्ष 1993-94 के दौरान अन्य अनुदानों में व्यय की ऐसी अधिकता, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के व्यय पर नियंत्रण तथा प्रबोधन प्रणाली के अभाव का सूचक है।

ऊपर विवरणित सात मामलों में, जहां पर उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु दी गई राशि से अधिक धन खर्च हुआ है कि भारत के संविधान की धारा 115 (1) (ख) के अन्तर्गत विनियमन की आवश्यकता है।

2.4 अनुदानों/विनियोगों में बचत

अनुदान अथवा विनियोग में बचतें संकेत करती हैं कि, अनुमानित, प्रत्याशित तथा आयोजित अनुसार, व्यय, नहीं हो सका था। यह घटिया बजट प्रक्रिया अथवा परिस्थितियों तथा उद्देश्य जिसके लिए मूल अनुदान अथवा विनियोग उपलब्ध करवाया गया था पर निर्भर करते हुए निष्पादन में कमी का द्योतक हो सकता है। जैसा कि पहले ही ऊपर पैरा 2.1 में उल्लेख किया गया है, सरकार के बजट में समग्र बचतें (डाक, दूर संचार, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं को छोड़ कर) कुल 20817.32 करोड़ रु की जो कि इन अनुदानों अथवा विनियोगों के अन्तर्गत कुल प्रावधान का 7.13 प्रतिशत है।

यह ध्यान देने योग्य है कि 21 अनुदानों से सम्बन्धित 24 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये गये थे। तथापि अन्तिम व्यय मूल अनुदानों से भी कम

था। इस प्रकार इन मामलों में बचत 826.97 करोड़ रू के अनुपूरक प्रावधान की पूरी राशि से भी बढ़ गई। इन मामलों का ब्यौरा परिशिष्ट V में दिया गया है।

लोक लेखा समिति ने फरवरी 1994 में प्रस्तुत किये गए अपने 60 वें प्रतिवेदन के पैरा 1.24 (10वीं लोक सभा) में संस्वीकृत प्रावधान की तुलना में बचतों में तीव्र वृद्धि पर टिप्पणी की है। समिति ने चाहा कि वित्त मंत्रालय को, भारी बचतों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर काबू पाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए तथा यह भी चाहा कि प्रत्येक वर्ष के दौरान 100 करोड़ रू और अधिक को अंतर्ग्रस्त करते हुए किसी अनुदान अथवा विनियोग से की गई बचतों के संबंध में, ब्यौरेवार किए गए अतिरिक्त व्यय के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त मानदण्ड के अन्तर्गत आवृत मामलों जैसा कि विनियोग लेखा परीक्षा में ध्यान में आये, के विवरण नीचे तालिका 2.4.1 में दिये गये हैं:-

तालिका 2.4.1 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बचतें

| क्र.सं. | अनुदान | बचतों की राशि (%) | सहायक कारण जैसे कि सरकार द्वारा बताया गए |
|---------|----------------------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | दत्तमत अनुदान राजस्व | (करोड़ रू में) | |
| 1 | 1-कृषि | 232.74 (11.50%) | बीजों के संचालनात्मक भंडार बनाने की योजना का राज्यों को अंतरण, दलहन योजना का राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के साथ विलय कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़े अव्ययित शेष के समायोजन, चावल के छोटे किटों सहित चावल विकास छोटे किटों सहित गेहूं, मिनी किटों के साथ मक्का तथा बाजरा की योजना को अंतिम रूप न दिया जाना बड़ी मशीनों और उपकरणों की खरीद का प्रस्तावित स्थगन तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अभाव में प्रत्यक्ष कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायक अनुदान का गैर-भुगतान, फसल पालन के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा योजना को अंतिम रूप न देना/गैर अनुमोदन, कुछ योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र से केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों में अन्तरण संघ |

| | | | |
|----|------------------------------|---------------------|--|
| | | | क्षेत्रों/राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अप्राप्ति, बागवानी और सब्जी की फसलों के अंतर्गत योजनाओं का विलम्ब से निपटान, योजनागत योजनाओं और समेकित कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों की प्रत्याशित की तुलना में कम मांग राज्य सरकारों से लेखापरीक्षित लेखाओं की अप्राप्ति तथा आर्थिक उपाय। |
| 2. | 4-पशुपालन और डेयरी विभाग | 112.78 (30.56 %) | राष्ट्रीय कुक्कुट विकास एजेंसी तथा डेयरी विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्ताव की असंस्वीकृति, विदेशों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की बजाए केन्द्रीय योजना के रूप में राज्य सरकारों को अनुदान जारी करना, मशीन और उपकरण की खरीद हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना तथा विदेशी सहायता परियोजनाओं के लिए विश्वव्यापी निविदाओं को मूर्त रूप न देना दिल्ली दुग्ध योजना निधियों की कम आवश्यकता पूर्ण प्रस्तावों की अप्राप्ति के कारण राज्य सरकारों को कम सहायक अनुदान का जारी किया जाना। |
| 3. | 29-राज्य सरकारों को अंतरण | 388.92 (5.03 %) | राज्य सरकारों को कम अनुदान जारी करना। |
| 4. | 45-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | 126.55 (30.87 %) | असम की राज्य सरकार से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी हेतु दावों की अप्राप्ति, राहत और पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों को अनुदानों का जारी न किया जाना/कम जारी करना, कोलम्बों से शरणार्थियों को प्रत्यावर्तित न करना, रेलवे मंत्रालय से दावों की अप्राप्ति, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजनाओं पर कम व्यय, कुछ योजना में संशोधन तथा अनुमोदन की अप्राप्ति तथा सर्वेक्षण कार्य का |

| | | | |
|----|-------------------------|---------------------|---|
| | | | प्रारंभ न होना। |
| 5. | 51-औद्योगिक विकास विभाग | 525.37 (39.96%) | मजदूर मुआवजा समझौते की योजना को मूर्त रूप न दिया जाना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तथा राष्ट्रीय नवीकरण निधि और अन्य योजनाओं को अंतरण। कुछ परियोजनाओं में बाह्य सहायता का जारी न करना, परियोजनाओं को धीमा कार्यान्वयन तथा राज्यों से कम मांगे। |
| 6. | 68-विद्युत मंत्रालय | 108.50 (22.27 %) | विदेशी परामर्शदायी फर्मों को भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/आयकर विभाग से निकासी की अप्राप्ति, बदरपुर ताप विद्युत परियोजना द्वारा डेसू से प्राप्ति से निधियों को जारी करने के संयोजन के बाद दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से विद्युत टैरिफ का अप्रापण, विद्युत अभियांत्रिक प्रशिक्षण समिति द्वारा निर्माण कार्यों को विलम्ब से प्रारंभ करने के कारण कम सहायक अनुदान/स्विस मिश्रित क्रेडिट के अनुदान के भाग का अनाहरण, क्योंकि इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के लिए कोई प्रेषण देय नहीं था, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निर्णयों को अंतिम रूप न दिया जाना। |
| 7. | 69-ग्रामीण विकास विभाग | 167.09 (2.97 %) | राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से कम अनुरोध के कारण रोजगार बीमा योजनाओं कार्यकारी एजेंसी द्वारा खारापन दूर करने के लिए संयंत्रों और सोलर फोटो वोल्टीय पम्पिंग सिस्टम की स्थापना में विलम्ब और नये उप मिशनों की स्थापना न करने के कारण ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों के लिए अनुदानों का कम जारी किया जाना। |
| 8. | 78-कपड़ा मंत्रालय | 172.85 (24.20 %) | विभिन्न एजेंसियों से प्रस्ताव की अप्राप्ति के कारण देशज कपास की अधिप्राप्ति पर हानियों के लिए आर्थिक सहायता जारी न करना, व्यय वित्त समिति की स्थापना न करना, कम प्रस्तावों की |

| | | | |
|-----|----------------------|---------------------|--|
| | | | प्राप्ति के कारण निधियां कम जारी करना, कुछ प्रस्तावों को अनुमोदित न करना, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उद्योग में कतिपय औपचारिकताओं का पूरा न करना, कपड़ा मजदूर पुनर्वास निधि को कम भुगतान, राष्ट्रीय कपड़ा निगम और कानपुर टैक्सटाईल मिलों से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए कम प्रत्युत्तर के कारण कम निधियां जारी करना, हथकरघा कपड़े और जनता कपड़े की बिक्री पर आर्थिक सहायता/विशेष छूट का कम भुगतान तथा राज्यों को सहायक अनुदानों का कम भुगतान। |
| 9. | 94-दिल्ली | 544.84 (42.01 %) | 1.12.1993 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की पृथक समेकित निधि बन जाने के कारण। |
| | पूँजीगत | | |
| 10. | 10-कोयला मंत्रालय | 139.73 (18.24 %) | यू के अनुदान के अंतर्गत अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को सहायता के लिए दावों की कम प्राप्ति, कायेला खनन वातावरण में जल प्रणाली के प्रतिरूपण और नियंत्रण हेतु नये प्रस्ताव का अनुमोदन न होना, कोयला खनन परिवार पेंशन योजना 1971 के अंतर्गत प्रत्याशित की तुलना में तुल्य अशदान की कम प्राप्ति, पिछले वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उपयोग न करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत न किये गए कार्यों के लिए भी अनुसन्धान तथा विकास हेतु संस्थानों को निधियां जारी न करना। |
| 11. | 44-पुलिस | 120.93 (25.98 %) | स्थल पर मानव शक्ति की अनुपलब्धता, निर्माण कार्यों की असंस्वीकृति, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण प्रत्याशित की तुलना में निधियों की मांग में कमी, लम्बे मानसून मौसम के |

| | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------|---|
| | | | कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बुक किया गया कम व्यय, तथा वांछित भूमि की अनुपलब्धता, कार्यान्वयन एजेंसी से व्यय विवरण की अप्राप्ति, तथा प्रशासकीय संस्वीकृति की विलम्ब से प्राप्ति के कारण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित कम मांगे। |
| 12. | 94-दिल्ली | 413.06 (42.58 %) | 1.12.93 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की पृथक समेकित निधि बन जाने के कारण। |
| | जोड़ | 3053.36 | |
| | प्रभारित विनियोग | | |
| | राजस्व | | |
| 13 | 28-विनियोग ब्याज भुगतान | 1259.45 (3.31 %) | बाह्य और आंतरिक ऋणों पर ब्याज का कम भुगतान |
| 14. | 29-राज्य सरकारों को अंतरण | 975.53 (5.05 %) | राज्य सरकारों को योजना और योजनेत्तर अनुदानों का कम जारी करना, प्रत्याशित की तुलना में इन शुल्कों के कम संग्रहण के कारण मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों का राज्यों के अंश को कम भुगतान। |
| | पूँजीगत | | |
| 15 | 29-राज्य सरकारों को अंतरण | 605.51 (4.00 %) | ऋणों/अर्थोपाय पेशगियों का कम भुगतान तथा राज्य सरकारों से कम मांग। |
| 16. | 31- विनियोग ऋण की चुकौती | 12289.46 (9.43 %) | खजाना बिलों की कम उन्मुक्ति तथा निरस्तीकरण, कम प्रतिभूतियों और बंधपत्रों का नकदीकरण, विदेशी विनिमय की दर से उतार चढ़ाव और बाह्य ऋण की चुकौती की समय सारणी का संशोधन। |
| | जोड़ | 15129.95 | |

उपरोक्त विवरण यह प्रकट करता है कि 3053.36 करोड़ रु तथा 15129.95 करोड़ रु को शामिल करते हुए ये क्रमशः 11 अनुदान तथा 3 विनियोग थे जिनमें 100 करोड़ रु से अधिक की बचत थी। यह भी देखा जायेगा कि बड़ी बचतें, विकासात्मक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, पशुपालन, डेयरी, औद्योगिक विकास, विद्युत, ग्रामीण विकास तथा कोयला इत्यादि में हुई। दिये गए कारण यह भी संकेत करते हैं कि इन क्षेत्रों में विकास हेतु योजनाएं, जैसे वर्ष के दौरान योजना बनाई गई थी, कार्यान्वित होने में विफल हो गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 अनुदानों तथा 2 विनियोगों थे जहां बचतें 100 करोड़ रु से कम परन्तु 20 करोड़ रु से अधिक थी, अनुदानों और विनियोगों में क्रमशः 1973.96 करोड़ तथा 59.40 करोड़ रु थी। इन मामलों के ब्यौरे नीचे तालिका 2.4.2 में दिये गये हैं:-

तालिका 2.4.2: अनुदानों के अंतर्गत बचतें (20-100 करोड़ रु)

| क्र. सं. | अनुदान | बचतों की राशि (%) | सहायक कारण जैसा कि सरकार द्वारा बताये गये |
|----------|---|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | अनुदान दत्तमत | (करोड़ रु में) | |
| | राजस्व | | |
| 1 | 2- कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं | 31.14 (13.86 %) | समुद्री मछली की योजना का केन्द्रीय योजना से केन्द्रीय प्रायोजित में अंतरण, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा सहायता की पद्धति में परिवर्तन, खाली पदों का भरा न जाना, आर्थिक उपाय, तथा राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड के अंतर्गत अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अध्ययन के प्रस्तावों की विलम्ब से प्राप्ति, मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, राज्य सरकारों से निधियों की कम मांग, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए सहायता की पद्धति के अनुसार हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा निधियों के तुल्य अंशदानों को वहन न करना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में खारा जल मछली फार्मों की स्थापना में विलम्ब, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र तथा गोवा |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|
| | | | इत्यादि की राज्य सरकारों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों के पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों का समायोजन। |
| 2 | 6- उर्वरक विभाग | 72.03 (1.30 %) | नये तथा हाल ही में आरंभ हुए उर्वरक इकाइयों को ब्याज तथा सीमा शुल्क छूट के संबंध में भुगतान के लिए दावे की गैर प्राप्ति, उर्वरकों के अनुसंधान तथा विकास के लिए किसी विशिष्ट प्रस्ताव की पहचान न होना, जैसी कि प्रत्याशा की गई थी एच एफ सी, एफ सी आई तथा पी डी टी आई के किसी भी सदस्य ने स्वैच्छिक निवृत्ति के लिए विकल्प नहीं दिया तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता, डीमड एक्सपोर्ट भुगतान के लिए वाणिज्य मंत्रालय से बहुपक्षीय वित्त प्रबंध के बिना नयी उर्वरक परियोजनाओं के लिए डीमड एक्सपोर्ट लाभों के प्रतिपूर्ति दावों की गैर प्राप्ति, उर्वरक अवरोधन मूल्य योजना के अंतर्गत भुगतान हेतु 1-4-1991 से आरंभ होने वाली VI मूल्य अवधि के लिए अवरोधन मूल्य को अंतिम रूप न देना आई बी एफ इंडी हेतु योजना की एच एफ सी के लिए वृद्धि न करना, वर्षा आश्रित कृषि परियोजना के लिए कृषकों को यू.के.सरकार से विकास प्रशासनिक सहायता की गैर प्राप्ति। |
| 3 | 11- वाणिज्य विभाग | 44.13 (4.94 %) | आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण तम्बाकू बोर्ड को निधियों का गैर निर्गम, अन्य व्यय के अंतर्गत विदेशी सरकारों के भुगतानों के लिए निधियों की मांग न होना, कुछ योजनाओं का अनुमोदन न होना, काफी पुनःपौधारोपण की कुछ योजनाओं के लागू न करने के कारण निधियों की कम मांग तथा |

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|--|
| | | | विश्व बैंक द्वारा रबड बोर्ड की कुछ योजनाओं का निधियन, रबर बोर्ड को विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के लागू करने में विलम्ब, भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन द्वारा कुछ मेलों में भाग न लेने के कारण निधियों का कम जारी होना, निर्यात प्रोत्साहन तथा बाजार विकास हेतु कुछ औपचारिकताओं के पूरा न किए जाने के कारण निधियों की मांग में कमी, निर्यात क्रेडिट विकास के अंतर्गत ब्याज परिदान के भुगतान से संबंधित योजना की समाप्ति, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण निधियों का कम जारी होना, प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण राज्य व्यापार निगमों को हानियों की कम प्रतिपूर्ति। |
| 4 | 16- रक्षा मंत्रालय | 48.63 (3.04 %) | सहायता अनुदान का जारी न होना, कार्यालयीय व्यय के लिए कम मदों का अधिप्रापण तथा ठेकों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण खरीदों का गैर कार्यान्वयन तथा अनियत मजदूरों की कम संख्या को रोजगार देने के कारण। |
| 5 | 26- मुद्रा सिक्के तथा स्टाम्प | 47.97 (9.72 %) | नये पदों की गैर संस्वीकृति/निर्धारण न होने, प्रस्तावित वाहनों की संस्वीकृति की गैर प्राप्ति तथा के लो नि वि द्वारा निर्माण कार्य का पूरा न किया जाना मुद्रा नोट मुद्रणालय में आयातित स्थायी की गैर प्राप्ति सुरक्षा कागज के प्रस्तावित आयात का अंतरण, जल चिन्हित कागज की कम प्राप्ति के कारण तथा बैंक नोट मुद्रणालय में दो लाइन मशीनों के अधिप्रापण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण सरकारी पूंजी का कम लगाया जाना, खाली पदों का विलम्ब से भरा जाना, सी |

| | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---|
| | | | आई एस एफ द्वारा कम मांग, आर्थिक उपायों के रूप में कम कार्यालय व्यय, सुरक्षा धागे के आयात तथा ठेकेदारों द्वारा अन्य सामग्री की आपूर्ति का गैर कार्यान्वयन, सिक्योरिटी पेपर मिल में उत्पाद शुल्क, रेलवे किराये में प्रत्याशित से कम व्यय, अधिप्रापण औपचारिकताओं को पूरा न करना, के लो नि वि, राज्य सरकार और वे ले का, आपूर्ति से दावों की कम/गैर प्राप्ति भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक में सम्पदा पर कम व्यय खाली पदों का न भरा जाना, नए अंतर्देशीय पत्र कार्ड मशीन के लिए पदों की संस्वीकृति में विलम्ब नई अंतर्देशीय पत्र कार्ड मशीन हेतु कागज तथा फालतू पुर्जों के अधिप्रापण में कमी के कारण तथा सुरक्षा मुद्रणालय, हैदराबाद में मिल से कागज की प्राप्ति में विलम्ब। |
| 6 | 27- वित्तीय संस्थाओं को भुगतान | 92.30 (8.04 %) | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (रा कृ ग्रा वि बैं) औद्योगिक क्रेडिट तथा निवेश निगम(औ के नि नि) तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (भा औ वि बैं) तथा भारतीय निर्यात आयात बैंक को निधियों का कम निर्गम/प्रतिपूर्ति/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आहरणों के प्रति भुगतान योग्य आवधिक प्रभारों की दर में कमी के कारण, कुछ जहाजरानी कम्पनियों से प्रत्याशित से कम दावों की प्राप्ति के कारण ब्याज भिन्नता के लिए आर्थिक सहायता के लिए निधियों की मांग में कमी। |
| 7 | 37- अप्रत्यक्ष कर | 44.59 (8.55 %) | क्राफ्टों का गैर अधिप्रापण तथा कम पुरस्कार मामलों को अंतिम रूप दिया जाना, कम्प्यूटरों का गैर अधिप्रापण तथा कुछ किराये पर लिए गए भवनों के किराया बिलों |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------------|---|
| | | | का गैर निपटान/प्राप्ति, मशीनरी तथा उपकरण के अधिप्रापण के संबंध में म नि आ नि से वाउचरों की गैर प्राप्ति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को भुगतान योग्य एकत्रण की लागत पर कम व्यय, मोटर वाहनों पर अवकाश यात्रा रियायत पर प्रत्याशित से कम व्यय तथा पदों के भरे न जाने के कारण। |
| 8 | 38- खाद्य मंत्रालय | 59.58 (1.00 %) | चीनी उद्योग के लिए कम आर्थिक सहायता दावों का निपटान, उर्वरकों के आयात पर प्रतिपूर्ति प्रभारों के लिए खाद्य सहायता के अंतर्गत निधियों का प्रावधान करने के लिए बजटोत्तर निर्णय, मशीनरी तथा उपकरणों की सुपुर्दगी में विलम्ब तथा आर्थिक उपाय। |
| 9 | 40- स्वास्थ्य विभाग | 95.04 (10.97 %) | पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण अन्य स्वास्थ्य योजनाओं, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम, के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदानों का गैर कम निर्गम, विदेशी सहायता का गैर /कार्यान्वयन, कुष्ठ प्रति औषधियों का कम अधिप्रापण, योजनाओं का धीमा कार्यान्वयन, कैंसर अनुसंधान एवं उपचार कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोहा एवं अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों का पूरा न किया जाना, क्षयरोग निरोधी औषधियों का विलंबित/गैर अधिप्रापण। |
| 10 | 41- परिवार कल्याण विभाग | 27.26 (1.64 %) | परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी वास्तविक मांग/ उनके निष्पादन के आधार पर राज्यों/सं शा क्षेत्र/स्वायत्त संगठनों को कम अनुदानों का निर्गम, फर्मों द्वारा आपूर्ति आदेश के अंशता निष्पादन के कारण, कम भुगतान सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब के |

| | | | |
|----|--|-------------------|---|
| | | | कारण बिलों का गैर भुगतान, खाली पदों का न भरा जाना तथा नए गर्भ निरोधकों का आरंभ न किया जाना। |
| 11 | 47- शिक्षा विभाग | 92.57 (4.23 %) | कम प्रस्तावों/अपूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, गैर अनुमोदन के कारण, प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गैर औपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के संबंध में विभिन्न ऐच्छिक संगठनों तथा अकादमी संस्थानों तथा राज्य/संघ शासित सरकारों को कम अनुदानों का निर्गम, व्यय वित्त समिति से अनुमति के लम्बन के कारण कुछ योजनाओं का गैर अनुमोदन तथा कुछ स्वायत्त निकायों के पास पड़े पिछले वर्ष के अव्ययित शेषों के समायोजित लेखों का प्रस्तुत न किया जाना, जापानी सहायता परियोजना के अंतर्गत प्रतिरूप रूपया भुगतान के लिए इंदरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को अनुदान का जारी न करने के कारण। |
| 12 | 54- लघु उद्योग एवं कृषि व ग्रामीण उद्योग विभाग | 36.74 (9.71 %) | ग्रामीण तथा लघु उद्योग में योजनागत स्कीम हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से अनुदान जारी करने के बजटोत्तर निर्णय के कारण, प्रशिक्षण की योजना का गैर कार्यान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में ल उ के विकास हेतु राज्य सरकारों से स्पष्ट प्रस्तावों की विलम्बित प्राप्ति के कारण, योजनाओं को अंतिम रूप देने व अनुमोदन में विलम्ब, उपकरण केन्द्रों का खोला न जाना, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा दावों को अंतिम रूप न देना, अन्य ग्रामीण उद्योगों में योजना का धीमा कार्यान्वयन, खाली पदों का भरा न जाना, आर्थिक उपायों को अपनाना तथा कुछ केन्द्रों का बंद हो जाना। |

| | | | |
|----|--------------------|--------------------|--|
| 13 | 56- प्रसारण सेवाएं | 83.52 (7.95 %) | ट्रांसमीटरों का आरंभ न किया जाना तथा अनुरक्षण अधीन आदेशों का कार्यान्वयन न होना, स्टेशनों को चालू न किया जाना, सशत्रु गार्डों के बिलों की गैर प्राप्ति तथा एम एल एफ योजना की गैर संस्वीकृति, देशी तथा आयातित पूर्जों की गैर प्राप्ति, खाली पदों का न भरना, आपूर्ति आदेशों को कम पूरा किया जाना, माइक्रोवेव रेन्टल को संशोधित दरों को अंतिम रूप न देना तथा मूल पुर्जों इत्यादि का कम जारी किया जाना, कम उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों/लघु शक्ति ट्रांसमीटरों को चालू करना, विवादास्पद किराये के नमूनों के किराये पर गैर निपटान, विदेशी एजेंसी आधारित ट्रांसपोंडर का किराये पर न लेना टेलीवीजन फिल्मों के आयात तथा सुबह के प्रसारण के लिए बाहरी निर्माताओं के माध्यम से कार्यक्रमों के निर्माण पर कम व्यय तथा दूरदर्शन केन्द्र बम्बई द्वारा रायल्टी बिलों का गैर निपटान। |
| 14 | 65- योजना | 27.22 (30.45 %) | नार्वे सरकार से विदेशी सहायता की गैर प्राप्ति, खाली पदों का न भरा जाना, अनुसंधान योजनाओं तथा अध्ययनों की प्रत्याशित से कम संख्या, कुछ राज्यों द्वारा व्यय विवरण के प्रस्तुत न करने के कारण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने के कारण राज्यों को कम निधियों का निर्गम तथा योजनाबोर्ड/जिला योजना मशीनरी को कम निर्गम। |
| 15 | 75- भूतल परिवहन | 45.08 (41.66 %) | खाली पदों को न भरना, म नि आ नि से सीमा शुल्क के दावों की गैर प्राप्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने के दिल्ली परिवहन प्राधिकरण/केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि के कर्मचारियों से अपर्याप्त/कम |

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|---|
| | | | प्रतिक्रिया, कार्यों की धीमी प्रगति, अंतर्देशीय जल परिहवन तथा अन्य प्रोत्साहन योजनाओं उद्यमियों को कर्जे के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ब्याज सहायता के लिए उपयुक्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति । |
| 16 | 81- लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 23.16 (18.19 %) | कम भण्डार मांगों की प्राप्ति, खाली पदों का न भरना तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जारी किए गए भंडारों के लिए दावों की प्राप्ति न होना, महा निदेशक आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से मांग किए गए कागजों की गैर प्राप्ति तथा मुद्रण निदेशालय से संबंधित आपूर्ति आदेशों का गैर कार्यान्वयन, सामग्री के दावे/प्रेषण प्राप्त न होना तथा तदनुसार मुद्रणालयों से संबंधित में रेलवे भाड़े इत्यादि का कम भुगतान । |
| 17 | 82- जल संसाधन मंत्रालय | 33.08 (9.25 %) | गण्डक नदी के आर-पार रेलवे एवं सड़क पुल के संबंध में रेलवे के साथ सहमति के ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करना, सर्वेक्षण तथा जांच के लिए राज्य सरकारों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति, नेपाल तथा भूटान के परियोजनाओं के संबंध में योजनाओं/प्रस्तावों की संस्वीकृति न होना, कुछ राज्यों नेपाल तथा बंगला देश में परियोजनाओं पर अनिय न मजदूरों को न लगाना, उत्तरी बिहार तथा अन्य गंगा तटीय राज्यों में बाढ़ सुरक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम हेतु राज्य सरकारों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति, कुछ योजनाओं की संस्वीकृति न होना, ठेके सौंपने/परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने में विलम्ब, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/सेमिनारों का कम आयोजन, सतलुज यमुना सम्पर्क नहर योजना के संबंध में संशोधित अनुमानों की संस्वीकृति न होना, राष्ट्रीय परियोजना तथा |

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|---|
| | | | निर्माण निगम सी के पास उपलब्ध पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों का समायोजन, खाली पदों का न भरना, निर्माण कार्य आरंभ न करना तथा कुछ उपकरणों का गैर अधिप्रापण/स्थगन तथा केन्द्रीय भू जल तथा पावर अनुसंधान केन्द्र पुणे, के अंतर्गत छोटे वाहनों के बदलने की विलम्बित संस्वीकृति। |
| 18 | 83- कल्याण मंत्रालय | 41.53 (6.99 %) | राज्यों/संघ शासित सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों से पर्याप्त/पूर्ण कम प्रस्तावों की प्राप्ति न होना, योजना आयोग के अनुमोदन से योजना को अंतिम रूप न देना, राज्य सरकारों सं शा प्रशासकों के माध्यम के बजाए अनुसूचित जाति विकास निगमों को निधियों के सीधे निर्गम का बजट उत्तर निर्णय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम की स्थापना न होना। |
| 19 | 85- नाभिकीय विद्युत योजनाएं | 93.09 (21.08 %) | पिछले वर्ष उसी प्रकार के समायोजन होने के कारण मूल्यह्रास सुरक्षित पर ब्याज पर व्यय में कमी तथा राजस्थान विद्युत केन्द्र में काम- बंदी के कारण विद्युत केन्द्र पर अनुरक्षण पर घटी हुई मांगे, उत्पादन में कमी के कारण ईंधन स्टॉक के अधिप्रापण के कटौती, नाभिकीय विद्युत निगम में परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के विलयन की शर्तों के निपटान में देरी। |
| 20 | 86- इलेक्ट्रानिक्स विभाग | 28.44 (18.53) | विशिष्ट परियोजना के अनुमोदन के लम्बित रहने के कारण प्रावधान का उपयोग न होना, धीमी अधिप्रापण गतिविधियां, कार्यक्रम की गतिविधियों की कटौती, विशेषज्ञों/प्रशिक्षण/उपकरण के लिए यूरोपी समुदाय से यथा प्रत्याशित अंशदान की अप्राप्ति, विदेशी सहायता के अंतर्गत उपकरण की गैर प्राप्ति/ गैर अंतरण। |

| | | | |
|----|---|--------------------|--|
| 21 | 88- अंतरिक्ष विभाग | 44.38 (6.93 %) | प्रौद्योगिक अंतरण से संबंधित मै ग्लावकोमोस के साथ करार को अंतिम रूप न देना एवं उसमें परिवर्तन न करना तथा जी एस एल वी परियोजना की कम मांगें, सं रा अ से संघटकों के अधिप्रापण का गैर कार्यान्वयन, आदेशों को अंतिम रूप दिये जाने में स्थगन विलम्ब कुछ देशज के साथ-साथ आयातित सामग्री, उपकरण, की कम मांग, इन्सैट-2बी लांच आल रिस्क बीमा प्रभारों के भुगतानों को 1992-93 के लिए आगे बढ़ाना, इन्सैट II लांच सेवा के सम्बन्ध में अरीने फ्रांस के साथ लॉच करारों के लिए नकद विकल्प को लागू न करना, जांच करने के लिए रूस की यात्रा की संख्या में कमी के कारण प्रतिनियुक्ति तथा विदेशी यात्रा की संख्या में कमी, आई आर एस पुनर्ग्रहण परियोजना के अन्तर्गत खाली पदों को न भरना। |
| | पूजीगत | | |
| 22 | 2-कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें | 34.32 (16.65 %) | निगम के पास पड़े पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों के समायोजन के कारण सहकारी चीनी मिलों में शेयर पूंजी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निधियों की कम मांग, राज्य सरकारों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को कम कर्जे जारी करना, सहकारी मछली पालन कार्यक्रम हेतु योजना का गैर अनुमोदन, व्यय वित्त समिति द्वारा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन सी के संशोधित मीमो का अनुमोदन। |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------------|--|
| 23 | 24-विदेश मंत्रालय | 23.33 (29.25 %) | कुछ परियोजनाओं के गैर कार्यान्वयन के कारण तथा बंगलादेश सरकार द्वारा क्रेडिट सुविधाओं का उपयोग न करना। |
| 24 | 25-आर्थिक मामलों का विभाग | 85.36 (59.00 %) | विदेशी सरकारों से ठेके की गैर प्राप्ति, बजटोत्तर विकास के कारण विदेशी सरकारों के क्रेडिट के प्रति भुगतान न होना तथा अशंत: प्रत्याशित दावों की गैर प्राप्ति, विदेशी क्रेडिटों के प्रति दावों की कम प्राप्ति के कारण विधियों की मांग में कमी, दावेदारों द्वारा भुगतान किया गया कम उत्पाद शुल्क तथा वर्ष के दौरान दावेदारों द्वारा वास्तव में भुगतान किये गये से वितरण को, 50 प्रतिशत तक सीमित करना, विदेशी सरकार को क्रेडिट के प्रति वस्तुओं के कुछ नौभार की गैर प्राप्ति के कारण निधियों की मांग में कमी, विदेशी सरकारों को क्रेडिट के प्रति प्रत्याशित से कम प्राप्त दावे। |
| 25 | 26-मुद्रा, सिक्के तथा स्टाम्प | 90.31 (14.29 %) | भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय नासिक तथा मुद्रा नोट मुद्रणालय, के आधुनिकीकरण तथा प्रसार कार्यक्रम का गैर अनुमोदन भूमि अधिग्रहण योजना का गैर अनुमोदन, डाक विभाग द्वारा डाक सामग्री के डिजाइन को अंतिम रूप न देना, निष्पादन एजेन्सी द्वारा कार्यों का विलम्ब से पूरा न करना, दो लाइन मशीन नम्बर बाक्स तथा वैगनों की खरीद के लिए औपचारिकताओं का पूरा न करना, वांछित औपचारिकताओं के गैर अनुमोदन/पूरा न करने के कारण कुछ मशीनरी तथा उपकरण का गैर अधिप्रापण आयात न होना, निर्माताओं /रूपान्तरण एजेंटों से सिक्का ब्लैंक की समय पर प्राप्ति न होना तथा सिक्कों के लिए धातु की प्रत्याशित से कम खरीद तथा तांबे की खरीद |

| | | | |
|----|---|--------------------|--|
| | | | के प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना, परफोरेटिंग मशीन के सीमा शुल्क दावे तथा सपुर्दगी अवधि की बढ़ौतरी का प्राप्त न होना। |
| 26 | 27-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान | 86.49 (0.68 %) | (क) औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में कम निवेश तथा लोक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कम कर्जे जारी करना। (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अफ्रीका विकास बैंक तथा भारतीय निर्यात तथा आयात बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को कम अंशदान। |
| 27 | 30- सरकारी कर्मचारियों को कर्जे इत्यादि | 43.80 (17.88 %) | अग्रिमों के लिए प्रत्याशित से कम मांग |
| 28 | 40- स्वास्थ्य विभाग | 25.59 (9.04 %) | चिकित्सा भण्डार संगठनों द्वारा कुष्ठ प्रतिरोधी तथा क्षयरोग प्रतिरोधी औषधियों का कम अधिप्रापण तथा शहरी क्षेत्रों में मलेरिया मामलों में कमी। |
| 29 | 52- भारी उद्योग विभाग | 95.69 (38.56 %) | हिन्दुस्तान केबल लि द्वारा एशियन विकास बैंक के माध्यम से मशीन तथा उपकरण की गैर प्राप्ति हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन में कागज तथा अखबारी कागज की योजनागत स्कीमों का गैर अनुमोदन, योजनागत स्कीमों का गैर अनुमोदन तथा भारत ओप्टोसेमिक ग्लास लि तथा भारतीय साईकल निगम सी द्वारा कर्जों की कम मांग। |
| 30 | 56 -प्रसारण सेवाएं | 30.43 (11.65 %) | सिविल तथा बिजली कार्यों की धीमी प्रगति के कारण कुछ योजनाओं का गैर अनुमोदन/अस्थगन कुछ सिविल कार्यों के लिए निधियों की मांग में कमी तथा कुछ परियोजनाओं की गैर संस्वीकृति, सामग्रियों की कम मांग तथा डेबिट मीमों की कम प्राप्ति, प्रतिबिम्ब विश्लेषक फ्रीक्वेंसी काउंटर |

| | | | |
|----|--|--------------------|--|
| | | | इत्यादि, वैक्टर आइ एम पी मीटरों इत्यादि की प्राप्ति न होना, कुछ सुरक्षा/अतिरिक्त कार्यालय आवास योजनाओं की धीमी प्रगति तथा आर टी एस एस के लिए कोई अग्रिम भुगतान न होना, विभिन्न योजनाओं के लिए उपकरणों की गैर प्राप्ति/गैर प्रापण/प्राप्ति, सीमावर्ती क्षेत्रों में टी वी आवर्तन से संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप न देना तथा उपकरण आपूर्ति में विलम्ब। |
| 31 | 64-पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 80.00 (30.03 %) | आयल इंडिया लि द्वारा उनके नकद प्रवाह भाग में होने वाले विश्व बैंक के कर्जों का अनाहरण, अनुसरण वित्त मंत्रालय से वांछित प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र की गैर प्राप्ति से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को विश्व बैंक कर्जों का आगे कर्जे पर कम दिया जाना। |
| 32 | 76- सड़कें | 30.56 (4.46 %) | कुछ योजनाओं की पहचान न होने से राज्य सरकारों से प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण राज्य सरकारों को अनुदानों का कम निर्गम। |
| 33 | 77- पत्तन, प्रकाश गृह तथा जहाज रानी | 66.63 (22.61 %) | बेहतर आंतरिक संसाधनों के लिए कुछ पत्तनों को कम निधियां जारी करना, व्यय वित्त समिति से अनुमोदन की गैर - प्राप्ति, उपकरण पर्यावरण क्लीयरेंस की गैर-प्राप्ति, निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, निर्माण कार्य के लिए करार को समाप्त करना, एशियन विकास बैंक द्वारा प्रायोजित योजनाओं से संबंधित दावों को प्रस्तुत न करना। |
| 34 | 78- कपड़ा मंत्रालय | 44.28 (18.31 %) | आधुनिकीकरण के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं से अपर्याप्त प्रतिक्रिया तथा ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन से संबंधित आस्ट्रेलियन वूल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान हेतु निधियों के विपथन के कारण भी निधियों का कम |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------------|---|
| | | | निर्गम, राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम के संबंध में इक्यूटी के बजाए निधियों को कर्जे के रूप में देने के बजटोत्तर निर्णय के कारण, बुनकर सेवा केन्द्र तथा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए भवनों के संबंध में कुछ प्रस्तावों के गैर कार्यान्वयन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संबंध में प्रत्याशित के मुकाबले कम प्रस्तावों के कारण कर्जों का कम निर्गम। |
| 35 | 79- शहरी विकास तथा आवास | 65.42 (25.57 %) | आवास तथा शहरी विकास निगम में निवेश न करना, रिहायशी भवनों के निर्माण पर कम व्यय, हुडको की योजना के लिए के डब्ल्यू एफ से प्राप्त और कम निधियां। |
| 36 | 84- परमाणु ऊर्जा | 60.27 (9.60 %) | कुछ परियोजनाओं की कार्यान्वयन अनुसूची को पुनः तैयार करना तथा कुछ निर्माण कार्यों का आस्थगन कार्यों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत सं रा अ से उपकरण की आपूर्ति में विलम्ब, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब, के लो नि वि द्वारा निधियों का अनुपयोग, मशीनरी एवं उपकरण सामग्री तथा आपूर्ति के अंतर्गत अधिप्रापण के विलम्ब/स्थगन के कारण व्यय में कटौती, खाली पदों व अतिरिक्त पदों को न भरने तथा आर्थिक उपाय लागू करने कारण परामर्श प्रभागों, समयोपरि भत्तों, यात्रा/प्रतिनियुक्ति व्यय, कार्यालय व्यय तथा वेतन पर कम व्यय। |
| | जोड़ | 1973.96 | |

| | | | |
|----|-----------------------------|---------------------|--|
| | प्रभारित विनियोग | | |
| | पूँजीगत | | |
| 37 | 58- विधि एवं न्याय | 30.00 (100.00 %) | नई योजनाओं के लागू न करने के कारण। |
| 38 | 76- सड़कें | 29.40 (88.42 %) | दूसरे हुगली पुल के निर्माण न होने के कारण कर्जों का जारी न करना। |
| | कुल पूँजीगत प्रभारित | 59.40 | |

इन मामलों के अतिरिक्त, 8 अनुदानों के मामले में बचतें, बजट प्रावधान से 50 प्रतिशत अधिक थीं। 34 अनुदानों में, बचतें बजट प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं। अनुदानों के ब्यौरे, जहां बचतें 50 लाख रु तथा उससे ऊपर के राशि तथा प्रावधान से 20 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हैं, परिशिष्ट VI में दी गई हैं।

2.5 निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना, सरकार को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। बचतों को, भविष्य के संभव आधिक्य के लिए बचा कर नहीं रखा जाना चाहिए।

1993-94 के लिए लेखाओं में यह देखा गया कि 20817.32 करोड़ रु की अंतिम बचतों के प्रति, 14679.64 करोड़ रु की राशि अभ्यर्पित की गई जिसमें से 99 प्रतिशत (14599.06 करोड़ रु) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन को अभ्यर्पित की गई थी। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर निधियों के अभ्यर्पण से सरकार, अन्य आवश्यक क्षेत्रों को निधियों के अंतरण करने की सुविधा से वंचित रही। यह दर्शाता है कि व्यय का कोई प्रभावी नियंत्रण तथा प्रबोधन न था।

32 दत्तमत अनुदानों और 26 प्रभारित विनियोगों में क्रमशः 621.79 करोड़ रु और 1262.35 करोड़ रु की राशि की समग्र बचतें अभ्यर्पित नहीं की गई थी।

6 दत्तमत अनुदानों और प्रभारित विनियोग में अभ्यर्पित राशि, समग्र बचतों से भी 8.88 करोड़ रु अधिक थी। आगे, दो प्रभारित विनियोगों के मामले में, 0.21 करोड़ रु अभ्यर्पित किए गए थे, यद्यपि, व्यय विनियोगों से बढ़ गया था तथा अभ्यर्पण हेतु कोई बचत उपलब्ध नहीं थी, जो कि अधिक परिशुद्ध लेखा सूचना प्रणाली और वित्तीय नियंत्रण के लिए आवश्यकता की सूचक है।

(क) उपलब्ध बचतों के आधिक्य में निधियों का अभ्यर्पण

तालिका 2.5 (क) अधिक अभ्यर्पण

(करोड़ रु में)

| क्र. सं. | अनुदान | बचतों की राशि | अभ्यर्पित राशि |
|-----------------------|--|---------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| राजस्व दत्तमत | | | |
| 1. | 2-कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं | 31.14 | 31.28 |
| 2. | 8-पर्यटन विभाग | 1.00 | 1.25 |
| 3. | 77- पत्तन, प्रकाश स्तम्भ और जहाजरानी | 5.62 | 13.84 |
| 4. | 94-दिल्ली | 544.83 | 544.94 |
| पूंजीगत दत्तमत | | | |
| 5. | 10-कोयला मंत्रालय | 139.73 | 139.74 |
| 6. | 75-भूतल परिवहन | 15.18 | 15.30 |
| 7. | 2-कृषि एवं सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं | 2.21 | 2.24 |
| | जोड़ | 739.71 | 748.59 |

(ख) समग्र व्यय आधिक्य के बावजूद निधियों का अभ्यर्पण

तालिका 2.5 (ख) अधिक व्यय के बावजूद अभ्यर्पण

(करोड़ रु में)

| क्र. सं. | अनुदान | व्यय आधिक्य की राशि | अभ्यर्पित राशि |
|----------|-------------------------|---------------------|----------------|
| | राजस्व -प्रभारित | | |
| 1. | 97-लक्षद्वीप | 0.12 | 0.02 |
| | पूंजीगत-प्रभारित | | |
| 2. | 44-पुलिस | 0.03 | 0.19 |
| | जोड़ | 0.15 | 0.21 |

बहुत से मामलों में बचतों का आंशिक रूप से अभ्यर्पण किया गया था। प्रमुख अंतरों के ब्यौरे, जहां बचतें 20 प्रतिशत से अधिक थी तथा 1.00 करोड़ रु से अधिक राशि की थी, अभ्यर्पित नहीं की गयी थी, परिशिष्ट- VII में दिए गए हैं।

2.6 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

प्रभारित व्यय के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग, उप-शीर्षों अथवा मानक विषयों (प्राथमिक इकाई के नाम से जाना जाता है) द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत इसे लेखाबद्ध किया जाता है। निधियों का पुनर्विनियोग, उस वित्तीय वर्ष के समापन से पहले, जिससे ऐसा अनुदान अथवा विनियोग संबंध रखता है, किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर विनियोग की प्राथमिक इकाइयों के बीच घटित होता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तब ही करना चाहिए, जब यह ज्ञात अथवा प्रत्याशित कि उस इकाई से विनियोग, जिससे निधियों का अंतरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा इकाई के विनियोग में बचतें हो सकती है।

1993-94 के लिए लेखाओं की नमूना जांच के दौरान, यह अवलोकित किया गया था कि 30 अनुदानों/विनियोगों में 94 उप शीर्षों के मामले में 22212.36 लाख रु की राशि का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, क्योंकि (i) उप शीर्ष के अंतर्गत मूल प्रावधान जिसको पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किया गया था, पर्याप्त से अधिक था तथा परिणामतः उप शीर्ष के अंतर्गत अन्तिम बचत, उस उप शीर्ष को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी, अथवा (ii) मूल प्रावधान, जिससे निधियां अंतरित की गई थी, अपर्याप्त था तथा उस उप शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य, पुनर्विनियोजित राशि से अधिक था। यह व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण के अभाव का सूचक था। ब्यौरे परिशिष्ट VIII में दिए गए हैं।

2.7 व्यय की कटौती में वसूलियां

अनुदानों के लिए मांगे व्यय की सकल राशि के लिए होती है, अर्थात् पूर्व काल में अधिप्राप्त भंडारों इत्यादि के प्रयोग से उद्भूत वसूलियों अथवा अन्य विभागों अथवा मंत्रालयों से अंतरित व्यय सहित होती है। जबकि विनियोग लेखापरीक्षा, अनुदान की सकल राशि के साथ सकल व्यय की तुलना द्वारा किया जाता है, वसूलियों में आधिक्य और कमी गलत प्राक्कलन तथा त्रुटिपूर्ण बजट को सूचित करती है।

राजस्व अनुभाग में 2552.31 करोड़ रु की अनुमानित वसूलियों के प्रति, वास्तविक वसूलियां 2566.62 करोड़ रु थी। पूंजीगत अनुभाग में, 1269.41 करोड़ रु की अनुमानित वसूलियों के प्रति, वास्तविक वसूलियां 1488.60 करोड़ रु थी। मूल अनुदानों के 20 प्रतिशत से अधिक अंतर्ग्रस्त करने वाले तथा 5.00 करोड़ रु से कम न हो, के ऐसे प्रमुख अंतरों के अनुदानवार ब्यौरे परिशिष्ट IX में दिए गए हैं।

2.8 आरक्षित निधियां

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा सृजित 18 आरक्षित निधियों तथा गैर-सरकारी निकायों द्वारा सरकार के पास रखे गए निक्षेपों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां विनियोग लेखाओं (सिविल) में दी गई हैं। किसी सेवा के लिए प्रयोग में लाने के लिए निधियों में जमा अथवा आहरित की गई राशियों को अनुदानों अथवा विनियोगों में शामिल किया जाता है। वर्ष 1993-94 के लिए उपरोक्त निधियों/निक्षेपों में परिवर्धन तथा से भुगतानों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

करोड़ रुपयों में

| | |
|-------------|--------|
| अथ शेष | 390.09 |
| प्राप्तियां | 414.85 |
| भुगतान | 390.75 |
| अंतः शेष | 414.19 |

निम्नलिखित आरक्षित निधियों के संबंध में कोई लेन देन नहीं हुए थे।

तालिका 2.8: मोरीबंद आरक्षित निधियां

| क्र.सं. | निधि का नाम | निधि का उद्देश्य | अथ शेष (हजार रु में) | मंत्रालय/विभागों का नाम जो कि निधि का संचालन करता है | तारीख जिससे निधि में कोई लेन देन नहीं है। |
|---------|--------------------------|---|----------------------|--|---|
| 1. | नागरिक विमानन विकास निधि | (i) सेवाएं संचालित करने हेतु इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन, जिन्हें कारपोरेशन अन्यथा मात्र वाणिज्यिक विचार से हाथ में नहीं लेगा (ii) हवाई पट्टी के निर्माण हेतु तथा सहायक सुविधाओं हेतु प्रावधान | 22361 | नागरिक विमानन विभाग | मार्च 1976 |
| 3. | नवीकृत आरक्षित निधि | आकाशवाणी तथा दूर दर्शन द्वारा अप्रचलित एवं असेवा योग्य ट्रांसमीटर स्टूडियो रिसीविंग सेंटर तथा अन्य अमितव्ययी उपकरण के बदलाव हेतु | 153 | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 1987-88 |

| | | | | | |
|----|--|---|---------|---------------|------------|
| 4. | व्यक्तिगत (दुर्घटना मुआवजा) निधि 1965 | घटित व्यक्तिगत दुर्घटनाओं हेतु फैक्ट्रियों, खानों, मुख्य पत्तनों, प्लांटेशन आदि में लगे हुए मजदूरों को मुआवजे के भुगतान हेतु | 6639 | श्रम मंत्रालय | मार्च 1977 |
| 5. | व्यक्तिगत दुर्घटना (मुआवजा बीमा निधि 1972) | संकटकाल के दौरान घटित व्यक्तिगत दुर्घटनाओं हेतु फैक्ट्रियों, खानों, मुख्य पत्तनों, प्लांटेशन आदि में लगे हुए मजदूरों को मुआवजे के भुगतान हेतु | 369 | उपरोक्त | मार्च 1988 |
| 6. | केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन निधि | बचाव एवं स्वास्थ्य लाभ कार्य हेतु भुगतान के लिये | (-)4432 | उपरोक्त | मार्च 1986 |

सभी निधियों के श्रेष्ठ उपयोग की, प्रशासकीय मंत्रालयों और विभागों के मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल की आवश्यकता है। विशेषकर केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन निधि के अंतर्गत ऋणात्मक शेष का मंत्रालय से उपयुक्त आर्थिक सहायताओं द्वारा समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।

2.9 निधियों का अप्राधिकृत पुनर्विनियोग

(i) लोक लेखा समिति की अनुशांसा पर, सरकार ने निर्धारित किया है कि पुनर्विनियोग हेतु किसी आदेश, जो बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ रूपयों जो भी अधिक हो, तक उप शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान में वृद्धि का प्रभाव करता है, वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जायेगा तथा यदि ऐसा पुनर्विनियोग अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के बाद किया जाता है, विभाग के वित्तीय सलाहकार द्वारा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अतिरिक्त सचिव/सचिव का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

वर्ष 1993-94 के लिए लेखाओं की नमूना जांच पर यह अवलोकित किया गया था कि पांच मामलों में, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है, पुनर्विनियोग एक करोड़ रूपयों और संस्वीकृत प्रावधान के 25 प्रतिशत की दोनों सीमाओं से अधिक था, परन्तु मंत्रालयों/विभागों ने न तो संसद को संवर्धन को सूचना दी, न ही सचिव (व्यय) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया।

तालिका 2.9.1: अप्राधिकृत पुनर्विनियोजन

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या तथा नाम | मुख्य शीर्ष | उप-शीर्ष | राशि (करोड़ रु में) | |
|----------|--------------------------|---|--|---------------------|-------|
| | | | | मू. | पुं. |
| 1 | 56-प्रसारण सेवायें | "4221"-प्रसारण सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | क क 2(5)(2)- विविध निर्माण योजनाएं | मू. | 13.57 |
| | | | | पुं. | 13.18 |
| 2. | 68-ऊर्जा मंत्रालय | "2801"-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ख.2(2)(7)(1)(1)- अन्तर्लेखा अन्तरण | मू. | 9.95 |
| | | | | पुं. | 3.74 |
| 3 | 82-जल संसाधन मंत्रालय | "2702"-लघु सिंचाई | ग 2(2)(1)-सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता की योजना | मू. | 18.89 |
| | | | | अ. पुं. | 3.98 |
| | | | | | 32.75 |
| 4. | 94-दिल्ली | "5075"-वी वी16-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय. | वी वी-16(1)(1)-अन्य व्यय | मू. | 18.20 |
| | | | | पुं. | 5.35 |

मू: मूल; अ: अनुपूरक; पु: पुनर्विनियोजन

टिप्पणी: 1 लेखापरीक्षा के उद्धरण पर जनवरी 1995 में 3.74 और 7.16 करोड़ रु की पुनर्विनियोजित राशियों के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया था।

2 विविध निर्माण योजना के उपशीर्ष क क 2(5) (2) के अंतर्गत 13.18 करोड़ रु की राशि के पुनर्विनियोजन के मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 1994 में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव से 12.89 करोड़ रु का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया था।

3. जल संसाधन मंत्रालय के अनुदान संख्या 82 में उपशीर्ष ग 2(2) (1) के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता योजना पर 32.75 करोड़ रु की राशि के पुनर्विनियोजन में से, मंत्रालय ने अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच (दिसम्बर 1993) में संसद को 7.45 करोड़ रु की अपनी अतिरिक्त मांगे प्रस्तुत की थीं तथा निधियों के अतिरिक्त अर्थात् 25.30 करोड़ की न तो

संसद को सूचना दी गई थी तथा न ही सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

4 उप शीर्ष वी वी-16(1)(1) अन्य व्यय के अंतर्गत 5.35 करोड़ रु की राशि के पुनर्विनियोजन के मामले में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव का कार्योत्तर अनुमोदन रा रा क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल 1994 में प्राप्त किया गया था।

(ii) अंतिम घाटे को नियंत्रित करने के लिए प्रयासों के संदर्भ में सरकार ने निर्धारित किया था कि सभी पुनर्विनियोजन, जिन पर एक उप-शीर्ष के अंतर्गत एक करोड़ रु से अधिक बजट प्रावधान के बढ़ने का प्रभाव पड़ेगा, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के सचिव के अनुमोदन से किया जायेगा।

1993-94 के लेखों की नमूना जांच करने पर पता चला कि दस मामलों में जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है, पुनर्विनियोजन व्यय विभाग के अनुमोदन के बिना एक करोड़ रु की सीमा से बढ़ गया।

तालिका 2.9.2 अप्राधिकृत विनियोग

| क्र सं | अनुदान की संख्या तथा नाम | मुख्य शीर्ष | उप-शीर्ष | राशि (करोड़ रु) | |
|--------------------------------|--------------------------|--|--|-----------------|-------|
| | | | | मू. | पु. |
| 1. | 10-कोयला मंत्रालय | "4801"-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | क क.1(1)(1)(1) (1)-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं/योजनाएं | मू. | 20.70 |
| | | | | पु. | 4.72 |
| 2. | 38-खाद्य मंत्रालय | "2236"-पोषण | ख.2(3)(3)- पोषण में एकीकृत शिक्षा | मू. | 0.60 |
| | | | | पु. | 1.06 |
| | | | | मू. | 1.03 |
| | | "2408"-खाद्य भंडारण एवं भाण्डागार | ग1(1)(2)-अन्य कार्यालय | पु. | 1.07 |
| 3. | 40-स्वास्थ्य मंत्रालय | "2210"-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | ग1(2)(1)-के स स्वा से दिल्ली | मू. | 37.47 |
| | | | | अ | 15.21 |
| | | | | पु. | 2.15 |
| | | | ग1(3)(5)-के एस सी एच नई दिल्ली | मू. | 5.50 |
| | | | | अ | 0.49 |
| | | | पु. | 1.03 | |
| ग4(3)(9)-अन्य स्वास्थ्य सेवाएं | | | | मू. | 9.18 |
| | | | | अ | 0.45 |
| | | | | पु. | 1.28 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 4. | 50-महिला एवं बाल विकास विभाग | “2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | ख 1(2)(3)- जी आई ए कार्यरत महिलाओं हेतु छात्रावास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | मू. | 6.00 |
| | | “3601”-राज्य सरकार को सहायता अनुदान | ग 2(1)(1)(1)(1) | मू. | 347.57 |
| | | | सामान्य संघटक | पु. | 2.66 |
| 5. | 57-श्रम मंत्रालय | “2230”-श्रम एवं रोजगार | ग 1(10)(1) पारिवारिक पेंशन एवं जीवन बीमा योजना | मू. अ पु. | 203.46 90.41 57.71 |
| 6. | 82-जल संसाधन मंत्रालय | “3601”-राज्य सरकार को सहायता अनुदान | छ 3(1)(1)- कमान क्षेत्र विकास | मू. | 107.28 |
| | | | | पु. | 5.26 |

मू: मूल

अ: अनुपूरक

पु: पुनर्विनियोजन

टिप्पणी: 1 स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुदान संख्या 40 के संबंध में अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों में यह उल्लेख नहीं है (मार्च 1994) कि 4.46 करोड़ रु तक की अतिरिक्त मांग को अनुदान के भीतर की बचतों से वहन किया जायेगा तथा शेष के लिए अनुपूरक मांग की गई है। तथापि लेखापरीक्षा के इंगित करने पर दो उप-शीर्षों ग(2)(1) के सं स्था यो दिल्ली एवं ग 1(3)(5) के एस सी एच नई दिल्ली के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सचिव वित्त, मंत्रालय (व्यय विभाग) से कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया था।

2. उप शीर्ष ग 2(1)(1)(1) सामान्य संघटक मुख्य शीर्ष '3601' के अंतर्गत 2.66 करोड़ रु की पुनर्विनियोजित की गई राशि में से महिला एवं बाल विकास विभाग को केवल 1.58 करोड़ रु की शेष राशि के लिए सचिव वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है (1.08 करोड़ रु का अनुमोदन विभाग द्वारा पहले ही प्राप्त कर लिया गया है)।

3. उप शीर्ष ग 1(10)(1) पारिवारिक पेंशन एवं जीवन बीमा योजना की 57.71 करोड़ रु की राशि पुनर्विनियोजित करते समय श्रम मंत्रालय द्वारा अनुदान हेतु अनुपूरक मांगों के अनुलग्नक V (मार्च 1994) के अनुसार संसद को 56.53 करोड़ रु की राशि सूचित की गई थी। इस प्रकार 1.18 करोड़ रु का पुनर्विनियोजन एक करोड़ रु की सीमा से बढ़ गया था जो कि संसद को कम करके बताया गया था तथा सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

2.10 'नयी सेवा/सेवा के नये साधन' पर व्यय

लोक लेखा समिति की अनुशंसा पर, वित्त मंत्रालय ने व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए वित्तीय सीमाएं निर्धारित की हैं, जिसके बाहर व्यय नई सेवा/सेवा का नया साधन बन जाता है तथा इसमें संसद का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

वर्ष 1993-94 के लिए कपड़ा मंत्रालय के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि 2.00 करोड़ रु बजट प्रावधान के प्रति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम को सहायक अनुदान के लिए मंत्रालय ने 10.00 करोड़ रु का व्यय किया गया था। 8.00 करोड़ रु का अतिरिक्त व्यय जो 2.00 करोड़ रु. निर्दिष्ट सीमा से अधिक था, बिना संसद के पूर्व अनुमोदन के भीतर पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया गया था।

2.11 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान/विनियोजन

यदि अनुमोदित बजट में किसी सेवा के लिए एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई गई राशि उस वर्ष में उस उद्देश्य के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष में किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय, जिसका अवलोकन उस वर्ष के मूल बजट में नहीं किया गया था, करने की आवश्यकता होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(I) में की गई व्यवस्था के अनुसार आवश्यक अनुपूरक अनुदानों या विनियोजन की व्यवस्था करनी होती है। अनुपूरक अनुदानों हेतु मांगों के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया दी जाती है।

अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को उपलब्ध साधनों या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाले साधनों को ध्यान में रखना होता है और निधियों की अतिरिक्त बजट मांगों का पूर्वानमान करते हुए तथा अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, अपेक्षित सावधानी बरतनी होती है। अनुपूरक मांगों का सहारा केवल विशिष्ट एवं अत्यावश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए।

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अनुदान सं. 49 कला एवं संस्कृति विभाग:- लेखापरीक्षा में यह मालूम हुआ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय कला एवं संस्कृति विभाग ने महंगाई भत्ता की अतिरिक्त किस्त के भुगतान आदि हेतु मार्च 1994 में मुख्य शीर्ष '2205' उप-शीर्ष ख 2(1)-निदेशालय (पुरातत्व सर्वेक्षण) के अंतर्गत 1.49 करोड़ रु की अनुपूरक अनुदान प्राप्त की थी लेकिन उसी उप-शीर्ष के अंतर्गत 1.92 करोड़ रु की अंतिम बचत थी। बचत के कारण खाली पदों का न भरा जाना और इंडियन एयर लाईन्स व मुद्रणालय से बिलों का प्राप्त ना होना बताये गए हैं। मूल अभिलेखों की संवीक्षा से यह देखा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उक्त अनुपूरक अनुदान के लिए मांग निम्नलिखित उप शीर्षों के अंतर्गत की है जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

(करोड़ रु में)

| | | |
|----|----------------------------------|------|
| 1. | ख.2(1)-निदेशालय | 0.20 |
| 2. | ख.2(2)-पुराने स्मारको का संरक्षण | 1.20 |
| 3. | ख.2(5)-पुरातत्व संग्रहालय | 0.09 |
| | जोड़ | 1.49 |

आगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बताया कि अनुपूरक अनुदानों की आवश्यकता के बारे में मंत्रालय को दिनांक 2.8.1994 को सूचित किया गया था लेकिन मंत्रालय ने 1.49 करोड़ रु की अनुपूरक अनुदान की समस्त राशि उप शीर्ष ख 2(1) निदेशालय के अंतर्गत दिखाई जो पूर्णतः अनुपयुक्त रही और परिणामस्वरूप तदनु रूप उप शीर्ष ख 2(2)-पुराने स्मारकों का संरक्षण के अंतर्गत अनुरूप 0.89 करोड़ रु का आधिक्य, हुआ।

(ii) उद्योग मंत्रालय

अनुदान सं 51- औद्योगिक विकास विभाग:- औद्योगिक विकास विभाग के वर्ष 1993-94 के विनियोजन लेखों की नमूना जांच से यह देखा गया कि विभाग द्वारा दिसम्बर 1993 में मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार प्राप्त की गई 506.45 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानें, योजनाओं के गैर-कार्यान्वयन के कारण, पूर्णतः अप्रयुक्त रहीं। मंत्रालय का निम्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रत्याशाओं को सुनिश्चित किये बिना उक्त मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत 506.45 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुपूरक अनुदान प्राप्त करना अनियमित था।

(करोड़ रुपयों में)

| क्र सं | योजनाएं | बजट प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान |
|--------|--|--------------|------------------|
| 1. | राष्ट्रीय नवीकरण निधि को अंतरित | 700.00 | 320.00 |
| 2. | राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वेच्छक सेवा निवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन | शून्य | 140.05 |
| 3. | परामर्शी, पुनः प्रशिक्षण और पुनरूत्पादन योजनाएं | शून्य | 46.30 |
| 4. | विविध/आकस्मिक व्यय | शून्य | 0.10 |

(iii) आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अनुदान सं 66-सांख्यिकी विभाग- मार्च 1994 में 0.73 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान प्राप्त की गई थी (0.21 करोड़ रुपये शीर्ष क क 1 (I) भूमि एवं भवन के अन्तर्गत और 0.52 करोड़ रुपये शीर्ष क क 1(3)- मशीन व उपकरण के अन्तर्गत)। लेखापरीक्षा में यह अवलोकित किया गया कि 0.73 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदानों में से 0.28 करोड़ रुपये (0.13 करोड़ रुपये उपशीर्ष क क (1) और 0.15 करोड़ रुपये उप शीर्ष क क 1(3) से) उसी मास यानि मार्च 1994 में ही अभ्यर्पित किये गये थे। आगे, इन्हीं शीर्षों में 0.37 करोड़ रूप के अभ्यर्पण एवं बचतों का जोड़ बनाते हुए 0.09 करोड़ रुपये की अंतिम बचत भी थी जो प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान के 50 प्रतिशत से अधिक का बनती है। लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में विभाग ने बताया कि अनुपूरक अनुदान में बचत, कलकत्ता के एन एस एस ओ भवन और मशीन व उपकरण पर प्रारंभ में अपेक्षा किये गये से कम खर्च के कारण हुई। इस प्रकार 0.73 करोड़ रुपये तक की अनुपूरक अनुदान हेतु अनुमान गलत था।

कृषि मंत्रालय

3.1 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के वितरण में हानियां

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1988 के प्रतिवेदन सं 1 संघ सरकार (सिविल) के पैरा 67.11.3(घ) में यह उल्लेख किया गया था कि 1986-87 को समाप्त हुए सात वर्षों के दौरान, दिल्ली दुग्ध योजना (दि दु यो) ने बिक्री डिपों द्वारा वापिस किये गये अनबिके दूध को पुनर्संसाधित करने में 88.22 लाख रू का अतिरिक्त व्यय किया था। मंत्रालय ने अपनी कार्यवाही रिपोर्ट में तब बताया (फरवरी 1989) कि दि दु यो के प्रयासों के माध्यम से, वापिस किये गये दूध की मात्रा में उत्तरोत्तर कमी हो गई थी, जो कि दि दु यो द्वारा निर्धारित किये गये अन्तरिम मानदंडों, अर्थात् बोटलों के लिए एक प्रतिशत और पोलिपैक के लिए दो प्रतिशत की तुलना में अनुकूल थी। तथापि, लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने निम्नवत प्रकट किया:

(i) वापिस किये गये दूध की मात्रा वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1993-94 में दो प्रतिशत से अधिक थी, 1988-94 की अवधि के दौरान, नीचे दी गई तालिका के अनुसार, वापिस किये गये दूध की सम्पूर्ण मात्रा को पुनर्संसाधित करने में दि दु यो ने 2.31 करोड़ रू का अतिरिक्त व्यय किया:-

तालिका 3.1.1

वापिस किये गये दूध के पुनर्संसाधित पर अतिरिक्त व्यय

| वर्ष | पुनर्संसाधित दूध की मात्रा (लीटर लाखोंमें) | वापिस किये गये दूध की प्रतिशतता % | प्रति लीटर पुनर्संसाधित करने की लागत (रू) | मूल्य (लाख रू में) |
|---------|--|-----------------------------------|---|--------------------|
| 1988-89 | 21.90 | 1.51 | 1.08 | 23.65 |
| 1989-90 | 46.17 | 2.93 | 1.03 | 47.55 |
| 1990-91 | 45.88 | 2.54 | 1.03 | 47.26 |
| 1991-92 | 20.03 | 1.20 | 1.11 | 22.23 |
| 1992-93 | 27.95 | 1.79 | 1.36 | 38.01 |
| 1993-94 | 35.02 | 2.39 | 1.50 | 52.53 |
| | | | जोड़ | 231.23 |

(ii) वापिस किये गये दूध में वसा और ठोस वसा रहित (ठो व र) अंशों का स्तर भी वितरण हेतु प्रेषित किये जाने के समय पर अंशों की तुलना में कम पाया गया था। वसा और ठो व र की मात्राओं में हानियां तथा उनका सकल मूल्य निम्नानुसार 1.23 करोड़ रु था,

तालिका 3.1.2:

दूध में वसा और ठो.व.र की निम्न मात्राओं के कारण हानियों का मूल्य

| वर्ष | वापिस किये गये दूध की मात्रा (लाख कि ग्रा में) | वसा की हानि (कि ग्रा) | प्रति कि ग्रा वसा की दर (रु) | मूल्य (लाख रु में) | ठो व र की हानि (कि ग्रा) | प्रति कि ग्रा ठो व र की दर (रु) | मूल्य (लाख रु में) |
|---------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1988-89 | 22.56 | 11509 | 45.20 | 5.20 | 18520 | 29.05 | 5.38 |
| 1989-90 | 47.55 | 28018 | 47.38 | 13.27 | 48111 | 31.87 | 15.33 |
| 1990-91 | 47.26 | 22517 | 48.50 | 10.92 | 32608 | 32.94 | 10.74 |
| 1991-92 | 20.63 | 13720 | 59.04 | 8.10 | 18308 | 43.82 | 8.02 |
| 1992-93 | 28.79 | 18879 | 64.68 | 12.21 | 24365 | 48.89 | 11.91 |
| 1993-94 | 36.09 | 18407 | 63.08 | 11.61 | 24894 | 43.00 | 10.70 |
| जोड़ | | | | (अ) 61.31 | | | (ब) 62.08 |

जोड़: (अ) + (ब) = 1.23 करोड़ रु

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 1992 और नवम्बर 1993 में सूचित किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 1994) कि दूध के वितरण में हानियों के लिए मुख्य कारण निम्नलिखित पर आरोपित किये गए थे:

(क) पोलीपैक मशीनें बहुत पुरानी होने और पोली पैक पाउच अच्छी तरह सैट न होने के कारण पाउचों से दूध का रिसाव हुआ तथा

(ख) नियोजितों द्वारा जान बूझकर पाउचों में रिसाव करने की संभावना

इस प्रकार से, 1989 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही टिप्पणी में इस आश्वासन के बावजूद कि जहां तक संभव था, वापिस किए गए दूध की मात्रा घटाने के सभी प्रयास किए जा रहे थे, दि दु यो, वापिस किए गए दूध को पुनर्संसाधित करने के लिए किए गए अतिरिक्त

व्यय के कारण हानियों तथा वापिस किए गए दूध में घटे हुए वसा और ठोस अवयवों के कारण भी हानियों को नियंत्रित करने में विफल रहा।

मामला पुनः नवम्बर 1994 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित है (नवम्बर 1994)।

अध्याय IV

कोयला मंत्रालय

4.1 कोयले/ कोक पर उत्पाद शुल्क की गैर वसूली

कोयले और कोक पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का विनियमन, कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम 1974 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा होता है। अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत, कोयला खानों के मालिकों से देय शुल्कों का अंतिम निर्धारण, कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त राशि को सरकारी खाते में क्रेडिट किया जाता है। शुल्कों की निवल प्राप्तियां वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार द्वारा मालिकों को संवितरित की जाती हैं। अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि उत्पाद शुल्क के किन्हीं बकाया दातव्यों की भू राजस्व के रूप में कोयला खानों के मालिक से वसूली की जानी चाहिये।

यह देखा गया था कि वर्ष 1985-86 के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्र) से देय 87.20 लाख रु की राशि अगस्त 1994 तक अप्रदत्त रही थी तथा यह राशि 1985-94 के दौरान उन सा क्षेत्र को दी गई 156.80 करोड़ रु की वित्तीय सहायता से समायोजित नहीं की गई थी।

इस प्रकार से लम्बे समय से बकाया उत्पाद शुल्कों के देयों की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही की कमी परिणति, 87.20 लाख रु के राजस्व की गैर वसूली में हुई।

मामला अप्रैल 1994 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1994)।

अध्याय V
नागरिक विमानन और पर्यटन मंत्रालय
(नागरिक विमानन विभाग)

5.1 'स्वाति' विमानों की खरीद के लिए निधियों का अनुचित निर्गम

नागरिक विमानन मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने सितम्बर 1989 में यह निर्धारित किया कि विद्यमान स्वाति बेड़ा के सत्तर विमान प्रशिक्षु देश के लिए अपर्याप्त थे। देश में पायलटों की बढ़ती हुई संख्या को प्रशिक्षण देने के लिए नब्बे अतिरिक्त नये विमानों की आवश्यकता थी तथा पुराने विमानों को क्रमिक रूप से हटाया जाना था।

महानिदेशक नागरिक विमानन, (म नि ना वि) ने स्वाति के नाम से एक विमान डिजाइन तथा विकसित किया तथा इन विमानों के निर्माण के लिए मई 1991 में भारत हैवीइलेक्ट्रीकल्स लि. (भेल) के साथ समझौते का ज्ञापन (स ज्ञा) किया। म नि ना वि ने दस विमानों की आपूर्ति के लिए अप्रैल 1991 में भेल को एक मांग भी भेजी। भेल ने दिसम्बर 1991 में पहले आठ विमानों के लिए प्रत्येक का 23.5 लाख रु मूल्य तथा नौवे तथा दसवें विमान के लिए मूल्य 26.5 लाख रु (कर, शुल्क तथा उगाही अतिरिक्त) सूचित किया। म नि ना वि के अनुरोध पर विमानों के टेल व्हील वरशन से नोज व्हील वरशन में परिवर्तन के कारण ये दरें अगस्त 1992 में क्रमशः 26.9 लाख रु तथा 29.9 लाख रु तक संशोधित की गई थी। भेल ने एक विमान मार्च 1992 तक, पांच, मार्च 1993 तक तथा शेष चार विमान मार्च 1994 तक सुपुर्द करने की पेशकश की। म नि ना वि द्वारा भेल को मार्च 1992 में एक करोड़ का तदर्थ भुगतान भी जारी किया गया था।

म नि ना वि ने पुनः सितम्बर 1992 में तीस और विमानों के लिए आदेश दिया इसके अनुसरण में मार्च 1993 में 5 करोड़ रु का अग्रिम भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि किसी भी आपूर्ति आदेश के प्रति भेल ने कोई भी विमान की आपूर्ति नहीं की। यह भी पता चला कि भेल द्वारा निर्मित एक विमान म नि ना वि द्वारा की गई जांच के समय जून 1993 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मामला म नि ना वि के साथ जांचाधीन था।

लेखापरीक्षा के ध्यान में निम्नलिखित कमियां आईं:

- (i) प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन लिए बिना तथा प्रत्येक विमान मूल्य के अंतिम निर्णय के लंबित रहते म नि ना वि ने दस तथा तीस विमानों की खरीद के लिए अप्रैल 1991 तथा सितम्बर 1992 में दो आपूर्ति आदेश दिए।

(ii) म नि ना वि ने अप्रैल 1991 के पिछले आदेश की संतोषपूर्ण प्रगति पर ध्यान दिए बिना ही तीस विमानों की खरीद के लिए दूसरा आदेश दिया। दूसरे लॉट की सुपुर्दगी की समय सूची का म नि ना वि अथवा भेल द्वारा कोई संकेत नहीं दिया गया था।

(iii) भेल द्वारा विमानों की अनापूर्ति के कारण पायलट प्रशिक्षण अवसंरचना का तेजी से आवर्धन की परियोजना के उद्देश्य को धक्का पहुंचा।

(iv) भेल द्वारा स्वाति के निर्माण के लिए तर्क यह था कि हि ए लि ने पुष्पक विमानों का निर्माण बंद कर दिया था। तथ्य यह है कि म नि ना वि ने हि ए लि से यह पूछताछ भी नहीं की कि क्या वे नया डिजाइन किया गया प्रशिक्षक विमान तैयार कर सकते थे। भेले को आदेश देने से पूर्व म नि ना वि द्वारा बाजार से कोई पूछताछ नहीं की गई थी।

पर्यटन विभाग

5.2 खाली आवास पर निष्फल व्यय

भारतीय दूतावास, पेरिस (मिशन) ने सितम्बर 1956 में, अपनी वाणिज्यिक शाखा के लिए और भारत सरकार, पर्यटन कार्यालय, पेरिस (प का) के लिए 494.14 वर्ग मीटर (भूतल 25.14 वर्ग मीटर और प्रथम तल 469 वर्ग मीटर) के कुल क्षेत्रफल वाले एक दुर्मंजिले भवन को 15 वर्ष के पट्टे पर किराये पर लिया। प्रारंभिक पट्टे का सितम्बर 1989 तक, प्रत्येक नौ वर्ष बाद नवीकरण किया गया था, इसके बाद प का द्वारा भूस्वामी के साथ पट्टे की शर्तों पर पुनः बातचीत की जानी थी।

इसी बीच, 1976 में, मिशन की वाणिज्यिक शाखा चांसरी भवन में चली गई थी तथा राज्य व्यापार निगम (रा व्या नि), भारत सरकार के एक उपक्रम को उस तल पर 202.80 वर्ग मी माप के उस भाग को कब्जे में लेने की अनुमति दी गई थी। पर्यटन कार्यालय ने भूतल तथा प्रथम तल पर 266.20 वर्ग मी माप को अपने अधिकार में लिए रखा। जबकि समस्त सम्पत्ति के लिए किराया प का द्वारा भू स्वामी को दिया गया था, रा व्या नि ने अपने कार्यालय द्वारा कब्जे में रखे गए स्थान के लिए किराये के एक तिहाई की प्रतिपूर्ति की।

दिसम्बर 1990 में रा व्या नि ने अगस्त 1990 में, प का को पूर्व सूचना के साथ भवन खाली कर दिया। परन्तु प का ने मिशन द्वारा की गई अनुशांसा (नवम्बर 1990) के बाद भी, रा व्या नि द्वारा खाली की गई अतिरिक्त जगह का अभ्यर्षण नहीं किया। पर्यटन विभाग ने (नवम्बर 1991) खाली आवास हेतु किराया अदा करना जारी रखा। जनवरी 1991 से जून 1994 तक की अवधि के लिए दिया गया किराया 40.44 लाख रु था।

उत्तर में प का ने बताया (फरवरी 1994) कि रा व्या नि द्वारा इसे खाली करने के तुरंत बाद अतिरिक्त स्थान खाली नहीं किया जा सका क्योंकि मिशन ने इंगित किया था कि यह इसे सांस्कृतिक/परामर्शदायी शाखा के लिए उपयोग कर सकती है। प का ने आगे बताया कि 1993 में मिशन इस प्रकार सलाह दिए जाने पर अतिरिक्त स्थान को अभ्यर्षित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिशन ने पहले ही (नवम्बर 1990) प का को अतिरिक्त स्थान अभ्यर्षित करने की सलाह दी थी।

मामले की सूचना जून 1994 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1994)।

अध्याय VI

वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग)

6.1 नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) से सम्बन्धित मामले

6.1.1 कपड़े की मदों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

सितम्बर 1988 से मार्च 1990 के दौरान 'गैर कोटा जी सी ए राष्ट्रों' को सूती संसाधित कपड़े और सूती धागे के निर्यात पर 5 प्रतिशत की अतिरिक्त नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) देय थी।

संयुक्त महा निदेशक, विदेशी व्यापार (सं म नि वि व्या) कलकत्ता द्वारा किए गए न प्र स भुगतानों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि मार्च 1989 से जनवरी 1990 के दौरान बंगला देश को सूती संसाधित कपड़े और सूती धागे के निर्यात पर कुछ फर्मों को 16.30 लाख रु की अतिरिक्त न प्र स का भुगतान किया गया था। लेनदेन भारतीय रूपयों में किया गया था। तथापि, कपड़े की मदों के निर्यात पर न प्र स (अतिरिक्त न प्र स सहित) प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ बंगला देश को गैर कोटा जी सी ए राष्ट्र के रूप में मानने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई, विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया गया था।

सं म नि वि व्या कलकत्ता ने बताया (अक्तूबर 1993) कि बंगला देश एक एशियाई क्लियरिंग संघ (ए क्लि सं) राष्ट्र था तथा एशियाई मुद्रा संघ के भागीदार राष्ट्रों के बीच अनुबंध के अनुसार, जिन्होंने, सदस्य देशों के बीच व्यापार के प्रोत्साहन के लिए ए क्लि सं की प्रक्रिया को स्वीकार किया है, इस विशिष्ट ढील की अनुमति दी गई है। तथापि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया (जुलाई 1994) कि निर्यात करारों के लिए ए क्लि सं सदस्यों को कोई विशिष्ट ढील नहीं दी गई है। इस प्रकार से, निर्यातकों को किया गया 16.30 लाख रु की राशि का अतिरिक्त न प्र स का भुगतान वसूली योग्य रहता है।

मामला नवम्बर 1994 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1994)।

6.1.2 इस्पात की चमकीली छड़ों तथा कुट्टित कोरों पर नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1992 तक इस्पात की चमकीली छड़ों तथा डंडों के निर्यात पर 10 प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) अनुज्ञेय थी। भारत सरकार ने जनवरी 1991 में यह स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल 1989 अथवा उसके पश्चात प्राप्त तथा 31 मार्च 1992 तक वैध पेशकशों/आदेशों/करारों के अनुसरण में स्टेनलैस इस्पात की चमकीली छड़ों तथा डंडों के निर्यात पर 10 प्रतिशत न प्र स लागू होगी।

एक फर्म ने जनवरी तथा फरवरी 1989 के दौरान 150.21 लाख रू की स्टेनलैस इस्पात की चमकीली छड़ों तथा कुट्टित कोरों का निर्यात किया। संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार (स म नि वि व्या) बम्बई (तत्कालीन संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात (सं मु नि आ एवं नि) ने 15.26 लाख रू के न प्र स का भुगतान किया। क्योंकि जनवरी तथा फरवरी 1989 के दौरान स्टेनलैस इस्पात की चमकीली छड़ों तथा कुट्टित कोरों के निर्यात पर कोई न प्र स ग्राह्य नहीं थी इसलिए फर्म को 15.26 लाख रू की राशि का न प्र स का किया गया सारा भुगतान अनियमित था।

मामला विभाग को जून 1994 तथा मंत्रालय को अक्टूबर 1994 में सूचित किया गया था। सं म नि वि व्या बम्बई ने जुलाई 1994 में बताया कि फर्म को 15.26 लाख की राशि के न प्र स को अभ्यर्पित करने का निदेश दिया गया था। अपने उत्तर में मंत्रालय ने यह भी बताया (नवम्बर 1994) कि सं भ नि वि व्या बम्बई को मामला आगे बढ़ाने के लिए अनुस्मरण दिया जा रहा था। नवम्बर 1994 को राशि की वसूली की प्रतीक्षा है।

6.1.3 माने गए निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

भारत सरकार ने नवम्बर 1979 में यह निर्णय लिया कि भारत में अं पु एवं वि बैंक/आई डी ए से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए तथा 'निर्यातित सामान' मानी गई आपूर्तियों पर नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) सदृश वास्तविक निर्यात के लिए ग्राह्य के 75 प्रतिशत तक प्रदान की जानी चाहिये। जुलाई 1987 में पुनः यह स्पष्ट किया गया कि मूल्य योजित के 25 प्रतिशत कट ऑफ पाइंट तक न प्र स दरों को प्रतिबंधित करने की विद्यमान पद्धति जारी रहेगी।

जनवरी 1988 में जारी किये गए विशेष आयात लाइसेन्स के प्रति फर्म 'क' ने मई 1988 से मार्च 1989 के दौरान फर्म 'ख' को 7.36 करोड़ रू के पो प नि मूल्य के कायोजैनिक स्टोर टेंकों की आपूर्ति की। तत्कालीन संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात बम्बई ने कट ऑफ

पाइंट के फार्मूले को लागू किये बिना फर्म 'क' को 55.21 लाख रू के न प्र स का भुगतान किया जिसके परिणाम स्वरूप फर्म 'क' को 11.04 लाख रू के न प्र स का अधिक भुगतान हुआ।

मामला विभाग को अगस्त/सितम्बर 1991 तथा जून 1994 तथा मंत्रालय को जुलाई/अक्टूबर 1994 में सन्दर्भित किया गया था। यद्यपि तत्कालीन संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात और निर्यात बम्बई/संयुक्त महानिदेशक विदेशी व्यापार ने नवम्बर/दिसम्बर 1992 तथा पुनः अगस्त 1994 में सारी राशि की वसूली के आदेश दे दिये थे, नवम्बर 1994 तक अभी भी राशि वसूल की जानी है।

6.1.4 तैयार सूती कपड़ों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

तैयार सूती कपड़े की मदें जो कि 'कोटा' देशों को कोटा के अंतर्गत अधिक विलम्ब लेने वाली नहीं है, के निर्यात पर जुलाई 1986 से दिसम्बर 1991 तक, नकद प्रतिपूरक सहायता अनुमत नहीं थी।

तत्कालीन संयुक्त मुख्य आयात व निर्यात नियंत्रक, नई दिल्ली तथा जयपुर द्वारा किए गए न प्र स भुगतानों की लेखा परीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि जुलाई 1986 से दिसम्बर 1991 के दौरान 36 फर्मों को उपरोक्त मदों के निर्यात पर 6.21 लाख रु की अनियमित न प्र स का भुगतान किया गया था।

विभाग ने बताया (जनवरी 1995) कि 28,219 रु तक की वसूली अप्रैल 1994 में प्रभावी की गई थी तथा आगे वसूली/समायोजन यदि कोई हो, पार्टियों से उत्तर प्राप्त होने पर सूचित किया जायेगा। इस प्रकार दिसम्बर 1994 को शेष 5.93 लाख रु की राशि की वसूली प्रतीक्षित है।

6.1.5 मुक्त व्यापार क्षेत्र से निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

आयात निर्यात नीति 1988-91 के अनुसार, शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थित इकाइयों द्वारा माल के निर्यात पर कोई नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) ग्राह्य नहीं थी।

संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (सं म नि वि व्या) पूर्व सुयंक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात (सं मु नि आ नि) बम्बई ने कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र (कां मु व्या क्षे) में स्थित एक फर्म को जुलाई से सितम्बर 1989 के दौरान रेयोन के सिले हुए वस्त्रों पर मई/नवम्बर 1990 में 5.88 लाख रू की न प्र स का भुगतान किया। फर्म को 5.88 लाख रू का भुगतान अनियमित था।

मामला अगस्त 1993 में सं म नि वि व्या, बम्बई तथा जून एवं अगस्त 1994 में मंत्रालय के नोटिस में लाया गया था।

सं म नि वि व्या, बम्बई ने बताया (जुलाई 1994) कि 5.88 लाख रू की वापसी के लिए फर्म को नोटिस भेजा गया था।

इसी बीच विभाग ने बताया (अक्टूबर 1994) कि निर्यात कां मु व्या क्षेत्र के बाहर से किया गया था। यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि यद्यपि माल का कां मु व्या क्षेत्र के बाहर से निर्यात किया गया था, निर्माण कां मु व्या क्षेत्र में स्थित फर्म की फैक्ट्री में हुआ था, जिसके लिए न प्र स ग्राह्य नहीं थी।

5.88 लाख रू की राशि के न प्र स के अनियमित भुगतान की वसूली की प्रतीक्षा है।

6.1.6 खेलों के सामान के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता का अनियमित भुगतान

भारत सरकार ने मार्च 1989 में निर्णय लिया कि 1 अप्रैल अथवा उसके पश्चात तथा 31 मार्च 1992 तक किये गये खेलों के सामान के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) पो प नि मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से होगी बशर्ते कि यह निर्यात अर्जित किये गए विदेशी विनिमय के कट ऑफ पाइन्ट के 25 प्रतिशत से अधिक न हो।

अप्रैल 1989 से मार्च 1992 के दौरान तत्कालीन संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात नई दिल्ली, तथा उप मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात पानीपत द्वारा किये गये भुगतानों की लेखा परीक्षा में नमूना जांच ने दर्शाया कि तीन फर्मों को, चमड़े के स्पोर्ट जूते तथा चमड़े के स्पोर्ट जूतों के उपरी भागों के निर्यात पर उन्हें 'चमड़े की वस्तुयें' में वर्गीकृत करते हुये, 5.62 लाख रू की राशि के न प्र स का भुगतान किया गया था। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर 0.63 लाख रू की वसूली की गई थी। सितम्बर 1994 को 4.99 लाख की शेष राशि की वसूली की प्रतीक्षा है।

मामला मंत्रालय को अगस्त 1994 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 1994)।

6.1.7 कपड़े की मर्दों के निर्यात पर 4.26 लाख रू की राशि की नकद प्रतिपूरक सहायता का अधिक भुगतान

1 अप्रैल 1989 को अथवा उसके बाद तथा 31 मार्च 1992 तक कृत्रिम समिश्रित धागे तथा विसकोस स्टैपल फाइबर स्पन धागे के निर्यात पर पो प नि मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूरक सहायता (न प्र स) देय थी।

तत्कालीन संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, जयपुर द्वारा किये गये भुगतानों की लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने प्रकट किया कि दो फर्मों ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान इन धागों का निर्यात किया था तथा आठ प्रतिशत की बजाय पो प नि मूल्य के 13 प्रतिशत की दर से न प्र स का भुगतान किया गया था, परिणामस्वरूप 4.26 लाख रू का अधिक भुगतान हुआ।

मामले की सूचना मार्च/अगस्त 1994 में विभाग को तथा अक्टूबर 1994 में मंत्रालय को दी गई थी; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1995)।

6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उनके सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही, उनमें उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों की लेखा परीक्षा द्वारा भली भांति जांच किये जाने पर, उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दशति हुए, उन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1982)।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुई अवधि तक विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा से प्रकट हुआ कि बारम्बार अनुदेशों के बावजूद मंत्रालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं (दिसम्बर 1994)।

तालिका: 6.2: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या और वर्ष | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|--------------------------------------|------------------|---|
| 1988 की सं. 1 | 10 | न प्र स की अदायगी में अनियमितताएं |
| - उपरोक्त - | 11 | प्रशीतित मछली, प्रशीतित झींगा मछली पूंछ तथा सम्पूर्ण पकाई गई झींगा मछली के निर्यात हेतु नकद सहायता। |
| 1989 की सं. 1 | 8 | चमड़े के जूतों के निर्यात पर नकद प्रतिपूरक सहायता। |
| 1990 की सं. 13 | 8 | न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम मूल्य के निर्यात पर नकद सहायता की अनियमित अदायगी। |
| -उपरोक्त- | 9 | मुद्रित पुस्तकों के निर्यात हेतु नकद सहायता। |
| - उपरोक्त- | 10 | सोडियम साइनाइड के निर्यात के लिए नकद सहायता। |
| -उपरोक्त - | 11 | एक समयोपरि दावे के प्रति अमान्य नकद सहायता। |
| -उपरोक्त - | 13 | लेदर शू अपर पर नकद प्रतिपूरक सहायता। |
| 1993 की सं. 1 | 5.2 | नकद सहायता का भुगतान |
| 1994 की सं. 1 | 5.2 | नकद प्रतिपूर्ति सहायता से संबंधित मामले। |

मामले की सूचना अक्टूबर 1994 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1994)।

6.3 त्रुटिपूर्ण निरीक्षण के कारण लैम्पों की आपूर्ति

महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (म नि आ नि) ने 'आई, एस आई' चिन्हित चार लाख सामान्य प्रदीपन सेवा विद्युत लैम्पों (सा प्र से) की आपूर्ति के लिए जुलाई से दिसम्बर 1992 की अवधि के लिए वैध, एक फर्म के साथ जुलाई 1992 में एक दर करार (द/क) पूरा किया। बाद में, द/क 28 फरवरी 1993 तक बढ़ा दी गयी तथा कुल मात्रा 15 लाख तक बढ़ा दी गई थी।

द/क में, चंडीगढ़ में फर्म की फैक्टरी में म नि आ नि द्वारा निरीक्षण तथा परेषिति को निरीक्षण किये गये भंडारों के प्रेषण के प्रमाण पर 98 प्रतिशत भुगतान के बाद, सीधे मांगकर्ता अधिकारियों को आपूर्ति हेतु प्रावधान था।

इस द/क पर आधारित, कमांडर वर्क्स इंजीनियर, बरेली छावनी (क व इं) ने 100 और 60 वाट के एक लाख सा प्र से लम्पों की आपूर्ति के लिए फर्म को जुलाई 1992 में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया। फर्म ने जुलाई 1992 में म नि आ नि द्वारा निरीक्षण करने के बाद एक मात्र लॉट में क व इं को 90000 लम्पों की आपूर्ति की तथा अगस्त 1992 में 5.83 लाख रू का भुगतान प्राप्त किया।

जनवरी 1994 में क व इं ने म नि आ नि को सूचित किया कि वास्तविक प्रयोग में लम्पों का प्रदर्शन बहुत खराब पाया गया था तथा बल्ब 1-10 दिनों में फ्यूज हो गये। चूंकि ये आई एस आई चिन्हित थे अतः यह शिकायत करने से पूर्व, क व इं ने भा मा ब्यू कार्यालयों के साथ फरवरी और मार्च 1993 (अर्थात् जांच के लिए 12 माह की गारंटी अवधि के भीतर) में मामला उठाया।

भा मा ब्यू द्वारा किये गये परीक्षणों के निष्कर्षों जिसमें कि 60 वाट के बल्बों के मामले में निष्कर्ष पक्ष में दर्ज किये थे तथा 100 वाट के बल्बों के मामले में 943 घंटों की उच्च औसत समयावधि दिखाई, से असंतुष्ट होकर क व इं ने अपने परिसरों में बल्बों की समयावधि के निष्पादन परीक्षण पर एक 'खुली जांच पड़ताल' (नवम्बर 1993) आयोजित की तथा 100 वाट और 60 वाट के बल्बों के सम्बन्ध में बल्बों की समयावधि क्रमशः 155 और 159 घंटे सुनिश्चित की।

असंतोष जनक निष्पादन तथा उनके अपने परीक्षण निष्कर्षों पर आधारित, क व इ ने लॉट से आगे आपूर्ति किया जाना बंद करा दिया तथा जनवरी 1994 में म नि आ नि से ब्याज सहित समस्त लागत को वापिस करने की व्यवस्था करने के लिए अनुरोध किया।

तथापि म नि आ नि मामले का निराकरण करने और दी गई राशि की वसूली करने में विफल रहा, न ही वे संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था कर सके, जैसा कि फरवरी 1994 में क व इ द्वारा सुझाव दिया गया था।

इस प्रकार म नि आ नि द्वारा भंडारों के त्रुटिपूर्ण निरीक्षण के कारण, फर्म 'आई एस आई' के विनिर्देशनों के असदृश्य, अवस्तरीय भंडारों की आपूर्ति करने में सफल रही, परिणामस्वरूप 5.83 लाख रू का निष्फल व्यय हुआ।

मामला नवम्बर 1994 में मंत्रालय को भेजा गया था तथा उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1994)।

6.4 तम्बुओं की खरीद पर परिहार्य व्यय

सेना के लिए 9110 तम्बुओं की आपूर्ति के लिए महानिदेशालय आपूर्ति एवं निपटान (म नि आ नि) ने दिसम्बर 1990 में निविदायें आमंत्रित की। आपूर्ति मई 1991 तक पूरी की जानी थी।

निविदायें 21 जनवरी 1991 को खोली गई थी तथा इस आधार पर कि मई 1991 के बाद लम्बी सुपुर्दगी अवधि निविदा दाताओं को उपयुक्त नहीं होगी, फर्म 'क' तथा फर्म 'ख' की पहली तथा दूसरी न्यूनतम पेशकशों की उपेक्षा करते हुये मार्च 1991 में, म नि आ नि ने मई/जून 1991 तक आपूर्तियों को पूरा करने के लिए प्रति तम्बू 1757 तथा 1838 रू (बिक्री कर रहित) के बीच की दरों पर फर्म ग, घ, इ. तथा च, को आदेश वितरित कर दिये।

फर्म 'क' तथा 'ख' जो कि पंजीकृत थी तथा पूर्व आपूर्तिकर्ता थी तथा प्रतिमाह 750 तथा 400 तम्बू आपूर्ति करने की क्षमता रखती थी तथा उनकी निविदायें अन्यथा स्वीकार्य थी, ने बिक्री कर के अतिरिक्त 1640 रू तथा 1690 रू प्रति इकाई की दर पर औपचारिक आदेश की प्राप्ति के एक माह बाद/पांच माह या और पहले आपूर्ति प्रारम्भ करना प्रस्तावित किया था।

उनकी प्रस्तुत दरों तथा आपूर्ति सूची के आधार पर म नि आ नि फर्म 'ग' 'घ' तथा 'इ' द्वारा आपूर्ति करने के लिए 6410 इकाईयों की शेष मात्रा को छोड़ते हुये 2700 इकाईयां फर्म

'क' तथा 'ख' से उनके द्वारा उद्धृत सस्ती दरों पर खरीद सकता था परिणामस्वरूप 4.89 लाख रू की बचत हुई होती।

आपूर्तियां फर्म ग घ इ. तथा च द्वारा सुपुर्दगी अवधि में पूरी की गई थी।

इस प्रकार लम्बी सुपुर्दगी अवधि के आधार पर फर्म 'क' तथा 'ख' की पेशकश की उपेक्षा करते हुये मांग के पूरा करने पर म नि आ नि ने 4.89 लाख रू की अतिरिक्त लागत लगाई।

मामला जुलाई 1994 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 1994)।

अध्याय VII

विदेश मंत्रालय

7.1 न्यूयार्क में स्थायी मिशन के लिए भवन

7.1.1 प्रस्तावना

जून 1980 में, 990,000 यू एस \$ की लागत से मिड-मैनहटन, न्यूयार्क में 610 वर्ग मीटर माप का एक भूखण्ड खरीदा गया था। यह एक भवन के निर्माण के अभिप्राय से किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (भा स्था मि) तथा भारत के महा वाणिज्य-दूतावास (भा म वा) न्यूयार्क, के कार्यालय और आवास की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

7.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा में परियोजना से सम्बन्धित न्यूयार्क में भा स्था मि के अभिलेखों की, विलम्ब और लागत वृद्धि में सहायक होने वाले कारकों की जांच करने के लिए नमूना जांच की गई थी।

7.1.3 विशिष्टताएं

- उनके अपने मानदण्ड के अनुसार, सरकार ने परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं माना था। इसके बावजूद उन्होंने परियोजना को चालू रखा, परिणामस्वरूप जब राष्ट्र गम्भीर विदेशी मुद्रा संकट के अन्तर्गत लड़खड़ा रहा था, उस अवधि के दौरान भारी विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन हुआ।
- परियोजना का कार्यान्वयन, विलम्बों के सिलसिले और लागत वृद्धि से आक्रान्त हुआ था। परियोजना की लागत 5.3 मिलियन यू एस डालर प्रत्याशित थी (1981), जो 5 गुणा से अधिक लागत (27 मिलियन यू एस डालर) से जनवरी 1993 में पूरी हुई थी।
- अर्थापत्तियों का पूरी तरह अध्ययन किये तथा समझे बिना ही एक भारतीय वास्तुकार को नियुक्त करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हुआ तथा परिणामी लागत वृद्धि हुई।

- किसी उत्कृष्ट ठेकेदार को टर्न की के आधार पर संविदा प्रदान करने की बजाय 'निर्माण प्रबंधन' प्रणाली को ग्रहण करने के परिणामस्वरूप द्रुत निष्पादन के कोई लाभ उठाये बिना परियोजना का समापन अनिश्चित हो गया; भारी लागत वृद्धि प्रायः इनबिल्ट तथा अपरिहार्य थी।
- निर्माण प्रबंध प्रणाली के चयन के बावजूद, परिवर्तनों और लागत प्राक्कलनों हेतु प्रस्तावों की जांच करने के लिए न्यूयार्क में किसी तकनीकी कार्मिक की तैनाती नहीं की गई थी।
- लागत वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण प्रकट करता कि प्राक्कलनों और डिजाइनों को तैयार करते समय स्थानीय परिस्थितियों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था तथा यद्यपि परियोजना पहले ही बजटीय प्राक्कलनों का अतिक्रमण कर चुकी थी, मितव्ययता के महत्व से अधिक 'परिवेश की श्रेष्ठता' को प्राथमिकता दी गई थी।
- वास्तुकार की ओर से गलतियों और चूकों के कारण परिवर्तनों को आरोप्य अतिरिक्त लागत की पूरी वसूली करके लोकहित का संरक्षण नहीं किया जा सका। तकनीकी विशेषज्ञता और मिशन द्वारा पर्यवेक्षण के अभाव को अवश्य उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये।

7.1.4 आर्थिक औचित्य

विदेश मंत्रालय (वि मं) के 1978 के मार्ग निर्देशों के अनुसार, आर्थिक व्यवहार्यता का सुनिश्चय करने में आवर्ती किराया व्यय की तुलना में सम्पत्ति को अर्जित करने/निर्माण करने की पूंजीगत लागत का साम्य करना एक महत्वपूर्ण विचार है। विदेश में मिशनों के लिए सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की नीति की घोषणा करते समय (1978), वि मं ने भी ऐसे मूल्यांकन के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश प्रतिपादित किये थे। साथ साथ, वि मं ने जोर दिया था कि उनके अनुभव ने दर्शाया था कि कुछ अपवादों के साथ, भवनों के निर्माण की बजाय निर्मित सम्पत्ति का खरीदना अधिक किफायती और लाभकारी होगा।

भारतीय दूतावास, वांशिगटन की एकीकृत वित्त इकाई द्वारा 1981 में न्यूयार्क में भवन की आर्थिक व्यवहार्यता को आंकने के लिए एक प्रयोग किया गया था। वार्षिक किराया लागतों के प्राक्कलनों, स्वामित्व में रखे गये भवनों के अनुरक्षण व्यय, किरायों में वार्षिक वृद्धि, मुद्रास्फीति दर को हिसाब में लेकर, जैसा कि वि मं के 1978 के अनुदेशों में विचारा गया था, प्रक्षेपित आवश्यकताओं के उपयुक्त भवन की किफायती लागत 2.297 मिलियन यू एस डालर परिकलित होती थी। क्योंकि निर्माण की अनुमानित लागत 5.315 मिलियन यू एस डालर थी, परियोजना को व्यवहार्य नहीं माना गया था। राजदूत के अनुरोध पर, एकीकृत वित्त इकाई द्वारा विश्लेषण,

मिशन द्वारा वि मं को अग्रेषित कर दिया था। इस पर भी सरकार ने अंततः परियोजना चलाये रखी।

भवन की अंतिम लागत 27 मिलियन यू एस डालर से उपर बढ़ जाने के कारण, परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता और अधिक संदिग्ध हो जायेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी मुद्रा का ऐसा भारी बहिर्गमन 1989 से 1992 के वर्षों के दौरान हुआ था, जब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाते हुए, राष्ट्र विदेशी मुद्रा के गम्भीरतम संकट का सामना कर रहा था, अर्थव्यवस्था की वास्तविक लागत, सरकारी दर से जारी 27 मिलियन यू एस डालर से काफी अधिक होगी।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये अभिलेख यह प्रकट नहीं करते हैं, कि निर्माण के विकल्प अपनाने से पूर्व, निर्मित सम्पत्ति को खरीदने के स्थानापन्न विकल्प, सरकार के वरीय विकल्प की विस्तृत छानबीन अथवा जांच पड़ताल की गई थी।

7.1.5 विलम्ब और लागत वृद्धि

7.1.5.1 इस परियोजना की घटनाओं का कालक्रम, विलम्बों के सिलसिले और संचित लागत वृद्धि में प्रकरण अध्ययन हेतु सामग्री उपलब्ध कराता है। वि मं ने अप्रैल 1976 में, सम्पत्ति को अर्जित करने के सम्बन्ध में प्रस्तावों के साथ आने के लिए सभी विदेशी मिशनों को निमंत्रित किया था। न्यूयार्क में महा वाणिज्य दूतावास ने मार्च 1980 में भूमि की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की। भवनों के निर्माण हेतु सरकार ने मई 1981 में अनुमोदन प्रदान किया था। वि मं. से एक उच्च स्तरीय सम्पत्ति दल ने मार्च 1982 में न्यूयार्क का दौरा किया। परियोजना के निर्माण के लिए भारतीय वास्तुकारों के पंजीयन हेतु नोटिस का विज्ञापन सितम्बर 1982 में दिया गया था।

सोलह महीनों बाद जनवरी 1984 में परियोजना एक भारतीय वास्तुकार फर्म को प्रस्तावित की गई थी। फर्म ने जुलाई 1984 में अपनी संकल्पना रिपोर्ट प्रस्तुत की। फर्म के साथ, सलाहकार और निर्माण प्रबंधक के रूप में उन्हें नियुक्त करते हुए, अठारह महीने बाद जनवरी 1986 में एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये गये थे। अपने साझेदारों और एक अलग निर्माण प्रबंधक के रूप में न्यूयार्क स्थित वास्तुकारों की एक पंजीकृत फर्म की नियुक्ति का विचार करते हुए सत्रह माह बाद (जून 1987) फर्म एक संशोधित रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुई। परियोजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन मई 1988 में प्राप्त किया गया था।

संशोधित अनुबन्ध पर भारतीय वास्तुकार फर्म और न्यूयार्क में उनके साझेदारों तथा निर्माण प्रबंधक के साथ क्रमशः सितम्बर और दिसम्बर 1988 में हस्ताक्षर किये गये थे। निर्माण जून 1989 में प्रारम्भ हुआ था तथा जनवरी 1991 तक पूरा होना संभावित था। निर्माण कार्य

अन्ततः जनवरी 1993 में ही पूरा हुआ था। प्रक्रिया में परियोजना, जिसकी 1981 में 5.315 मिलियन यू एस डालर लागत की प्रत्याशा थी, 5 गुणा से अधिक लागत: 27 मिलियन यू एस डालर पर पूरी हुई थी।

विभिन्न स्तरों पर विलम्ब तथा अत्यधिक लागत वृद्धि की ओर अग्रसर करने वाले कारकों की लेखा परीक्षा जांच ने परियोजना की योजना और निष्पादन में बहुत सी विफलताएं प्रकट की, जिनकी आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई थी।

7.1.5.2 संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के समीप स्थित होने के बावजूद उद्देश्य हेतु खरीदा गया भूखण्ड विषम आकार का अर्थात् 200 फुट लम्बा था और एक ओर से अत्यधिक तंग 25 फुट और दूसरी ओर से 41 फुट था। वास्तव में, वि.मं.से अतिरिक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय दल, जिसने एक वास्तुकार के चयन हेतु मार्च 1982 में न्यूयार्क का दौरा किया, भूखण्ड के आकार और आकृति से असंतुष्ट था तथा अनुशंसा की कि किसी वैकल्पिक भूखण्ड के पाये जाने तक किसी वास्तुकार का चयन आवश्यक नहीं था। प्रारम्भ से ही समस्याओं और विलम्बों के संकेत थे।

7.1.5.3 सरकार ने इस वायदे पर एक भारतीय फर्म को वास्तुकार, सलाहकार और निर्माण प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया (जनवरी 1984) कि स्थानीय प्राधिकारियों से सीमित अनुमति के साथ फर्म न्यूयार्क में योजना का निष्पादन कर सकती थी। वे इसे विचारार्थ लेने में विफल रहे कि गैरस्थानीय वास्तुकार के मामले में परियोजना के निष्पादन में स्थानीय बीमा नियम व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। इसके बाद एक स्थानीय वास्तुकार को भारतीय वास्तुकार फर्म का साझीदार बनाने में, काफी समय नष्ट किया गया था, ताकि वह साझीदार के रूप में, जिसे 'अभिलेख में वास्तुकार' भी कहा गया, को नियुक्त कर सके। इसने जुलाई 1984 से सितम्बर 1988 तक परियोजना की प्रगति को धक्का पहुंचाया।

इसके अतिरिक्त, इसने बाद में (दिसम्बर 1988) एक अन्य फर्म को निर्माण प्रबंधक के रूप में लगाया परिणामस्वरूप इस पर, अतिरिक्त भुगतान (673396 डालर) हुआ। चूंकि स्थानीय वास्तुकार, भारतीय वास्तुकार फर्म का साझीदार था, सरकार का उसके चयन में कोई अधिकार नहीं था। विडम्बना से सरकार द्वारा आरम्भ में विचार किये गये अनुसार, स्थानीय वास्तुकार फर्म अग्रगण्य फर्म नहीं थी। निर्माण प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद, फर्म, के समक्ष वित्तीय समस्याएं उठनी प्रारम्भ हो गईं तथा परियोजना के लिए उनका योगदान नगण्य हो गया, इससे परियोजना में आगे और विलम्ब हुआ।

अपने उत्तर में (जुलाई 1994), मंत्रालय ने स्वीकार किया कि गैर स्थानीय वास्तुकार को नियुक्त करने की पूरी उलझनों का उन्हें बाद में पता लगा और तब तक भारतीय वास्तुकार काफी कार्य कर चुका था, एक स्थानीय वास्तुकार को अभिलेख में वास्तुकार के रूप में नियुक्त

करने के सिवाय उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उत्तर युक्तिसंगत नहीं है। इतने महत्व की योजना को आरम्भ करने से पूर्व एक गैर स्थानीय वास्तुकार को नियुक्त करने की सभी उलझनों का सरकार सुनिश्चय कर सकती थी।

7.1.6 अनिश्चित समापन प्रबंधन प्रणाली

7.1.6.1 सरकार ने, विस्तृत तकनीकी विनिर्देशनों अर्थात् उत्कृष्ट ठेकेदार प्रणाली का दृढ़ता से सुनिश्चय करने के बाद किसी ठेकेदार को टर्न-की के आधार पर समस्त संविदा प्रदान करने की बजाय 'फास्ट ट्रैक प्रणाली' के साथ 'निर्माण प्रबंधन प्रणाली' के माध्यम से परियोजना के निष्पादन का चुनाव किया। लेखापरीक्षा किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह चुनाव करने से पहले दो अभिगमों की लागत लाभ तुलना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप वास्तुकार को सलाहकार के रूप में माना गया तथा ठेकेदार एक निर्माण प्रबंधक के रूप में कार्यका पर्यवेक्षण करता रहा और भा स्था मि के माध्यम से सरकार परियोजना के निष्पादन हेतु सतत रूप से उत्तरदायी बनी रही। इसके परिणामस्वरूप आगे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें अपरिहार्य और सहवर्ती विलम्ब तथा लागत वृद्धियों के साथ डिजाइन और अन्य विनिर्देशनों में बारम्बार परिवर्तन हुए।

जबकि मंत्रालय ने अपने प्रत्युत्तर में निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारी संख्या में हुए परिवर्तनों को इन आधारों पर तर्कसंगत ठहराने का प्रयत्न किया कि वे सौन्दर्यपरक महत्व इत्यादि पर स्थानीय उपनियमों के कारण आवश्यक थे, तथापि तथ्य यह रहता है कि चुने गये अभिगम के अन्तर्गत समय अवधि अथवा लागत प्राक्कलन पर नियंत्रण रखना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनों के बाहुल्य और खण्डशः प्रकृति ने भी सरकार के लिए समस्त परियोजना पर उनके समग्र वित्तीय प्रभाव और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता को कठिन बना दिया। यदि प्रारम्भ में ही सभी स्थानीय कानूनी और जलवायु सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया होता, सरकार भली भाँति परियोजना की व्यवहार्यता का पुनः सम्बन्ध जोड़ सकती थी, जिसने अत्यंत प्रारम्भ से इस औचित्य को पूरा नहीं किया।

7.1.6.2 यद्यपि, सरकार ने निर्माण प्रबंधन प्रणाली चलाने का निर्णय किया, उन्होंने परियोजना के निष्पादन के दौरान भा स्था मि में प्रथम सचिव (परियोजना) के रूप में एक गैर तकनीकी पेशे वाले राजनयिक को तैनात किया। डिजाइनों और विनिर्देशनों में बाहुल्य और खण्डशः परिवर्तनों के प्रबोधन, प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए उसका योगदान, समुचित अभिरूचि और अनुभव की कमी द्वारा स्पष्टतः सीमित रहा होगा।

वस्तुतः परिवर्तन आदेशों के वित्तीय प्राक्कलनों की जांच एवं मूल्यांकन तथा उप-ठेकेदारों को भुगतानों में भा स्था मि की भूमि का यह सुनिश्चित करने तक सीमित थी कि क्या

इन्हें निर्माण प्रबंधक और वास्तुकार द्वारा यथाविधि प्रमाणित कर दिया था। टर्न-की संविदा में ज्यादा बेहतर ऐसा प्रशासकीय पर्यवेक्षण परियोजना के व्यय पर नियंत्रण की कमी का सूचक है।

7.1.7 फर्शी क्षेत्र अनुपात

परियोजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन इस प्रत्याशा के साथ प्राप्त किया गया था कि फर्शी क्षेत्र अनुपात (फ क्षेत्र अ) 12 होगा। इस प्रकार इस भूखण्ड पर भा स्था मि कार्यालय, 41 आवास और 27 कारों के लिए कार पार्किंग बनाई जाएगी। तथापि, भवन का 10 फ क्षेत्र अ के साथ निर्माण किया गया था क्योंकि सरकार स्थानीय प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन हेतु आवेदन करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप 19 आवास और 16 कार पार्किंग स्टॉलों की कमी हुई। मंत्रालय ने बताया कि 12 के फ क्षेत्र अ हेतु प्रस्ताव त्याग दिया गया था, क्योंकि अनुमोदन प्राप्त करने में इसने एक वर्ष से अधिक ले लिया होता। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सरकार के पास 1984 और 1988 के बीच काफी समय था।

7.1.8 तनुकृत सांस्कृतिक अद्वितीयता

एक महत्वपूर्ण विचार जिसने भारतीय वास्तुकार के चयन की ओर प्रेरित किया, उस द्वारा प्रस्तुत की गयी भवन की मुख्य विषय वस्तु थी। यह विषय वस्तु तंजौर तथा अन्य भारतीय मंदिरों में 1000 स्तम्भों के हाल में पाये गये पत्थर के स्तम्भों पर आधारित थी तथा दो गलियों के साथ, अग्रभाग को उपर उभारना था, जहां से भवन में प्रवेश किया जा सकता था। 44वीं गली में प्रदर्शनी द्वार के लिए, विषयवस्तु को बिना पॉलिस किये हुए ग्रेनाइट के स्तम्भों में मूर्त रूप दिया जाना था; 43 वीं गली में, पॉलिशकिये हुए ग्रेनाइट के ढांचे में प्रतिबिम्बित शीशे के स्तम्भों के प्रतिवर्तित बिम्ब को चांसरी और आवास के प्रवेश को प्रकट करना था। आगे, इन स्तम्भों की विषय वस्तु प्रवेश स्तरों में भी जारी रहनी थी, जिसे कि प्रतिबिम्बित शीशों की सहायता से 1000 स्तम्भों के बिम्ब उत्पन्न करते हुए बहुगुणे बिम्ब स्थापन करने थे। यह वास्तुशिल्पीय संकल्पना, जिसके आधार पर, भारतीय वास्तुकार को संविदा प्रदान की गई थी, पूर्णतया परिवर्तित हो गई तथा अंतिम संकल्पना, जैसी कि भारतीय वास्तुकार द्वारा किये गये संशोधनों के बाद रही किसी भी मूल डिजाइन संकल्पनाओं का समावेश नहीं करती थी, अतः यह संदिग्ध था कि एक भारतीय वास्तुकार के माध्यम से भवन का निर्माण कराने, जिससे निर्माण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ और अत्यधिक लागत वहन की गई में, क्या कोई महत्वपूर्ण गैर मौद्रिक लाभ प्राप्त किया गया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 1994) कि भवन में अद्वितीय वास्तुशिल्पीय विशेषताएं जैसे शेखावाही द्वारा, मण्डप शलाखाएं, भारतीय पौराणिकी से ली गयी विशिष्ट संरचनात्मक आकृतियां

और स्तम्भों का प्रयोग थी। यह संदेहास्पद है कि क्या यह तनुकृत सांस्कृतिक अद्वितीयता, एक भारतीय वास्तुकार को नियुक्त करने की अतिरिक्त लागत का प्रतितुलन करती है।

7.1.9 लागत वृद्धि का सूक्ष्म विश्लेषण

व्यवसाय लागत अर्थात् विभिन्न उप संविदाओं जैसे पत्थर के कार्य, राजगीरी, लकड़ी के कार्य आदि के लिए विशिष्ट उप ठेकेदारों द्वारा प्रदान की गई सामग्री और मजदूरी की लागत किसी निर्माण परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक होती है। निर्माण प्रारम्भ करने के समय पर निर्माण प्रबन्धक द्वारा तैयार किये गये बजट प्राक्कलनों में विभिन्न व्यवसायों पर 15,212,825 यू एस डालर की राशि का विचार किया गया था। मई 1993 तक इस पर 18,606,823 यू एस डालर तक व्यय हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण वृद्धियां निम्नलिखित व्यवसायों के लिए दृष्टिगोचर हुई थीं:

- (i) ईंटों की विवर दीवार से धातु फलक आवरण दीवार में डिजाइन के परिवर्तन के कारण 305,000 यू एस डालर की अतिरिक्त राशि खर्च की गई थी। दूसरे का चुनाव, इसकी उत्कृष्ट अनुरक्षण विशिष्टता और वातावरणीय अपकर्ष के प्रतिवृहत प्रतिस्कंदन होने के कारण किया गया था।
- (ii) लाल गोलाकार पत्थर से ग्रेनाइट में परिवर्तन से 220,000 यू एस डालर का अतिरिक्त व्यय हुआ था, क्योंकि प्रथम जो कि भारतीय वास्तुकार द्वारा चुना गया था, न्यूयार्क के वातावरण का सामना करने में सक्षम नहीं हुआ होता।
- (iii) अतिरिक्त लकड़ी के काम पर 612,000 यू एस डालर की अतिरिक्त राशि खर्च की गई थी। सरकार ने इसे इस आधार पर तर्कसंगत ठहराया कि मूल डिजाइन में अल्पतम लकड़ी के काम का प्रावधान था तथा संवर्धन सौन्दर्यपरक विचार पर आन्तरिक सज्जाकार की अनुशंसाओं पर किये गये थे।
- (iv) उत्कृष्ट जुड़नारों और कतिपय डिजाइन परिवर्तनों द्वारा मानक के बदलाव जैसे कारकों के कारण विद्युतीय कार्यों पर 842,000 यू एस डालर का अतिरिक्त व्यय किया गया था। इसमें ऊपरी खर्चों और लाभ प्रभारों के लिए पहले से ही संस्थापित विद्युतीय जुड़नारों के अपमार्जन हेतु फर्म द्वारा प्रभारित 11,071 यू एस डालर की राशि शामिल थी।

यह निर्देश सूची यह इंगित करती है कि प्राक्कलन एवं डिजाइन तैयार करते समय स्थानीय परिस्थितियों पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया था। यह इस बात को भी प्रकट करती है कि मितव्ययता के विचार से अधिक 'परिवेश की श्रेष्ठता' को वरीयता दी गई थी, यद्यपि परियोजना पहले ही बजटीय प्राक्कलनों का अतिक्रमण कर चुकी थी।

7.1.10 गलती और चूक परिवर्तनों के लिए देयता

परियोजना के निर्माण हेतु वास्तुशिल्पीय और अभियांत्रिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिलेख में वास्तुकार के साथ किये गये अनुबंध के अनुच्छेद 17 के अनुसार, 'वास्तुकार को अपने अथवा अपने सलाहकारों के कार्य के किसी भाग का अपनी लागत पर पुनः डिजाइन करना चाहिये जो अपनी कुशलता की एक तर्कसंगत मात्रा को प्रयोग में लाने में उसकी परामर्श विफलता के कारण, प्रभावित कार्य के भाग को नियमित प्रयोग में लाने के आरम्भ होने की तारीख के एक वर्ष के भीतर वैकल्पिक सिद्ध होगी। सम्पत्ति स्वामी, त्रुटिपूर्ण होने का दावा किये गये कार्य के उन भागों को निरीक्षण हेतु वास्तुकार को अभिगम का अधिकार प्रदान करेगा।'

जब निर्माण कार्य निष्पादन अधीन था, गलतियों और चूकों के कारण 268, 442 यू एस डालर की राशि को अन्तर्ग्रस्त करते हुए निर्माण प्रबंधक ने नवम्बर 1990 और जून 1993 के बीच जारी किये गये 46 परिवर्तन आदेशों की एक सूची जुलाई 1992 में दी। मिशन ने इन परिवर्तन आदेशों का विश्लेषण किया तथा फर्म को 196,848 यू एस डालर की राशि का पश्च प्रभारों के रूप में समायोजन करने का निदेश दिया, जो कि वास्तुशिल्पीय गलतियों व चूकों के परिणामस्वरूप हुए थे। फर्म ने विभिन्न आधारों को शामिल करते हुए देयता को स्वीकार नहीं किया कि प्रारंभिक बातचीत के दौरान परियोजना का क्षेत्र एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया था, कि वे इस बात से अवगत नहीं थे कि बाद में नियुक्त आंतरिक सज्जाकार उन द्वारा उल्लिखित उत्पादों को स्वीकार नहीं करेंगे, कि परियोजना पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि के 16 महीने बाद तक चलेगी। परिवर्तनों और वृद्धियों की संख्या को उन्होंने स्वामी द्वारा स्थानीय भवन प्रक्रिया की समझ के अभाव तथा उसकी अनिर्णयता पर भी आरोपित किया (अक्टूबर 1992)।

अंततः फर्म ने केवल 47,089 यू एस डालर की देयता स्वीकार की, शेष सरकार द्वारा वहन करनी पड़ी। भा.स्था.मि, न्यूयार्क ने, अपर्याप्त प्रलेखन, कार्मिकों के परिवर्तन और सभी इनपुटों की, जो इन परिवर्तन आदेशों से प्रभावित हुए, कल्पना करने में मिशनों में गैर-तकनीकी व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों जैसे कारकों का निर्णायक रूप से फर्म की देयता सिद्ध करने में अपनी असमर्थता मानी।

यह न्यूयार्क में कार्यालय द्वारा खराब प्रबोधन और पर्यवेक्षण का सूचक है, परिणामस्वरूप गलतियों और चूकों के कारण परिवर्तन आदेशों के लिए सरकार को लगभग समस्त देयता स्वीकार करनी पड़ी, जो कि आमतौर से निर्माण प्रबंधक के रूप में किसी एक वास्तुकार द्वारा वहन की जानी थी।

7.1.11 बढी हुई व्यवसाय लागत और अन्य लागतों पर विलम्ब का प्रभाव

व्यवसाय लागतों में वृद्धि और परियोजना के पूरा होने में लिए गए समय के परिणामस्वरूप सामान्य परिस्थिति लागत 1,964,000 यू. एस. डालर से यथेष्ट रूप से बढ़ कर 4,590,749 यू. एस. डालर हो गई। पहले मामले में, परिणामस्वरूप भारतीय वास्तुकार, अभिलेख में वास्तुकार और निर्माण प्रबंधक को बढ़े हुए भुगतान भी करने पड़े, चूंकि उनके भुगतानों का निर्धारण कुल लागत की प्रतिशतता के रूप में किया गया था। इस पर कुल अतिरिक्त व्यय 475,907 यू. एस. डालर था। लागत वृद्धि और परियोजना की लम्बी अवधि के कारण 85,075 यू. एस. डालर की सकल राशि बीमें पर भी खर्च करनी पड़ी थी।

7.1.12 पेशगी भुगतान/धरोहर निक्षेप की गैर वसूली

यद्यपि, निर्माण कार्य जनवरी 1993 में सम्पन्न हो गया था, निर्माण प्रबंधक के लिए कुल 2,00,000 यू. एस. डालर में से, 1,25,000 यू. एस. डालर की राशि का अभी समायोजन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, एक क्षेत्रीय कार्यालय किराये पर लेने के लिए धरोहर निक्षेप के रूप में निर्माण प्रबंधक को दी गई 800 यू. एस. डालर की राशि की भी अभी वसूली नहीं की गई थी।

7.1.13 संक्षेप

न्यूयार्क में, सरकार की मिड मनहैटन निर्माण परियोजना, इसके लिए विनियोजित दुर्लभ विदेशी मुद्रा संसाधन, इससे उपार्जित लाभों के अनुरूप न होने के कारण, लागत मूलक नहीं थी। निर्माण प्रबंध प्रणाली की तथाकथित तीव्रगामी प्रणाली को ग्रहण करते हुए और साथ साथ परिवेश की श्रेष्ठता को मितव्ययता पर अग्रता प्रदान करते हुए, एक भारतीय वास्तुकार को भागीदार बनाने के सरकार के निर्णय ने विलम्बों और तीव्र लागत वृद्धि में सहयोग दिया। मूल रूप से 5.3 मिलियन यू. एस. डालर की अनुमानित लागत से 5 गुणा से अधिक पर परियोजना का समापन, परियोजना को, जिसे मूल प्राक्कलन के स्तर पर भी वित्तीय रूप से अव्यवहार्य विचारा गया था, चालू रखने के वित्तीय विवेक के बारे में गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

7.2 अभियांत्रिकी ड्राइंगों पर अप्राधिकृत व्यय - लन्दन

लंदन में 1988 में 0.45 लाख पौंड (12.05 लाख रु) की लागत पर पट्टे पर लिए हुए एक उपभवन को, सरकार की वित्तीय संस्वीकृति लिए बिना गिराने के बारे में भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) -1991 की संख्या 1 के पैरा 29.5 में उल्लेख किया गया था।

अभिलेखों की आगे की संवीक्षा से पता चला था कि उच्च आयोग ने गिराये गए उपभवन के स्थल पर निर्मित किए जाने वाले भवन हेतु वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक आरेखणों के लिए

भी अभियांत्रिकी की एक फर्म के साथ समझौता किया था जो मुख्य भवन के लिए नियुक्त की गई थी। 1986 से 1989 के दौरान, अभियंताओं ने आरेखण तैयार किये तथा 64,683 पौंड का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, अब तक तैयार किये गये आरेखणों के लिए उन्हें 72,409 पौंड की राशि देय थी। इसके साथ ही, आरेखणों की जांच तथा योजना बनाने के शुल्क के लिए जुलाई 1988 में 2654 पौंड का व्यय भी किया गया था। तथापि, उच्च आयोग ने उपभवन के भवन स्थल के आरेखण तैयार करने के अतिरिक्त कार्य के सौंपने तथा अभियंताओं को शुल्कों के भुगतान के लिए न तो अनुमोदन, न ही मंत्रालय से वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त की थी। इसके साथ ही तकनीकी अनुमान भी तैयार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे।

वैस्टमिनिस्टर काउंसिल द्वारा योजना अनुमति फरवरी 1988 तथा मार्च 1989 में दी गई थी, जो कि भूतल, प्रथम तल, तथा रिहायशी उद्देश्य से ऊपर के पांच तलों से समाविष्ट भवन के निर्माण के लिए, पांच वर्ष तक वैध थी।

मंत्रालय ने उच्चायोग के अनुरोध के प्रत्युत्तर में, विस्तृत आरेखण तैयार करने, जिला सर्वेक्षक से जांच कराने तथा मात्रा सर्वेक्षक से लागत अनुमान प्राप्त करने के लिए, इस शर्त के अधीन कि कोई व्यय नहीं किया जायेगा, प्रस्ताव का सिद्धांतरूप से अनुमोदन कर दिया (सितम्बर 1989)। सम्भावित व्यय के मामले में मिशन को वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने दिसम्बर 1989 में इस मामले में आगे कार्यवाही करने में सक्षम बनाने के लिए, वास्तुशिल्पीय तथा संरचनात्मक अभियंताओं की विभिन्न फर्मों से कम से कम 3 उद्धरण प्राप्त करने तथा भेजने के लिए उच्चायोग को निर्देश दिए। मंत्रालय की संस्वीकृति के बिना निर्माण कार्य के लिए अभियंताओं को पहले ही अनुबंधित करने तथा भुगतान करने पर उच्च आयोग ने फिर अभियंताओं को आरेखणों का काम रोक देने का निर्देश दिया था तथा मार्च 1990 में मंत्रालय को सूचित किया कि क्योंकि उसने अभियंताओं को मुख्य भवन तथा उपभवन के लिए नियुक्त कर लिया था, नए उद्धरण आमंत्रित करने से पूर्व, इन नियुक्तियों को निरस्त करना अनिवार्य होगा। मई 1993 में उच्च आयोग ने पुनः सूचित किया कि आरेखणों का बड़ा भाग अभियंताओं द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका था तथा अनुरोध किया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हीं अभियंताओं को अनुमति दी जाए।

इस मामले में मंत्रालय का निर्णय अभी प्रतीक्षित था (अगस्त 1994)।

इस प्रकार, तकनीकी अनुमानों की तैयारी तथा मंत्रालय के पूर्व वित्तीय अनुमोदन के बिना कार्य के सौंपने के फलस्वरूप, 72,409 पौंड के बिना चुकाये दायित्व के अतिरिक्त 67,337 पौंड (18.03 लाख रु के बराबर) की राशि का पिछले 6 से 8 वर्षों के लिए अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को जून 1994 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1994)।

7.3 पारपत्र कार्यालय - बम्बई में निष्क्रिय और दोषपूर्ण संचालित कम्प्यूटर सुविधा

जनता को कुशल और दोष रहित सेवाएं प्रदान करने तथा उसी के साथ सभी अपेक्षित सुरक्षा मानदण्डों की अनुपालना करने के उद्देश्य से, विदेश मंत्रालय ने वर्ष 1986 में देश में महत्वपूर्ण पारपत्र कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य हाथ में लिया।

तदनुसार, क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय बम्बई को जून 1987 में 9.78 लाख रू की लागत से एक कम्प्यूटर प्रदान कराया गया। जनवरी 1990 तक कम्प्यूटर की लेखन सामग्री पर 1.96 लाख रू खर्च किये गये थे। वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक अनुरक्षण के लिए प्रति वर्ष 0.98 लाख रू में एक फर्म के साथ एक अनुबन्ध भी किया गया था। परिसर को तैयार करने, कम्प्यूटर फर्नीचर तथा कम्प्यूटर कक्ष में नौ वातानुकूलकों की संस्थापना पर 4.62 लाख रू का व्यय किया गया था। तथापि, अगस्त 1989 के बाद कम्प्यूटर प्रणाली की मरम्मत आदि तथा वातानुकूलकों की मरम्मत और रख रखाव नहीं किया गया था। कम्प्यूटर की लेखन सामग्री की आपूर्ति भी बन्द कर दी गई थी। इनके लिए बताया गया कारण दातव्यों का गैर भुगतान था।

इस प्रकार से, क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, बम्बई को कम्प्यूटर कक्ष को बन्द करना पड़ा था तथा जुलाई 1990 से समस्त प्रणाली निष्क्रिय पड़ी है। के लो नि वि ने भी उनके बिलों के गैर भुगतान के कारण कम्प्यूटर कक्ष का रख-रखाव हाथ में नहीं लिया था।

विभाग ने भी चार वर्षों के लिए जारी किये गये पारपत्रों के एक राष्ट्रीय बैंक के निर्माण हेतु 3.35 लाख रू की राशि खर्च की थी, परन्तु अशुद्धियों के अधिक होने के कारण, इसे उपयोग में नहीं लाया गया था।

कम्प्यूटर प्रणाली के असंचालनात्मक रहने के कारण, क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, बम्बई ने कम्प्यूटरों द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित कार्य को करने के लिए नियमित रूप से आकस्मिक मजदूरों को किराये पर लिया। 1989-93 के दौरान, आकस्मिक मजदूरी पर व्यय 6.03 लाख रू हुआ था।

समुचित समन्वय तथा समय पर अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव के कारण आकस्मिक मजदूरी पर परिहार्य व्यय के अतिरिक्त, प्रणाली पर 20.69 लाख रू का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि जून 1987 में संस्थापित कम्प्यूटर प्रणाली अप्रयुक्त रही थी।

मामला जुलाई 1994 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1994)।

7.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उनके सदन में पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही, उनमें उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों की लेखा परीक्षा द्वारा भली भांति जांच किये जाने पर, उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दशति हुए, उन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1982)।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुई अवधि तक विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा से प्रकट हुआ कि बारम्बार अनुदेशों के बावजूद मंत्रालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं (दिसम्बर 1994)।

तालिका 7.4: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या और वर्ष | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 1993 की सं. 1 | 6.3 | राजदूत निवास की खरीद |
| - उपरोक्त - | 6.7 | आवासीय स्थान को अनियमित रूप से किराये पर लिया जाना |
| 1994 की सं 1 | 6.2 | भूमि खरीद पर निधियों का अवरोधन |
| -उपरोक्त- | 6.3 | वारसा में आवश्यकता से अधिक भूमि की खरीद |
| -उपरोक्त- | 6.6 | होटल आवास का परिहार्य किराये पर लेना |
| -उपरोक्त- | 6.8 | जोखिम खरीद का अप्रवर्तन |
| -उपरोक्त- | 6.12 | परिवहन संचालन पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय |
| -उपरोक्त- | 6.13 | काहिरा में सम्पत्ति के लेनदेन में उठाई गई हानियां |

मंत्रालय ने दिसम्बर 1994 में बताया कि शेष कार्यवाही टिप्पणियों को शीघ्र पूरा करने हेतु मंत्रालय ने संबंधित प्रभागों को कहा जा रहा है।

अध्याय VIII

वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग)

8.1 वित्तीय संस्थाओं से बंधपत्रों के लिए गारंटी शुल्क की गैर वसूली

वित्तीय संस्थाओं द्वारा बंधपत्रों को जारी करने हेतु सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने के संबंध में गारंटी शुल्क लगाने के लिए वित्त मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा दिसम्बर 1988 में एक निर्णय लिया गया था। तथापि, सितम्बर 1989 के आगे से प्रभावी 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समान दर से गारंटी शुल्क लगाने के लिए औपचारिक अनुदेश, केवल अप्रैल/मई 1990 में जारी किए गए थे।

(1) मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन के अभिलेखों की एक नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि पांच वित्तीय संस्थाओं के मामले में, बंधपत्रों के जारी करने के लिए सरकारी गारंटियां, जनवरी से जून 1989 के दौरान दी गई थीं। सरकारी फैसले को लागू करने में देरी के कारण, 5.34 करोड़ रु की राशि की गारंटी फीस इन बंधपत्रों के जारी करने की तारीख मार्च 1992 तक की अवधि हेतु उगाही नहीं की जा सकी।

मंत्रालय ने बताया (मई 1992) कि गारंटी फीस लागू करने में प्रारंभिक देरी अनजाने में तथा अपरिहार्य कर्जों से हुई; तथा जैसा कि फैसला प्रथम बार लिया गया था, उपयुक्त कार्यविधि तैयार किए जाने की आवश्यकता थी जो विलम्ब का कारण बनी। मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 1993) कि 21 दिसम्बर 1988 से अगस्त/अक्तूबर 1989 की अवधि हेतु बकाया गारंटी फीस की माफी का प्रस्ताव विचाराधीन था। विलम्ब के अपरिहार्य कारणों को प्रतिपादित नहीं किया गया था।

(2) वित्त मंत्रालय ने आगे सितम्बर 1992 और अप्रैल 1993 में स्पष्टीकरण जारी किया कि पहले ही दी गई गारंटियों के संबंध में भी गारंटी फीस उगाही जायेगी परन्तु वहीं जहां बंध पत्रों द्वारा लिए गए ऋण अभी भी आंशिक रूप से बकाया थे तथा गारंटी फीस, गारंटी वर्ष के आरंभ में बकाया राशि पर संगणित होगी, इस उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष को गारंटी वर्ष के रूप में माना जायेगा। जहां गारंटी फीस का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया गया था, चूंकि अवधि के लिए फीस सामान्य दरों से दुगुने पर प्रभारित की जानी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि मंत्रालय ने, वित्तीय संस्थानों से गारंटी फीस की उगाही के लिए जहां दांडित दरें लागू होती हैं (जहां चूक के मामले में दांडिक दर (दरों)

सहित) अब न तो उचित प्रणाली ही विकसित की और न ही उपयुक्त अभिलेख तैयार किए। छः वित्तीय संस्थानों के अभिलेखों की एक नमूना जांच से यह पता चला कि 31 मार्च 1992 को बकाया गारंटियों के संदर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा की गई गणना अनुसार 1992-93 के दौरान 27.46 करोड़ रु की गारंटी फीस वसूली योग्य थी।

मामला जुलाई 1993 / अक्टूबर 1993 में मंत्रालय को भेजा गया था। आगे मंत्रालय को, 31 मार्च 1993 और 1994 को बकाया गारंटियों और 1993-94 के दौरान वसूली योग्य गारंटी फीस का विवरण भेजने की भी प्रार्थना की गई थी (सितम्बर 1994)। मंत्रालय ने बारम्बार अनुस्मारकों के बावजूद न तो इसका उत्तर ही दिया और न ही वांछनीय आंकड़े ही भेजे (दिसम्बर 1994)।

8.2 निष्क्रिय वातानुकूलित संयंत्र

वित्त मंत्रालय ने, अप्रैल 1988 में भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक के लिए 2.78 करोड़ रु की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय वातानुकूलन तथा 5 एम वी ए क्षमता के मुख्य अभिग्राही केन्द्र (मु अ के) की स्थापना की संस्वीकृति दी। निर्माण को तत्काल पूरा किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

के लो नि वि जिसे प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गए थे द्वारा तैयार किये गए अनुमानों के आधार पर लागत को फरवरी 1989 में 3.90 करोड़ तक संशोधित किया गया। तथापि निर्माण कार्य अक्टूबर 1992 में 3.82 करोड़ रु की लागत पर पूरा हुआ।

अक्टूबर 1992 में के लो नि वि ने भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय को वातानुकूलित संयंत्र तथा मु अ के के अधिग्रहण का अनुरोध किया परन्तु भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय ने उत्तर दिया (फरवरी 1994) कि उन्हें अभी वा संयंत्र के संचालन के लिए मानवशक्ति हेतु संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार अक्टूबर 1992 में 3.82 करोड़ रु से अधिक की लागत पर अवसंरचना का निर्माण करने के बावजूद संयंत्र के संचालन के लिए वांछित मानवशक्ति की अनुपलब्धता के कारण संयंत्र अभी तक चालू नहीं किया गया है (जुलाई 1994) जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य उद्देश्य जिसके लिए निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया गया था, को विफल बनाने के अतिरिक्त बिना किसी लाभ के सरकारी पूंजी का अवरोधन हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (जून 1994); उनका उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 1994)।

8.3 चांदी की बिक्री प्राप्तियों का अप्रापण

जनवरी 1992 में, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा क्षे उ) ने एक टन चांदी की आपूर्ति के लिए भारत सरकार, टकसाल, कलकत्ता (टकसाल) को एक मांगपत्र प्रस्तुत किया। फरवरी 1992 में, मंत्रालय ने नब्बे दिनों तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा नब्बे दिनों के बाद भुगतान में विलम्बों के लिए 2.75 प्रतिशत (अक्टूबर 1993 से 6 प्रतिशत तक बढ़ाया गया) के अतिरिक्त ब्याज पर उधार पर आपूर्ति का अनुमोदन किया।

जून 1992 में, मंत्रालय ने सा क्षे उ द्वारा एक सुरक्षा बंधपत्र के प्रति उधार पर चांदी की बिक्री के लिए टकसाल के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा टकसाल ने उसी महीने में 71.88 लाख रू मूल्य की चांदी का निर्गम किया। टकसाल ने या तो पूर्व जमा प्राप्त करके जैसा कि महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के माध्यम से सा क्षे उ द्वारा खरीद किये जाने के मामले में अपेक्षित है, अथवा एक साख पत्र द्वारा जैसा कि सा क्षे उ द्वारा सरकारी विभागों को की गई आपूर्तियों के मामले में अपेक्षित है, बिक्री प्राप्तियों के प्रापण का सुनिश्चय नहीं किया। सा क्षे उ ने चांदी की लागत का भुगतान नहीं किया, जो कि अगस्त 1994 तक ब्याज सहित 107.40 लाख रू संचित हो गई थी।

मामला जून 1994 में मंत्रालय को सूचित गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 1994)।

8.4 प्रशासकीय व्यय की अनियमित वसूली

भारत सरकार ने आय कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, अक्टूबर 1964 से वार्षिकी जमा योजना, 1964 तथा अप्रैल 1967 से वार्षिकी जमा योजना, 1966 प्रारम्भ की। भारतीय रिजर्व बैंक (भा रि बै) द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुसार, योजनाएं लोक ऋण कार्यालयों (लो ऋ का) द्वारा प्रबंधित की जानी थी तथा लो ऋ का से विवरणों की प्राप्ति पर भा रि बै द्वारा भारत सरकार से प्रशासकीय व्यय की वसूली की जानी थी। योजना 1 अप्रैल 1969 से संचालित होनी बन्द हो गई थी तथा 1 अप्रैल 1988 से वित्त अधिनियम 1988 द्वारा प्रावधान समाप्त कर दिये थे।

लो ऋ का कलकत्ता के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वार्षिकी योजनाओं के बन्द हो जाने के बाद भी योजनाओं के प्रशासन से सम्बन्धित सभी पदों के लिए संस्वीकृति समय समय पर बढ़ाई गई थी तथा अन्ततः जुलाई 1989 से ही पदों को समाप्त किया गया था। यह देखा गया था कि जुलाई 1989 से दिसम्बर 1992 की अवधि के लिए 19.21 लाख रू की राशि का प्रशासकीय व्यय सरकार से वसूल किया गया था।

1 अप्रैल 1988 से बंद वार्षिकी योजनाओं के लिए इसी तारीख के बाद की अवधि के लिए लागत की सरकार से वसूली अनियमित थी।

मामला मई 1994 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1994)।

8.5 वातानुकूलित इकाई को चालू करने में विलम्ब

'अन्तर्देशीय पत्रों' की गुणवत्ता में सुधार करने तथा भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक रोड़ में कागजों के अपव्यय को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने अप्रैल 1986 में 7.48 लाख रू की अनुमानित लागत से टाईमसन वरैस्टाईल मशीन को लगाने के लिए खंड को वातानुकूलित करने की संस्वीकृति दी। निविदाएं मई 1987 में प्रवर्तित की गई थी। दिसम्बर 1985 से मई 1987 के दौरान उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण में वृद्धि तथा माल के मूल्य और मजदूरी में सामान्य वृद्धि के कारण, नवम्बर 1987 में प्राक्कलन 15.52 लाख रू तक संशोधित किये गये थे, जिन्हें जुलाई 1989 में सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

निर्माण कार्य, जो कि नवम्बर 1990 तक पूरा होना अनुसूचित था, एक एकक के परीक्षण को छोड़ कर 13.80 लाख रू की कुल लागत से अगस्त 1990 तक अधिकतर पूरा हो गया था। तथापि, परीक्षण और चालू करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था (जून 1994)।

अगस्त 1990 तक 13.80 लाख रू की लागत से पूर्ण होने के बाद भी संयंत्र अभी तक चालू नहीं हुआ है (अक्टूबर 1994) जिसके कारण 15 लाख रू से अधिक की निधियों का अवरोधन होने के अतिरिक्त उद्देश्य व्यर्थ हुआ।

मामले की सूचना जून 1994 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1994)।

8.6 आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अवांछित उदारता

भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय, नासिक ने अगस्त 1988 में, आयकर के प्रपत्रों के मुद्रण हेतु 8.70 लाख रू में 50 मि ट संवेदनशील चैक पेपर की आपूर्ति के लिए एक पेपर मिल को आदेश प्रस्तुत किया। मार्च 1989 में आपूर्तिकर्ता ने क्रीम वोव के बजाय 48.22 मि ट ब्लू वोव कागज की आपूर्ति की। इस तथ्य के बावजूद कि करार की शर्तों में रद्द पाये गये माल के मूल्य की ठेकेदार द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान था। आपूर्त मात्रा, करार मूल्य पर 5 प्रतिशत की कटौती मूल्य पर इस आधार पर स्वीकार की गई कि ऐसे कागज को अन्य मुद्रण कार्यों में प्रयोग किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि मार्च 1989 में परेषण की स्वीकृति की तारीख को मुद्रणालय के पास ब्लू वेव कागजों के 19,331 रिम कागजों का भंडार था तथा 1988-93 के दौरान खपत 2486 रिम थी। क्योंकि ब्लू वेव कागजों का पर्याप्त भंडार था, भविष्य की आवश्यकता का निर्धारण किये बिना 7.96 लाख रू की लागत से 2486 रिम (48.22 मि ट) मात्रा की अवांछित रूप से पुनः स्वीकृति के परिणामस्वरूप निधियों का अनावश्यक अवरोधन हुआ, विशेषकर जहां आपूर्ति विनिर्देशन की पुष्टि नहीं करती थी।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए सितम्बर 1994 में बताया कि कागजों को स्थापित प्रथा के अनुसार स्वीकार करना पड़ा था कि सुरक्षा मुद्रणालय को आपूर्त किये जाने अपेक्षित वाटर मार्क कागज की किसी अन्य एजेंसी को आपूर्त किये जाने की अनुमति नहीं की जा सकती थी तथापि, मंत्रालय ने बताया कि पुराने भंडारों का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं तथा कागज की खपत हो जाने तक आगे कोई मांगपत्र नहीं भेजा जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर तर्क संगत नहीं है, क्योंकि विद्यमान उपबंध जिसमें रद्द की गई सामग्री के मूल्य की प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान था, सुरक्षा कारणों से असंचालनीय बना दिया गया तथा करार में फर्म द्वारा आपूर्त किये जा रहे किन्हीं त्रुटि पूर्ण कागजों के प्रति करार में कोई प्रभावकारी बचाव नहीं था।

8.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उनके सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही, उनमें उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों की लेखा परीक्षा द्वारा भली भांति जांच किये जाने पर, उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दशति हुए, उन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1982)।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुई अवधि तक विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा से प्रकट हुआ कि बारम्बार अनुदेशों के बावजूद मंत्रालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं (दिसम्बर 1994)।

तालिका 8.7: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या और वर्ष | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 1992 की सं. 1 | 12.2 | वित्त लेखे में किए जाने वाले समायोजन |
| - उपरोक्त - | 12.8 | दुष्क्रियात्मक मरम्मत तथा निपटान प्रक्रिया |
| 1994 की सं. 1 | 7.1 | रोलिंग मिल के संस्थापन में आयोजन तथा समन्वय का अभाव |
| - उपरोक्त - | 7.2 | दलाली प्रभारों का परिहार्य भुगतान |
| - उपरोक्त - | 7.3 | सरकारी क्वार्टरों के निर्माण और आबंटन में विलम्ब |
| 1994 की सं. 2 | 10.7 | किराये के विलम्बित पुनर्निर्धारण के कारण राजस्व की गैर वसूली |

मामला मंत्रालय को नवम्बर 1994 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1994)।

8.8 प्रोटोटाईप पेट्रोल बोट के लिए खरीदे गये निष्क्रिय इंजिन

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा ग्रहण करने के लिए एक प्रोटोटाईप 100 फुट ढो को विकसित करने के लिए एक निर्णय के अनुसरण में, (सितम्बर 1985) सरकार ने सहायता हेतु समुद्रीय सलाहकारों की एक फर्म की सेवाओं के आबन्ध का अनुमोदन किया तथा जून 1986 में 27.14 लाख रू की लागत से प्रोटोटाईप मल्टीस्कु कस्टमस पेट्रोल ढो के लिए नोदन उपकरण के 2 सैटों के शुल्क मुक्त आयात की संस्वीकृति दी। तदनुसार 1987 के प्रारम्भ में 22.83 लाख रू की लागत से दो इंजिनों का आयात किया गया था।

1987 में 100 फीट के दो इंजिन प्रोटोटाईप के लिए प्रस्ताव छोड़ दिया गया, क्योंकि भारी भरकम और परिष्कृत उपकरण के लिए संचालन हेतु विशेष कार्मिकों की आवश्यकता थी तथा प्रत्येक के साथ एक मशीन फिट हुए दो 80 फीट के ढो को कार्य में लाने का निर्णय लिया गया, इसी बीच, 100 फीट वाले ढो के लिए सलाहकारों को इसके आरेखणों और विभिन्न परीक्षणों के लिए 1.19 लाख रू की राशि का भुगतान किया गया था, यद्यपि किसी भी प्रोटोटाईप को अंतिम रूप से निर्मित नहीं किया गया था।

80 फीट के दो ढो के निर्माण के लिए 85 लाख रू की लागत से अक्टूबर 1989 में एक फर्म को करार किया गया था, बशर्ते कि विभाग आरेखणों के अनुमोदन की तारीख से 12 महीनों की सुपुर्दगी अनुसूची के साथ तथा इसके बाद पहले और दूसरे बोट के लिए 6 महीनों के भीतर दो इंजिन प्रदान करे। अभिलेखों ने प्रकट किया कि ढो का निर्माण अभी भी (अप्रैल 1994) पूरा नहीं हुआ था तथा ठेकेदार को 33.66 लाख रू की राशि (जनवरी 1994 तक) का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार से 22.83 लाख रू की लागत से 1987 में खरीदे गये इंजिन, समुचित योजना और मूल्यांकन के अभाव के कारण उनकी प्राप्ति के 7 वर्षों के बाद भी अप्रयुक्त पड़े थे। इसके अतिरिक्त दूसरे करार के अन्तर्गत क्राफ्टों की आपूर्ति भी अनुसूची से 3 वर्षों से भी अधिक, काफी पीछे पड़ गई थी तथा 100 फीट के प्रोटोटाईप के लिए आरेखणों हेतु 1.19 लाख रू. का भुगतान निष्फल सिद्ध हुआ।

विभाग ने जुलाई 1994 में तथ्यों को स्वीकार कर लिया था।

8.9 असंचालनात्मक जलयान के कारण निष्फल व्यय

नवम्बर 1988 में, सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता ने निवारक संचालनों में प्रयोग के लिए सीमा शुल्क समाहर्ता, कोचीन से 1976-77 में बना एक जलयान अधिप्राप्त किया। इसके परिवहन, बीमे आदि पर 0.68 लाख रू. की व्यय किया गया था। समाहर्ता ने जलयान के संचालन हेतु चार कर्मी दल सदस्यों को काम में लगाया। परन्तु वे जलयान का संचालन नहीं कर सके। मुख्य मरम्मतों तथा कुछ अन्य मरम्मतों के लिए नवम्बर 1988 में इंजिन एक फर्म को भेजा गया था तथा मई 1991 में पुनः प्राप्त हुआ था। अगस्त 1992 में बड़ी मरम्मतों के लिए इंजिन को पुनः फर्म को भेजा गया था, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो गई थी। इंजिन की मरम्मत की गई थी तथा मई 1994 में जलयान में फिट कर दिया गया था, परन्तु जलयान को अक्टूबर 1994 तक संचालित नहीं किया गया था। समाहर्ता ने मई 1989 और अक्टूबर 1994 के बीच मरम्मत और अनुरक्षण पर 4.79 लाख रू. का व्यय किया, इसके अतिरिक्त 1989-94 के दौरान निष्क्रिय कर्मीदल को मजदूरी के रूप में 5.09 लाख रू. के वेतन का भुगतान किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, समाहर्ता ने अगस्त 1994 में बताया कि जलयान को इसकी प्राप्ति के समय से इंजिन और इसके अनुषंगियों में निरंतर त्रुटियों के कारण संचालन में नहीं लगाया जा सका।

इस प्रकार से, त्रुटिपूर्ण इंजिन के साथ जलयान की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 10.56 लाख रू. का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सितम्बर 1994 में मंत्रालय को सूचित गया था; उनका उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 1994)।

अध्याय IX

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

9.1 राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

9.1.1 प्रस्तावना

कैंसर मृत्यु की उच्च दर वाली बीमारी है जब तक कि इसका शीघ्र ही पता लगाया या उपचार न किया जाये। भारत में यह अनुमान किया जाता है कि, प्रति वर्ष 0.5 मिलियन नये प्रकट होने वाले मरीजों के साथ किसी भी दिए गए समय में लगभग 2 मिलियन कैंसर के रोगी हैं।

भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक रूप में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (रा कैं नि का) 1975-76 के दौरान, प्रारंभ किया गया था, जब चिकित्सा संस्थाओं को कोबाल्ट थेरापी यूनितों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई थी। 10 प्रमुख संस्थाओं को, जिन्हें क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (क्षे कैं के) के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, उपचार सुविधाओं के सुधार हेतु भी सहायता दी गई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम (i) तम्बाकू से संबंधित कैंसर की प्राथमिक रोकथाम (ii) गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की परिवर्ती रोकथाम तथा (iii) क्षे कैं के और चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय पैमाने पर पीड़ा मुक्ति सहित चिकित्सीय सेवाओं के विस्तार और सुदृढीकरण के उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया गया था।

आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की रोकथाम तथा शीघ्र पता लगाने पर भारी जोर दिया गया था। इस उद्देश्य के साथ 1990-91 से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की गई थीं:

- (i) स्वास्थ्य शिक्षा, पीड़ा मुक्ति उपायों सहित कैंसर का शीघ्र पता लगाने हेतु जिला परियोजनाएं।
- (ii) ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।
- (iii) चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों की ओकोलोजी शाखाओं का विकास।

(iv) कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता।

9.1.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1985-94 के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा द्वारा नोडल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महालेखाकारों द्वारा 14 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश के कुछ जिलों में अभिलेखों के संदर्भ में नमूना जांच की गई थी।

9.1.3 विशिष्टताएं

- 1985-94 के दौरान, 13 राज्यों को अनुदानों के रूप में संस्वीकृत 29.52 करोड़ रु में से, छः राज्य (पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली) जारी निधियों का 50 प्रतिशत भी उपयोग में लाने में समर्थ नहीं हुए थे। यह मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः अनुदानों के जारी न करने, अवसंरचना का विकास न करने तथा उपकरणों के लिए अतिरिक्त निधियों का प्रावधान न करने और निष्पादन, योजना के समनुरूप न होने आदि के कारण हुआ था।

(पैराग्राफ 9.1.4.1)

- 9 राज्यों को संस्वीकृत 4.17 करोड़ रु के सहायक अनुदान में से 2.28 करोड़ रु (55 प्रतिशत) की राशि का विपथन किया गया था तथा अनुदान के लिए अहर्क उद्देश्यों के बाहर खर्च की गई थी।

(पैराग्राफ 9.1.4.2)

- 1985-94 के दौरान जारी किए गए 82.24 करोड़ के प्रति, 68.18 करोड़ रु के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र वांछित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों और लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण को भेजने के साथ अनुदान को संबद्ध करने और आगे जारी करने में तीव्रता लाने के लिए मंत्रालय में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

(पैराग्राफ 9.1.4.3)

- 4 राज्यों में मुख्यतः कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना करने के लिए संस्वीकृत 64 लाख रु 4 वर्षों तक की अवधियों से सरकारी खाते से बाहर व्यक्तिगत लेजर खाते में रखे गए थे।

(पैराग्राफ 9.1.4.5)

- अपेक्षित 900 कोबाल्ट थैरापी यूनिटों के प्रति, केवल 180 कोबाल्ट थैरापी यूनिटें ही संस्थापित की गई थी, जो कि काफी अपर्याप्त थी तथा देश में समानरूप से नहीं बंटी थीं।

(पैराग्राफ 9.1.5.1)

- 7 राज्यों में मुख्यतः विशेष भवनों के निर्माण हेतु निधियों की अनुपलब्धता, अपूर्ण अवसंरचना और स्टाफ की तैनाती न होने के कारण 6.32 करोड़ रु. की लागत से अर्जित, 11 कोबाल्ट थैरापी यूनिट, और अन्य संबंधित उपकरण 3 माह से साढ़े आठ वर्षों के विलम्बों से चालू की गई थी।

(पैराग्राफ 9.1.5.1(क))

- 1985-93 के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से अर्जित, 5.48 करोड़ रु. की लागत से सात कोबाल्ट थैरापी यूनिट, एक गामा कैमरा और एक फलोरोस्कोपिक माइक्रोस्कोप, पांच राज्यों (असम, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश) द्वारा चालू नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ 9.1.5.1 (ग))

- मुख्यतः अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक तथा 3 अन्य राज्यों को 2.70 करोड़ रु की राशि के सहायता अनुदान अप्रयुक्त रहे।

(पैराग्राफ 9.1. 5.2)

- लेखापरीक्षा में नमूना जांच में किए गए 11 अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में से, किसी में भी ओन्कोलोजी शाखा स्थापित नहीं की गई थी, यद्यपि 3 ने कोबाल्ट थैरापी यूनिटें खरीदी थीं।

(पैराग्राफ 9.1. 6)

- जिला परियोजनाओं के लिए योजना के अंतर्गत 1990-93 के दौरान जारी 2.10 करोड़ रु के प्रति 71.33 लाख रु (34 प्रतिशत) का व्यय किया गया सूचित किया गया था।

(पैराग्राफ 9.1.7.1(ख))

- 7 राज्यों में, मुख्यतः निधियों और स्टाफ के प्रावधान न होने के कारण चिकित्सा/अर्ध चिकित्सा स्टाफ हेतु कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका।

(पैराग्राफ 9.1.7.4)

- असम, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के में केन्द्रीय सहायता से खरीदे गए उपकरण, भवनों की संस्थापना/ पूरा होने में विलम्ब आदि के कारण 16 से 62 माह तक के लिए प्रयोग में नहीं लाये गए थे।

(पैराग्राफ 9.1.8)

- 8 राज्यों में, अंतर्ग्रस्त विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावकारी समन्वय तथा समग्र कार्यक्रम के प्रबोधन एवं मूल्यांकन की कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 9.1.13)

9.1.4 वित्तीय व्यवस्थाएं

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, इस द्वारा मान्यताप्राप्त 10 क्षेत्रों के में से 9 को सीधे सहायता अनुदान जारी किए, जिसमें से एक केन्द्र को भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से निधि प्रदान की गई थी। चुनी गयी संस्थाओं को वित्तीय सहायता संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से दी गई थी, जबकि राज्य सरकारों की अनुशंसा पर राशि सीधे संबंधित ऐच्छिक संगठनों को जारी की गई थी।

सातवीं योजना के दौरान, 51.28 करोड़ रु के बजट अनुमान के प्रति, विभिन्न राज्य सरकारों/संस्थाओं को 23.84 करोड़ रु जारी किए गए थे। इसी प्रकार से 1990-94 के दौरान 90.92 करोड़ रु के बजट प्रावधान के प्रति 58.40 करोड़ रु की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 17.04 करोड़ रु को अंतर्ग्रस्त करते हुए 15 होल बाडी सी टी स्कैनर, जापानी सहायक अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त किए गए थे। अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नवत प्रकट किया:-

9.1.4.1 सरकारी अनुदानों का अनुपयोग

1985-94 के दौरान 13 राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदानों के रूप में संस्वीकृत 29.52 करोड़ रु में से, 31 मार्च 1994 को 15.53 करोड़ रु (53 प्रतिशत) अप्रयुक्त रहे। राज्यों के लिए संस्वीकृत कुल अनुदान में से अ भा आ सं, नई दिल्ली में रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान (रो.कैं.अ.सं.) ने 7.69 करोड़ रु लेखाबद्ध किए। रो कैं अ सं 3.19 करोड़ रु ही प्रयुक्त कर सका। यह देखा गया था कि अनुदान का अनुपयोग 15 से 100 प्रतिशत के बीच था। छः राज्य (कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली) आधी

राशि को भी उपयोग में लाने में समर्थ नहीं हुए थे। कारण, मुख्यतया राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों को आगे जारी न करना, उपकरण के लिए अवसंरचना को विकसित न किया जाना, प्रदान की गई निधियों की अपर्याप्तता तथा योजना के अनुरूप कार्य का कार्यान्वयन न किया जाना, थे।

9.1.4.2 निधियों का विपथन

अनुदानग्राही संस्था को सहायक अनुदान का विपथन करने अथवा योजना का निष्पादन दूसरी संस्था अथवा संगठन को सौंपने का प्राधिकार नहीं था। किसी मामले में, इसके योजना का निष्पादन करने अथवा पूरा करने की स्थिति में न होने पर अनुदान सरकार को वापिस किये जाने अपेक्षित थे। यह पता चला था कि 9 राज्यों में, 1985-94 के दौरान जारी किए गए 4.17 करोड़ रु में से, 2.28 करोड़ रु (55 प्रतिशत) की राशि का विपथन किया गया था तथा अनुदान के लिए अहर्क उद्देश्य के बाहर: 5 राज्यों (असम, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश) में कैंसर उपचार गतिविधियों से संबंधित मशीनरी/ उपकरणों की खरीद, केरल में भवन के निर्माण, 3 राज्यों (उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र) में अधिकारियों और स्टाफ को वेतन, आकस्मिक व्यय, फर्नीचर और वाहनों पर खर्च कर दी गई थी। उड़ीसा, को छोड़कर, जिसमें संस्था ने राज्य सरकार से अनुदान की अप्राप्ति पर आरोपित किया था, किसी भी राज्य द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताये गए थे। अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा निधियों के ऐसे अनियमित विपथन की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

9.1.4.3 उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अप्रस्तुतीकरण

1985-94 के दौरान 82.24 करोड़ रु की राशि जारी की गई थी, जिसके प्रति 68.18 करोड़ रु के लेखाओं के उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा लेखा परीक्षित विवरण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 1994)।

यह पता चला था कि अपेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों को भेजने के साथ गति प्रदान करने तथा अनुदान के आगे निर्गम को जोड़ने के लिए मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं थी। ऐसी प्रणाली के अभाव में यह समझ में नहीं आता कि मंत्रालय ने स्वयं को अनुदान की संस्वीकृति का नियंत्रण करने वाली शर्तों को पूरा करने के संबंध में कैसे संतुष्ट किया। इसकी बजाए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रों और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों पर जोर दिए बिना ही मंत्रालय निरंतर अनुदानों को संस्वीकृत और जारी कर रहा था। इस संबंध में मंत्रालय की अभ्युक्तियां प्रतीक्षित थीं।

9.1.4.4 राज्य सरकारों द्वारा अनुदान के जारी करने में विलम्ब

राज्यों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि संबंधित अनुदानग्राही संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता जारी करने में राज्य सरकारों की ओर से असाधारण विलम्ब था, जिससे अंततः योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। यह पता चला था कि 4 राज्यों (असम, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु) में अनुदानग्राही संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता जारी करने में 6 महीनों से 25 महीनों के बीच तक का विलम्ब था।

9.1.4.5 व्यक्तिगत लेजर खाते में निधियों का निक्षेप

यह पता चला था कि चार राज्यों (महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) में मुख्यतया, अपने संबंधित कैंसर संस्थानों/अस्पतालों में कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना करने के उद्देश्य के लिए संस्वीकृत 64 लाख रु 9 से लेकर 48 महीनों से अधिक के बीच की अवधियों के लिए व्यक्तिगत लेजर खातों में रखे गए थे। निधियों के अनुपयोग हेतु उद्धृत किए गए कारण थे: महाराष्ट्र-राज्य सरकार के आदेशों का अभाव, उड़ीसा- राशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी क्योंकि निधियां अपर्याप्त थीं। शेष राज्यों द्वारा कोई कारण नहीं बताये गए थे।

9.1.5 कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना

9.1.5.1 कोबाल्ट थैरापी कैंसर के उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैंसर के रोगियों में से आधे से अधिक को एक अथवा दूसरे चरण में विकिरण उपचार की आवश्यकता पड़ती है। एक मिलियन आबादी के लिए एक कोबाल्ट थैरापी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। इस अनुमान के आधार पर अपनी 900 मिलियन आबादी के लिए देश में 900 कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की आवश्यकता थी, जिसके प्रति अभी तक देश में 180 कोबाल्ट यूनिटों की स्थापना की गई है। उपलब्ध कोबाल्ट यूनिटें काफी अपर्याप्त हैं तथा इन कुछ का भी देश में समान रूप से वितरण नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कैंसर के रोगियों को रेडियो थैरापी उपचार पहुंचाने के उद्देश्य से, विभिन्न सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों और कैंसर संस्थानों में कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

1975-76 में कार्यक्रम के प्रारंभ होने के समय से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों को 2.5 लाख रु की दर से केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया गया था। कोबाल्ट थैरापी यूनिटों के लिए वित्तीय सहायता की दर अब 20 जनवरी 1993 से 50 लाख रु प्रति यूनिट है। सहायता को कोबाल्ट थैरापी यूनिटों के सहायक उपकरणों के साथ तथा कोबाल्ट सोर्स की खरीद के लिए प्रयोग में लाया जाना था, कोबाल्ट सोर्स की विकिरण एवं समस्थान प्रौद्योगिकी बोर्ड (वि सं प्रौ बो) द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा प अ के) की अनुशंसाओं पर आपूर्ति की जानी

थी। केन्द्रीय सहायता इस शर्त के अध्याधीन दी गई थी कि केन्द्रीय सहायता का प्रापक अपेक्षित अवसरचना और प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ प्रदान करने के लिए सहमत हो।

(क) अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला था कि सात राज्यों (असम, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली) में 1982-90 के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से 6.32 करोड़ रू की लागत से अधिप्राप्त 10 कोबाल्ट थैरापी यूनिटें और अन्य सम्बन्धित उपकरण 3 माह से साढ़े आठ वर्षों के बीच के विलम्ब से चालू किये गये थे। विलम्ब के लिए कारण मुख्यतया: असम - भवन के निर्माण के लिए निधियों की अनुपलब्धता; केरल-निर्माण कार्य को हाथ में लेने में विलम्ब तथा आगे भवन को पूरा करने में विलम्ब; उड़ीसा-अवसरचना का पूर्ण न होना तथा योग्य स्टाफ की तैनाती न करना, विशेषकर बी ए आर सी द्वारा; राजस्थान-कोबाल्ट सोर्स की आपूर्ति हेतु आदेश प्रस्तुत करने में विलम्ब थे।

(ख) नमूना जांच ने यह भी प्रकट किया कि क्षे कै के कटक द्वारा खरीदी गई बराची थैरेपी यूनिट ने केवल 10 माह के लिए ही काम किया तथा 15 अप्रैल 1994 तक 136 रोगियों का उपचार किया (16-10-1992 तक 115 रोगियों और 17-10-1992 से 15-4-1994 के बीच आंशिक रूप से 21 रोगियों का उपचार किया)। इसी प्रकार से, 4.33 लाख रू मूल्य की एक विशेष एक्सरे मशीन ने मई 1988 से मार्च 1994 के दौरान छः मरम्मतों सहित केवल 18 महीने ही कार्य किया, जबकि 5.78 लाख रू मूल्य के इमेज इंटेन्सीफायर और टी वी मानीटर को जुलाई 1991 में इसकी खरीद के समय से उपयोग में नहीं लाया जा सका, क्योंकि आन्तरिक रूप से जुड़ी मशीन विशेष एक्सरे मशीन निष्क्रिय पड़ी थी। जून 1989 में 7.86 लाख रू की लागत से खरीदी गई उपचार योजना प्रणाली भी इसके असंतोषजनक उपचार के कारण जून 1992 से असंचालित पड़ी थी। उपकरण की मरम्मत करवाने के लिए राज्यों द्वारा की गई उपचारी कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गई थी।

(ग) नमूना जांच ने आगे प्रकट किया कि पांच राज्यों (असम, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश) द्वारा 5.48 करोड़ रू की लागत से 1985-86 से 1992-93 की अवधि के दौरान संस्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से अर्जित सात कोबाल्ट थैरापी यूनिटें, एक गामा कैमरा और एक फलोरोस्कोपिक माइक्रोस्कोप को मुख्यतया असम, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भवनों के पूरा न होने, और कर्नाटक तथा राजस्थान में कोबाल्ट सोर्स के अभाव में चालू नहीं किया जा सका। उपकरण की शीघ्र संस्थापना/चालू करने के लिए राज्यों द्वारा कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

(घ) नमूना जांच ने प्रकट किया कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा 1988-89 के दौरान जापानी सहायक अनुदान के अन्तर्गत अधिप्राप्त 1.75 करोड़ रू मूल्य का एक लायनियर एक्सीलेटर अतिरिक्त पुर्जों के अभाव में आंशिक रूप से कार्यात्मक था, जबकि नवम्बर 1991 में संस्थापित, सरकारी अनुदानों में से 1989 के दौरान अधिप्राप्त एक विकिरण

क्षेत्र विश्लेषक (लागत: 16 लाख रू.) को इसके सॉफ्टवेयर में त्रुटियों के कारण अंशशोधित नहीं किया जा सका। मरम्मत के बाद, उपकरण ने कार्य किया, परन्तु दो वर्ष बाद अक्टूबर 1993 में यह अकार्यात्मक हो गया। यद्यपि, जून 1994 में एक नया सॉफ्टवेयर लगाया गया था, परन्तु सितम्बर 1994 तक समस्या बिना सुलझे रही। आगे, अक्टूबर 1988 में उसी संस्थान द्वारा अधिप्राप्त थर्मोलुमिनेस डोजिमिटर, इराडियेटर और प्रोग्रामेबल ओवन, जब यूनिट को अंशशोधन हेतु संस्थापित किये गये थे (मार्च 1991), विफल हो गये। इस प्रकार से, इसकी अधिप्राप्ति के छः वर्षों के बाद भी, उपकरण को प्रयोग में नहीं लाया जा सका था। इसी प्रकार से, 23.90 लाख रू की लागत से जुलाई 1988 में जे के कैंसर संस्थान कानपुर द्वारा खरीदी गयी सलैक्ट्रान एल डी आर नामक एक थैरापी यूनिट, बी ए आर सी से आवश्यक निपटान के बिना ही नवम्बर 1991 में प्रयोग में लायी गयी थी। 91 महिला कैंसर रोगियों का नवम्बर 1991 से अप्रैल 1993 के बीच में उपचार किया गया था, यद्यपि उपचार प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक क्लीनिकल डोजिमिटर/रेक्टल डोजिमिटर नामक एक उपकरण उपलब्ध नहीं था। मशीन ने डेढ़ वर्ष तक काम किया था तथा बाद में जून 1993 में एक नव निर्मित कक्ष में 0.34 लाख रू की लागत से संस्थापित की गयी परन्तु क्लीनिकल डोजिमिटर/रेक्टल डोजिमिटर और नयी एक्सरे मशीन के अभाव के कारण अक्टूबर 1993 में बी ए आर सी से इसके चालू करने के लिए निपटान के बावजूद इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सका। उपरोक्त के अतिरिक्त, फरवरी 1991 से जनवरी 1994 तक की अवधि के दौरान मशीन के अनुरक्षण के लिए फर्म को दिये गये 1.36 लाख रू के सेवा प्रभार मशीन से व्युसन्न लाभों से सम्म्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, जुलाई 1988 में 2.47 लाख रू मूल्य में खरीदे गये छः उपचार ट्यूब चैनल, जो कि सलैक्ट्रान एल डी आर के अनुषंगी थे, चालू नहीं किये गये थे।

9.1.5.2 राज्यों द्वारा निधियों का अनुपयोग

चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में कोबाल्ट थैरापी की स्थापना के लिए 1985-1994 की अवधि के दौरान सात राज्यों (उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और कर्नाटक) को संस्वीकृत किये गये 2.70 करोड़ रू की राशि के सहायक अनुदान मुख्यतया केन्द्रीय सहायता की अपर्याप्तता और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किये जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव के कारण अप्रयुक्त रहे।

यह पता चला था कि उत्तर प्रदेश में तीन संस्थानों के सम्बन्धित लेखाओं में निधियां जमा की गई थी, क्योंकि थैरापी यूनिट की लागत बढ़ गई थी, तथा लागत में अन्तर को राज्य सरकार द्वारा मुहैया नहीं किया गया था। पश्चिम बंगाल में एक संस्थान के पास अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा श्रम शक्ति थी, समस्त राशि सरकारी खाते से बाहर, एक बैंक के पास चालू खाते में रखी गई थी तथा अतिरिक्त निधियों के अभाव में उपयोग में नहीं लाई जा सकी। महाराष्ट्र में, राशि पी एल खाते में रखी गई थी तथा राज्य सरकार के आदेशों के अभाव में उपयोग में

नहीं लाई जा सकी। तथापि, राज्य सरकार ने उसके बाद राशि को सरकारी खाते में रखने के अनुदेश दिये थे।

इसी प्रकार से, उड़ीसा में, राज्य सरकार से अतिरिक्त अनुदान के अभाव में, अप्रैल 1992 से 20 लाख रू की केन्द्रीय सहायता सिविल जमा खाते में पड़ी थी। यह भी पता चला था कि पंजाब में एक संस्थान ने मार्च 1991 में संस्वीकृत 20 लाख रू की राशि की केन्द्रीय सहायता अप्रैल 1994 तक जब अन्ततः यह सरकार को वापिस की गई थी, बचत बैंक खाते में रखी थी। अनुदान बिना यह सुनिश्चय किये संस्वीकृत कर दी गई थी कि यह संस्थान पहले ही जुलाई 1984 में एक कोबाल्ट थैरापी यूनिट से सज्जित था। आगे यह पता चला था कि मार्च 1994 में भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत 50 लाख रू की राशि जून 1994 तक राज्य सरकार द्वारा संस्थान को जारी नहीं की गई थी।

9.1.5.3 निधियों का विपथन

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता को, उद्देश्य के लिए संस्वीकृत सहायक अनुदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर कोबाल्ट थैरापी यूनिटों की स्थापना करने के लिए उपयोग में लाना था। अनुदान के किसी भाग को उस उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लाये जाने पर, जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था, यह सरकार को वापिस किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पता चला था कि पंजाब में मोहन दाई ओसवाल कैंसर उपचार और अनुसंधान फाउंडेशन, लुधियाना, ने कोबाल्ट थैरापी यूनिट की स्थापना करने के लिए मार्च 1988 में संस्वीकृत 12 लाख रू में से 200 आर एम एम सोर्स की खरीद पर 9.02 लाख रू और कैंसर के उपचार से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों पर 2.98 लाख रू खर्च किये थे।

9.1.5.4 कोबाल्ट थैरापी यूनिटों का निष्पादन

(i) तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम) में पांच कोबाल्ट थैरापी यूनिटें अधिप्राप्त की गई थी। यह पता चला था कि इ गा चि म, शिमला में 1986-87 से 1993-94 के दौरान उपचार किये गये रोगियों की प्रतिशतता 29 से 86.5 के बीच थी। अव-उपयोग, संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं से अनभिज्ञ होने के कारण पड़ोस के क्षेत्रों से कम रोगियों के आने की सूचना पर आरोप्य था।

(ii) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में 1990-94 के वर्षों के दौरान उपचार किये गये रोगियों की प्रतिशतता, 19.5 से 51.66 के बीच थी। इसके अतिरिक्त, जापानी अनुदानों से 1.75 करोड़ रू की लागत से अक्टूबर 1992 में संस्थान में संस्थापित 2000 रोगी प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक लाइनीयर एक्सीलिरेटर, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केवल

193 रोगियों को ही उपचार मुहैया कर सका। उपकरणों के अवउपयोग के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया कारण यह था कि यह उच्च विशेषता वाला तृतीयक उपचार हेतु सन्दर्भित संस्थान था तथा केवल सन्दर्भित रोगियों का ही उपचार करता था। यह तर्क संगत नहीं है क्योंकि उपकरणों का अवउपयोग, भारतीय विकीरण अंकोलोजिस्ट संगठन की अनुसंशा के अनुसार या तो कोबाल्ट 60 की एक यूनिट अथवा लाईनियर एक्सीलेटर की एक यूनिट को चलाने की बजाय, कोबाल्ट यूनिट और लाईनियर एक्सीलेटर दोनों की अधिप्राप्ति के कारण था। एस एन चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा में, कोबाल्ट थैरापी यूनिट को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जा सका। उपचार चार्ट ने 1985-94 की अवधि (1989-90 को छोड़कर) के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई। कारण, एक पुरानी यूनिट होने के कारण, मशीन की बारम्बार विफलता पर आरोपित किये गये थे।

(iii) डा. बरूआ कैंसर संस्थान, असम में 1990-92 के दौरान रोगियों के उपचार की प्रतिशतता गिर गई। इसे कोबाल्ट सोर्स की शक्ति, में गिरावट पर आरोपित किया गया था, जिसे अगस्त 1993 में ही बदला गया था।

9.1.6 चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में ओन्कोलोजी शाखा का विकास

कार्यक्रम में आठवीं योजना के दौरान, उन क्षेत्रों में, जहां इसके उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, कैंसर की रोकथाम और शीघ्र पता लगाये जाने पर जोर देने के साथ देश में 15 चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में अच्छी तरह से सज्जित ओन्कोलोजी शाखा के विकास का प्रस्ताव था। योजना के अन्तर्गत, थैरापी की तीन विधियों अर्थात् शल्य चिकित्सा उपचार, रेडियों थैरापी और कैमोथैरापी, स्थापित की जाने वाली ओन्कोलोजी शाखाओं में उपलब्ध कराई जानी थी।

उपकरणों की खरीद के लिए चुने गये प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल को इस अनिवार्य शर्त के साथ 1 करोड़ रु तक प्रदान किये जाने थे कि संबंधित राज्य सरकार आवश्यक संरचना और स्टाफ मुहैया करायेगी।

(i) छः राज्यों (असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश) के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 11 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में ओन्कोलोजी शाखाओं के विकास के लिए 1991-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा 18.70 करोड़ रु की राशि जारी की गई थी।

(ii) 11 चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में आंकोलोजी शाखा के विकास के लिए जारी किये गए 8.70 करोड़ रु के अनुदान में से आठ चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों को जारी की गई 5.70 करोड़ रु की राशि मई 1994 तक उपयोग में नहीं लाई जा सकी, क्योंकि अनिवार्य

उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये थे। क्रमशः मार्च 1992 और मार्च 1993 में बी आर डी चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर और कर्नाटक चिकित्सा महाविद्यालय, हुबली प्रत्येक को 70 लाख रू की दर से संस्वीकृत 1.40 करोड़ रू की राशि मई 1994 तक राज्य सरकारों द्वारा इन महाविद्यालयों को जारी नहीं की गई थी।

(iii) शेष 3 महाविद्यालयों/अस्पतालों अर्थात् सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय (असम), जवाहरलाल चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान) तथा उत्तरी बंगाल चिकित्सा महाविद्यालय (पश्चिम बंगाल) को ओन्कोलोजी शाखा के विकास के लिए उपकरण की 12 मदों के अधिप्रापण हेतु प्रत्येक को एक करोड़ रू की दर पर सहायता अनुदान दिया गया था। इन मदों की प्रत्येक की वर्तमान स्थिति इस प्रकार थी:-

(क) एक कोबाल्ट चिकित्सा इकाई के लिए खरीद आदेश सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय, असम द्वारा कनाडा की एक फर्म को मार्च 1993 में दिये गये थे, यद्यपि 70 लाख रू की राशि के अनुदान की पहली किश्त भारत सरकार द्वारा मार्च 1992 में जारी की गई थी। उपकरण म नि स्वा से से श्रेणी प्रमाणपत्र (सीमा शुल्क छूट हेतु) जो कि मई 1994 में ही प्राप्त हुआ, के अभाव के कारण अक्टूबर 1993 से कलकत्ता समुद्री पत्तन में पड़ा हुआ था। उपकरण की अधिप्राप्ति में विलम्ब को एक वर्ष के ऊपर राज्य सरकार द्वारा अनुदान जारी करने में विलम्ब, श्रेणी प्रमाणपत्र जारी करने में विलम्ब और इकाई को स्थापित करने के लिए भवन की अनुपलब्धता पर आरोपित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भा प अ के) से अनुमोदित डिजायन तथा ड्राईंग के अभाव के कारण भवन का निर्माण अभी आरम्भ नहीं किया गया है। मई 1994 तक पत्तन प्रभारों के गैर भुगतान के कारण उपकरण भाण्डागार में पड़ा था तथा स्थापना की प्रतीक्षा कर रहा था।

(ख) यद्यपि कोबाल्ट इकाई जवाहर लाल चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर द्वारा 90.99 लाख रू की लागत पर अगस्त 1993 में खरीदी गई थी, अप्रैल 1994 को यह अभी संस्थापित की जानी थी। इकाई आरम्भ करने में विलम्ब का कारण कोबाल्ट सोर्स की अनापूर्ति पर आरोपित किया गया था।

(ग) ओन्कोलोजी शाखा के लिए एक कोबाल्ट इकाई उत्तरी बंगाल चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल द्वारा नवम्बर 1993 में खरीदी गई थी। मशीन म नि स्वा से से सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र, जो कि मई 1994 तक अभी प्राप्त किया जाना था; के अभाव के कारण नवम्बर 1993 से कलकत्ता पत्तन के बंधक भाण्डागार में पड़ी हुई थी। अस्पताल में मार्च तथा अप्रैल 1993 में नियुक्त किये गए दो विकिरण चिकित्सकों की सेवायें मशीन की गैर स्थापना के कारण उस उद्देश्य के लिए नहीं ली जा सकी थी।

इस प्रकार उद्देश्य, जिसके लिए योजना, चुने हुये महाविद्यालयों/अस्पतालों में आरम्भ की गई थी, प्राप्त नहीं किये जा सके क्योंकि लेखा परीक्षा में नमूना जांच किये गए ग्यारह महाविद्यालयों/अस्पतालों में से किसी में भी ओन्कोलोजी शाखा स्थापित नहीं की जा सकी। आठ महाविद्यालय/अस्पताल सहायता का बिल्कुल उपयोग नहीं कर सके, जबकि 3 महाविद्यालयों/अस्पतालों ने कोबाल्ट चिकित्सा इकाईयां खरीदी, परन्तु ये अभी चालू की जानी थी। अन्य चिकित्साओं अर्थात् केमोथैरापी तथा शल्य चिकित्सा के लिए उपकरण की खरीद करने की वांछनीयता, जैसा कि योजना में विचार किया गया था, पर ध्यान नहीं दिया गया था।

9.1.7 जिला परियोजनाओं हेतु योजना

9.1.7.1 राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, कैंसर मामलों की, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोकथाम तथा शीघ्र पता लगाने के लिए 1990-91 से जिला परियोजनाओं के लिए एक योजना आरम्भ की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच कैंसर के आरम्भिक लक्षणों के बारे में जागरूकता पैदा करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वस्थ जीवन विधि के अवलोकन करने की महत्ता, तम्बाकू खाने के दुष्प्रभावों के बारे में बताना, था। योजना के मुख्य घटकों में ये शामिल थे:

- क) ग्रामीण क्षेत्रों में, साहित्य के रूप में सूचना का प्रसार करना;
- ख) उप मण्डल स्तर पर 3-4 कैंसर पहचान केन्द्रों की स्थापना करना;
- ग) चिकित्सा तथा अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
- घ) टर्मिनल रोगियों को पेलिएटिव उपचार की व्यवस्था; तथा
- ड) मूल्यांकन एवं प्रबोधन।

(क) योजना के अन्तर्गत, चुनी गई प्रत्येक जिला परियोजना के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/सं शा प्रशासन को 15 लाख रू की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी तथा योजना, कैंसर के उपचार के लिए अच्छी सुविधाएँ रखने वाले क्षेत्रों के/सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों के साथ जोड़ दी गई थी। 1990-92 के दौरान 8 राज्यों (गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली) में 12 जिला परियोजनाएं आरम्भ की गई थी। 1992-93 में 3 राज्यों (गुजरात, पंजाब तथा तमिलनाडु) में पांच और जिले आवृत किये गये। सात राज्यों (कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु तथा मध्य प्रदेश) के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 1990-94 के दौरान उपलब्ध निधियों का केवल 33 प्रतिशत उपयोग किया गया था।

(ख) जारी की गई वित्तीय सहायता तथा सूचित व्यय के ब्यौरों से यह देखा गया था कि 1990-93 के दौरान जारी किये गये 2.10 करोड़ रु में से 71.33 लाख रु का व्यय किया गया था, जिसमें से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा केरल में 27.69 लाख रु का व्यय कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित न की गई मदों जैसे वेतन का भुगतान, आकस्मिकताओं पर व्यय तथा विज्ञापन प्रचारों इत्यादि पर किया गया था। किसी भी राज्य द्वारा ऐसे व्यय के लिए विशिष्ट कारण नहीं दिये गये थे।

9.1.7.2 स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का विकास

आठवें योजना कार्यक्रम के दौरान, लोगों में, कैंसर के आरम्भिक लक्षणों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वस्थ जीवन विधि का पालन करने का महत्व, तम्बाकू खाने के दुष्प्रभावों इत्यादि के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत चुने गए प्रत्येक जिले को 3 लाख रु की राशि दी जा रही थी।

(i) राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि न तो तम्बाकू खाने के दुष्प्रभावों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने से सम्बन्धित कोई कार्य किया गया था और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई निधियां आवंटित की गई थी। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा निधियों के प्रावधान न किये जाने के कारण कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया जा सका, जबकि उत्तर प्रदेश में मई 1994 तक, 1989-90 में संस्वीकृत 2 लाख रु की राशि अप्रयुक्त रही।

(ii) हरियाणा में 1990-91 में 13 सिविल सर्जनों के माध्यम से 1.45 लाख रु का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप 0.55 लाख रु के अव्ययित शेष सरकार को व्यपगत हो गये। यह देखा गया था कि 13 सिविल सर्जनों में से 4 (अम्बाला, करनाल, सोनीपत तथा सिरसा) द्वारा खर्च किये गए 0.72 लाख रु में से 0.70 लाख रु प्रयोगशाला उपकरण तथा रसायनों इत्यादि की खरीद के लिए विपथित किये गये थे।

9.1.7.3 कैंसर पता लगाने वाले केन्द्रों की स्थापना

रा कैं नि का के अन्तर्गत, प्राथमिक कैंसर पहचान केन्द्र की स्थापना के लिए वांछित उपकरण की खरीद के लिए 0.50 लाख रु की दर से केन्द्रीय सहायता इस शर्त के साथ उपलब्ध करवाई गई थी कि केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने वाले, प्रशिक्षित स्टाफ, जैसे कोशिका रोगविज्ञानी, कोशिका तकनीशियन/शिल्प वैज्ञानिक, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि, उपलब्ध करवाने पर सहमत हों। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कैंसर की रोकथाम तथा प्राथमिक कैंसर पहचान पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बल दिया गया था। इसके लिए उपमण्डल स्तर पर लगभग 1.30 लाख रु के उपकरण रखने वाले राज्यों में कम से कम 3-4 कैंसर पहचान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रत्येक को 5 लाख रु की सहायता दी गई थी।

(i) अभिलेखों की नमूना जांच से यह पता चला कि रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर में एक प्राथमिक कैंसर पहचान केन्द्र की स्थापना के लिए राजस्थान सरकार को सितम्बर 1988 में 0.50 लाख रु की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई थी। न तो ऐसे किसी केन्द्र की स्थापना की गई थी और न ही राज्य सरकार द्वारा अलग स्टाफ उपलब्ध करवाया गया था। कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(ii) आगे यह देखा गया था कि तमिलनाडु में मण्डल स्तर पर कोई कैंसर पहचान केन्द्र नहीं खोला गया था यद्यपि, सरकार ने प्रत्येक पहचान केन्द्र को इस उद्देश्य के लिए (अप्रैल 1994) 1.30 लाख रु जारी किए थे (मार्च 1991)।

मध्यप्रदेश में प्राथमिक कैंसर पहचान केन्द्रों के लिए कोई केन्द्रीय सहायता आबंटित नहीं की गई थी परिणामतः मुरैना तथा भिण्ड के लिए जिला परियोजना की योजना के अंतर्गत को छोड़कर, राज्य में कोई ऐसे केन्द्र स्थापित नहीं किए जा रहे थे।

9.1.7.4 चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण

प्रारंभिक अवस्था में मुख्यवर्ती कैंसर का पता लगाने तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रसारित करने के लिए चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों/स्टाफ को प्रशिक्षण देना रा कै नि का के मुख्य घटकों में एक घटक था। योजना के अंतर्गत जिला परियोजनाओं हेतु 2 लाख रु की निधियां उपलब्ध करवाई जा रही थी। प्रशिक्षण भा चि अ प तथा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों द्वारा संयुक्त रूप से दिए जाने थे।

7 राज्यों (असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला था कि चिकित्सा/अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों हेतु किसी प्रशिक्षण का प्रबंध नहीं किया जा सका था। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान के मामले में मुख्य कारण निधियों/स्टाफ की व्यवस्था न होना था, जबकि असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली के संबंध में कोई कारण नहीं दिए गए थे। यद्यपि, तमिलनाडु में परियोजना में चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विचार किया गया था, कुड्डालोर में 53 प्रतिशत अर्ध चिकित्सा स्टाफ तथा बिल्लुपुरम में 71 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत क्रमशः चिकित्सा तथा अर्ध चिकित्सा स्टाफ अभी प्रशिक्षित किया जाना था।

9.1.7.5 पेलिएटिव एवं कष्ट निवारक उपाय

रा कै नि का के अन्तर्गत एक मुख्य कार्य क्षे कै के तथा चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कष्ट निवारण सहित चिकित्सीय सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण करना था। टर्मिनल मामलों के लिए पेलिएटिव एवं दर्द निवारक उपायों

को ज्यादा महत्व दिया जाना था। योजना के अन्तर्गत मुखीय मार्फिन तथा अन्य कष्ट निवारक उपायों के लिए सरकार द्वारा 4 लाख रू की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई थी।

(i) 5 राज्यों (हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु) के अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि केवल मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु के द्वारा ही इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की गई थी। यद्यपि तमिलनाडु में कुड्डलोर के जिला मुख्यालय के अस्पताल में टर्मिनल रोगियों को पैलिएटिव चिकित्सा के लिए 3 बिस्तर आबंटित किये गये थे, विल्लुपुरम अस्पताल में कोई बिस्तर आबंटित नहीं किया गया था। पुनः 4 लाख रू की राशि के आबंटन में से फरवरी 1994 तक कोई औषधि जैसे मुखीय मार्फिन इत्यादि खरीदी और मुख्यालय अस्पताल को आपूरित नहीं की गई थी। तथापि 1993-94 के दौरान आबंटित 3 बिस्तरों पर केवल 15 रोगियों का उपचार किया गया था।

(ii) मध्य प्रदेश में जिला अस्पताल भिण्ड में अब तक कोई पैलिएटिव रक्षा वार्ड की स्थापना नहीं की गई थी, यद्यपि, जिला अस्पताल मुरैना में चार बिस्तरों वाला ऐसा वार्ड 1992-93 में स्थापित हो गया था। यह देखा गया कि चूंकि टर्मिनल देखभाल के लिए किसी सुविधा का विकास नहीं हुआ था, पैलिएटिव देखभाल का कोई रोगी वार्ड में दाखिल नहीं हुआ था। पुनः सी.एम. एच.ओ. से मांग के अभाव के कारण मार्फिन गोलियों की कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।

9.1.8 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार ने नोडल उपचार केन्द्र के रूप में कार्य करने वाले सारे देश में फैले दस क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को मान्यता दी है। इन आठ क्षेत्रों के उपकरणों की खरीद के लिए पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है। टाटा मैमोरियल अस्पताल, बम्बई, परमाणु उर्जा विभाग से अनुदान प्राप्त करता है तथा चितरन्जन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता को सहायता, केन्द्रीय तथा पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा अनुपातिक रूप में बांटी जाती है।

1985-94 के दौरान, भारत सरकार द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 42.64 करोड़ रू (योजनागत के अन्तर्गत 32.66 करोड़ रू तथा योजनेत्तर के अन्तर्गत 9.98 करोड़ रू) का अनुदान जारी किया गया था।

3 राज्यों (असम, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पता चला था कि स्थापना में विलम्ब, भवन के पूरा होने में विलम्ब तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के अभाव इत्यादि के कारण केन्द्रीय सहायता से खरीदे गए उपकरण 16 से 62 माह तक उपयोग में नहीं लाये गये थे। अनुदान का विपथन, मूल रूप से संस्वीकृत किये गये के अतिरिक्त अन्य उपकरण की खरीद पर हुआ, उपकरणों की संस्थापित

क्षमता का अल्प उपयोग, 'भारत में निर्मित नहीं' प्रमाण पत्र (भा नि न प्र) के अधिप्रापण तथा सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में समय पर कार्यवाही करने में विलम्ब के कारण उपकरण की खरीद में परिहार्य अतिरिक्त व्यय, सहायता का पूरा उपयोग न होना तथा राज्य सरकार के हिस्से में कमी के कारण सहमत वित्तीय पद्धति की शर्तें पूरी नहीं हुई।

9.1.8.1 1987-88 के दौरान, उपचार योजना प्रणाली की खरीद के लिए डा. बरूआ कैंसर संस्थान, गोहाटी द्वारा 12 लाख रू की केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई थी। उपकरण, जो कि मार्च 1989 में प्राप्त तथा स्थापित किया गया था, मई 1994 तक उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(i) 1989-90 के दौरान लाइनर एक्सिलेटर की खरीद के लिए संस्वीकृत 12 लाख रू के अनुदान के प्रति संस्थान ने तीन वर्षों के लिए सारी राशि को अप्रयुक्त रखने के पश्चात अप्रैल 1992 के दौरान 58.34 लाख रू की लागत पर एक थेरेपी सिमुलेटर खरीदा। शेष राशि संस्थान के अन्य साधनों से वहन की गई थी। मई 1994 तक निधियों के विपथन के लिये कार्योत्तर संस्वीकृति अभी ली जानी थी। उपकरण 16 माह बीतने के पश्चात अगस्त 1993 में संस्थापित किया गया था जो कि मई 1994 तक अभी आरम्भ किया जाना था। उपकरण की स्थापना तथा आरम्भ करने में विलम्ब को संघटकों की गैर उपलब्धता तथा भवन निर्माण में विलम्ब पर आरोपित किया गया था।

(ii) कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान द्वारा खरीदी गई तथा उपयोग में लाई गई दो मशीनों अर्थात् सलेक्ट्रान तथा अल्ट्रा साउंड यूनिट के उपयोग की समीक्षा से पता चला कि 1988 से 1993-94 की अवधि के दौरान क्षमता उपयोग में 1.83 से 15.8 प्रतिशत तक भिन्नता थी। अल्प उपयोग के कारण अभिलेख में नहीं थे।

9.1.8.2 सहमत वित्तीय पद्धति के अनुसार, चितरन्जन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के लिए पश्चिम बंगाल का हिस्सा भारत सरकार द्वारा जारी किये गए योजना अनुदानों का एक तिहाई होना है। 1989-94 के दौरान, भारत सरकार ने 8.59 करोड़ रू. का अनुदान जारी किया। अपने 2.86 करोड़ रू के हिस्से के प्रति राज्य सरकार ने केवल 90.80 लाख रू की राशि का अंशदान किया। इस संबंध में राज्य सरकार के हिस्से में कमी 1.95 करोड़ रू आंकी गई।

संस्थान ने कोई कारण दिये बिना न्यूनतम (44.73 लाख रू) तथा दूसरे न्यूनतम (46.76 लाख रू) की बोली को नकारते हुये, कनाडा के अधिकतम बोलीदाता से कलकत्ता में अपने भारतीय एजेन्ट के माध्यम से जनवरी 1993 में 58.13 लाख रू की लागत पर एक थेराट्रॉन 780- सी टेली कोबाल्ट मशीन खरीदी। इसके परिणामस्वरूप 13.40 लाख रू का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

9.1.8.3 सी एच आर आई ग्वालियर द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुये सहायता अनुदान में से, स्थिति मार्च 1994 के अन्त तक अव्ययित शेष की राशि 25.65 लाख रू थी। यद्यपि प्राप्त किये गए पूरे अनुदान की राशि इसकी संस्वीकृति की तिथि के दो वर्ष के भीतर प्रयुक्त की जानी थी, 1985-94 के दौरान उपलब्ध निधियों का उपयोग शून्य से 82 प्रतिशत था। निदेशक, सी एच आर आई ग्वालियर ने बताया (अगस्त 1994) कि अनुदान तदर्थ आधार पर जारी किये गए थे तथा सरकार को प्रस्तुत किये गए अनुदान के प्रस्ताव में शामिल उपकरणों की लागत से मेल नहीं खाते थे। इसके अतिरिक्त, अधिकतर उपकरण भारत में उपलब्ध नहीं थे तथा आयात करने पड़े थे, जिसमें लम्बा समय लगा। इन कारणों से अनुदान अनुबंधित अवधि में उपयोग नहीं की जा सकी।

सी एच आर आई, ग्वालियर ने मई 1988 तथा फरवरी 1991 में क्रमशः नीदरलैंड मुद्रा अर्थात् 201050 गिल्डर्स (एक एन जी एल = 6.90 रू) 13.87 लाख रू की लागत तथा जापानी मुद्रा में 23.97 लाख रू पर अनुषंगियों तथा वैकल्पिक उपकरणों सहित ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम यूनिट (ट्री प्ला सि) तथा अल्ट्रा साउंड स्केनर इ यू वी- 515 की खरीद के लिए विदेशी फर्मों को आदेश दिये। मशीनें दिसम्बर 1990 तथा मई 1992 में अर्थात् क्रमशः 31 तथा 15 माह व्यतीत होने के पश्चात् प्राप्त हुई थी। मशीनों की प्राप्ति में विलम्ब मुख्यतः भा नि न प्र (भारत में निर्मित नहीं प्रमाण पत्र) तथा सी शु छू प्र (सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र), जो कि आपूर्ति आदेश जारी करने के बाद आवेदित किये गए थे, की विलम्बित प्राप्ति के कारण था। इस अवधि के दौरान, गिल्डर तथा जापानी येन के मुकाबले रूपये का अवमूल्यन हो गया था। परिणामतः, ट्री प्ला सि के लिए 22.35 लाख रू तथा अल्ट्रा साउंड यूनिट के लिए 41.17 लाख रू का भुगतान क्रेडिट पत्र के माध्यम से किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 25.68 लाख रू (क्रमशः 8.48 लाख रू तथा 17.20 लाख रू) का अतिरिक्त भुगतान हुआ। भा नि न प्र तथा सी शु छू प्र प्राप्त करने जैसी औपचारिकताएं यदि आपूर्ति आदेश जारी करने से पूर्व पूरी कर ली जाती तो अतिरिक्त भुगतान को बचाया जा सकता था।

9.1.9 प्रचलन की पद्धति पर सर्वेक्षण

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम का एक उद्देश्य देश में कैंसर के प्रचलन तथा विस्तार का अध्ययन करना था ताकि संदर्भित तथा उपचार प्रणाली का अनुसरण करके, उपयुक्त प्राथमिक पहचान कार्यक्रम को खोजा जा सके। 8 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला था कि राज्य में कैंसर के प्रचलन तथा घटित होने का अध्ययन केवल तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया था, जिसने इस विषय पर कोई सूचना नहीं भेजी थी।

पुनः न तो राज्य सरकार द्वारा और न ही भारत सरकार द्वारा कोई निधियां दी गई थी। यह भी देखा गया था कि कर्नाटक में किदवई मैमोरियल संस्थान द्वारा अप्रैल 1992 से मार्च 1993 के

दौरान यादृच्छित रूप से चुनी गई लगभग 0.36 लाख व्यक्तियों की जनसंख्या के बीच तम्बाकू संबंधित कैंसर के संबंध में सर्वेक्षण करने की कोशिश की गई थी, जिसके परिणाम प्रतीक्षित थे (जून 1994)। इसी प्रकार से केरल में के के के औन्कोलोजी खण्ड द्वारा मार्च 1989 से जनवरी 1994 तक किये गए 24 सर्वेक्षणों/शिविरों में राज्य में प्रचलन की कोई पद्धति तथा कैंसर के विस्तार को प्रकट करने की बजाए 0.14 लाख व्यक्तियों, जिन्होंने शिविरों में हिस्सा लिया, में से 127 कैंसर रोगियों का पता चला।

9.1.10. जापानी सहायक अनुदान कार्यक्रम

प्राथमिक कैंसर की पहचान के लिए निदान उपकरण उपलब्ध कराने तथा ट्यूमर की मात्रा का निर्धारण करने एवं उपयुक्त उपचार योजना बनाने के उद्देश्य से जापानी सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 17.04 करोड़ रू की लागत के 15 होल बॉडी सी टी स्कैनर प्राप्त किये गए थे तथा 15 संस्थाओं में स्थापित किये गए थे। अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित विषयों को दर्शाया:

9.1.10.1 सी टी स्कैनरों की संस्थापना में विलम्ब

पांच राज्यों तथा एक सं शा प्र (असम, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा चण्डीगढ़) में सी टी स्कैनर, अस्पतालों/ संस्थानों में प्राप्त किये गए थे, जो देर से चालू किये जाने के कारण 2 से 10 माह तक निष्क्रिय रहे, जिनके लिए सात मामलों में से पांच में कोई कारण नहीं दिये गए थे, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 9.1.10.1: सी टी स्कैनरों की स्थापना में विलम्ब

| क्र. सं. | राज्य का नाम | संस्थान का नाम | स्कैनर की प्राप्ति की तिथि | स्थापना की तारीख | आरम्भ होने की तारीख | आरम्भ होने में देरी | देरी के कारण |
|----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 | असम | डा. बरूआ कैंसर संस्थान, गौहाटी | 1991 (निश्चित तिथि सूचित नहीं) | नवम्बर 1992 | नवम्बर 1992 | | त्रुटिपूर्ण वातानुकूलन के कारण |
| 2 | हरियाणा | मैडिकल कालेज, रोहतक | 7-6-1990 | 12.11. 1990 | 23-12- 1990 | 6 माह | कोई कारण सूचित नहीं किये |
| 3 | राजस्थान | सवाई मान सिंह अस्पताल, जयपुर | 17-5-1989 | 21.7.1989 | 21.7.1989 | 2 माह | बिजली फिटिंग का पूरा न होना |
| 4 | उड़ीसा | ए एच आर सी सी आर टी एस कटक | जून /1990 | अप्रैल /1991 | - | - | कोई कारण सूचित |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | नहीं |
| 5 | उत्तर प्रदेश | i) कमला नेहरू मैमोरियल अस्पताल इलाहाबाद ii) किंग नार्थ चिकित्सा महाविद्यालय, लखनऊ | फरवरी/1989 फरवरी/1986 | अग./1989 दिस./1986 | अग/ 1989 दिस./1986 | 6 माह 10 माह | उपरोक्त उपरोक्त |
| 6 | संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़ | पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़ | 30-4-86 | 21-1-87 | 5-2-87 | 10 माह | उपरोक्त |

9.1.10.2 उपकरणों का अव-उपयोग

कुछ राज्यों में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि उपकरणों (सी टी स्कैनर) को कैंसर के रोगियों की जांच पड़ताल के लिए आदर्श रूप से उपयोग में नहीं लाया गया था। उपकरणों का अव उपयोग 15.27 प्रतिशत से 97.80 प्रतिशत के बीच विद्यमान था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 9.1.10.2: सी टी स्कैनरों का अव-उपयोग

| | संस्थान/राज्य का नाम | उपकरण की जांचपड़ताल की क्षमता | वर्ष | जांच पड़ताल किए गए रोगियों की वास्तविक संख्या | जांच पड़ताल में कमी | प्रतिवर्ष कमी की प्रतिशतता |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1 | डा बी बरूआ कैंसर अस्पताल गुहाटी(असम) | प्रतिवर्ष 3600 रोगी | 1992-93 1993-94 | 79 346 | 3521 3254 | 97.80 90.38 |
| 2 | चिकित्सा महाविद्यालय रोहतक(हरियाणा) | उपरोक्त | दिस./1990 से फर/1994 | 7853 | 3847 | 32.88 |
| 3 | ए एच आर सी सी आर टी एस कटक(उड़ीसा) | उपरोक्त | 1991-92 1992-93 1993-94 | 827 3050 2815 | 2773 550 785 | 77.02 15.27 21.80 |

9.1.10.3 राजस्थान में, जुलाई 1989 से जनवरी 1994 की अवधि के दौरान 9 अवसरों (162 दिनों के लिए) पर सी टी स्कैनर के असंचालन के कारण लगभग 2270 रोगी लाभ उठाने से वंचित रहे।

9.1.11 भारतीय कैंसर सोसाइटी, बम्बई को सहायक अनुदान

एन.सी.सी.पी. के अन्तर्गत, भारतीय कैंसर सोसाइटी, बम्बई को 'कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के शैक्षिक पहलू' पर एक परियोजना प्रारम्भ करने के लिए सहायक अनुदान प्रदान किये जा रहे हैं।

(i) एक ऐच्छिक संगठन द्वारा प्रस्तुत किए गए 1.50 करोड़ रु के एक परिव्यय को अंतर्ग्रस्त करते हुए कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के शैक्षिक पहलू पर एक परियोजना का अप्रैल 1986 से प्रारंभ होने वाली प्रारंभिक रूप से तीन वर्षों की अवधि के लिए 1986 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया गया था। तदनन्तर परियोजना अवधि को मार्च 1992 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखा परीक्षा जांच ने प्रकट किया कि ऐच्छिक संगठन द्वारा परियोजना के प्रमुख संघटकों पर व्यय का पालन नहीं किया गया था तथा सार्वजनिक शिक्षा पर 86.29 लाख रु का व्यय, प्रावधान से 102 प्रतिशत अधिक था तथा 1989-91 के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार खर्च किए गए धन ने जनता पर कोई प्रशंसनीय प्रभाव नहीं डाला।

(ii) स्वैच्छिक संगठनों हेतु सहायक अनुदान तीसरी पार्टी को विपणित नहीं किये जा सकते थे। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पता चला था कि 86.29 लाख रु में से 71.59 लाख रु सार्वजनिक शिक्षा पर तथा अनुसंधान सर्वेक्षण हेतु निमित्त 3.67 लाख रु को वास्तव में एक निजी पार्टी को, जिसे कि एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, दे दिया गया था।

(iii) 1983-84 में प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार 35.66 लाख रु की कुल लागत (चल यूनिटों की पूंजीगत लागत: 28.44 लाख रु., आवृत्ति लागत: 7.22 लाख रु) से बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास हेतु प्रत्येक के लिए एक, कुल चार चल कैंसर खोजी केन्द्रों को मुहैया कराई गयी थी। लागत 1986 में प्रस्तुत की गयी संशोधित अनुमानित अनुसूची में पुनः 54.69 लाख रु तक संशोधित की गई थी, जो भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 1986 में अनुमोदित की गई थी। तथापि, कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के दौरान जनवरी 1988 और मार्च 1988 के बीच 22.67 लाख रु. की लागत के केवल दो चल कैंसर डिटेक्शन यूनिटों की अधिप्राप्ति की गई थी तथा कलकत्ता और नई दिल्ली केन्द्रों को आपूर्त की गई थी। जबकि बम्बई केन्द्र में पहले ही चल यूनिट थी, मद्रास केन्द्र को चल डिटेक्शन यूनिट मुहैया नहीं कराई गई थी।

9.1.12. ऐच्छिक संगठन

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐच्छिक संगठनों को 5 लाख रु तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में उनके आवेष्टन हेतु वर्ष 1990-91 से एक योजना प्रारंभ की गई थी:-

- (i) स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियां, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गंदी बस्तियों में।
- (ii) शीघ्र कैंसर का पता लगाने वाली सुविधाओं तथा कैंसर का पता लगाने वाले कैंपों की स्थापना।

1990-94 के दौरान 8 राज्यों (दिल्ली संघ शासित प्रदेश सहित) में 21 ऐच्छिक संगठनों को भारत सरकार द्वारा 91.75 लाख रु की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। इस संदर्भ में मंत्रालय के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि किसी ऐच्छिक संगठन द्वारा न तो कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था, न ही मंत्रालय द्वारा जोर दिया गया था। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था कि ऐच्छिक संगठनों को जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि को वास्तव में उस उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया गया था, जिसके लिए इसे जारी किया गया था, क्योंकि इसके उपयोग की निगरानी रखने के लिए इस द्वारा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया था।

9.1.13 प्रबोधन और मूल्यांकन

राज्यों में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन का प्रबोधन करने के लिए, प्रत्येक राज्य में एक राज्य कैंसर नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाना था। राज्य कैंसर नियंत्रण बोर्डों का कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा, शीघ्र कैंसर की खोज, निदान, उपचार, पुनर्वास और अनुसंधान तथा भौतिक सुविधाओं, मानव संसाधन, उपकरण तथा ढांचे बनाने की सुविधाओं के रूप में विभिन्न स्तरों पर विद्यमान अवसंरचना को सुदृढ़ करने के व्यौरों के परिकलन सहित, कैंसर नियंत्रण गतिविधियों का समन्वय करना था। सरकारी अनुदेशों के अनुसार, राज्य कैंसर नियंत्रण बोर्ड को तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करना अपेक्षित था।

8 राज्यों (असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला था कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावकारी समन्वय तथा समस्त कार्यक्रम के प्रबोधन की कोई प्रणाली विकसित नहीं की गई थी। यद्यपि, 4 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान) में राज्य कैंसर नियंत्रण बोर्डों का गठन किया गया था, कर्नाटक और

उड़ीसा के राज्यों में उन्होंने एक बार बैठक की, जबकि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में उनके गठन के समय से बोर्डों द्वारा कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। मई 1994 तक उत्तर प्रदेश में कोई बोर्ड अथवा समिति संचालन में नहीं थी। प्रभावकारी समन्वय और कार्यक्रम के प्रबोधन हेतु सरकारी अनुदेशों की इस गैर अनुपालना के लिए किसी भी राज्य द्वारा कारण नहीं बताये गये थे।

केन्द्रीय स्तर पर, यह अवलोकित किया गया था कि मंत्रालय द्वारा प्राप्त क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों से कुछ वार्षिक रिपोर्टों को छोड़कर अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा कोई आवधिक विवरणियां/रिपोर्टें भेजी जानी निर्धारित नहीं की गई थीं। आगे, जून 1986 में गठित राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण बोर्ड ने अपनी दो बार बैठकें की, पहली अक्टूबर 1986 में और बाद में फरवरी 1989 में। दो बैठकों में दिए गए विभिन्न सुझावों और अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उसके बाद कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

आगे यह पता चला था कि कार्यक्रम के प्रभाव का सुनिश्चय करने के लिए राज्य या केन्द्रीय सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा रा कै नि का का मूल्यांकन नहीं किया गया था। तथापि, मुरैना (मध्यप्रदेश) और धारवाड़ (कर्नाटक) के जिलों में जिला कैंसर कार्यक्रम के आरंभिक कार्यान्वयन की वि स्वा सं के एक प्रतिनिधि द्वारा फरवरी 1993 में यह आंकने के लिए कि माडल कार्य करने की स्थिति में था तथा परियोजना सही रास्ते पर थी और कार्यक्रम निर्धारण और प्रबोधन हेतु सूचकों और सूचना आवश्यकताओं पर अनुशंसाएं करने के लिए, एक बाह्य समीक्षा की गई थी। कोई ऐसे सूचक नहीं थे कि प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र को विकसित करने के लिए पायलेट सूचकों को प्रयोग में लाया गया था।

9.1.14 राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री परियोजना (रा कै र प) तीन जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों (ज आ कै र), बम्बई, बंगलौर और मद्रास, प्रत्येक में एक तथा चंडीगढ़, डिब्रुगढ़ और त्रिवेन्द्रम में तीन, अस्पताल कैंसर रजिस्ट्री (अ कै र) के संवर्धन/स्थापना द्वारा 1981-82 में भा चि अं प द्वारा प्रारम्भ की गई थी। अब रा कै र प के वर्तमान नेटवर्क का छः ज आ कै र और छः अ कै र तक विस्तार कर दिया गया है। रजिस्ट्री परियोजना कैंसर होने के आंकड़े संग्रहीत करने के अभिप्राय से थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक रूप से अस्पताल आधारित रजिस्ट्री प्रारम्भ करने तथा बाद में जनसंख्या आधारित रजिस्ट्री तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। तदनुसार जून 1988 में, राज्य कैंसर नियंत्रण बोर्ड, उड़ीसा की आयोजित पहली बैठक में तदनुसार राज्य के चुने हुए जिलों में कैंसर रजिस्ट्री का कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया गया। परन्तु यह पता चला था कि अभी तक (मई 1994) कोई कैंसर रजिस्ट्री स्थापित नहीं की गई थी। पूछताछ पर, कैंसर

रजिस्ट्री के प्रारंभ न होने के कारण स्टाफ और कार्यालय उपकरण जैसी पर्याप्त अवसंरचना के गैर- प्रावधान पर आरोपित किये गये थे।

9.1.14.1 परिहार्य अतिरिक्त व्यय

एल एल आर चिकित्सा महाविद्यालय मेरठ में 1982 में 19.44 लाख रू की लागत से निर्मित एक भवन में संस्थापन हेतु कोबाल्ट मशीन की खरीद के लिए मार्च 1984 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाफ और निधियां (22 लाख रू) एक साथ संस्वीकृत की थी। खरीद और संस्थापन हेतु प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने के बाद, चिकित्सा महाविद्यालय ने मार्च 1990 में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किया तथा अक्टूबर 1990 में 46.95 लाख रू की लागत से मशीन महाविद्यालय में प्राप्त की गई थी। खरीद तथा संस्थापन हेतु औपचारिकताओं को पूरा करने में असामान्य विलम्ब ने मशीन की लागत को बढ़ा दिया तथा महाविद्यालय को कोबाल्ट मशीन की खरीद पर 26.45 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त 19.44 लाख रू की लागत से निर्मित नया भवन भी लगभग 9 वर्ष के लिए अप्रयुक्त रहा।

9.1.14.2 वर्ष 1985-86 से 1986-87 के दौरान, अपने चिकित्सा महाविद्यालयों में कैंसर खोजी केन्द्रों की स्थापना हेतु उपकरण खरीदने के लिए स. प्र. सरकार ने बी आर डी चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर (0.63 लाख रू) और चिकित्सा महाविद्यालय, झांसी (0.67 लाख रू) को 1.30 लाख रू संस्वीकृत किये। जबकि, बी आर डी महाविद्यालय गोरखपुर ने उपकरण नहीं खरीदे, यद्यपि, इसने मार्च 1986 में धन का आहरण कर लिया था, चिकित्सा महाविद्यालय झांसी द्वारा खरीदा गया उपकरण वातानुकूलन कक्ष की अनुपलब्धता के कारण खरीद की तारीख (मार्च 1988) से उपयोग में नहीं लाया गया है। बी आर डी चिकित्सा महाविद्यालय गोरखपुर द्वारा आहरित धन अप्रैल 1994 तक व्यक्तिगत लेजर खाते में पड़ा हुआ था।

9.1.15 सारांश

जबकि भारत सरकार ने राज्य सरकारों तथा अनुदान ग्राही संस्थाओं को निधियां जारी की थी, जो कि बजटीय प्रावधान से काफी कम थी, राज्य सरकारें, अंशतः निधियों को प्रयोग में लाने में विफल रही। क्योंकि अनुदान उपकरण की लागत के साथ सम्मेल्य नहीं था तथा राज्य सरकारें चिकित्सा महाविद्यालयों और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में अवसंरचना का सृजन तथा अन्य अपेक्षित सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकी, परिणामस्वरूप कार्यक्रम के कार्यान्वयन का खराब निष्पादन हुआ।

- आठवीं योजना के दौरान त्वरित निधिकरण के बावजूद, नयी प्रारंभ की गयी योजनाएं जैसे जिला परियोजनाएं, चुने हुए चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों में ओन्कोलोजी का विकास,

स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रम में ऐच्छिक संगठनों का सम्बन्धन तथा कैंसर की शीघ्र खोज जैसी कि प्रक्षेपित थी, नहीं हो पाई।

- चुने हुए अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालयों में 'ओकोलोजी शाखाओं' की योजना से देश में कैंसर थेरापी की उपलब्धता के संवर्धन तथा देश में कैंसर उपचार सुविधाओं में भौगोलीय अंतराल को पाटने की प्रत्याशा थी। भौगोलीय अंतराल विचारी गयी मात्रा तक नहीं घटाया जा सका, क्योंकि मई 1994 तक ओकोलोजी शाखाएं स्थापित नहीं की जा सकी थी। उपमंडल स्तर पर भी, चुने हुए जिलों में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका था। शीघ्र कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में किसी यथेष्ट प्रभाव को छोड़ने में विफल रहे थे।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम पर ड्राफ्ट पुनरीक्षण, उसमें उल्लिखित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करने के लिए नवम्बर 1994 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) को जारी किया गया था; परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 1995)।

9.2 सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता

9.2.1 प्रस्तावना

सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो, कलकत्ता (चि भं डि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के चिकित्सा भंडार संगठन के अंतर्गत है तथा महा निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं (म नि स्वा से) के माध्यम से प्रशासित है। चि भं डि के मुख्य कार्य, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं (के स स्वा से), निदेशक स्वास्थ्य सेवा (नि स्वा से) - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (अ नि द्वी) सहित केन्द्रीय सरकार के मांगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित औषधियों, शल्य चिकित्सकीय उपकरणों और अन्य चिकित्सा भंडारों का अधिप्रापण और आपूर्ति करना है।

चि भं डि सामान्य चिकित्सा और उससे सम्बद्ध उपयोग में विभिन्न मदों को समाविष्ट करते हुए भंडारों की लगभग 18000 किस्मों के भंडार का अनुरक्षण करता है। आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई औषधियों की गुणवत्ता का सुनिश्चय करने के लिए इसके पास एक रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला भी है।

9.2.2 संगठनात्मक ढांचा

चि भं डि की अध्यक्षता, एक सहायक महानिदेशक द्वारा की जाती है, जिसे कि एक उप सहायक महानिदेशक द्वारा सहायता प्राप्त होती है।

9.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 1989-94 के लिए चि भं डि की कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण जून और अगस्त 1994 के बीच किया गया था।

9.2.4 विशिष्टताएं

- प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में असाधारण विलम्ब थे। वर्ष 1985-86 से आगे के लिए प्रोफार्मा लेखे अभी तक (दिसम्बर 1994) तैयार नहीं किये गये थे। परिणामस्वरूप, चि भं डि की कार्यप्रणाली के निष्कर्ष, जैसे, बिक्री, लाभ और हानि, मांगकर्ताओं द्वारा देनदारी की बकाया रकमों इत्यादि, उपलब्ध नहीं थे अथवा सत्यापित नहीं किये गये थे। इन लेखाओं के संकलन में लम्बे विलम्बों से प्रबंधकीय नियंत्रण को क्षति पहुंची।
- चि भं डि मांग की गई बड़ी संख्या में मदों की आपूर्ति करने में विफल रहा। आपूर्ति 53 से 62 प्रतिशत के बीच थी।
- लोक लेखा समिति की अनुशंसा के बावजूद कि स्थानीय खरीद को न्यूनतम तक कम किया जाना चाहिये, 1989-94 के दौरान, स्थानीय खरीद, कुल वार्षिक खरीदों का 88 से 100 प्रतिशत तक संघटित होती थी। आगे, स्थानीय खरीद के दो मामलों में 29.07 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ था।
- अव-स्तरीय औषधियों की बारम्बार आपूर्ति के बावजूद दोषी फर्मों को काली सूची में नहीं डाला गया था। इस प्रकार प्राप्त अव-स्तरीय औषधियां मांगकर्ताओं को जारी की गई थी। 8.22 लाख रु की राशि अव-स्तरीय औषधियों की लागत होने के कारण बिना वसूली के रही।
- जबकि बड़ी संख्या में मांग पत्रों की पूर्ति नहीं की जा सकी थी, 7.13 लाख रु के मूल्य की औषधियों का अधिक भंडार था।
- मार्च 1980 और जनवरी 1994 के बीच 1.64 करोड़ रु मूल्य की भंडार में औषधियां 'समय समाप्त' हो गईं।
- चि भं डि ने मांगकर्ता द्वारा कम प्राप्ति के लिए 33.32 लाख रु की हानि उठाई।
- चि भं डि ने 5.85 लाख रु मूल्य की प्रतिबंधित औषधियां अधिप्राप्त की।

9.2.5 प्रोफार्मा लेखे

प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में असामान्य विलम्ब थे। वर्ष 1985-86 से अभी तक (दिसम्बर 1994) प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे। तिथियां, जिनको वर्ष 1978-79 के लिए तथा उससे आगे के प्रोफार्मा लेखे तैयार किये गये थे, नीचे दर्शायी गई हैं:

तालिका 9.2.5: प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में विलम्ब

| लेखा वर्ष | तिथि, जिसको तैयार हुए |
|----------------|-------------------------|
| 1978-79 | अगस्त 1981 |
| 1979-80 | दिसम्बर 1982 |
| 1980-81 | जनवरी 1985 |
| 1981-82 | अक्तूबर 1990 |
| 1982-83 | फरवरी 1992 |
| 1983-84 | जनवरी 1993 |
| 1984-85 | अक्तूबर 1993 |
| 1985-86 और आगे | अभी तैयार नहीं किये गये |

प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में असामान्य विलम्ब ने प्रबंधकीय नियंत्रण को अप्रभावी बना दिया। 1985-94 के वर्षों के लिए प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में, पिछले दस वर्षों के लिए चि भंडि की कार्य प्रणाली के परिणामों अर्थात् बिक्रियों, लाभ और हानि, मांगकर्ताओं द्वारा बकाया देनदारी की राशि आदि का सत्यापन नहीं किया जा सका।

9.2.6 चिकित्सा भंडारों की आपूर्ति

पिछले तीन वर्षों के दौरान, चिकित्सा भंडारों की मांग और आपूर्ति की स्थिति नीचे विस्तार से दी गई है:

तालिका 9.2.6: चिकित्सा भंडारों की मांग और आपूर्ति

| वर्ष | प्राप्त मागपत्रों की संख्या | भरे गये माग पत्रों की संख्या | मांग की गई मदों की संख्या | आपूर्ति मदों की संख्या | आपूर्ति मदों की प्रतिशतता | मागपत्रों के प्रति बिक्री का मूल्य |
|---------|-----------------------------|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | (करोड़ रु में) |
| 1989-90 | | | लेखापरीक्षा को ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराये गये | | | |
| 1990-91 | | | वही | | | |
| 1991-92 | 541 | 541 | 12247 | 7646 | 62.43 | 14.46 |
| 1992-93 | 929 | 929 | 6452 | 3496 | 54.18 | 28.38 |
| 1993-94 | 755 | 755 | 7194 | 3837 | 53.34 | 31.09 |

उक्त तालिका से यह प्रकट होगा कि आपूर्ति की गई मदों की प्रतिशतता में क्रमिक रूप से गिरावट आ रही थी।

9.2.7 खरीद

चि भं डि नियम पुस्तक, केवल प्राकृतिक आपदा जैसे आपतकालीन मामले में अथवा केन्द्र द्वारा प्रस्तुत आदेशों के अन्तर्गत आवृत्त न होने वाली अधिप्राप्त मदों और न्यूनतम भंडार स्तर को बनाये रखने के मामले में ही, भंडारों की स्थानीय खरीद की अनुमति देता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महा निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान (म नि आ नि) जैसी केन्द्रीयकृत एजेंसी के माध्यम से खरीद की तुलना में स्थानीय खरीद आमतौर से मंहगी पड़ती है, लोक लेखा समिति (चौथी लोक सभा) ने अपनी 103 वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.25 में अनुशंसा की थी कि स्थानीय खरीदों को न्यूनतम तक घटाने के प्रयास किये जाने चाहिये। परन्तु 1989-94 के दौरान चि भं डि द्वारा ऐसी स्थानीय खरीद, कुल वार्षिक खरीद का 88.26 से 99.61 प्रतिशत बनती थी, जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका 9.2.7: चि.भं.डि. द्वारा स्थानीय खरीद

(लाख रु. में)

| वर्ष | कुल खरीद | म नि आ नि के माध्यम से खरीद | स्थानीय खरीद | स्थानीय खरीद की प्रतिशतता |
|---------|----------|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 1989-90 | 1344.11 | 157.75 | 1186.36 | 88.26 |
| 1990-91 | 1475.06 | 5.68 | 1469.38 | 99.61 |
| 1991-92 | 1308.08 | 109.85 | 1198.23 | 91.60 |
| 1992-93 | 2525.41 | 72.83 | 2452.58 | 97.12 |
| 1993-94 | 2950.09 | 101.69 | 2848.40 | 96.55 |

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि स्थानीय खरीद इसलिए करनी पड़ी थी, क्योंकि खरीद के लिए म नि आ नि का अनुमोदन प्राप्त करना एक लम्बी प्रक्रिया थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि शासकीय नियम और प्रक्रियाएं, लिये जाने वाले समय जैसे सभी सम्बन्धित कारणों को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की गई थी।

9.2.7.1 स्थानीय खरीद पर परिहार्य व्यय

(i) चि भं डि के एक प्रमुख मांगकर्ता, के स स्वा से की औषधियों के नुस्खों में बराबर अथवा वैकल्पिक औषधि के रूप में सूत्रीकरण अथवा संरचना के सदृश संघटकों वाली कतिपय स्वामित्व की औषधियां थी। निर्धारित प्रक्रिया में, नुस्खों में सूचीबद्ध अन्य बराबर/वैकल्पिक औषधियों की दरों में से न्यूनतम दर का चयन करने के लिए पूछताछ करनी अपेक्षित है। अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि चि भं डि ने उसी संरचना वाली आर-सीनेक्स-450 मि ग्रा के अन्य वैकल्पिक कैप्सूल की दर की तुलना में यथेष्ट रूप से उंची दर से स्थानीय खरीद के माध्यम से 28.52 लाख रू की लागत से एक फर्म से चिकित्सा भंडार के 'शब्द संग्रह में शामिल नहीं (श शा न) 'मैकोक्स प्लस -450 मि ग्रा' के 474650 कैप्सूलों की अधिप्राप्ति की, परिणामस्वरूप 10.86 लाख रू का परिहार्य व्यय हुआ। चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि इस औषधि का अधिप्रापण इसलिए किया गया था क्योंकि यह विशेष रूप से मांगकर्ता द्वारा मांगी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कैप्सूल मैकोक्स की संरचना कैप्सूल आर-सीनेक्स के तुल्य थी, जो कि सस्ता था।

(ii) चि भं डि मांगकर्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पोलिथीन पैकों अथवा ड्रम कंटेनरों में ब्लिचिंग पाऊडर की अधिप्राप्ति कर रहा था। ड्रम कंटेनर का मूल्य पोलिथीन पैक की तुलना में काफी अधिक था। 1991-94 के वर्षों के दौरान, चि भं डि ने 52.65 लाख रू की लागत से ड्रमों में पैक किया हुआ 782 मि टन ब्लिचिंग पाऊडर खरीदा था, यद्यपि ड्रम पैकिंग के लिए कोई विशिष्ट मांग नहीं थी। ड्रम पैकिंग में ब्लिचिंग पाऊडर की अधिप्राप्ति के परिणामस्वरूप 18.21 लाख रू का परिहार्य व्यय हुआ। चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि अधिकतर मामलों में केवल आपातिक आवश्यकता हेतु ही ब्लिचिंग पाऊडर खरीदा गया था। इस प्रकार से, पैकिंग की, जो भी प्रकार तत्काल रूप से उपलब्ध थी, खरीदी और आपूर्त की गई थी। तथापि, चि भं डि के पास यह प्रदर्शित करने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था कि ब्लिचिंग पाऊडर केवल आपातिक मामलों में ही खरीदा गया था। तथ्य यह रहता है कि आवश्यकताओं के आवधिक निर्धारण हेतु चि भं डि के पास कोई तंत्र नहीं था, परिणामस्वरूप चि भं डि ने ब्लिचिंग पाऊडर के लिए अतिरिक्त दातव्य अदा किये थे।

9.2.8 अव-मानक औषधियां

9.2.8.1 अव मानक औषधियों की आपूर्ति कर रही फर्मों को आपूर्तिकर्ताओं की सूची से हटा दिये जाने की आवश्यकता थी तथा सभी सम्बन्धितों को निर्णय की सूचना दी जानी चाहिये थी। अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि कुछ फार्मास्यूटिकल फर्मों द्वारा आपूर्ति की गई औषधियां जांच पर अवमानक पाई गई थी। अव मानक औषधियों की बारम्बार आपूर्ति के बावजूद, गुमराह फर्मों को काली सूची में डालने की बजाय, चि भं डि ने इन फर्मों को आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने जारी रखे। कुछ उदाहरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) अक्टूबर-नवम्बर 1991 के दौरान, चि भं डि ने एक फर्म से 0.48 लाख रू मूल्य की पैरासिटामोल गोलियां अधिप्राप्त की। औषधी परीक्षण में असफल हो गई। विभिन्न औषधियों की आपूर्ति के लिए जुलाई 1992 और अगस्त 1993 के बीच उसी फर्म को 1.92 लाख रू. मूल्य के पांच और आदेश प्रस्तुत किये थे।

(ii) जनवरी 1992 में, चि भं डि ने 'पेक्टीलिन सस्पेंशन' की आपूर्ति के लिए एक फर्म को आदेश प्रस्तुत किया। जून 1992 में प्राप्त औषध अव मानक पाई गई थी। चि भं डि ने जुलाई 1992, मार्च और अप्रैल 1993 में फर्म को और आदेश प्रस्तुत किये तथा जून 1993 में 1.43 लाख रू मूल्य की औषध अधिप्राप्त की।

(iii) मई 1992 में एक फर्म से अधिप्राप्त विटामिन-सी की गोलियां परीक्षण करने पर अवमानक पाई गई थी। चि भं डि ने दिसम्बर 1992 के दौरान औषधियों की आपूर्ति के लिए फर्म को पांच और आदेश प्रस्तुत किये तथा जनवरी 1993 में 0.50 लाख रू मूल्य की विटामिन -सी की गोलियां अधिप्राप्त की।

(iv) एक फर्म से सितम्बर 1991 में चि भं डि द्वारा अधिप्राप्त एम्पीसिलिन मिक्सचर औषधियां अव मानक पाई गई थी। चि भं डि ने मार्च 1992 और जुलाई 1993 के बीच फर्म को छः और आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किये तथा अप्रैल 1992 - नवम्बर 1993 के दौरान 2.86 लाख रू मूल्य की औषधियां अधिप्राप्त की।

(v) मई 1992 में एक फर्म द्वारा आपूर्ति की गई पिनाड्रिल एक्सपैक्टोरैंट परीक्षण के दौरान अव मानक पाई गई थी। चि भं डि ने 1992-93 के दौरान फर्म को तीन और आपूर्ति आदेश प्रस्तुत किये तथा अगस्त 1992 में 0.47 लाख रू. मूल्य की विभिन्न औषधियां अधिप्राप्त की।

(vi) जून 1993 में एक फर्म से अधिप्राप्त एक औषध का परीक्षण किया गया था तथा अव मानक पाया गया था। चि भं डि ने 1993-94 के दौरान फर्म को दो और आदेश प्रस्तुत किये तथा जुलाई 1993 और जनवरी 1994 के दौरान 0.96 लाख रू मूल्य की औषध अधिप्राप्त की।

चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि पंजीकरण समाप्ति, म नि स्वा से स्तर पर की जाती है तथा अव मानक औषधियों की आपूर्ति करने वाली फर्मों की पंजीकरण समाप्ति की कोई शक्ति चि भं डि के पास नहीं है। तथ्य यह रहता है कि आपूर्तिकर्ताओं की सूची से उनके नाम न हटाने के कारण चि भं डि अव मानक औषधियों की अधिप्राप्ति कर रहा था।

9.2.8.2 चि भं डि ने अगस्त-अक्तूबर 1991 के दौरान एक फर्म से 13.06 लाख रू मूल्य के 270000 टीक्स कैप्सूलों (श शा न) की स्थानीय खरीद की। औषधि, दिसम्बर 1991 और मई 1992 के बीच में नि स्वा से, अं नि द्वी और सात अन्य मांगकर्ताओं को जारी की गई थी।

नि स्वा से, अं नि द्वी को आपूर्त औषधियों के नमूनों की केन्द्रीय औषध मानक संगठन पूर्वी क्षेत्र द्वारा जांच की गई थी, जिसने सूचित किया कि औषधि गुणवत्ता में अव मानक थी तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं थी। परिणामतः, चि भं डि ने औषधि के निर्गम को स्थगित और इन्हें उनको वापिस करने के लिए सितम्बर 1992 में सभी मांगकर्ताओं को एक परिपत्र जारी किया। परन्तु उस समय तक, औषधि के समस्त बैच का निर्गम किया जा चुका था तथा मांगकर्ताओं द्वारा खपत की जा चुकी थी। तथापि, चि भं डि ने फर्म से 2.70 लाख कैप्सूलों की लागत के लिये 13.06 लाख रू की वसूली की बजाय, नि स्वा से, अं नि द्वी को आपूर्त किये गये एक लाख कैप्सूलों की 4.84 लाख रू लागत की वसूली की।

चि भं डि ने अगस्त 1994 में बताया कि अन्य मांगकर्ताओं से कोई शिकायत नहीं मिली थी, 1.70 लाख कैप्सूलों की लागत की वसूली नहीं की गई थी। तथ्य यह रहता है कि 8.22 लाख रू मूल्य की अव मानक औषध की लागत आपूर्तिकर्ता से बिना वसूली के रही।

9.2.8.3 चि भं डि ने अगस्त 1992 में 0.72 लाख रू की लागत से एक फर्म से यूनीन्जाइम एम पी एस की 175400 गोलियां स्थानीय रूप से खरीदी। औषधि के इस बैच के नमूनों का अक्तूबर 1992 में परीक्षण किया गया था तथा औषधी अव मानक पाई गई थी। परीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले अव मानक औषधी का समस्त भंडार मांगकर्ताओं को जारी कर दिया गया था।

9.2.9 अतिसंचयन

चि भं डि वास्तविक मांग का निर्धारण किये बिना ही औषधियों की अधिप्राप्ति कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप औषधियों की अधिक अधिप्राप्ति हुई। नमूना जांच में पता लगे कुछ मामलों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(i) 1 अप्रैल 1986 को प्रोजेसिक गोलियों का भंडार 2.27 लाख था। वर्ष 1986-87 के दौरान, चि भं डि ने आठ लाख गोलियों की आपूर्ति के लिए एक फर्म को चार पृथक आदेश प्रस्तुत किये। 1986-91 के वर्षों के दौरान केवल 0.54 लाख गोलियों का निर्गम किया गया था।

परिणामस्वरूप 2.23 लाख रू मूल्य की 9.73 लाख गोलियां अप्रयुक्त रही तथा अन्ततः 'समय समाप्त' हो गई।

(ii) यद्यपि, चि भं डि के पास 7.24 लाख 'क्राम्पिन' गोलियों का भंडार था, अक्टूबर 1989 में 2.99 लाख और गोलियां अधिप्राप्त की गई थी। क्योंकि कोई मांग नहीं थी तथा मांगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं थी, 3.06 लाख रू मूल्य की 9.53 लाख गोलियों की अवधि अक्टूबर 1991 में समाप्त हो गई थी।

(iii) चि भं डि ने मांग का निर्धारण किये बिना ही, अगस्त-अक्टूबर 1988 के दौरान 23.95 लाख 'विन्सप्रिन' की गोलियां खरीदी। भंडार की दो वर्षों में भी खपत नहीं हुई थी, परिणामस्वरूप सितम्बर 1990 में 1.74 लाख रू मूल्य की 9.67 लाख गोलियों की समय अवधि समाप्त हो गई। तथ्यों को स्वीकार करते हुए, चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि इन भंडारों की लागत का समायोजन करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामला उठाया जा रहा था।

9.2.10 समय समाप्त औषधियां

फर्मों के साथ किये गये करारों में समय समाप्त औषधियों को आवधिक रूप से बदलने के लिए प्रावधान था। परन्तु ऐसे भंडारों को बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

(i) जुलाई 1975 और अगस्त 1991 के बीच खरीदी गई 1.36 करोड़ रू मूल्य की औषधियों की विभिन्न श्रेणियों की 280 मर्च मार्च 1980 और जनवरी 1994 के बीच में समय समाप्त हो गई थी, परन्तु चि भं डि फर्म द्वारा इन मर्चों के बदलाव को सुनिश्चित नहीं कर सका। अनुवर्ती आपूर्तियों के लिए बिलों से कोई वसूली नहीं की गई थी। चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि आपूर्तिकर्ताओं से इन मर्चों को बदलवाने के लिए प्रयास किये जा रहे थे।

(ii) 15.94 लाख रू मूल्य की औषधियों की विभिन्न श्रेणियों की पांच मर्च मांगकर्ताओं द्वारा वापिस की गई थी, क्योंकि इनकी मांग नहीं की गई थी। ये औषधियां समय समाप्त हो गई थी। चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि ये मर्च ठोस मांग पर आपूर्त की गई थी। तथापि, यह दिखाने के लिए कि इनकी मांग की गई थी, चि भं डि के पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

(iii) मई 1990 में, चि भं डि ने नि स्वा से, अं नि द्वी को 0.72 लाख रू मूल्य के डायग्नोस्टिक किट/एंटीजन की नौ मर्चों का प्रेषण किया। अगस्त 1990 में उनकी प्राप्ति पर, भंडार वापिस भेज दिये गये थे, क्योंकि या तो इनकी समय अवधि समाप्त हो गई थी अथवा समय अवधि बहुत कम थी। भंडार अप्रयुक्त तथा समय समाप्त पड़े थे। तथ्यों को स्वीकार करते

हुए, चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि शैल्फ समय की समाप्ति, नि स्वा से, अं नि द्वी द्वारा इन मदों को स्वीकार करने से मना कर देने के कारण हुई थी।

(iv) चि भं डि की नियम पुस्तक के अनुसार, शब्दकोश में शामिल नहीं (श शा न) मदों का भंडार नहीं किया जाना था। यह पता चला था कि 11.46 लाख रू मूल्य की औषधियों की 36 मदें समय समाप्त हो गई थी, क्योंकि नुस्खे से उनके नामों को समाप्त करने के कारण औषधालयों द्वारा इन की मांग नहीं की गई थी। तथ्यों को स्वीकार करते समय, चि भं डि ने दिसम्बर 1994 में बताया कि नुस्खे से इन मदों को हटाने को दृष्टिगत रखते हुए स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर थी। इस प्रकार से, इन मदों की अधिप्राप्ति समुचित सत्यापन किए बिना ही की गई थी परिणामस्वरूप इनको प्रयोग में नहीं लाया जा सका और समय समाप्त हो गई।

9.2.11 औषधियों की हानि

चि भं डि के मुख्य मांगकर्ता नि स्वा से, अं नि द्वी हैं। चि भं डि, नि स्वा से द्वारा प्रस्तुत किए गए मांग पत्रों के प्रति आपूर्तियों के लिए मूल्यांकित निर्गम वाउचरों के रूप में दावे प्रस्तुत करता है।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि 1987-91 के दौरान, नि स्वा से ने मदों की कम प्राप्ति के लिए निर्गम वाउचरों से 33.32 लाख रु की राशि काट ली। औषधियों की कम आपूर्ति के लिए कारणों की चि भं डि द्वारा छानबीन नहीं की गई थी, न ही हानि के लिए कोई दावा प्रस्तुत किया गया था। इसके फलस्वरूप 33.32 लाख रु की हानि हुई।

यह भी पता चला था कि 1991-93 के दौरान, दो अवसरों पर, नि स्वा से ने बिना कोई कारण निर्दिष्ट किए निर्गम वाउचरों से, आगे 9.35 लाख रु कटौती की। चि भं डि ने कटौतियों के लिए कारणों की न तो छानबीन की, न ही राशि के प्रापण के लिए कोई कार्यवाही की। तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 1994 में चि.भं.डि. ने बताया कि मामले को सशक्त रूप से उठाया जा रहा था तथा आगे परिणाम यथा समय लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

9.2.12 प्रतिबंधित औषधियां

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, समय-समय पर कतिपय श्रेणियों की औषधियों के विनिर्माण और बिक्री को इन आधारों पर प्रतिबंधित करता है कि इन औषधियों का प्रयोग, जोखिम और चिकित्सकीय औचित्य के अनुसंधान आंकड़ों पर आधारित है।

नमूना जांच ने प्रकट किया कि दिसम्बर 1990 और फरवरी 1991 की अधिसूचनाओं द्वारा प्रतिबंधित कुछ औषधियां चि भं डि द्वारा अधिप्राप्त की गई थी, जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 9.2.12: प्रतिबंधित औषधियों की अधिप्राप्ति

| क्र. सं. | प्रतिबंधित औषधि | अधिप्राप्ति की तारीख | मात्रा (बोतलें) | मूल्य (लाख रु में) | जारी की गई मात्रा |
|----------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | सैलबुटामोल मिश्रण की निर्धारित खुराक अथवा सैन्ट्रली एंकिटिंग एन्टी टसिव और/अथवा एंटी हिस्टेमाइन सहित अन्य ब्रॉकोडाइलेटर | मई 1991 | 588 | 0.36 | संपूर्ण |
| 2. | -उपरोक्त- | जुलाई 1992 और जन. 1994 | 1000 1000 | 0.19 | संपूर्ण |
| 3. | एक से अधिक एंटी हिस्टेमाइन वाला निर्धारित खुराक मिश्रण | दिस. 1991 | 4996 | 0.75 | संपूर्ण |
| 4. | किसी अन्य औषधि के साथ पैक्टाइन और/अथवा केओ लाइन वाला निर्धारित खुराक मिश्रण, जो पैक्टाइन और/अथवा केओलाइन, ऐसी औषधियों के साथ जो व्यवस्थित रूप से अवशोषित नहीं है, को छोड़कर जी आई ट्रेक्ट से व्यवस्थित रूप से अवशोषित है। | जून 1991 और अग. 1991 | 4000 1710 | 0.34 | संपूर्ण |
| 5. | तरल ओरल टोनिक् प्रिपेरेशन, जिसमें ग्लाइसिरोफास्फेट तथा/अथवा अन्य फास्फेट हो तथा/अथवा अन्य केन्द्रीय तांत्रिक तंत्र प्रणाली के स्टीमुलेंट और ऐसे प्रिपेरेशन जिनमें 200 प्रूफ से अधिक अल्कोहल हो। | फर. 1991 | 985 | 0.43 | संपूर्ण |
| 6. | अनैलजसिक एंटीपायरेटिक्स के साथ सैडेटिक्स/हिप्नोटिक्स/एंजिऑलटिक्स के निर्धारित खुराक मिश्रण | नव. 1991 अग. 1994 | 513900 गोलियां | 3.78 | संपूर्ण |
| | | | | 5.85 | |

लेखापरीक्षा पुनरीक्षण मंत्रालय को अक्टूबर 1994 में भेज दिया गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसम्बर 1994)।

9.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उनके सदन में पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही, उनमें उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों की लेखा परीक्षा द्वारा भली भाँति जांच किये जाने पर, उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दर्शाते हुए, उन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1982)।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुई अवधि तक विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा से प्रकट हुआ कि बारम्बार अनुदेशों के बावजूद मंत्रालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं (दिसम्बर 1994)।

तालिका 9.3: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर शोधक कार्यवाही

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या तथा वर्ष | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|---------------------------------------|------------------|---|
| 1988 की सं 1 | 24 | एक्सरे संयंत्र का असंस्थापन |
| 1990 की सं 1 | 2 | केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना |
| - उपरोक्त - | 4 | सफदरजंग अस्पताल में नर्सों के होस्टल का निर्माण |
| - उपरोक्त - | 8 | अस्पताल की प्राप्तियों का अस्थायी दुर्विनियोजन |
| 1991की सं 11 | 40 | भवन का निर्माण (केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद) |
| 1992 की सं 6 | 1.1 | लेखों पर अनुवर्ती कार्यवाही |
| - उपरोक्त- | 1.2 | वित्त लेखे में किये जाने वाले समायोजन |
| -उपरोक्त- | 1.5 | बीमा दावों को वसूल करने में प्रबंध की असफलता |
| -उपरोक्त- | 1.7 | औषधियों की अनियमित खरीद |
| 1993 की सं 6 | 1.2 | अनियोजित अधिप्राप्ति |

| | | |
|---------------|-----|---|
| 1993 की सं 11 | 10 | परिहार्य व्यय (राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता) |
| 1994 की सं 2 | 1.1 | परिवार कल्याण कार्यक्रम |
| -उपरोक्त- | 1.2 | छात्रावास में रहने वाली नर्सों को मकान किराया भत्ते का अनियमित भुगतान |
| -उपरोक्त- | 1.3 | चिकित्सा भंडार डिपों में समय समाप्त औषधियां |
| - उपरोक्त- | 1.4 | चिकित्सा उपकरण के असंचालनात्मक होने के कारण निधियों का अवरोधन |

मामले की सूचना मंत्रालय को नवम्बर 1994 में ही दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1994)।

अध्याय X
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

10.1 विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

10.1.1. प्रस्तावना

भारत सरकार ने 1987-88 की अंतिम तिमाही में 'विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार' पर एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना प्रारम्भ की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अनुसार वैज्ञानिक शिक्षा की गुणवत्ता तथा वैज्ञानिक प्रवृत्ति में सुधार करना था।

योजना के संघटक ये थे:

- i) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किट प्रदान करना;
- ii) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की प्रयोगशालाओं की प्रौन्नति और सुदृढीकरण;
- iii) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय सहायता;
- iv) अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विज्ञान शिक्षा हेतु जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना तथा अवसंरचनात्मक सामग्री इत्यादि का विकास तथा
- v) विज्ञान और गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षण।

10.1.2 संगठनात्मक ढांचा

केन्द्रीय स्तर पर योजना के समग्र प्रशासन और बजटीय नियंत्रण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) उत्तरदायी है। राज्य स्तर पर योजना के समन्वय और कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के विद्यालय शिक्षा निदेशालय अथवा नामित शीर्ष विभाग उत्तरदायी है।

इस योजना के लिए राज्य/सं शा प्रशासनों में शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है। कार्यक्रम में ऐच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है।

10.1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

योजना का पुनरीक्षण, 1987-88 से 1993-94 तक की अवधि के लिए शिक्षा विभाग और योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी राज्य इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित है।

10.1.4 विशिष्टताएं

- 1987-94 के वर्षों के दौरान जारी किये गये 163.79 करोड़ रु के अनुदानों के प्रति 47.74 करोड़ रु का अव्ययित शेष छोड़ते हुए, योजना के कार्यान्वयन के लिए 116.05 करोड़ रु का व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ 10.1.5)

(पैराग्राफ 10.1.5)

- योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान किये 13.99 करोड़ रु व्यय नहीं किये गये थे, अपितु वित्तीय अनुदेशों के विपरीत, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा आंध्रप्रदेश में 6.75 करोड़ रु व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखे गये थे। कर्नाटक में, 3.88 करोड़ रु व्यक्तिगत लेजर खाते में रखे गये थे तथा दो राज्यों में 90.57 लाख रु की राशि डिपॉजिट एट काल में रखी गई थी;

(पैराग्राफ 10.1.7)

- 1993-94 तक 152954 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 69287 विद्यालयों की विज्ञान किटों के प्रावधान के लिए पहचान की गई थी। योजना के अन्तर्गत केवल 37316 विद्यालयों को सहायता प्रदान की गई थी।

(पैराग्राफ 10.1.9)

(पैराग्राफ 10.1.9)

- 69580 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 30286 विद्यालयों की ही विज्ञान उपकरणों की आपूर्ति के लिए पहचान की गई थी, परन्तु केवल 20920 विद्यालयों को ही सहायता दी गई थी।

(पैराग्राफ 10.1.9)

(पैराग्राफ 10.1.9)

- पुस्तकालय की पुस्तकों की आपूर्ति के लिए चुने गये 30197 विद्यालयों के प्रति 23054 पुस्तकालय की पुस्तकों की आपूर्ति के लिए चुने गये 30197 विद्यालयों के प्रति 23054 विद्यालयों को ही आवृत किया गया था।

(पैराग्राफ 10.1.9)

- विज्ञान किट प्रदान करने के लिए छः राज्यों को 2.10 करोड़ रू की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। राज्यों ने केवल 58 लाख रू की राशि का ही उपयोग किया था। बिहार में, विज्ञान किटों के लिए 48 लाख रू प्रदान किये गये थे, परन्तु कोई राशि प्रयोग में नहीं लाई गई थी।

(पैराग्राफ 10.1.10.1)

- उत्तर प्रदेश में, 3081 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किटों के प्रावधान पर 53.74 लाख रू का निवेश अप्रयुक्त रहा, क्योंकि उन्हें संचालित करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

(पैराग्राफ 10.1.10.4)

- नौ राज्यों में, त्रुटिपूर्ण प्रयोगशालाओं की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। राजस्थान में केवल दस प्रतिशत विद्यालयों का ही सर्वेक्षण किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में सर्वेक्षण नहीं किया गया था, यद्यपि प्रश्नावलियां डिजाइन की गई थी।

(पैराग्राफ 10.1.11.1)

- चार राज्यों में प्रयोगशालाओं की गैर स्थापना के कारण 35.82 लाख रू मूल्य के उपकरण निष्क्रिय पड़े थे।

(पैराग्राफ 10.1.11-2)

- दस राज्यों में 1.37 करोड़ रू मूल्य के उपकरण या तो अप्रयुक्त पड़े थे अथवा विद्यालयों को वितरित नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 10.1.11.3)

- मध्य प्रदेश, मणीपुर, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में उच्चतर दरों पर खरीदी गई मदों अथवा आधिक्य में खरीदी गई मदों के कारण 5.40 करोड़ रू. का अधिक/परिहार्य व्यय किया गया था।

(पैराग्राफ 10.1.11.4)

- त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब और महाराष्ट्र में उपकरणों की खरीद के कारण, जो कि या तो विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थे, अथवा विद्यालयों द्वारा अपेक्षित नहीं थे, 1.49 करोड़ रू तक का निष्फल/अनियमित व्यय देखा गया था।

(पैराग्राफ 10.1.11.9)

- उत्तर प्रदेश में, फर्नीचर के लिए आबंटन, जिसमें 2.04 करोड़ रू की राशि की इस्पात फर्नीचर की मदे, शामिल थी, प्रयोगशाला विहीन विद्यालयों को किया गया था।

(पैराग्राफ 10.1.11.9)

- बिहार में, 1989-90 के दौरान, 68.64 लाख रू मूल्य की पुस्तकें खरीदी गयी थी, परन्तु राशि 1986 के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम 1993 में ही प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार से, व्यय अधिकतर निष्फल सिद्ध हुआ।

(पैराग्राफ 10.1.12.4)

- सात राज्यों में शिक्षा विभाग के पास 60 लाख रू मूल्य की पुस्तकें अवितरित पड़ी थी।

(पैराग्राफ 10.1.12.5)

- उड़ीसा में 43.40 लाख रू मूल्य की अतिरिक्त प्रतियों/अंग्रेजी पुस्तकों जो कि 1275 विद्यालयों को आपूर्त की गई थी, का अनुपयोग ध्यान में आया था।

(पैराग्राफ 10.1.12.8)

- आठ राज्यों/संशा प्रजिनमें बिहार, गुजरात, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश शामिल हैं में जिला संसाधन केन्द्र नहीं खोले गये थे तथा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं किये गये थे।

(पैराग्राफ 10.1.13.1)

- इक्कीस राज्यों में, योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के प्रबोधन के लिए कोई तंत्र नहीं था। योजना के प्रारम्भ होने के समय से ही त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्यों द्वारा कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 10.1.16)

10.1.5 वित्तीय व्यवस्थाएं

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत अनुमोदित उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन को भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता के वांछित स्तर तक इनको लाये जाने के बाद प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के अनुरक्षण और पुनर्संज्जन के लिए राज्यों के उत्तरदायित्व लेने की शर्त पर, सहायता थी। निधियां राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के आधार पर जारी की जानी थी। 1987-88 से 1993-94 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी निधियां तथा राज्यों द्वारा किया गया व्यय निम्नवत था:-

तालिका 10.1.5.1: अनुदान एवं व्यय

(करोड़ रू में)

| वर्ष | केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राशि | राज्यों द्वारा किया गया व्यय | बचत (-) आधिक्य (+) |
|---------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1987-88 | 29.15 | 9.47 | (-) 19.68 |
| 1988-89 | 28.98 | 25.30 | (-) 3.68 |
| 1989-90 | 21.20 | 19.93 | (-) 1.27 |
| 1990-91 | 20.33 | 10.44 | (-) 9.89 |
| 1991-92 | 18.18 | 12.37 | (-) 5.81 |
| 1992-93 | 24.50 | 15.73 | (-) 8.77 |
| 1993-94 | 21.45 | 22.81 | (+) 1.34 |
| जोड़ * | 163.79 | 116.05 | (-)47.74 |

* राज्यवार विश्लेषण परिशिष्ट- X में दिया गया है।

अधिकतर राज्यों में अनुदानों को पूर्णतया प्रयोग में नहीं लाया गया था। सात राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान तथा तमिलनाडु) ने 30.43 करोड़ रू की बचतें लेखाबद्ध की। मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदानों के प्रति राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा निधियों के उपयोग में कमी को नीचे सारबद्ध किया गया है:-

तालिका 10.1.5.2 : निधियों के उपयोग में कमी

| निधियों के उपयोग में कमी | राज्य |
|--------------------------|--|
| 25 प्रतिशत तक | गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा पांडिचेरी। |
| 26 से 50 प्रतिशत | असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश। |
| 51 से 75 प्रतिशत | हरियाणा, जम्मू तथा काश्मीर, त्रिपुरा तथा दिल्ली। |

राज्यों द्वारा केन्द्रीय सहायता के उपयोग में कमी, मुख्यतः केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों के विलम्ब से जारी करने, एकीकृत विज्ञान किटों, प्रयोगशाला उपकरणों, पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद के लिए निविदाओं की प्रक्रिया और उन्हें अन्तिम रूप देने में विलम्ब, फर्मों द्वारा सामान की आपूर्ति में विलम्ब और शीर्ष एजेंसियों को राज्य सरकारों से अनुदानों की पूरी राशि जारी न किये जाने पर आरोपित की गयी थी।

10.1.6 निधियों का वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी किया जाना

योजना के अन्तर्गत निधियों का अधिकांश भाग राज्यों को वर्ष के बिल्कुल अन्त में जारी किया गया था, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 10.1.6 : वर्ष के अंत में जारी निधियां

(करोड़ रु में)

| वर्ष | वर्ष के दौरान कुल जारी निधिया | फरवरी के दौरान जारी निधिया | मार्च के दौरान जारी निधियां | कुल जारी निधियों से 3 से 4 की प्रतिशतता |
|---------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1987-88 | 29.15 | | 6.57 | 22.54 |
| 1988-89 | 28.98 | 2.03 | 8.06 | 34.81 |
| 1989-90 | 21.20 | 2.70 | 0.62 | 15.66 |
| 1990-91 | 20.33 | - | 2.00 | 9.84 |
| 1991-92 | 18.18 | 7.58 | 6.98 | 80.09 |
| 1992-93 | 24.50 | 9.79 | 4.07 | 56.57 |
| 1993-94 | 21.45 | 5.38 | 9.31 | 68.48 |

निधियों को विलम्ब से जारी करने के कारण राज्यों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के दौरान निधियां प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। इसकी परिणति योजना की धीमी प्रगति तथा विचालित कार्यान्वयन में हुई।

10.1.7 निधियों का विपथन

योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये विज्ञान किटें, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, प्रयोगशाला उपकरण तथा पुस्तकालय पुस्तकों को प्रदान करने हेतु राज्यों को प्रत्येक वर्ष निधियां जारी की गई थी। सात राज्यों में यह देखा गया कि 13.99 करोड़ रु की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में पड़ी थी अथवा उन मदों पर खर्च की गई जिन पर योजना में विचार नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

तालिका 10.1.7 : निधियों का विपथन

(लाख रु में)

| राज्य का नाम | अन्तर्ग्रस्त राशि | टिप्पणियां |
|-----------------|-------------------|--|
| 1- राजस्थान | 630.82 | 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्राप्त 573.45 लाख रु की राशि एस आई ई आर टी के व्यक्तिगत जमा खाते में अन्तरित कर दी गई थी तथा 57.37 लाख रु की राशि उन मदों की खरीद (खेल का सामान, बर्तन, कम्प्यूटर) पर खर्च की गई थी, जो योजना का एक हिस्सा नहीं थी। |
| 2- कर्नाटक | 388.26 | 388.26 लाख रु के अव्ययित शेष को शिक्षा आयुक्त के नाम से 11 माह से 39 माह के बीच की अवधि के लिए व्यक्तिगत लेजर खाते में रखा गया था। |
| 3. पश्चिम बंगाल | 252.17 | 252.17 लाख रु का अव्ययित शेष विभिन्न खातों में जैसे व्यक्तिगत खाते: 61.84 लाख रु, चालू खाते: 127.95 लाख रु और डिपॉजिट एट काल प्राप्ति: 62.38 लाख रु में रखे गये थे। |
| 4. पंजाब | 50.53 | 1987-94 के दौरान, उच्च प्राथमिक पाठशालाओं की विज्ञान किटों की खरीद के लिए 56.09 लाख रु की राशि आहरित की गई थी। इस में से 50.53 लाख रु चालू खाते में रखे गये थे। |

| | | |
|------------------|----------------|---|
| 5. आन्ध्र प्रदेश | 40.00 | नवम्बर 1991 में 40 लाख रू की अव्ययित राशि ए पी आर ई आई एस के व्यक्तिगत लेजर खाते को अन्तरित कर दी गई थी। |
| 6. मिजोरम | 28.19 | 1993-94 के दौरान, 28.19 लाख रू, जो कि भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत किये गये थे, डिपॉजिट एट कॉल के रूप में सरकार के खाते से बाहर रखे गये थे। |
| 7- मध्य प्रदेश | 9.00 | 9 लाख रू राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत बैंक खाते में रखे गये थे तथा इस में से 8.38 लाख रू भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत न की गई खरीद पर व्यय के लिए विपथित किये गये थे। |
| जोड़ | 1398.97 | |

10.1.8 अनुदान के आधिक्य में किया गया व्यय

पंजाब में, 1987-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा 12.57 करोड़ रू जारी किये गये थे, जिसके प्रति 13.07 करोड़ रू का व्यय किया गया था। राज्य सरकार द्वारा 50.63 लाख रू के अधिक व्यय के लिए कारण सूचित नहीं किये गये थे।

10.1.9 प्रत्यक्ष निष्पादन

योजना में, वार्षिक रूप से इन में से एक तिहाई को आवृत करते हुए सभी सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किटों की आपूर्ति अनुबद्ध थी। 1993-94 को यथास्थिति, 23 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 1993-94 तक 1.53 लाख थी। इसमें से, 1993-94 तक विज्ञान किट प्रदान करने के लिए केवल 69,287 विद्यालयों की ही पहचान की गई थी परन्तु योजना के अन्तर्गत केवल 37316 विद्यालयों को ही वास्तव में सहायता प्रदान की गई थी। उपलब्धि में कमी के लिए कारण मुख्यतः निम्न लिखित थे:

- (i) एजेंसियों द्वारा किटों की अनापूर्ति/कम आपूर्ति,
- (ii) विज्ञान किटों का अवितरण,
- (iii) अपात्र विद्यालयों को किटों का वितरण,

(iv) राज्य सरकारों द्वारा निधियों को पूर्णतया प्रयोग में नहीं लाया गया था।

1993-94 को यथास्थिति, 23 राज्यों और 6 सं शा प्र में विद्यमान 50248 और 19332 सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से, राज्य और सं शा सरकारों द्वारा विज्ञान उपकरणों (नयी प्रयोगशालाओं के लिए 5384 विद्यालय और अपर्याप्त प्रयोगशालाओं वाले 24902 विद्यालय) की आपूर्ति के लिए 30286 विद्यालयों की पहचान की गई थी। परन्तु केवल 20920 विद्यालयों (2684 नयी प्रयोगशाला हेतु एवं 18236 अपर्याप्त प्रयोगशाला हेतु) को वास्तव में सहायता दी गई थी। 30197 विद्यालयों का पुस्तकालय की पुस्तकों की आपूर्ति के लिए चयन किया गया था, परन्तु केवल 23054 विद्यालयों को ही आवृत किया गया था। उपलब्धि में कमी के लिए कारण इन पर आरोपित थे:

- (i) विज्ञान उपकरणों तथा विज्ञान की पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब।
- (ii) विज्ञान उपकरणों तथा विज्ञान की पुस्तकों का अनुचित वितरण।
- (iii) राज्य सरकारों द्वारा अनुदानों का अनुपयोग।

10.1.10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किटों का प्रावधान

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (रा शै अ प्र प) ने चरणबद्ध ढंग से विज्ञान किट प्रदान करने के लिए राज्यों/सं शा प्र के लिए एकीकृत एवं ग्रेड विज्ञान किट विकसित किये हैं। स्थानीय एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों ने भी एक मिश्रित विज्ञान किट विकसित किया था जो विद्यालयों के लिए भी उपयुक्त मानी गई थी।

तालिका 10.1.10

लक्ष्य एवं उपलब्धियां: विद्यालयों को विज्ञान किटों की आपूर्ति

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धि | प्रतिशतता |
|---------|--------|---------|-----------|
| 1987-88 | 21930 | 5931 | 27 |
| 1988-89 | 11131 | 7235 | 65 |
| 1989-90 | 6402 | 8143 | 127 |
| 1990-91 | 9033 | 7575 | 84 |
| 1991-92 | 8571 | 377 | 04 |
| 1992-93 | 10475 | 2844 | 27 |
| 1993-94 | 1745 | 5211 | 299 |
| जोड़ | 69287 | 37316 | 54 |

10.1.10.1 राज्यो द्वारा विज्ञान किटों का अनाधिप्रापण

उच्च प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किटों के अधिप्रापण के लिए छः राज्यों को 2.10 करोड़ रू की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। राज्यों ने 1.52 करोड़ रू का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल 0.58 करोड़ रू की राशि का प्रयोग किया था। पंजाब, बिहार तथा मध्यप्रदेश में 124.49 लाख रू की बचतें लेखाबद्ध हुईं। बिहार में, 3000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान किटों की खरीद के लिए 48 लाख रू. प्रदान किये गये थे परन्तु राशियां प्रयुक्त नहीं की गई थी।

10.1.10.2 विज्ञान किटों की आपूर्ति में विलम्ब

तमिलनाडु में, रा शै अ प्र प द्वारा विकसित विज्ञान किटें, जिनमें उपकरण की 90 मर्दें, रसायन की 24 और ग्लास वेयर की 18 मर्दें शामिल थी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आपूर्ति की जानी थी। प्रति किट लागत, 1987-88 और 1988-89 के लिए 1200 रू, 1990-91 के लिए 1600 रू और 1991-92 के लिए 2000 रू निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा यह अवलोकित किया गया था कि विज्ञान किटों की आपूर्ति हेतु भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किया गया था, यद्यपि, किट की मर्दों की केवल 35 प्रतिशत की ही आपूर्ति की गई थी, परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ हुआ। यद्यपि, 3056 विद्यालयों को विज्ञान किटों की आपूर्ति की गई थी, विज्ञान किटों के समुचित उपयोग हेतु उच्च प्राथमिक अध्यापकों को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। आगे 2002 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को किटों की आपूर्ति के लिए एक सहकारी समिति को मार्च 1993 में 30.03 लाख रू का पेशगी भुगतान किया गया था, परन्तु मई 1994 तक समिति द्वारा कोई आपूर्ति नहीं की गई थी।

केरल में, 2699 विद्यालयों के लिए एकीकृत विज्ञान किटों के लिए 38.37 लाख रू सहित 1.34 करोड़ रू की राशि, आपूर्ति की अवधि को अनुबद्ध किये बिना ही तीन चरणों में मार्च 1991 तक केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ को पेशगी के रूप में दी गई थी। विज्ञान किटों में शामिल की जाने वाली मर्दों की सूची उनको मई 1992 में ही जारी की गई थी। तथापि, मार्च 1994 तक के एस सी सी एफ को कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे।

मेघालय में, 2000 रू प्रत्येक से 200 विज्ञान किटों की आपूर्ति के लिए रा शै अ प्र प को 4 लाख रू का अग्रिम दिया गया था। रा शै अ प्र प से 1.32 लाख रू मूल्य के केवल 66 विज्ञान किट ही प्राप्त किए गये थे (जनवरी 1994) तथा 2.68 लाख रू मूल्य की शेष 134 किटों को अभी भी प्राप्त किया जाना है(मई 1994)।

10.1.10.3 सामग्री की अप्राप्ति

उड़ीसा में, लेखापरीक्षा में यह पता चला था कि फर्म द्वारा विज्ञान किटों की आपूर्ति किये गये बताये गए 1000 विद्यालयों में से, केवल 445 पावतियां तथा आपूर्ति चालान उपलब्ध थे। 6.66 लाख रू मूल्य की 555 विज्ञान किटों की सुपुर्दगी के प्रमाण में प्राप्ति चालान अथवा पावतियां उपलब्ध नहीं थी।

10.1.10.4 विज्ञान किटों का अनुपयोग

तीन राज्यों में, 634 विज्ञान किटें, (पंजाब: 358 किटें, मिजोरम: 210 किटें, तथा मेघालय: 66 किटें) विभिन्न अवधियों के दौरान खरीदी गई थीं, परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालयों को केवल 234 किटें ही वितरित की गई थी। शेष 400 किटें इन राज्यों के शिक्षा निदेशालयों के पास बेकार पड़ी थी।

जम्मू तथा काश्मीर में, निदेशक विद्यालय शिक्षा जम्मू ने जुलाई 1992 में अवलोकित किया कि अधिकतर विद्यालयों में विज्ञान किटें खोली नहीं गई थी तथा स्टॉक में पड़ी हुई थी। आगे 1517 के लक्ष्य के प्रति खरीदी गई 593 एकीकृत विज्ञान किटों में से केवल 451 किटें वितरित की गई थी तथा शेष 142 किटें फरवरी 1994 को स्टॉक में पड़ी हुई थी।

उत्तर प्रदेश में अब तक (जून 1994) 3081 उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को विज्ञान किटों के प्रावधान पर 53.74 लाख रू का किया गया निवेश अनुत्पादक रहा क्योंकि इन किटों का संचालन करने के लिए अपेक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

मणिपुर में, यह ध्यान में आया था कि यद्यपि 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान विभाग ने 209 किटें वितरित की थी। 100 विद्यालय, किटों का उपयोग नहीं कर सके क्योंकि इन विद्यालयों में नियुक्त विज्ञान अध्यापक इस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, 5 विद्यालयों के छात्र तथा अध्यापक किटों के उद्देश्य से परिचित नहीं थे तथा 85 विद्यालयों में किटें क्षतिग्रस्त हो गई थी।

10.1.10.5 विज्ञान किटों का अनियमित वितरण

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 84 विज्ञान किटें (पंजाब: 25 किटें, हिमाचल प्रदेश: 13 किटें तथा मध्य प्रदेश: 46 किटें) जो कि उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के लिए थी, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को वितरित की गई थी।

राजस्थान में, उदयपुर जिले में उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 556 किटों में से, 301 लोहे के बक्से (मूल्य: 0.84 लाख रू) तथा 338 विज्ञान किटें (मूल्य 2.53 लाख रू)

माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जो कि योजना के अन्तर्गत विज्ञान किटों के लिए अनुज्ञेय नहीं थे, को वितरित की गई थी।

10.1.10.6 विज्ञान किटों का गैर लेखांकन

मिजोरम में, लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से यह ध्यान में आया कि 1991-92 के दौरान, विज्ञान किटें जो 1.42 लाख रू की लागत पर 71 माध्यमिक विद्यालयों के लिए अधिप्राप्त की गई थी न तो स्टॉक में ली गई थी न ही वितरण रजिस्टर में दर्ज की गई थी।

10.1.10.7 विद्यालयों को विज्ञान किटों की कम आपूर्ति

केरल में, नमूना जांच किये गए 89 उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में से 46 विद्यालयों ने बताया था कि उन्होंने सूची में शामिल 1 से 62 मर्चे प्राप्त नहीं की थी परन्तु आपूर्तिकर्ताओं को पूरा भुगतान किया गया था। राज्य सरकार के विभाग की यह सुनिश्चय करने में विफलता, कि किट की सारी मर्चे, जिनके लिए भुगतान किया गया था अच्छी हालत में प्राप्त हो गई थी, के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हुआ जिसका निर्धारण नहीं किया गया था।

10.1.10.8 फर्म को किया गया अधिक भुगतान

उड़ीसा में विद्यालय स्तर पर सुपुदर्शी के लिए 1000 उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1100 रू प्रति किट बाक्स की दर पर खरीद के लिए फर्म को आदेश दिये गए। विद्यालय स्तर पर 206 किट बाक्स आपूर्त करने के पश्चात फर्म ने निदेशक प्राथमिक शिक्षा को विद्यालय स्तर के जिला निरीक्षक को विज्ञान किट बाक्स आपूर्त करने के लिए अभ्यावेदन किया (उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के पतों की अनुपलब्धता तथा इसलिए भी कि कई विद्यालय पहुंच मार्ग से जुड़े हुये नहीं थे तथा कुछ विद्यालय विद्यमान नहीं थे, के आधार पर)।

फर्म ने विद्यालय स्तर जिला निरीक्षक से सम्बद्ध विद्यालय तक परिवहन के लिए, बिना किसी राशि का उल्लेख किये, परिवहन प्रभारों को वहन करने की जिम्मेवारी भी ली थी। फर्म 980 रू प्रति किट बाक्स जमा बिक्री कर इत्यादि लेने के लिए पात्र थी। परन्तु परिवहन प्रभारों को काटे बिना फर्म को वास्तव में 1100 रू की दर पर जमा बिक्री कर आदि का भुगतान किया गया था। इसके आगे, फर्म ने 1100 रू जमा 12 प्रतिशत (बिक्री कर के लिए) की दर पर जिला निरीक्षक विद्यालय को 324 किट बाक्सों की आपूर्ति की। फर्म ब्लॉक स्तर पर 980 रू प्रति किट बाक्स की आपूर्ति के लिए 12.04 लाख रू प्राप्त करने के लिए ग्राह्य थी परन्तु इस ने निदेशक उच्चतर शिक्षा से 13.51 लाख रू की राशि प्राप्त की। इस प्रकार फर्म को 1.47 लाख रू की राशि का अधिक भुगतान हुआ।

10.1.10.9 निर्धारित मानकों का अनुसरण न किया जाना

रा शै अ प्र प ने उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के लिए निहित 132 मदों से गठित एकीकृत विज्ञान किट का डिजाइन किया तथा विज्ञान किटों से समाविष्ट मदों की सूची तथा प्रस्तावित गतिविधियों की सूची रा शै अ एवं प्रा प द्वारा राज्य सरकारों को प्रस्तुत की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में रा शै अ प्र प ने अध्यापकों तथा प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर किट की लागत को 1600 रु तक सीमित करते हुये विज्ञान किट की मदों को 132 (रा शै अ एवं प्र प द्वारा निर्धारित) से 107 कर दिया। तीन जिलों (प्रकाशम, नेल्लौर तथा गुन्टूर) में 25 से 84 मदों वाली विज्ञान किटें विद्यालयों को आपूरित की गई थी, परिणामतः संकल्पना किये गए एकीकृत विज्ञान किटों की अंशतः आवृत्ति हुई।

10.1.10.10 उच्च दरों पर विज्ञान किटों की खरीद

1987-88 के दौरान रा शै अ एवं प्र प की विज्ञान किटों के अधिप्रापण की दर 1200 रु प्रति किट थी। परन्तु तीन राज्यों (मिजोरम, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात) में विज्ञान किटें उच्च दरों पर खरीदी गई थी। मिजोरम में 100 किटें 2262 रु की दर पर खरीदी गई थी।

हिमाचल प्रदेश में 342 किटें 1846 रु प्रति किट की दर पर खरीदी गई थी तथा गुजरात में 488 किटों के प्रति केवल 405 किटें 1600 रु प्रति किट की दर पर खरीदी गई थी। इसके परिणामस्वरूप 4.89 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर प्रदेश में, दिल्ली की एक फर्म ने उद्धृत दर अर्थात् 1467.60 रु प्रति किट से 2289 उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को आपूर्ति करने की पेशकश की परन्तु निधियों की उपलब्धता के बावजूद निविदत दरें मार्च 1990 में तकनीकी आधार पर निरस्त कर दी गई। विज्ञान किटें उसी फर्म से पुनः निविदत दरों के आधार पर 1742 रु प्रति किट के हिसाब से खरीदी गई। इस प्रकार 274.40 रु प्रति किट की उच्च दर पर 2289 किटों की खरीद (नवम्बर 1990) के कारण 6.28 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

10.1.11 माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की प्रौन्नति तथा सुदृढीकरण।

योजना के अन्तर्गत सभी सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अनुकूलतम स्तर तक प्रयोगशालाओं की प्रौन्नति के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जानी थी। प्रत्येक विद्यालय को सहायता उस सीमा तक सीमित की गई थी जिस तक इसके पास रा शै अ प्र प अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई मानक सूची के सन्दर्भ में उसके पास

उपकरणों की कमी थी। राज्य सरकारों/संघ शासकीय प्रशासकों को विद्यमान कमियों का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण करना था। केन्द्रीय सरकार से सहायता का दावा करने से पहले अध्यापकों तथा प्रयोगशाला के स्थान की उपलब्धता की सुनिश्चितता करना राज्यों/ सं शा प्र की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकारों/ सं शा प्रशासनों से भी यह आश्वासन देने की आशा की गई थी कि मरम्मत/तब्दीली के लिए पर्याप्त निधियां निरन्तरता के आधार पर प्रदान की जायेंगी।

घटकों के वर्षवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे तालिका में दिये गए हैं:

तालिका 10.1.11 : लक्ष्य एवं उपलब्धियां: प्रयोगशालाओं की प्रौन्नति

(संख्या)

| वर्ष | नई प्रयोगशालाएं | | वर्तमान प्रयोगशालाओं की उन्नति | |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1987-88 | 720 | 404 | 5990 | 2431 |
| 1988-89 | 1794 | 1163 | 3065 | 3375 |
| 1989-90 | 367 | 293 | 2630 | 4407 |
| 1990-91 | 606 | 377 | 3362 | 2743 |
| 1991-92 | 1429 | 61 | 2859 | 1044 |
| 1992-93 | 340 | 88 | 4756 | 1967 |
| 1993-94 | 128 | 298 | 2240 | 2269 |
| जोड़ | 5384 | 2684 | 24902 | 18236 |

10.1.11.1 सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि नौ राज्यों (हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, गोवा, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा, जम्मू एवं काश्मीर, तथा तमिलनाडु) में रा शै अ प्र प द्वारा तैयार की गई मास्टर सूची के अनुसार उपकरणों की आपूर्ति के लिए कमियों वाली प्रयोगशालाओं की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

पंजाब में, पटियाला तथा रोपड़ को छोड़कर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था। सर्वेक्षण के अभाव में इस तथ्य के बावजूद कि बिना प्रयोगशाला वाले विद्यालय 75000/90,000 रू की सहायता के पात्र थे, विद्यमान विज्ञान प्रयोगशालाओं की प्रौन्नति के लिए 2794 विद्यालयों को एक समान मान पर 25000/30,000 रू दिये गए थे।

महाराष्ट्र में, प्रयोगशालाओं का सर्वेक्षण किया गया था परन्तु विद्यालयों की प्रयोगशालाओं में कमियों के सम्बन्ध में आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गए थे।

आन्ध्र प्रदेश में अध्यापकों की वांछित संख्या तथा पर्याप्त प्रयोगशाला स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय की उपकरणों की मांग का निर्धारण करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किये गए थे जबकि वास्तविक सुविधाओं का पता लगाने के लिए प्रश्नावलियां डिजाइन की गई थी।

राजस्थान में चरण I में केवल विद्यालयों के दस प्रतिशत का सर्वेक्षण किया गया था, इसके पश्चात् कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

10.1.11.2 प्रयोगशालाओं की गैर स्थापना

जैसा कि नीचे मामलों की दी गई सूची में दिखाया गया है राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने से पूर्व अध्यापक तथा प्रयोगशाला सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाईं:

हिमाचल प्रदेश में, 22 विद्यालयों, जिनके लिए 1987-89 के दौरान 8.06 लाख रु. की सहायता उपलब्ध करवाई गई थी, में स्थान के अभाव के कारण प्रयोगशालाओं की स्थापना नहीं की गई थी।

असम में, 4.44 लाख रु के मूल्य के विज्ञान उपकरण प्रयोगशाला तथा फर्नीचर के अभाव के कारण बिना उपयोग के पड़े रहे।

पश्चिम बंगाल में, 22 विद्यालय, 8.32 लाख रु के मूल्य के उपकरणों का प्रयोगशालाओं हेतु स्थान के अभाव के कारण उपयोग न कर सके।

पंजाब में तीन जिलों, नामतः भटिंडा, लुधियाना तथा पटियाला में प्रयोगशालाओं के अभाव के कारण 15 लाख रु के मूल्य के प्रयोगशाला उपकरण तथा सामग्री 60 विद्यालयों के पास पड़े हुए थे।

10.1.11.3 निष्क्रिय पड़े उपकरण

पंजाब में, विद्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी, अमृतसर के बीच समन्वय की कमी के कारण, अक्टूबर, 1993 के दौरान 69.75 लाख रु के प्राप्त हुये उपकरण/उपस्कर, 279 विद्यालयों को आपूरित नहीं किये गए थे। नौ राज्यों, (हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, केरल, बिहार, तमिलनाडु तथा हरियाणा) में लेखापरीक्षा नमूना जांच ने दर्शाया कि 67.58 लाख रु के मूल्य के विज्ञान उपकरण तथा प्रयोगशाला रसायन या तो अप्रयुक्त पड़े थे या विद्यालयों को वितरित नहीं किये गए थे।

10.1.11.4 प्रावधान के प्रति अधिक व्यय

मध्य प्रदेश में विज्ञान प्रयोगशालाओं की उन्नति के लिए प्रति विद्यालय 25000 रु की ग्राह्यता के प्रति, 75000 रु की दर पर 650 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान उपकरणों की आपूर्ति के लिए आदेश दिये गए थे। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय मानकों की अधिकता में 2.21 करोड़ रु का अधिक व्यय हुआ।

मणिपुर में खरीद अभिलेखों की जांच पड़ताल से पता चला कि राज्य सरकार के विभाग द्वारा, 1990-91 के दौरान चयन समिति द्वारा निर्धारित सीमाओं से उपर 4.36 लाख रु से अधिक के वैज्ञानिक उपकरण/ रसायन खरीदे गए थे।

तमिलनाडु में 1988-89 में चुने गए 1204 विद्यालयों को प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति के लिए, विशिष्ट आपूर्तिकर्ता के नमूनों तथा समिति द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर, लघु उद्योग विकास नि (ल उ वि नि) ने 38 आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दिये। यह अवलोकित किया गया कि 38 आपूर्तिकर्ताओं में से 9 द्वारा उद्धृत दरें समिति द्वारा अनुमोदित दरों से कम थी, आदेश उच्च दरों पर दिये गए थे जो कि 140 से 400 प्रतिशत अधिक थी। उच्चदरों के अनुमोदन के लिए कोई कारण अभिलिखित नहीं थे। उपकरणों को उच्च दरों पर खरीदने के कारण 73.24 लाख रु का परिहार्य व्यय हुआ।

इसके आगे, निदेशक विद्यालय शिक्षा (नि वि शि) ने 1990-92 के दौरान 1591 चुने हुये विद्यालयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति हेतु 14 समितियों को आदेश दिये। नि वि शि इसी प्रकार के उपकरणों को अन्य राज्य योजना के अन्तर्गत मै. सिडको से 'दर करार' दर के आधार पर खरीद रहा था। समितियों द्वारा उद्धृत दरों की सिडको द्वारा उद्धृत दरों से तुलना करने पर यह पाया गया कि समितियों द्वारा उपकरणों की आपूर्ति के लिए स्वीकृत दरें 123 से 1032 प्रतिशत अधिक थी। इसके कारण 141 मदों के मामलों में खरीद आदेशों पर 150.18 लाख रु की अतिरिक्त वचनबद्ध देयता हुई।

लघु उद्योग विकास निगम (ल उ वि नि) द्वारा विनिर्माताओं से आपूर्ति में विलम्ब के कारण एकत्रित 5.96 लाख रु की शास्ति सरकारी लेखे में क्रेडिट करने की बजाए ल उ वि नि द्वारा रोके रखी गई।

दिशा निर्देशों के विपरीत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दो कम्पाउंड बायनाकुलर माइक्रोस्कोप तथा एक ओवर हैड प्रोजेक्टर की आपूर्ति की परिणति 51.24 लाख रु के परिहार्य व्यय में हुई। नमूना जांच में यह भी पता चला कि राज्य योजना के अन्तर्गत प्रोजेक्टर आपूर्ति किये गए विद्यालयों को केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत भी प्रोजेक्टर आपूर्ति किये गये थे। दो

प्रदर्शन मेजें तथा 10 लकड़ी के स्टूलों की वैकल्पिक मदों के रूप में आपूर्ति, जो कि योजना के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं थी, के परिणाम स्वरूप 17.18 लाख रू का परिहार्य व्यय हुआ।

आन्ध्र प्रदेश में, नेल्लौर जिले में, नई प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशालाओं की उन्नति के लिए खरीदी गई मदों की तीन गुणी मात्रा की आपूर्ति की गई थी। इसके परिणामस्वरूप रा शै अ प्र प/प्रा शै अ प्र प द्वारा निर्धारित मांग से 19.71 लाख रू का अधिक अधिप्रापण हुआ। इसी प्रकार महबूबनगर जिले में 3.16 लाख रू तक की सामग्री मांग से अधिक खरीदी गई।

10.1.11.5 खरीद प्रक्रिया की अपालना

गोवा में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद की केन्द्रीय प्रणाली की कमी के कारण प्रतियोगी दरों की अनुपलब्धता हुई। इसके अतिरिक्त, सामग्री के अधिप्रापण के लिए निविदायें आमंत्रित करने इत्यादि की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। केन्द्रीय निर्देशों के विपरीत, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद विद्यालय की इच्छा पर छोड़ दी गई।

पंजाब में, 48.58 लाख रू मूल्य के रसायन, इस तथ्य के बावजूद कि रसायनों का कोई विशेष अभिलक्षण नहीं था तथा इसे स्वामित्व वाली मद के रूप में नहीं ठहराया जा सकता था, फर्म को एकमात्र विनिर्माता मानते हुये, बिना खुली निविदाएं आमंत्रित किये, दिल्ली की फर्म से अविवेकपूर्ण रूप से खरीदे गए।

10.1.11.6 योजना का अभाव

महाराष्ट्र में, सभी माध्यमिक विद्यालयों द्वारा 4 प्रयोगशाला उपकरणों और सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों द्वारा 13 प्रयोगशाला उपकरणों की अनिवार्य खरीद के परिणामस्वरूप कुछ विद्यालयों के पास दोहरे उपकरण उपलब्ध हो गये। एक सर्वेक्षण करने के बाद, सहायता दिये जाने वाले विद्यालयों की पहचान करने की बजाय, राज्य सरकार ने विद्यालयों की अनुमानित संख्या को अपने प्रस्ताव का आधार बनाया। इसके परिणामस्वरूप प्रयोगशालाओं को प्रोन्नत करने के लिए प्राप्त निधियों में से 75.08 लाख रू की बचत हुई।

10.1.11.7 निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन न किया जाना

हिमाचल प्रदेश में, सहायता प्रदान करने के लिए मानदंडों का पालन नहीं किया गया था। 1988-89 से 1992-93 के दौरान, 75000 रू प्रति विद्यालय की दर से 230 विद्यालयों में नयी प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 172.50 लाख रू की राशि का प्रावधान किया गया था। 75000 रू की राशि प्रदान करने की बजाय, 92 विद्यालयों को 80,000 रू और 1 लाख रू के बीच राशियां प्रदान की गई थी। 272 विद्यालयों को 10,000 रू और 54,000 रू के बीच कम

सहायता प्रदान की गई थी। 92 विद्यालयों को प्रदान की गई मानदंडों से अधिक सहायता 10.40 लाख रू तथा मानदंडों से नीचे सहायता 109.35 लाख रू परिकलित होती थी।

इसी प्रकार से, 25,000 रू प्रति विद्यालय की दर से 484 विद्यालयों की प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण के लिए 1988 से 1993 के दौरान 1.21 करोड़ रू प्रदान किये गये थे। 169 विद्यालयों में, 35000 रू की दर से सहायता प्रदान की गई थी तथा 328 विद्यालयों में 10,000 रू से 20,000 रू के बीच राशि प्रदान की गई थी। मानदंडों से अधिक सहायता 16.90 लाख रू और निर्धारित मानदंडों से कम सहायता 24.77 लाख रू परिकलित होती थी।

पांडिचेरी में, 3.72 लाख रू मूल्य की रा शै अ प्र प की प्रस्तावित सूची में असम्मिलित ग्यारह वस्तुएं, अर्थात् वीडियो कैसेट रिकार्डर, ट्रायंगुलर रिसर्च माइक्रोस्कोप, बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, डॉट मैट्रिक्स प्रिन्टर खरीदी गई और विद्यालयों को आपूर्त की गई थी।

महाराष्ट्र में, 1988-89 के दौरान विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रौन्नत करने के लिए, माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 20,000 रू से 18206 रू प्रति विद्यालय तक घटा दी गई थी। माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान उपकरणों की मानक सूची विकसित नहीं की गई थी।

मणिपुर में, वर्ष 1989-90 से 1992-93 के दौरान, राज्य सरकार के विभाग ने 7.20 लाख रू मूल्य के विज्ञान उपकरण/रसायन खरीदे, जो कि न तो रा शै अ प्र प द्वारा, न ही राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही सूचीबद्ध थे।

10.1.11.8 उपकरणों का लेखांकन

पंजाब में,तीन जिलों (भटिंडा, लुधियाना और पटियाला) में 1.70 लाख रू मूल्य के उपकरण उनके भंडार रजिस्ट्रों में अलेखाबद्ध पाये गये थे।

हरियाणा में, नमूना जांच किये गये 136 विद्यालयों में से, 77 विद्यालयों ने भंडार रजिस्टर प्रस्तुत किये। उनके भंडार रजिस्टर के अनुसार, मई 1992 से मार्च 1993 के दौरान आपूर्त किये गये विज्ञान के सामान का 1.06 लाख रू मूल्य का गैर/कम लेखांकन का 50 विद्यालयों में पता चला था।

चंडीगढ़ में, जि शि अ, चंडीगढ़ द्वारा 16 विद्यालयों को आपूर्त किया गया बताया गया 1.38 लाख रू मूल्य का विज्ञान का सामान विद्यालय की लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध न हुआ पाया गया था।

10.1.11.9 निष्फल/अनियमित व्यय

त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल में विद्यालयों को 6.92 लाख रू मूल्य के उपकरणों की आपूर्ति की गई थी, जिन्हें विद्यालयों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था, क्योंकि उपकरण या तो विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थे अथवा उनकी विद्यालयों द्वारा आवश्यकता नहीं थी।

उड़ीसा में, 30 लाख रू मूल्य का विज्ञान का सामान उन 75 विज्ञान महाविद्यालयों को आपूर्त किया गया था, जिनके पास पहले से ही उपकरण थे, परिणामस्वरूप मर्दाने दोहरी हो गई।

चालानों की प्राप्ति के बिना 130 विद्यालयों को 24.87 लाख रू के उपकरणों की आपूर्ति के लिए फर्मों को भुगतान किया गया था। फर्म ने 36 विद्यालयों को उपकरणों की आपूर्ति नहीं की थी, यद्यपि पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

पंजाब में, भटिंडा, लुधियाना और पटियाला जिलों में 86 विद्यालयों को 10.18 लाख रू मूल्य के उपकरण/ सामान की आपूर्ति की गई थी, जो कि पहले से ही प्रचुर भंडार रखते थे। इसके अलावा 2104 उच्च विद्यालयों को 22.95 लाख रू मूल्य के रसायन जारी किये गये थे, यद्यपि ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थे तथा भटिंडा और लुधियाना में 47 विद्यालयों को 11.75 लाख रू मूल्य के उपकरण/माल के दोहरे निर्गम के मामले भी थे।

महाराष्ट्र में, 1988-89 के दौरान, माध्यमिक विद्यालयों द्वारा 7695 बीम बैलैस की खरीद पर हुआ 41.86 लाख रू का व्यय निष्फल था, क्योंकि दसवें दर्जे तक इनकी आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर प्रदेश में, फर्नीचर के लिए आबंटन, जिसमें 2.04 करोड़ रू की राशि के इस्पात फर्नीचर की मर्दाने शामिल थी, 429.40 लाख रू की केन्द्रीय सहायता में से, प्रयोगशाला विहीन विद्यालयों को किया गया था।

10.1.11.10 अनुरक्षण और मरम्मत का प्रावधान

महाराष्ट्र में, योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये उपकरणों की मरम्मत/बदलने के लिए किसी पृथक निधि का प्रावधान नहीं किया गया था। विद्यालयों को इसके लिए व्यय, गैर वेतन अनुदान के 12 प्रतिशत से पूरा करने के लिए कहा गया था।

पांच राज्यों (मणिपुर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात) में, राज्य सरकारों द्वारा योजना के प्रारम्भ होने के समय से ही अप्रयोज्य उपकरणों की मरम्मत और बदलने के लिए निरंतरता आधार पर पर्याप्त निधियों का प्रावधान नहीं किया गया था।

10.1.12 माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों को पुस्तकालय सहायता

सन्दर्भ पुस्तकों के महत्व तथा शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए अनुपूरक पाठकों को दृष्टिगत रखते हुए, विभिन्न विषयों में लगभग 500 नये खण्डों को खरीदने के लिए उनको सक्षम बनाने हेतु प्रत्येक विद्यालय को 1992-93 तक 15,000 रु (1993-94 से 18,000 रु) का एक बार में पुस्तकालय अनुदान दिया गया था। राज्यों/सं शा प्र को प्रकाशकों से सम्पर्क करना था तथा अपेक्षित क्षेत्रीय भाषा में चुनी हुई पुस्तकों के अनुवाद और मुद्रण हेतु व्यवस्थाएं करनी थी।

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को, पुस्तकालय सहायता के वर्ष वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

तालिका 10.1.12
लक्ष्य एवं उपलब्धियां: पुस्तकालय सहायता

| वर्ष | लक्ष्य | उपलब्धियां (संख्या) | प्रतिशतता (%) |
|-------------|--------------|------------------------|------------------|
| 1987-88 | 8221 | 3705 | 45 |
| 1988-89 | 5822 | 6800 | 117 |
| 1989-90 | 1726 | 2822 | 163 |
| 1990-91 | 3698 | 2869 | 78 |
| 1991-92 | 4179 | 1179 | 28 |
| 1992-93 | 4445 | 1971 | 44 |
| 1993-94 | 2106 | 3708 | 176 |
| जोड़ | 30197 | 23054 | 76 |

10.1.12.1 निर्धारित मानदंडों की गैर अनुपालना

पंजाब: राज्य में उच्च विद्यालय तक शिक्षा का माध्यम पंजाबी था तथा योजना में विशेष रूप से प्रावधान था कि खरीदी गई कम से कम 50 प्रतिशत पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिये। 1989-90 से 1991-92 के दौरान पंजाबी में पुस्तकों की खरीद केवल 31 और 47 प्रतिशत के बीच विद्यमान थी। 325 पुस्तकालयों में अंग्रेजी में एक भी पुस्तक किसी विद्यार्थी को निर्गमित नहीं की गई, जो 1989-90 से 1992-93 के दौरान खरीदी गई पुस्तकों का 24 से 49 प्रतिशत के बीच बनती थी।

मिजोरम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में क्षेत्रीय भाषा में बहुत थोड़ी पुस्तकों की आपूर्ति की गई थी। इन राज्यों में से कुछ में यह भी पता चला था कि पुस्तकें वे नहीं थी,

जिनका रा शै अ प्र प द्वारा सुझाव दिया गया था। जबकि जम्मू और काश्मीर में छः जिलों में मानदण्डों से अधिक्य में पुस्तकों की आपूर्ति की गई थी। हिमाचल प्रदेश में, पुस्तकों की आपूर्ति मानदण्डों से नीचे थी।

10.1.12.2 मांग के प्रति अधिक/कम आपूर्ति

पंजाब में, लेखापरीक्षा द्वारा जांच से प्रकट हुआ कि 15.90 लाख रू मूल्य की पुस्तकों के 106 सैट शिक्षा निदेशक (विद्यालय) को अमृतसर जिले की आवश्यकता के आधिक्य में जारी किये गये थे। आगे, जिला शिक्षा अधिकारी, अमृतसर ने 9.75 लाख रू मूल्य के 65 सैटों के दोहरे निर्गम सहित 235 विद्यालयों को 300 सैटों का निर्गम किया था।

जम्मू और काश्मीर में, पहले दो चरणों में पहले ही आवृत डोडा और उधमपुर जिले के 45 विद्यालयों (36 माध्यमिक और 9 उच्चतर माध्यमिक) को तीसरे चरण के दौरान एक बार पुनः पुस्तकें प्रदान की गई थी। छः जिलों में 12.31 लाख रू मूल्य की पुस्तकालय पुस्तकें निर्धारित प्रतिमानों से अधिक आपूर्ति की गई थी।

10.1.12.3 अपात्र विद्यालयों को आपूर्ति पुस्तकें

पंजाब में, विज्ञान की पुस्तकों के 21 सैट अपात्र विद्यालयों को जारी किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप योजना के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए 3.15 लाख रू का अनियमित व्यय हुआ तथा निजी विद्यालयों को अनुचित वित्तीय सहायता हुई। कर्नाटक में, 15 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को, जो कि योजना के अन्तर्गत आवृत नहीं थे, पुस्तकालय की पुस्तकों की आपूर्ति के लिए 2.26 लाख रू की राशि खर्च की गई थी। जम्मू और काश्मीर में, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए निमित्त 5.93 लाख रू मूल्य की पुस्तकें, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वितरण हेतु उधमपुर जिले के पांच क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई थी।

10.1.12.4 निष्फल/अतिरिक्त व्यय

बिहार में, 68.64 लाख रू का व्यय करते हुए, 1989-90 के दौरान खरीदी गई पाठ्य पुस्तकें अप्रचलित थी। रा शि नी के अनुसार संशोधित पाठ्यक्रम 1993 में ही प्रारम्भ किया गया था। खरीदी गई पुस्तकें संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं थी। इस प्रकार से, व्यय अधिकतर निष्फल सिद्ध हुआ।

किसी विद्यालय के लिए मंत्रालय द्वारा वितरित किये गये मार्गनिर्देशानुसार प्रत्येक शीर्षक की केवल एक प्रति ही खरीदी जानी थी। तथापि, 1991-93 के दौरान त्रिपुरा में, यह अवलोकित

किया गया था कि प्रावधानों का कतई उल्लंघन करते हुए 6146 प्रतियों के प्रति 78 विद्यालयों को 22,523 प्रतियां आपूरित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 16,377 अतिरिक्त प्रतियों पर 4.28 लाख रू का अतिरिक्त व्यय हुआ।

महाराष्ट्र में, 1988-89 के दौरान, संयुक्त पुस्तकालय वाले 15 महाविद्यालयों में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक मंडलों को सहायता के अनियमित अनुदान के परिणामस्वरूप 2.05 लाख रू के अनुदान का अधिक भुगतान हुआ था।

पंजाब में, शिक्षा निदेशक (शि नि) के आदेशों के विरुद्ध कुछ विद्यालयों को 2405 सन्दर्भ पुस्तकों की अधिक आपूर्ति, के परिणामस्वरूप 2.84 लाख रू का निष्फल व्यय हुआ। पंजाब के 363 उच्च विद्यालयों में शि नि द्वारा 3.62 लाख रू के सकल लागत की खरीदी गई अंग्रेजी माध्यम में 3 मंहगी पुस्तकें (डिस्कवरिंग कैमिस्ट्री 480 रू, मॉडर्न कैमिस्ट्री 287 रू और साइंस फॉर टुडे 231 रू प्रत्येक) विद्यालयों को जारी की गई थी, परन्तु नमूना जांच के दौरान, चार जिलों में 325 विद्यालयों में किसी भी विद्यार्थी को कोई पुस्तक जारी नहीं की गई थी।

कर्नाटक में, नमूना जांच किये गये 73 उच्च विद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 8.97 लाख रू मूल्य की अंग्रेजी में पुस्तकें विद्यार्थियों को जारी नहीं की गई थी, क्योंकि इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था। परिणामस्वरूप, इन संस्थाओं में पढ़ रहे 22000 विद्यार्थियों को योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये लाभों से वंचित रखा गया था।

पश्चिम बंगाल में, 4 जिलों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया था कि आपूर्ति की गई पुस्तकें माध्यमिक छात्रों के लिए उच्च स्तर की थी। इस प्रकार, इन पुस्तकों ने उस उद्देश्य को पूरा नहीं किया, जिसके लिए वे अधिप्राप्त की गई थी।

तमिलनाडु में, पृष्ठ मूल्य के सूत्र को अपनाये बिना आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों पर तमिल की पुस्तकों के लिए भुगतान के परिणामस्वरूप 1987-88 और 1988-89 में चुने हुए विद्यालयों को की गई आपूर्तियों के लिए क्रमशः 1.14 लाख रू और 4.46 लाख रू का अतिरिक्त व्यय हुआ। उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति के कारण 11.14 लाख रू का निष्फल व्यय हुआ। 1981 के पुराने अप्रचलित सांख्यिकीय आंकड़ों के साथ एक एटलस की आपूर्ति के कारण भी 1.85 लाख रू का अपव्यय हुआ था। आगे, मूल संस्करण की बजाय विदेशी पुस्तकों के कम मूल्य वाले संस्करण के 5 शीर्षकों की आपूर्ति और मूल पुस्तकों की बजाय 12 शीर्षकों की पुस्तकों की फोटोप्रतियों की आपूर्ति के परिणामस्वरूप प्रकाशकों को क्रमशः 0.88 लाख रू और 3.78 लाख रू का अनभिप्रेत लाभ हुआ। भारत में मुद्रित परन्तु विदेशी मुद्रा में दावा की गई पुस्तकों की आपूर्ति के परिणामस्वरूप 2.71 लाख रू का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुमत 25 प्रतिशत के प्रति आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 15 से 20 प्रतिशत और राज्य पाठ्यपुस्तक निगम को 7.5 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की अनुमति द्वारा 6.34 लाख रू का अनभिप्रेत लाभ हुआ।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (नि मा शि) द्वारा सभी आपूर्तिकर्ताओं को 25 से 15 प्रतिशत तक छूट दर घटाने, यद्यपि 22 आपूर्तिकर्ताओं में से केवल 10 ने ही छूट मांगी थी, के परिणामस्वरूप 9.51 लाख रू का अतिरिक्त व्यय हुआ, 32 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सहमत, 20 प्रतिशत के प्रति 15 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 1.02 लाख रू का अधिक भुगतान हुआ।

मध्य प्रदेश में, नमूना जांच किये गये पांच जिलों में से तीन में विज्ञान की पुस्तकों के आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से निर्धारित दर पर कमीशन की कटौती न करने के परिणामस्वरूप 1.16 लाख रू का अधिक भुगतान हुआ।

उड़ीसा में, पुस्तकों पर छूट की कटौती न करने के परिणामस्वरूप दो फर्मों को 2.71 लाख रू तक का अधिक भुगतान हुआ था (उड़ीसा पाठ्यपुस्तक ब्यूरो और प्राचि प्रकाशम)।

उड़ीसा में, पुस्तकों की आपूर्ति के समर्थन में चालानों के बिना एक फर्म को 1.17 लाख रू का अनियमित भुगतान किया गया था।

उत्तर प्रदेश में, विज्ञान की पुस्तकों के प्रकाशकों को 28.61 लाख रू की राशि का अधिक भुगतान किया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने 33.5 % की दर से कमीशन नहीं काटा था।

उत्तर प्रदेश के दो जिलों में, दूसरे चरण में, विज्ञान की पुस्तकों के दोहरे सैटों की खरीद पर अनियमित व्यय 1.82 लाख रू की राशि का था।

नमूना जांच किये गये 12 जिलों में से चार में, प्रति विद्यालय विज्ञान की राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के पांच सैट खरीदे जाने थे। पाठ्यपुस्तकों के 5 से अधिक सैटों, निजी लेखकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों, कला विषयों पर पाठ्य पुस्तकों की खरीद से 4.31 लाख रू का व्यय हुआ।

10.1.12.5 पुस्तकों का अवितरण

(क) पंजाब में, 4 जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पता चला था कि अध्यापकों तथा निर्धन विद्यार्थियों के प्रयोग के निमित्त विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की 302 (70 %) उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आपूर्ति नहीं की गई थी तथा 13.65 लाख रू मूल्य की पुस्तकों के 91 सैट अवितरित पड़े थे।

(ख) असम में, 72320 विज्ञान की सन्दर्भ पुस्तकें एक वर्ष से लेकर 3 वर्षों से अधिक के बीच की अवधि से भंडार में पड़ी थी। भंडार में पड़ी पुस्तकों का मूल्य 22.43 लाख रू परिकलित होता है।

(ग) जम्मू और काश्मीर में, 9.02 लाख रू मूल्य की पुस्तकें निदेशक, विद्यालय शिक्षा के पास अवितरित पड़ी थी।

(घ) मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणीपुर और तमिलनाडु में लेखापरीक्षा नमूना जांच से प्रकट हुआ कि 14.93 लाख रू मूल्य की पुस्तकें अवितरित पड़ी थी।

(ङ.) तमिलनाडु में, नमूना जांच से प्रकट हुआ कि विज्ञान विषयों से असम्बन्धित 17.24 लाख रू मूल्य की पुस्तकें खरीदी गई थी।

(च) बिहार, कर्नाटक, जम्मू और काश्मीर तथा चंडीगढ़ में 4.81 लाख रू मूल्य की पुस्तकों को लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

10.1.12.6 अतिरिक्त प्रतियों/अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपयोग

उड़ीसा में, पहले चरण में 1000 विद्यालयों में तथा दूसरे चरण में 275 विद्यालयों में आपूर्ति किये जाने के लिए क्रय समिति द्वारा अतिरिक्त खंडों सहित पुस्तकों की एक सूची अनुमोदित की गई थी। पुलिस उच्च विद्यालय, फुलवाड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच से यह पता चला था कि 343 पुस्तकों के अतिरिक्त खंडों को समाविष्ट करते हुए पुस्तकों के 310 शीर्षकों की आपूर्ति की गई थी। आपूर्ति की गई प्रतियां प्रति विद्यालय 2 से 5 प्रतियों के बीच थी। पहले चरण में 34.04 लाख रू तथा दूसरे चरण में 9.36 लाख रू का अतिरिक्त व्यय करने के बाद प्रति विद्यालय 3404 रू के मूल्य की कुल अतिरिक्त प्रतियों की आपूर्ति की गई थी, परिणामस्वरूप 1275 विद्यालयों के लिए 43.40 लाख रू का निष्फल व्यय हुआ, क्योंकि आपूर्ति की गई पुस्तकें अंग्रेजी में थी।

10.1.13 विज्ञान शिक्षा हेतु जिला संसाधन केन्द्रों (वि.शि. जि. सं. के.) की स्थापना

प्रत्येक जिले में, जहां, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (जि शि प्र सं) उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षा को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने, विज्ञान एवं गणित में अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्य की देखरेख करने तथा विज्ञान शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु अन्य गतिविधियों को प्रारम्भ करने की भी स्थिति में नहीं थे, जिला विज्ञान शिक्षा संसाधन केन्द्र (जि सं के) स्थापित किये जाने थे। जि वि शि सं के में

आवश्यक सुविधाओं के सृजन हेतु अधिकतम 1 लाख रू की वित्तीय सहायता ग्राह्य थी। 1987-94 से 256 केन्द्रों की स्थापना किये जाने के लक्ष्य के प्रति, 127 केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

10.1.13.1 आठ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा लक्षद्वीप) में जिला संसाधन केन्द्र नहीं खोले गये थे तथा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये थे।

10.1.13.2 निष्फल/अधिक व्यय

राजस्थान में, प्रत्येक जिला संसाधन केन्द्र के लिए, माइक्रो कम्प्यूटर की लागत 17000 रू. तक सीमित रखी गई थी। निदेशक ने एक उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, बीकानेर (उ शि अ सं) के लिए जो कि योजना के अन्तर्गत आवृत नहीं था तथा जिला संसाधन केन्द्रों के लिए नौ, प्रत्येक 0.79 लाख रू की दर से 10 माइक्रो कम्प्यूटर खरीदे (मार्च 1989)। इसके परिणामस्वरूप 10 कम्प्यूटरों की खरीद पर 6.20 लाख रू का अधिक व्यय हुआ।

तमिलनाडु में, उसी प्रकार की मदों के लिए लघु उद्योग विकास निगम की दरों की तुलना में उच्च दरों पर सहकारी समिति को आदेशों की प्रस्तुति के परिणामस्वरूप 2.70 लाख रू की अतिरिक्त बचनबद्धता हुई।

उड़ीसा में, जनवरी 1991 और अप्रैल 1992 के दौरान 4.67 लाख रू मूल्य का सामान जि. सं. के. के स्थापना हेतु 5 विद्यालयों को आपूर्त किया गया था परन्तु कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया गया था।

10.1.13.3 निष्क्रिय पड़े उपकरण

मिजोरम, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, राजस्थान, पंजाब तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए केन्द्रों में 24 लाख रू मूल्य के विज्ञान उपकरण तथा सहायक सामग्री पड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश में 36 लाख रू की लागत पर क्रेडिट की गई प्रशिक्षण सुविधाएं पूर्णतया अल्प उपयोजित रहीं।

10.1.14 विज्ञान और गणित के अध्यापकों को प्रशिक्षण

रा. शै. अ. प्र. प. द्वारा अध्यापकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम का समन्वयन किया जाना था। रा. शै. अ. प्र. प. को राज्य स्तर पर कर्मचारियों के दिग्विन्यास हेतु तथा मुख्य व्यक्तियों और संसाधन पुरुषों को प्रशिक्षण देने तथा मार्ग निर्देशों/पाठ्यक्रमों और अवसंरचनात्मक सामग्री की तैयारी हेतु कार्यशाला आयोजित करनी थी। इसके अतिरिक्त, रा शै प्र प लगभग को 500

ग्रीष्मकालीन संस्थानों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान और गणित के अध्यापकों के लिए लगभग 3 सप्ताहों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय करना था।

23 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में, 1987-94 के दौरान, 2.23 लाख उच्च प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के प्रति केवल 29652 को ही प्रशिक्षण दिया गया था। 1987-94 के दौरान, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक अध्यापकों के लिए भी प्रशिक्षण दिये गये अध्यापकों की संख्या प्रशिक्षण लक्ष्यों की दस प्रतिशत से कम थी। जबकि ग्यारह राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (असम, गुजरात, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा, दिल्ली और दादरा व नगर हवेली) में किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश में, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अंशदान के अभाव के कारण धक्का पहुंचा था। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता कम थी। तमिलनाडु में, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था तथा अन्य दो श्रेणियों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या लक्ष्यों से काफी नीचे थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छः जिला संसाधन केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित नहीं किये तथा केरल में मुश्किल से कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तथापि, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या, अन्य राज्यों की तुलना में यथेष्ट रूप से अधिक थी। आन्ध्र प्रदेश में एकीकृत विज्ञान किटों के लिए तैयार की गई सामग्री मुद्रित तथा अध्यापकों को आपूर्त नहीं की गई थी।

प्रशिक्षित किये जाने वाले 26488 संसाधन कार्मिकों में से केवल 1305 (5 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया था। कमी मुख्यतया प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते के लिए राज्य सरकारों द्वारा निधियां संस्वीकृत न किये जाने तथा अधिकतर राज्यों में जिला संसाधन केन्द्रों के उदासीन ढंग से कार्य न करने के कारण भी थी।

10.1.15 अन्य रूचिकर बातें

केरल में, क्रेता एजेंटों के साथ अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, आपूर्त किये गये सामान की लागत का 3 प्रतिशत सेवा प्रभारों के रूप में उन्हें दिया जाना था। उच्च प्राथमिक और उच्च विद्यालयों को आपूर्त की गई एकीकृत विज्ञान किटों, प्रयोगशाला उपकरणों, और पुस्तकालय की पुस्तकों की लागत 4.42 करोड़ रूपी थी। उपरोक्त व्यय के लिए ऐसे प्रभारों की राशि 13.26 लाख रूपी थी। तथापि, योजना में सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसे राज्य सरकार द्वारा वहन करना पड़ा था।

आन्ध्र प्रदेश में, रा. शै. अ. प्र. प. ने 1989-94 की अवधि के दौरान 30.85 लाख रु की राशि आहरित की थी, समस्त राशि असमायोजित पड़ी थी।

10.1.16 मूल्यांकन और प्रबोधन

केन्द्रीय सरकार को रा. शै. अ. प्र. प. (अथवा अन्य संस्थाओं) के माध्यम से योजना अवधि के अन्त में योजना के कार्यान्वयन के 'सकल मूल्यांकन' हेतु कदम उठाने थे। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिप्रेत लाभ प्राप्त कर लिए गये थे, योजना का एक 'सकल मूल्यांकन' किया जाना भी अपेक्षित था। योजना के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें, प्रति वर्ष, जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च के अन्त में राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा मा. सं. वि. मंत्रालय को निर्धारित प्रपत्र में भेजी जानी थी।

21 राज्यों/सं. शा. प्र. (राजस्थान, हरियाणा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, त्रिपुरा, मेघालय, केरल, मणिपुर, दादरा व नगर हवेली और पांडिचेरी) में निचले स्तर से योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के प्रबोधन हेतु कोई तंत्र विद्यमान नहीं था। योजना के प्रारम्भ होने से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, यद्यपि योजना पिछले सात वर्षों से कार्यान्वित की जा रही थी।

मध्य प्रदेश में, योजना का प्रबोधन केवल सितम्बर 1990 तक किया गया था तथा जम्मू और कश्मीर में जुलाई 1992 में एक बार को छोड़ कर कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

आन्ध्र प्रदेश में, प्रा. शै. अ. प्र. प. ने योजना के कार्यान्वयन के स्तर को आंकने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की थी, तथा इसे उन जिलों को भेजा गया था, जहां योजना को कार्यान्वित किया जा रहा था। प्रा. शै. अ. प्र. प. के विशेषज्ञों ने केवल दो जिलों का दौरा किया। शेष 21 जिलों में योजना के समुचित कार्यान्वयन का निर्धारण नहीं किया गया था।

कर्नाटक में, विभाग, प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति को इंगित करते हुए भारत सरकार को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें भेज रहा था परन्तु वह योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन नहीं कर रहा था। राज्य सरकार ने 1993 के दौरान उप निदेशक, सार्वजनिक संस्था तथा सहायक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से परियोजना मूल्यांकन अध्ययन हेतु व्यवस्था की थी। विभाग ने, अधिकारियों से सूचना की अप्राप्ति के कारण मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया।

योजना के मूल्यांकन पर अध्ययन और आंकड़ों के संग्रहण हेतु क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर ने दस विद्यालयों का चयन किया तथा मार्च 1993 में अध्ययन किया। शिक्षा निदेशालय के पास रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।

मा. सं. वि. मंत्रालय ने जनवरी 1992 में योजना के मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया। इसके अतिरिक्त, राज्यों और सं शा प्र के सभी शीर्ष अधिकारियों को, सुसंगत क्षेत्रों के लिए समिति के सदस्यों के रूप में चुन लिया गया था। रिपोर्ट में 25 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश 1987-92 की अवधि के लिए योजना कार्यान्वयन में आवृत्त हैं।

मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:-

समिति द्वारा विश्लेषण ने प्रदर्शित किया कि किट, प्रयोगशाला उपकरण और पुस्तकें, योजना के अन्तर्गत आवृत्त सभी विद्यालयों तक नहीं पहुंचे थे। योजना के कार्यान्वयन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान राज्यों/सं शा प्र के मुख्य प्रयास अधिप्रापण की रूपात्मकता का निर्णय करने और प्रत्येक विद्यालयों को मदों के वितरण में ही व्यतीत हुए थे। राज्यों द्वारा जि सं के की स्थापना को कम प्राथमिकता दी गई थी तथा अध्यापकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन खराब था।

विज्ञान किटों और प्रयोगशाला मदों की गुणवत्ता आमतौर से खराब थी। कुछ मदें नाजुक थी तथा बारम्बार प्रयोग हेतु सुदृढ़ और उपयुक्त नहीं थी। बहुत सी मदों की गुणवत्ता, मानक तक नहीं थी तथा बहुत से मामलों में आपूर्तियां आवश्यकता पर आधारित नहीं थी।

विज्ञान किट मदों तथा प्रयोगशाला उपकरणों का अल्प उपयोग मुख्यतया प्रभावकारी प्रयोग हेतु अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा किट/उपकरणों के एकीकरण का कक्षा कमरों में अनुदेश के अभाव के कारण था।

बहुत से राज्यों के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण ने दर्शाया कि किटों, प्रयोगशाला उपकरणों और योजना के अन्तर्गत आपूर्त की गई पुस्तकों के उपयोग को अनुकूल बनाने के लिए पाठ्यक्रम अथवा पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक परिवर्तन नहीं किये गये थे।

10.1.17 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सामान्यतया भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा मूल्यांकन की पुष्टि करता है। विज्ञान किट प्रदान करने हेतु पहचान किए गए विद्यालय, विद्यमान विद्यालयों के पचास प्रतिशत से कम थे, जबकि विज्ञान किटों की आपूर्ति पहचान किए गए विद्यालयों, के 55 प्रतिशत से भी कम को की गई थी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्थिति सीमांत रूप से

बेहतर थी। पिछले सात वर्षों के दौरान अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित योजना के अन्य प्रमुख संघटक में 12 प्रतिशत से भी कम अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा सका। राज्यों में महालेखाकारों द्वारा नमूना जांच ने प्रदर्शित किया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त निधियों को प्रयोग में नहीं लाया गया था। चूंकि अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, यह संदिग्ध है कि विज्ञान किट किसी आदर्श प्रयोग में लाये जा सकते थे। उच्चतर दरों पर उपकरणों की खरीद से संबंधित मामलों में, बहुत से राज्यों में विनिर्देशनों के अनुरूप न होने वाले उपकरणों का पता चला था। समग्र चित्र जो कि योजना के सात वर्षों के पश्चात ऊपर उठता है, यह है कि विद्यालयों से विज्ञान शिक्षा के सुदृढीकरण का उद्देश्य निकट भविष्य में प्राप्त होना सम्भावित नहीं है।

उपरोक्त तथ्य दिसम्बर 1994 में मंत्रालय को भेजे गए थे। उनके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है (जनवरी 1995)।

10.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को उनके सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही, उनमें उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों की लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत जांच किये जाने पर, उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दशति हुए, उन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1982)।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुई अवधि तक विभिन्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियों की प्राप्ति से सम्बन्धित स्थिति की समीक्षा से प्रकट हुआ कि बारम्बार अनुदेशों के बावजूद मंत्रालय ने निम्नलिखित पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं (दिसम्बर 1994)।

तालिका 10.2 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उपचारी कार्यवाही

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या और वर्ष | पैराग्राफ संख्या | विषय |
|--------------------------------------|------------------|--|
| 1992 की सं 11 | 8 | परामर्शदायी कार्य |
| - उपरोक्त - | 12 | चिकित्सा लाभों का अनियमित प्रदान किया जाना |
| 1993 की सं. 1 | 7.6 | सहायक अनुदानों का अविवेकपूर्ण तथा अनियमित भुगतान |
| - उपरोक्त- | 7.7 | सहायक अनुदान के अविवेकपूर्ण निर्गम के कारण निधियों का अप्रयुक्त रहना |

| | | |
|----------------|-----|---|
| 1993 की सं. 11 | 14 | क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय, वारंगल |
| - उपरोक्त- | 16 | रोगी परिचर्या भत्ते का अप्राधिकृत भुगतान |
| - उपरोक्त- | 19 | वेतन के गलत निर्धारण के कारण 1.99 लाख रु की अधिक अदायगी |
| - उपरोक्त- | 21 | निधियों का अवरोधन |
| 1994 की सं. 2 | 3.4 | ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड |
| 1994 की सं. 11 | 8 | ब्याज सुविधा का लाभ उठाने में विफलता |
| - उपरोक्त - | 9 | अवस्तरीय कागज की खरीद |
| - उपरोक्त - | 10 | उपकरण की खरीद पर परिहार्य व्यय |
| - उपरोक्त - | 11 | हीलियम लिक्विफायर सिस्टम की खरीद पर अतिरिक्त व्यय |
| - उपरोक्त- | 12 | एक कम्प्यूटर की अधिप्राप्ति |
| - उपरोक्त - | 13 | एक खराब हीलियम लिक्विफायर संयंत्र की खरीद |
| 1993 की सं. 11 | 14 | छात्र गतिविधि केन्द्र का निर्माण |
| - उपरोक्त - | 15 | बोनस का अनियमित भुगतान |
| - उपरोक्त - | 16 | निष्क्रिय उपकरण |
| - उपरोक्त- | 17 | नगर प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी |
| - उपरोक्त - | 18 | पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन पर निष्फल व्यय |
| - उपरोक्त - | 19 | अनुपयुक्त एक्सरे जनरेटर की खरीद के कारण निष्फल व्यय |
| - उपरोक्त - | 20 | विद्युत और जल प्रभारों की कम वसूली |
| - उपरोक्त- | 21 | निष्क्रिय परिव्यय |

मामले की सूचना नवम्बर 1994 में मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 1995)।

युवा मामले एवं खेल विभाग

10.3 राष्ट्रीय भारतीयम 1989

10.3.1 प्रस्तावना

भारतीयम "सभी के लिए खेल कूद" तथा 'सभी के लिए शारीरिक स्वस्थता' कार्यक्रमों में युवा बच्चों की बड़ी संख्या भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक खेल तथा शारीरिक स्वस्थता आंदोलन है। मुख्य उद्देश्य, 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के बीच स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्वस्थता पैदा करना तथा जिमनास्टिक को लोकप्रिय बनाना था। यह, पूर्वी यूरोप के देशों, जैसे रूस, जर्मनी, युगोस्लाविया, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बुलगारिया, जहां इस कार्यक्रम को स्पार्टाकियेड के नाम से पुकारा जाता है तथा इसमें 4 वर्षों में एक बार बड़ा शारीरिक स्वस्थता प्रदर्शन शामिल है, की बड़े पैमाने पर खेल कूद गतिविधियों की रूप रेखा पर विकसित किया गया था।

नेहरू शताब्दी समारोह के निष्कर्ष को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा प्रायोजित भारतीय खेल प्राधिकरण (भा खे प्रा) तथा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय (ल रा शा शि म) ग्वालियर के संरक्षण में दिल्ली में 14 नवम्बर 1989 को भारतीयम 1989 आयोजित करने का नवम्बर 1986 में निर्णय लिया। भा खे प्रा ने मई 1989 में एक "समर्थ समिति" का गठन किया जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितम्बर 1989 में "विशेष आयोजन समिति" (वि आ स) अभिपुष्ट किया गया।

10.3.2 संगठनात्मक ढांचा

वि आ स का अध्यक्ष भारतीयम कार्यक्रम का मुखिया तथा प्रभारी था। समिति ने एक उपाध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य थे जो कार्यक्रम को लागू करने की सुनिश्चितता के लिए जिम्मेवार थे। वि आ स के कार्य के उपयुक्त निष्पादन के लिए नौ अलग समितियां नामतः वित्त समिति संसाधन समिति, आवास, परिहवन एवं खानपान समिति, कार्यक्रम समिति, मीडिया एवं प्रचार समिति तथा सुरक्षा एवं यातायात समिति समन्वय समिति तथा स्टेडिया समिति भी गठित की गई थी।

10.3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वि आ स द्वारा लेखाओं के संकलन एवं जांच हेतु नियुक्त चार्टर एकाउंट्स की एक फर्म ने जुलाई 1992 में वि आ स को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्रय एवं निर्माण कार्यों हेतु प्रणाली सहित 6 अगस्त 1989 से 31 जनवरी 1992 की अवधि के लिए वि आ स के लेखाओं की, भा खे प्र के कार्यालय में, जो भारतीयम कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अभिलेखों का अभिरक्षक था, जून-नवम्बर 1994 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा संवीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा का निष्कर्ष (भारतीयम 1989 पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) मंत्रालय को दिसम्बर 1994 में भेजा गया है। लेखापरीक्षा निरीक्षण से उद्भूत मुद्दे यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

10.3.4 वित्तीय प्रबंधन

वि आ स भारत सरकार के अनुदान द्वारा वित्तपोषित की गई थी। इस के अतिरिक्त, वि आ स ने राज्यों/स क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षेत्र) से निधियां/अंशदान तथा दान भी प्राप्त किए। वि आ स ने 1989-90 के दौरान भारत सरकार से कुल 2.33 करोड़ रु तथा राज्यों/स क्षेत्र तथा सा क्षेत्र से 1.96 करोड़ रु के अनुदान प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त वि आ स ने भा खे प्रा से 35.77 लाख रु प्राप्त किए। इस आयोजन पर किया गया कुल व्यय 4.45 करोड़ रु था। सितम्बर 1989 से जनवरी 1992 के दौरान कार्यक्रम पर बजट तथा व्यय निम्न प्रकार था:-

तालिका 10.3.4: बजट तथा व्यय

(लाख रु. में)

| क्र. सं. | लेखा शीर्ष | बजट परिव्यय (संशोधित) | व्यय | भिन्नता % |
|----------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| 1 | भोजन तथा आवास | 62.28 | 216.06 | 246.92 |
| 2 | परिवहन तथा जलपान | 92.87 | 90.44 | 2.61 |
| 3 | तकनीकी उपकरण | 30.00 | 16.48 | 45.07 |
| 4 | वेशभूषा/जूते/विज्ञापन पट्ट | 72.74 | 72.69 | 0.06 |
| 5 | मीडिया तथा प्रचार | 10.00 | 12.95 | 29.50 |
| 6 | विविध खर्चे | 56.80 | 36.28 | 36.13 |
| | जोड़ | 324.69 | 444.90 | 37.02 |

बजट मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था तथा अनुदान इसके पास अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध निधियों का विपथन करके संस्वीकृत तथा जारी किए गए थे।

वि. आ. स. न तो कोई स्वायत्त निकाय, पंजीकृत समिति सरकारी विभाग, अधीनस्थ अथवा सम्बद्ध कार्यालय है अथवा उस मामले में न ही इसकी कोई वैधिक स्थिति है। अलग लेखाओं का अनुरक्षण वित्तीय नियमों का उल्लंघन था तथा इस प्रकार कार्यक्रम पर किया गया व्यय (4.45 करोड़ रु) मंत्रालय तथा सरकार के लेखाओं से बाहर रहा अनियमित था। तदनुसार इसका तात्पर्य है कि जांच तथा टिप्पणियां सरकारी (सामान्य) वित्तीय नियमों तथा कार्यविधियों, जो कि सामान्यता लागू होगी पर आधारित है।

विभाग द्वारा अनुमोदित सहायता की पद्धति के अनुसार कार्यक्रम को लागू करने के लिए निवल घाटा भा खे प्रा द्वारा इसके पास उपलब्ध निधियों में से पूरा किया जाना था। घाटे के निर्धारण के लिए, साधनों पर ध्यान दिये बिना सभी प्राप्तियों को आय माना जाना था। 3.25 करोड़ रु के संशोधित बजट अनुमान के प्रति वि आ स ने 4.65 करोड़ रु प्राप्त किये।

अनुदान जारी करने से पूर्व अनुदानग्राही द्वारा बन्धपत्र निष्पादित किया जाना अनिवार्य है। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि बन्धपत्र का निष्पादन किये बिना वि आ स को दिसम्बर 1989 में सीधे ही 25 लाख रु का भुगतान किया गया था।

वि आ स ने शीर्षवार लेखा लेजर अनुरक्षित नहीं किये थे। इस प्रकार प्राप्ति तथा भुगतान लेखे में दशयि गये निम्नलिखित आंकड़े लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किये जा सके:

(रुपयों में)

| | | |
|------|---|-----------------------|
| i) | मोडयूलर आवास के निर्माण कार्य के लिए मै. बिल्डिंग सैन्टर | 13,1,98,000.00 |
| ii) | डब्लू सी शौचालयों तथा स्नान गृहों के लिए मै. सुलभ इंटरनेशनल | 14,57,694.00 |
| iii) | जल की अस्थाई आपूर्ति, सड़क रोशनी इत्यादि, हेतु दि न नि | 15,45,165.00 |
| iv) | बिजली के अस्थाई कनेक्शनों हेतु दि वि प्र सं | 55,695.00 |
| v) | मैसर्स अवतार कन्सट्रक्शन | 12,000.00 |
| vi) | निर्माण स्थल पर जनरेटरो हेतु मै. नांगल एलेक्ट्रा | 3,05,670.00 |
| | जोड़ | 1,65,74,224.00 |

22.27 लाख रु की राशि जो कि 'भा खे प्रा से प्राप्त अनुदान' शीर्ष के अन्तर्गत दिखाये गये 135.77 लाख रु का भाग है भा खे प्रा द्वारा वि आ स की ओर से इसके गठन से पूर्व खर्च

की गई थी। न तो वि आ स का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया गया था और न ही पूर्व प्रमाणित आकस्मिक बिलों तथा संस्वीकृति फाइलों सहित व्यय विवरण वि आ स को प्रस्तुत किये गये थे। इसके अतिरिक्त भा खे प्रा द्वारा 6 लाख रू की निर्मित परिसम्पत्तियां वि आ स को अन्तरित नहीं की गई थी और उनके स्टॉक में पड़ी थी।

10.3.5 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

वि आ स को, भारतीयम हेतु भा खे प्रा के अपने बजटीय प्रावधानों को शामिल करके, इसके पास उपलब्ध कुल बजट की शर्त के अधीन राष्ट्रीय भारतीयम 1989 के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी प्रशासनिक तथा वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त थी। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि, बाहरी स्थानों के भागीदारों के ठहरने (भोजन व्यवस्था को छोड़कर) पर बजट परिव्यय 38.90 लाख रू था, वि आ स ने शक्तियों का 1.77 करोड़ रू तक उपयोग किया जो अनियमित था। इसके अतिरिक्त, 83.62 लाख रू के व्यय को सम्मिलित करते हुए 37 मामलों में भा खे प्रा के महानिदेशक, सचिव तथा अन्य कर्मचारियों ने वित्तीय शक्तियों का उपयोग किया जिनके लिए न तो वि आ स ने कोई प्राधिकार दिए थे और न ही मंत्रालय ने वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हुए कोई विशिष्ट आदेश जारी किए थे।

3 अक्टूबर 1989 को आयोजित अपनी बैठक में वि आ स ने सदस्य सचिव को एक समय में प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत अधिकतम 50,000 रू की (आकस्मिकताओं को छोड़कर जहां पर एक समय में संस्वीकृति की शक्ति 10,000 रू थी) शक्ति प्रत्यायोजित की। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 1.26 करोड़ रू को शामिल करते हुए 28 मामलों में, सदस्य सचिव ने इन शक्तियों से अधिक राशियां संस्वीकृत कीं।

10.3.6 सहायता अनुदान

राष्ट्रीय भारतीयम कार्यक्रम 1989 आयोजित करने के लिए भा खे प्रा द्वारा मई 1989 में गठित की गई एक 'समर्थ समिति' का सितम्बर 1989 में अनुसमर्थन करते समय मंत्रालय ने निर्णय लिया कि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, वि आ स को शामिल करने हेतु भा खे प्रा को एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की जिम्मेवारी लेनी होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भा खे प्रा को सहायता वि आ स से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध करवाई गई थी। 2.08 करोड़ रू के सहायता अनुदान की प्राप्ति के प्रति भा खे प्रा ने वि आ स को 2.44 करोड़ रू जारी किए। इसके अतिरिक्त युवा मामले एवं खेल विभाग, जो कि कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए उत्तरदायी था ने वि आ स को सहायता अनुदान के रूप में सीधे 25 लाख रू जारी किए।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आये महत्वपूर्ण प्रसंग नीचे दिए गए हैं:-

i) वि आ स का गठन विभाग द्वारा 18 सितम्बर 1989 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार हुआ था। प्राधिकार जिसके द्वारा वित्तीय प्रावधान किए गए थे, को दर्शाने वाली कोई सूचना तथा/अथवा समर्थित अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गये थे। तथापि, विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गए अभिलेखों की संवीक्षा से अवलोकित हुआ कि वि आ स को अथवा राष्ट्रीय भारतीयम 1989 के लिए अनुदान का भुगतान करने के लिए 1989-90 वर्ष के बजट में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किये गये थे। विभाग ने 1989-90 में प्रत्येक 25 लाख रु की दो अनुदानें संस्वीकृत की एक भा खे प्रा के माध्यम से तथा एक वि आ स के खातों में सीधे लेखाबद्ध हुई। इन अनुदानों का भुगतान विभाग के लिए बजट अनुदान में से किया गया था तथा वि आ स अथवा भारतीयम के लिए बजट सहायता अनुदान के प्रावधान हेतु संसद का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

(ii) वि आ स को अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए भा खे प्रा को एक नोडल एजेन्सी माना गया था। वि आ स की वित्त समिति द्वारा प्रस्तावों की जांच के पश्चात बजट अनुमान विभाग को प्रस्तुत किये गये थे। वित्तीय नियमों के अंतर्गत अपेक्षित न तो वि आ स एकीकृत वित्त/संयुक्त वित्त के अनुमोदन से अवगत थी, न ही विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखे ऐसे किसी अनुमोदन का संकेत देते थे। इस प्रकार सहायक अनुदान का जारी किया जाना दोनों प्रकार अनियमित तथा अवैध था।

(iii) समिति के बिना किसी प्रस्ताव के वि आ स को 2.33 करोड़ संस्वीकृत तथा जारी किये गये थे। आगे न तो वि आ स के पास पंजीकृत कार्यालय है और न ही इसकी अपनी वैधिक स्थिति है। निजामुदीन, नई दिल्ली में भारतीयम ग्राम के निर्माण के लिए भा खे प्रा ने सा क्षे उ से प्राप्त 1.66 करोड़ रु के दान भी वि आ स को जारी किये।

(iv) वि आ स द्वारा सरकार को लेखा विवरण तथा पूर्णता रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की गई थीं। विभाग ने इसके द्वारा 1989-90 के दौरान भुगतान किये अनुदानों के लिए व्यय के विवरण नवम्बर 1993 में लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर प्राप्त किये। व्यय विवरण से पता चला कि 20.03 लाख रु के अव्ययित शेष अभ्यर्पित नहीं किये गए थे तथा लेखापरीक्षित लेखाओं तथा सहायता अनुदान के रूप में सीधे दिये गए 25 लाख रु हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र पांच से अधिक वर्षों के पश्चात भी नहीं भेजे गये थे।

(v) नियमानुसार, सरकारी अनुदान से पूर्णता अथवा अंशता निर्मित अथवा अधिप्राप्त परिसम्पत्तियां विद्यमान संस्थान के अस्तित्व की समाप्ति के मामले में, अनुदान ग्राहियों द्वारा निपटाये नहीं जा सकते तथा मंत्रालय को वापस किये जाने चाहिए। अभिलेखों की संवीक्षा से

पता चला कि मंत्रालय के परिसम्पत्तियों को वापस लेने के अधिकार के बारे शर्त लागू नहीं की गई थी। क्योंकि परिसम्पत्तियां पूरी तरह वि आ स द्वारा एकत्रित निधियों तथा सरकारी अनुदान से निर्मित की गई थीं, विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये बिना 1.77 करोड़ रू की परिसम्पत्तियों का भारत स्काउड एवं गाइट (भा स्का एवं गा) द्वारा रखा जाना नियमानुसार नहीं था।

10.3.7 निर्माण

10.3.7.1 जियोडयूल का निर्माण

भारतीयम 1989 के लिए लगभग 7000 बाहरी स्थान के भागीदारों को आवास के लिए, वि आ स की वित्त समिति ने सितम्बर 1989 में निजामुद्दीन नई दिल्ली में भा स्का एवं गा शिविर स्थल में प्रमापीय मकान के निर्माण हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इन भू गणितीय ढांचों को फर्म द्वारा प्रस्तावित अनुसार जियोडयूल पुकारा गया। 750 वर्ग फुट के प्रति जियोडयूल की 87000 रू की अनुमानित लागत पर वि आ स द्वारा भवन केन्द्र संस्वीकृत किये गये थे। वि आ स ने इन मोडयूल का आयोजन तथा निर्माण कार्य, लगभग 1.39 करोड़ रू की लागत तथा निर्माण लागत के 2.5 प्रतिशत की दर पर वास्तुकार शुल्क, पर एक फर्म को दिया गया। निर्माण कार्य, 14 सितम्बर 1989 से आरम्भ होना था तथा 23 अक्टूबर से आरम्भ होने वाली पूर्ण मोडयूल की क्रमिक सुपुर्दगी के साथ 25 अक्टूबर तक पूरा होना था। निर्माण कार्य के पूरा होने की निश्चित तिथि अभिलिखित नहीं की गई थी। निर्माणकार्य 1.45 करोड़ रू की लागत पर पूरा हुआ तथा फर्म को 1.32 करोड़ रू की राशि का भुगतान हुआ था। फर्म द्वारा 18 अप्रैल 1990 को 1.45 करोड़ रू के प्रस्तुत किये अंतिम बिल अभी तक पारित नहीं हुये है (नवम्बर 1994)।

समारोह के पश्चात निर्माण कार्य की जांच केन्द्रीय सर्तकता आयोग नई दिल्ली के मुख्य तकनीकी निरीक्षक (मु त नि) द्वारा अप्रैल 1990 में की गई थी तथा तब तक निर्माण कार्य सभी तरह से पूरा नहीं हुआ था। मु त नि की मुख्य तकनीकी आपत्तियां निम्नलिखित थी:-

- i) जियोडयूल के निर्माण के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी कई तरह से त्रुटिपूर्ण तथा लागत प्रभावी नहीं थी।
- ii) प्रत्येक जियोडयूल के लिए 87,000 रू की दर, जिसके आधार पर कार्य सौंपा गया था, उच्च थी तथा संघटक मर्दों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित नहीं थी।
- iii) जैसा कि निर्माण कार्य सौंपते समय विचार किया गया था, कार्य के अनुसार प्रत्येक जियोडयूल की उपयुक्त लागत 63,000 रू थी न कि 87,000 रू। इस प्रकार लगभग 150 इकाइयों के लिए फर्म को अनुमत की गई अतिरिक्त लागत लगभग 36.96 लाख रू थी।

- iv) ईंटों के प्लेटफार्मों के लिए स्वीकृत 4 लाख रु की लागत 2.65 लाख रु तक अधिक थी।
- v) वास्तुकार को भुगतान योग्य 2.5 प्रतिशत की दर पर शुल्क अधिक था।
- vi) निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण था।
- vii) शायिका बिस्तरों का कार्य उचित दरों की गणना किए बिना सौंपा गया था।

मु त नि की आपत्तियों की संवीक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि वास्तुकारी तथा इमारती ड्राइंग से संबंधित अभिलेखे, फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए लागत अनुमान निर्माण कार्य के लिए निर्धारित विशिष्टताएं उपयोग की गई सामग्री, अपनाई गई प्रौद्योगिकी, जारी कार्यदेश पत्र, लेखापरीक्षा की छानबीन हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए थे। संवीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए अभिलेखे, 29 सितम्बर 1989 से आगे के थे। इनकी नमूना जांच की गई थी तथा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं:-

i) 6 सितम्बर 1989 को आयोजित की गई अपनी बैठक में वि आ स के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने निर्णय लिया कि वि आ स भारतीयम निर्माण कार्य फर्म द्वारा सुझाये गए खाके तथा डिजाइन के अनुसार लागू करेगा। युवा मामले तथा खेल विभाग के सचिव के साथ 5 सितम्बर 1989 में हुई मौखिक बातचीत के आधार पर फर्म ने 8 सितम्बर 1989 को अपने संक्षिप्त विनिर्देशनों को प्रस्तुत किया।

ii) पी वी शीटों से ढकी मोडयूलों की छतें गुम्बद आकार धारण करने के लिए स्टील सैक्शन के ढांचे पर फाइवर बोर्ड की बनी हुई थी। क्लैंडिंग सामग्री में दरारें पड़ चुकी थीं तथा ओला वृष्टि के पश्चात जून 1990 में छत में अत्यधिक रिसाव शुरू हो गया था। अक्टूबर 1991 में फर्म ने स्वीकार किया था कि नई प्रौद्योगिकी दिल्ली के ज्यादा गर्म तथा ज्यादा सूखे जलवायु के कारण सफल नहीं थी। फर्म अपने 3 प्रस्तावों में से एक के अनुसार प्रतिस्थापन कार्य करने पर सहमत हो गई तथा पहले 11.96 लाख रु वहन किए।

दिसम्बर 1991 में वि आ स ने सी एस आई आर के अधीन भारतीय अनुसंधान संस्थान में से एक संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र गाजियाबाद (सं अ अ के) को फर्म के प्रस्तावों की जांच करने के लिए कहा। सं अ अ के ने दिसम्बर 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा बताया कि फर्म द्वारा बनायी गई सज्जा सं अ अ के तथा भा मा व्यू के अनुकूल नहीं थी तथा मरम्मत के लिए प्रस्ताव करना उचित समाधान नहीं था। सं.अ.अ.के.ने फेरो सीमेंट कार्य उपलब्ध करवाने के लिए 18.15 लाख रु तथा 65.09 लाख रु के बीच, के चार प्रस्ताव भेजे। अप्रैल 1992 में वि आ स ने फर्म को बिना अतिरिक्त लागत के मरम्मत कार्य संतोषपूर्ण करने के लिए कहा। मरम्मत कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है (नवम्बर 1994)।

इस प्रकार बाह्य अग्रभाग पर फाइबर बोर्ड का चुनाव त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह जल के सम्पर्क में आने पर एक दम विकृत हो जाता है। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा आपूर्त की गई सामग्री घटिया स्तर की थी।

iii) मोडयूलों की कुल संख्या, जैसा कि फर्म द्वारा दावा किया गया, 151 थी। तथापि, भा खे प्रा के निदेशक (इन्फ्रा) के अनुसार, इकाइयों की संख्या जैसे कि स्थल पर सत्यापित किया गया 149 है। (दो अस्पतालों सहित) तथा इनमें से 3 अपूर्ण थे। इस प्रकार दो मोडयूल के लिये 1.74 लाख रु का किया गया भुगतान अधिक था।

iv) वास्तुकार परिषद द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार वि आ स की वित्त समिति ने निर्माण लागत की 2.5 प्रतिशत की दर पर परामर्श शुल्क के प्रावधान को स्वीकार किया तथा 28 दिसम्बर 1989 को फर्म को किए गए भुगतान में 2.81 लाख रु की राशि शामिल थी।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जियोडयूल के डिजाइन फर्म के पास पहले ही उपलब्ध थे इस प्रकार आरंभिक डिजाइन अध्ययन तथा प्रत्ययात्मक ड्राइंग के किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। नगरपालिका प्राधिकारियों तथा दिल्ली शहरी कला आयोग के अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे। विस्तृत वास्तुकारी अथवा संरचनात्मक ड्राइंग तथा विस्तृत अनुमान तैयार नहीं किए गए थे। क्योंकि वास्तुकार द्वारा अपेक्षित बहुत से कार्य निष्पादित नहीं किए गए थे, वास्तुकार को 2.5 प्रतिशत की दर पर अलग से भुगतान किए जाने की सहमति, उच्चता की ओर थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि केवल एक मोडयूल की कार्यात्मक ड्राइंग तथा योजना खाका तैयार किया गया था (जिसका अनुसरण सभी मोडयूल में किया गया था)। इस प्रकार यह कार्य का दोहराव है तथा परिषद में रखे गए शुल्क के मान के अनुसार दोहरायी डिजाइनों तथा कार्यात्मक ड्राइंग के लिए वास्तुकारी शुल्क केवल आधा प्रतिशत है। इस प्रकार वास्तुकार को 2.15 लाख रु अधिक दिए गए।

v) रात दिन मोडयूल के निर्माण को सुगम बनाने के लिए वि आ स ने फर्म को बिजली तथा पानी की व्यवस्था की थी। 27 दिसम्बर 1989 को आयोजित अपनी बैठक में वि आ स ने निर्णय लिया कि बिजली तथा पानी पर हुए खर्च को फर्म से वसूल किया जाना चाहिए। मोडयूल के निर्माण को बिजली तथा जलापूर्ति के डेबिट योग्य प्रभार क्रमशः 2.49 लाख रु तथा 0.48 लाख रु दिखाये गए थे। यद्यपि, पांच से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जल तथा बिजली प्रभारों के संबंध में 2.97 लाख रु की राशि फर्म से वसूली नहीं गई थी।

vi) नियमों तथा प्रथा के अनुसार जब तक कि शहरी विकास मंत्रालय से छूट प्राप्त न की जाए, सभी निर्माण कार्य के लो नि वि को सौंपे जाने चाहिए। कोई ऐसी छूट ली नहीं गई न ही मंत्रालय जो ऐसे निर्माण कार्यों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है से कोई संदर्भ नहीं

किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य से संबंधित किसी समिति अथवा उप समिति में श.वि. मंत्रालय को मिलाया नहीं गया यद्यपि, वि आ स के पास कोई तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं थी।

vii) 23 अक्टूबर 1989 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीयम ग्राम 3 माह के लिए विभाग तथा भा खे प्रा को निःशुल्क प्रदान किया जायेगा तथा शेष 9 माह के लिए यह भा स्का एवं गा के निपटान पर रहेगा। क्योंकि इस सुविधा में विभाग/भा खे प्रा द्वारा दूसरा कोई कार्यक्रम अथवा शिविर आयोजित नहीं किया गया, 1.32 करोड़ रु का निवेश आरंभ से ही निष्क्रिय रहा।

10.3.7.2 शौचालय परिसरों का निर्माण

भारतीयम ग्राम में टिके बाहरी स्थानों के भाग लेने वालों को शौचालय सुविधायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लागत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए 12 सितम्बर 1989 को एक फर्म से संपर्क किया गया था। आरंभ में फर्म ने 14 सितम्बर 1989 को अपने डिजाइन के आधार पर 16 शौचालय परिसर प्रत्येक 12 शौचालय, 4 मूत्रालय तथा 10 स्नानघरों को समाविष्ट के निर्माण के लिए 9.96 लाख रु का अनुमान प्रस्तुत किया। उन्होंने 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान तथा 20 प्रतिशत शिविर पूरा होने के पश्चात की मांग भी की। भा खे प्रा के निदेशक (इन्फ्रा) ने फर्म को 15 सितम्बर 1989 को उनके संशोधित डिजाइन के आधार पर संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। इसी दौरान वित्तीय समिति की 14 सितम्बर 1989 को हुई बैठक में अनुमोदन के पश्चात फर्म को 16 सितम्बर 1989 को 10 लाख रु का अग्रिम दे दिया गया था। फर्म ने अन्य मांगी गई सुविधाओं सहित शौचालयों तथा 10 स्नानघरों वाले 14 परिसरों के निर्माण के लिए 5 अक्टूबर 1989 को 16.45 लाख रु की लागत के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए। निर्माण कार्य 16.45 लाख रु की निविदा दी गई लागत जो, 12 लाख रु की अनुमानित लागत के ऊपर 37.08 प्रतिशत अधिक थी, पर 15 सितम्बर 1989 से फर्म को सौंप दिया गया। निर्माण कार्य 15 सितम्बर 1989 को आरंभ होना था तथा 25 अक्टूबर 1989 तक पूरा होना था। निर्माण कार्य 16.45 लाख रु की लागत पर पूरा हुआ था जिसका उन्हें भुगतान कर दिया गया था। न तो कार्य पूरे होने की तिथि अभिलिखित की गई थी और न ही फर्म द्वारा अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया था (नवम्बर 1994)।

निर्माण कार्य की जांच केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली (के स आ) के कार्यालय के मुख्य तकनीकी परीक्षक (मु त प) द्वारा 4 अप्रैल 1990 जिस तक 98 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था, की गई थी। मु त प ने 1.87 लाख रु जिसका फर्म को अधिक भुगतान किया गया था की वसूली का प्रस्ताव किया तथा सुझाव दिया कि अधिक भुगतान के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए। के स आ द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार अधिक भुगतान की फर्म से 11 सितम्बर

1990 को वसूली कर ली गई थी। परन्तु मु त प इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था तथा उसने विभाग को मामले की पूरी छानबीन करने के लिए कहा। इसके उत्तर में विभाग ने मामले की छानबीन के लिए फरवरी 1994 में के लो नि वि के भूतपूर्व महा निदेशक की नियुक्ति की। जांच के परिणाम अभी तक प्रतीक्षित हैं। मु त प की मुख्य तकनीकी आपत्तियां निम्नलिखित थीं:-

- i) पूर्व निर्मित आर सी सी लिंटल, बीमों को खड़ा करने व स्थिरीकरण इत्यादि को निष्पादित नहीं किया गया था।
- ii) 1:3 सीमेंट मोरटार के साथ इंटों का टीपकारी का कार्य नहीं किया गया था।
- iii) पीतल के बिब काक्स के बजाए लोहे के नलके उपलब्ध करवाये गए थे।
- iv) शौचालय परिसर में पीतल की रोक टोटियां नहीं लगाई गई थीं।
- v) जल टंकियों में लगाये गए बाल वाल्व ताम्र फ्लोट के बदले प्लास्टिक फ्लोट के थे।
- vi) निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण था।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए अभिलेखों की नमूना जांच की गई तथा निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की जाती हैं:

- (i) यद्यपि फर्म ने ठेके की ड्राफ्ट शर्तें अक्टूबर 1989 में प्रस्तुत की थी, फर्म के साथ ठेके विस्तृत नियम व शर्तों को दशति हुये कोई करार नहीं किया गया था।
- (ii) फर्म ने आरम्भ में कुर्सी क्षेत्र तक 16परिसरों के निर्माण के लिए 9.96 लाख रू की मांग की। निदेशक भा खे प्रा, ने फर्म को 15 सितम्बर 1989 को सूचित किया कि ईट की दीवारों तथा स्टील के दरवाजों की व्यवस्था की जानी थी तथा इसके बदले में फर्म ने बताया कि इसमें कुल को 11.96 लाख रू बनाते हुये 2 लाख रू की और लागत आयेगी। तथापि, फर्म ने 16.45 लाख रू के संशोधित अनुमान प्रस्तुत किये। इसके साथ ही 20 प्रतिशत कार्यान्वयन प्रभार (2.74 लाख रू) तथा 3 प्रतिशत आकस्मिकताएं (0.40 लाख रू) अनुमानित लागत के ऊपर जोड़ दिये गये थे यद्यपि फर्म का 10 प्रतिशत लाभ तथा ऊपरी खर्च पहले ही अनुमानित लागत में शामिल थे जो कि दिल्ली दर अनुसूची 1985 के आधार पर थे। इस प्रकार उच्च दरों पर कार्य देने में 7.63 लाख रू का अतिरिक्त व्यय शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त दरों के विस्तृत विश्लेषण के बिना निविदा को स्वीकार करना अनियमित था।

(iii) शौचालय परिसर के निर्माण को सुलभ बनाने के लिए वि आ स ने फर्म को बिजली तथा पानी की व्यवस्था की। 27 दिसम्बर 1989 को अपनी बैठक में वि आ स ने निर्णय लिया कि बिजली तथा पानी पर व्यय की निर्माण एजेन्सी से वसूली की जानी चाहिए। निर्माण को डेबिट योग्य बिजली तथा पानी प्रभार क्रमशः 3.59 लाख रू तथा 0.62 लाख रू दिखाये गए थे। इसमें से 2.49 लाख रू तथा 0.48 लाख रू अन्य फर्म जिसने मोड्यूलों का निर्माण किया था से तथा शेष 1.10 लाख रू तथा 0.14 लाख रू निर्माण एजेन्सी से वसूली योग्य थे। यद्यपि पांच से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जल तथा बिजली प्रभारों के सम्बन्ध में 1.24 लाख रू अभी वसूले नहीं गये थे।

(iv) फर्म के उद्घरण में शर्त थी कि 80 प्रतिशत भुगतान अग्रिम में किये जाए तथा शेष 20 प्रतिशत शिविर समाप्त होने के सप्ताह के बाद। बाहरी स्थानों के अंतिम भागीदार दस्ते ने शिविर 16 अक्टूबर 1989 को छोड़ा तथा इस प्रकार शेष 20 प्रतिशत का भुगतान (3.29 लाख रू) 23 नवम्बर को देय था। इसके बजाये फर्म को 9 अक्टूबर 1989 को पूरा अग्रिम भुगतान कर दिया गया था यद्यपि कि 4 अप्रैल 1990 को मु त प द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्य अधूरा था। इसके अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक (भा खे प्रा); जो कि न तो वि आ स का सदस्य/अधिकारी था और न ही वि आ स द्वारा जारी प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत प्राधिकृत था, द्वारा जारी संस्वीकृति हेतु भुगतान जारी कर दिये गये थे। वि आ स के उपाध्यक्ष को यह पता नहीं था कि फर्म को पूरा भुगतान किया जा चुका था तथा उसने 21 नवम्बर 1989 को लिखा कि अंतिम भुगतान त्रुटियों का सुधार करने के पश्चात ही किया जाए। फर्म को अग्रिम में दिये गए 14.58 लाख रू (अग्रिम में दिए गए 16.45 लाख रू में से 1.87 लाख रू के आधिक्य की वापसी घटा कर) अन्ततः निर्माण कार्यों को प्रभारित किये गये। इसके अतिरिक्त कार्य जो कि 25 अक्टूबर 1989 को पूरा होना था प्रगति पर था (अप्रैल 1990)। क्योंकि फर्म को अक्टूबर 1989 तक पूरा अग्रिम भुगतान किया गया था, विलम्ब फर्म पर आरोपित होगा तथा अनुमानित लागत (12 लाख रू.) पर सामान्य 10 प्रतिशत की दर पर शास्ति (1.20 लाख रू) वसूली योग्य थी।

10.3.7.3 प्लेकार्ड प्रदर्शन हेतु बैठने की पक्तियों का निर्माण

प्लेकार्ड प्रदर्शन (रंगीन कार्ड के अवधारण द्वारा बड़ी संख्या में भागीदारों द्वारा प्रतिकृतियों का निर्माण) हेतु बैठने की पक्तियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव सक्षम समिति द्वारा मई 1989 में आयोजित बैठक में अनुमोदित किये गये थे। व्यय पहली बार 1989-90 के वर्ष के लिए भारतीयम योजना-2 के नियमित योजनागत से खर्च करने का प्रस्ताव किया गया था, बाद में वि आ स के लेखे को प्रभारित किया गया था। भा खे प्रा ने कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के लो नि वि) के माध्यम से पूरा किया। बैठने की पक्तियों के कार्य को निष्पादित करने के लिए

उनके 18.32 लाख रू के आरम्भिक अनुमानों पर ज ने स्टेडियम में पड़ी सामग्री के लिए 6 लाख रू के क्रेडिट को समायोजित करते हुये 12.32 लाख रू की राशि के लो नि वि को जुलाई 1989 में अग्रिम में दे दी गई। आरम्भ करने तथा पूरा होने की वास्तविक तिथि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी।

निम्नलिखित प्रसंग प्रकट होते हैं :-

- i) यद्यपि पांच से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, के लो नि वि ने लेखा प्रस्तुत नहीं किया तथा भा खे प्रा द्वारा अग्रिम की राशि अभी तक लेखाओं में बकाया पड़ी है। वि आ स/भा खे प्रा ने दिये गए अग्रिम का प्रबोधन नहीं किया।
- ii) राशि विस्तृत अनुमान प्राप्त किये बिना जारी की गई थी।

10.3.8 परिवहन प्रबन्ध

समारोह में भाग लेने के लिए सारे भारत से लगभग 28558 बच्चे इकट्ठे हुये थे। इनमें से 22070 बच्चे दिल्ली प्रशासन विद्यालयों से लिये गये थे, कुल 427 विद्यालयों ने इसमें हिस्सा लिया। रा कै को के क्रेडिटों द्वारा प्लेकार्ड प्रदर्शन के लिए पूर्वाभ्यास 19 अक्टूबर 1989 से तथा भारतीयम के लिए अन्य कार्यक्रम 25 अक्टूबर 1989 से आरम्भ होने थे। प्रशिक्षण/पूर्वाभ्यास का स्थान जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (ज ने स्टे) था। यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम (दि प नि) द्वारा 60 बसें दी जानी थी तथा शेष बसें प्राइवेट संचालकों से अधिप्राप्त की जानी थी। 535 रू प्रति बस प्रति चक्कर की दर पर वाच्छित्त बसें उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली पर्यटन एवं विकास निगम (दि प वि नि) के साथ एक समझौता किया गया था। प्रत्येक बस को 75 बच्चे ले जाने थे। कुछ कठिनाइयों जैसे बसों के देर से पहुचने, चुने स्थानों पर न पहुचने इत्यादि के कारण समीक्षा समिति ने अक्टूबर 1989 में निर्णय लिया कि बस के समय पर पहुचने के मामले में पूर्वाभ्यास के लिए बच्चों को स्टेडियम पर लाने के लिए सम्बन्धित अध्यापक 450 रू प्रति दिन की दर पर बसें किराये पर लेने के लिए अपना प्रबन्ध कर सकते थे तथा उनके द्वारा किया गया व्यय परिवहन मालिक द्वारा चुकाया जायेगा। अन्ततः दि प वि नि (25.69 लाख रू) दि प नि (9.01 लाख रू) प्राइवेट संचालक (0 15 लाख रू) तथा दिल्ली प्रशासन (3.33 लाख रू) को 38.18 लाख रू का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित पता चला: -

- i) सक्षम समिति ने 30 जून 1989 तथा 5 अगस्त 1989 की अपनी बैठकों में निर्णय लिया कि वि आ स द्वारा वित्तपोषित दिल्ली प्रशासन अनिवार्य परिवहन प्रबंध करेगा। 1989-90 के

लिए अपनी सामान्य परिवहन मांगों के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा मांगी गई निविदा के आधार पर 12 घंटे तथा 120 किलो मीटर के लिए न्यूनतम दर 387 रु प्रति बस थी। तदनुसार दिल्ली प्रशासन ने बताया कि निविदादाता बसों के इतने बड़े बेड़े को इतनी लम्बी अवधि के लिए आपूर्त करने की स्थिति में नहीं था।

भारतीयम का पूर्वाभ्यास छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में मई 1989 में आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न विद्यालयों से 4400 बच्चे लिए गए थे। विभिन्न विद्यालयों से बच्चों को स्टेडियम में लाने तथा प्रदर्शन के पश्चात उनके अपने विद्यालयों में छोड़ने के लिए 320 रु प्रति बस की दर पर 36 बसें अनुबंधित की गई थीं। सक्षम समिति ने 26 मई 1989 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्रशिक्षण तथा पूर्वाभ्यास के लिए परिवहन लागत 320 रु प्रति बस प्रति दिन के बजाए 275 रु तक समिति होगी। मुख्य कार्यक्रम के लिए दि प वि नि ने अक्टूबर 1989 ने यह पेशकश की कि वे प्रतिबस 525 रु जमा सेवा प्रभार के रूप में 10 रु की दर पर बसें उपलब्ध करवायेंगे। वि आ स ने 16 अक्टूबर 1989 को प्रति बस प्रति चक्कर 535 रु की दर पर दि प वि नि को ठेका सौंपा। यह सुस्पष्ट है कि दि प वि नि को कार्य बाजार में प्रचलित साधारण दर से ऊँची दर पर दिया गया था।

दि प वि नि द्वारा प्रबंधित बस व्यवस्था की विफलता के कारण यह निर्णय लिया गया था कि विद्यालयों को परिवहन की अपनी व्यवस्थाएं करने की अनुमति होगी तथा उन्हें 450 रु प्रति बस प्रति दिन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा निदेशक दिल्ली प्रशासन को विद्यालयों द्वारा किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति के कार्य पर लगाया गया था तथा 5 नवम्बर 1989 को उन्हें 2 लाख रु का अग्रिम दिया गया। दिल्ली प्रशासन ने फरवरी 1990 में 3.48 लाख रु के परिवहन बिल प्रस्तुत किये तथा मार्च 1991 में उन्हें 3.33 लाख रु का पूर्ण तथा अंतिम भुगतान किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1989-90 के दौरान, खुले बाजार में 450 रु प्रति चक्कर प्रति बस की दर पर बसें उपलब्ध थी। यदि विद्यालयों को मुख्य आयोजन के लिए स्वयं अपना प्रबन्ध करने की अनुमति दी गई होती तो वि आ स 4.25 लाख रु बचा सकती थी।

क्योंकि वि आ स के पास बृहत परिवहन संचालन के प्रभावी नियंत्रण/प्रबोधन हेतु स्वयं की वांछित मानव शक्ति नहीं थी, यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली प्रशासन तथा दि. प. नि. को विभिन्न विद्यालयों से बसों के पहुंचने, विभिन्न चुने गए स्थानों पर बसों के देर से रिपोर्ट करने तथा अन्य कठिनाई, को इंगित करते हुये वाहनों के आने तथा जाने के लिए अनुरक्षण तथा प्रबोधन करना चाहिए। वाहनों की लॉग बुक, दैनिक रिपोर्टों से संबंधित अभिलेखे तथा बसों के आने जाने को दिखाने वाली ड्यूटी पर्चियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इस प्रकार दि प नि तथा दि प वि नि को 34.70 लाख रु के भुगतान की प्रमाणिकता तथा सत्यता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी। तथापि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 5810 बसों (प्रति चक्कर प्रति बस 75 बच्चों हेतु संगणित) की मांग के प्रति वि आ स ने 7229 बसों अनुबंधित की। इसके परिणामस्वरूप 7.59 लाख रु का अतिरिक्त व्यय हुआ।

10.3.9 खानपान/जलपान व्यवस्था

खानपान समिति की अनुशंसाओं पर, वि आ स ने 3 अक्टूबर 1989 की अपनी बैठक में निर्णय लिया कि आरम्भ में रा के को सहित दिल्ली प्रशासन के सभी भागीदारों को प्रति दिन 5 रु प्रति व्यक्ति की दर पर जलपान तथा उसके पश्चात संयुक्त प्रशिक्षण आरम्भ होने पर प्रतिदिन 9 रु प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देना होगा। तदनुसार फर्म को 28 अक्टूबर को 2 रु से 20 रु प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर पर भोजन/जलपान/नाश्ते की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित कमियों का पता चला:-

i) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1989-90 के लिए एक फर्म जो भोजन एवं जलपान की आपूर्ति हेतु एक अनुमोदित ठेकेदार था, का नाम अनुशंसित किया। 17.50 रु की दर पर ठेका देने की बजाए भा खे प्रा ने वि आ स के अनुमोदन के बिना ठेका उसी फर्म को 20 रु प्रति भागीदार प्रतिदिन की दर पर दिया। इसके परिणामस्वरूप लगभग 4.05 लाख रु की हानि हुई।

ii) ठेके की शर्तों के अनुसार बिल राशि के 80 प्रतिशत का भुगतान आवधिक रूप से बिल की भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिए सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा सत्यापन तथा प्रमाणीकरण के पश्चात तथा शेष 20 प्रतिशत का कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात किया जाना था। फर्म द्वारा प्रस्तुत तथा वि आ स द्वारा अनुमोदित किए गए बिल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाये गए थे इसलिए लेखापरीक्षा में बिलों की प्रमाणिकता तथा सत्यता सिद्ध नहीं की जा सकी। तथापि, पूरे प्रशिक्षण/पूर्वाभ्यास की अवधि के दौरान भागीदारों की 100 प्रतिशत पर संगणित किया गया कुल व्यय 59.22 लाख रु. बना जबकि फर्म को 72.26 लाख रु का भुगतान किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप जलपान कराने वाले को कम से कम 13.04 लाख रु का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

iii) भारतीयम ग्राम में भोजन पर्यवेक्षण प्रभारी, विभाग के संयुक्त सचिव ने 27 नवम्बर 1989 को बताया कि चूंकि भोजन की मदे विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी तथा भोजन, मिठाइयों इत्यादि की कम आपूर्ति थी इसलिए फर्म के अंतिम बिल से 1.40 लाख रु काट लिए जायें। वसूलियां प्रभावी करने के पश्चात फरवरी 1991 में 71.32 लाख रु का अंतिम बिल भुगतान हेतु पारित किया गया जिसके प्रति 72.26 लाख रु की राशि का फर्म को पहले ही

भुगतान किया जा चुका था। यद्यपि, तीन से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं 0.94 लाख रु की राशि अनुमोदित खान पान प्रबंधक से अभी वसूली नहीं की गयी थी।

10.3.10 प्रशिक्षण

राज्यों/सं शा क्षेत्र से चुने गए स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापकों को ल रा स्वा शि म ग्वालियर में 15 दिनों की अवधि का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के लिए उपकरण भा खे प्रा द्वारा उपलब्ध करवाये गए थे। उपकरण पर व्यय के अतिरिक्त भा खे प्रा/ वि आ स ने राज्यों/सं शा क्षेत्र से चुने गए अध्यापकों/भाग लेने वालों के प्रशिक्षण पर 1989-90 के दौरान 13.52 लाख रु का व्यय किया।

वास्तव में प्रशिक्षित अध्यापकों तथा बच्चों की संख्या, भाग लेने वालों द्वारा प्राप्तांकों तथा विद्यालयों के चुनाव के लिए कसौटी इत्यादि के बारे में वि आ स/भा खे प्रा के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। इससे संकेत मिलता है कि न तो राज्यों/सं शा क्षेत्र से नियमों के संदर्भ में कोई निष्पादन डाटा इकट्ठा किया गया था और न ही खेल मैदान में निष्पादन के लिए स्वस्थता नियम सहसंबद्ध किए गए थे। खरीद की रसीद, पुरस्कार ट्राफियों के निर्गम तथा वितरण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

10.3.11 खरीदें

10.3.11.1 वेशभूषा की खरीद

भारतीयम 1989 के लिए वेशभूषा के डिजाइन करने तथा आदि प्रारूप का विकास करने के लिए मंत्रालय ने वि आ स को अगस्त 1989 में वि आ स की वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात टर्न की के आधार पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (रा फै प्रौ सं) को कार्य देने के लिए कहा। इसके उत्तर में रा फै प्रौ सं ने अगस्त 1989 में बताया कि उन्होंने जून 1989 में डिजाइन तथा आदि प्रारूप के लिए 44000 रु उद्धृत किये थे तथा भा खे प्रा द्वारा जून 1989 में रा फै प्रौ सं को 22000 रु का अग्रिम भी दिया गया था। रा फै प्रौ सं ने डिजाइन आपूर्त किया जो मंत्रालय द्वारा अगस्त 1989 में अनुमोदित कर दिया गया तथा 12 विख्यात फर्मों के नाम जो कि अच्छी गुणवत्ता वाली वेशभूषा समय पर आपूर्त कर सकते थे, की अनुशंसा भी की। जून 1989 तथा जनवरी 1991 के दौरान रा फै प्रौ सं को 37,625 रु का भुगतान किया गया था। इसी दौरान तीन अन्य फर्मों ने निविदा फार्म जारी करने के लिए वि आ स से सम्पर्क किया। तदनुसार, अगस्त 1989 में 15 फर्मों से निविदाये आमंत्रित की गईं। इनमें से छः फर्मों ने अपनी दरें उद्धृत कीं।

वेशभूषा समिति ने चुनी गई विभिन्न फर्मों के बीच उनके साथ कटौती की बातचीत के पश्चात आदेशों को बांटने का सितम्बर 1989 में निर्णय लिया। सितम्बर 1989 में 18675 वेशभूषा सैटों की आपूर्ति के लिए चार फर्मों को आदेश दिये गये। इन फर्मों को नवम्बर 1989 तथा मार्च 1990 के बीच 23.69 लाख रू का भुगतान किया गया था।

निम्नलिखित मुद्दे प्रकट होते हैं: -

i) भा खे प्रा ने फरवरी 1989 तथा अप्रैल 1989 के बीच 1.71 लाख रू मूल्य की 2000 पोशाकें खरीदी। इनमें से 1000 पोशाकें फरवरी 1989 में वितरित की गई थी तथा शेष स्टॉक में पड़ी थी (नवम्बर 1994)। जनवरी 1992 में 1.71 लाख रू की राशि वि आ स के खाते में डेबिट कर दी गई थी। चूंकि व्यय भारतीयम 1989 हेतु सक्षम समिति के गठन (मई 1989) तथा रा फै प्रौ सं द्वारा डिजाइन तथा आदि रूप के विकास को अंतिम रूप देने (अगस्त 1989) से पूर्व किया गया था व्यय का वि आ स को प्रभारित करना तर्क संगत नहीं था। इसके साथ ही स्टॉक वि आ स को अन्तरित नहीं किया गया था तथा भा खे प्रा के पास पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त 1.71 लाख रू का भुगतान डुप्लीकेट बिलों पर किया गया था तथा दोहरे भुगतान से बचने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी।

ii) 2.36 लाख रू की 1690 पोशाकें मांग से अधिक खरीदी गई थी। इनमें से 1428 पोशाकें गैर भागीदारों को जारी की गई थीं तथा शेष 162 स्टॉक में पड़ी हुई थी (नवम्बर 1994)। यह अधिक निर्धारण को दर्शाता है तथा 2.36 लाख रू का व्यय निष्फल था।

(iii) एक लेखापरीक्षा आपत्ति यह उठाई गई थी कि क्या भाग लेने वालों को वितरित की गई पोशाकें वापस की जानी थी। कोई ऐसी सूचना तथा/अथवा अभिलेखे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। तथापि क्षेत्रीय निदेशक, वि आ सं वेशभूषा की समिति के पूर्व सदस्य के साथ बातचीत से पता चला कि 14 नवम्बर 1989 को समापन के पश्चात भाग लेने वालों से सभी पोशाकें वापस ली जानी थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह भी पता चला कि कैडेटों को जारी की गई सफेद टी शर्टों के मामले में यह निर्णय लिया गया था कि वे समापन के पश्चात उन से वापस ले ली जायेंगी। क्योंकि पोशाकें अन्ततः स्टॉक लेखे को प्रभारित की गई थी वि आ स ने 36.80 लाख रू की हानि उठाई।

iv) भारतीयम 1989 के लिये बच्चों हेतु जानवरों के मुखौटे तैयार करने के लिए वि आ स ने अक्टूबर 1989 तथा नवम्बर 1989 के बीच में फ्रांसिस्को मार्टिन प्राडेक्शन को 2.25 लाख रू का अग्रिम भुगतान किया। फर्म ने 2.60 लाख रू का समायोजन बिल प्रस्तुत किया। फर्म ने जानवरों के मुखौटे तैयार करने के लिए लेखापरीक्षित विवरण तथा परिवहन प्रभारों तथा चुंगी

इत्यादि के सम्बन्ध में बिल प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गए समायोजन बिल स्वीकार्य नहीं थे।

10.3.11.2 शायिका बिस्तरों की खरीद

वि आ स ने सितम्बर 1989 में के लो नि वि को शायिका बिस्तरों का निर्माण करने वाली फर्मों के नामों का सुझाव देने की प्रार्थना की। के लो नि वि की अनुशंसाओं पर वि आ स ने सितम्बर 1989 में तीन उद्धरण आमंत्रित किये। निविदादाताओं ने स्टील की 16 रू तथा 18 रू प्रति किलोग्राम के बीच दरें उद्धृत की।

इसी दौरान वास्तुकार ने 18 सितम्बर 1989 को अन्य दो फर्मों के नाम अनुशंसित किये। इन फर्मों से उद्धरण व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किये गए तथा 28 सितम्बर 1989 को 850 रू प्रति पलंग की सहमत दर पर 500 तथा 886 शायिका पलंगों के लिए आपूर्ति आदेश दिये गए। अक्टूबर 1989 तथा जनवरी 1990 के दौरान वि आ स ने 450 तथा 750 तथा शायिका पलंगों की आपूर्ति के लिए दो फर्मों को क्रमशः 3.82 लाख रू तथा 6.38 लाख रू का भुगतान किया।

लेखा परीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ:

i) फर्मों का चुनाव वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुये खुली निविदाये आमंत्रित किए बिना किया गया था।

ii) वि आ स ने 27 दिसम्बर 1989 की बैठक में आपूर्ति का उचित सत्यापन करने के बाद शायिका पलंगों के लिए भुगतान करने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 10.20 लाख रू के भुगतान में से 8.92 लाख रू का भुगतान वास्तुकार द्वारा सत्यापन के पश्चात अक्टूबर और नवम्बर 1989 के बीच किया गया था तथा शेष 1.28 लाख रू का भुगतान वास्तुकार द्वारा सत्यापन किये बिना किया गया था। इसके अलावा वि आ स द्वारा लिया गया निर्णय अविवेकपूर्ण था क्योंकि वास्तुकार एक प्राइवेट व्यावसायिक था तथा उसके द्वारा अभिलिखित सत्यापन, कि वस्तुयें अच्छी हालत में तथा विनिर्देशकों के अनुसार प्राप्त हुई पर निर्णय नहीं किया जा सकता है।

iii) वि आ स ने अपने पत्र में 23 नवम्बर 1989 में वास्तुकार को सूचित किया कि शायिका के सबसे ऊपरी किनारे पर उपयुक्त संरचना अवयव की वैलिडिंग द्वारा पलंगों को सुरक्षित बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। यद्यपि फर्मों द्वारा कोई काम नहीं किया गया था

संवितरण अधिकारी ने वैलिड अवयव के लिये जोर दिये बिना फर्म को 10.20 लाख रू का पूरा भुगतान कर दिया।

10.3.12 प्लेकार्डों तथा झण्डों की सिलाई

प्लेकार्डों तथा झण्डों की सिलाई के लिए 20.14 लाख रू की लागत से कपड़ा खरीदा गया था। कार्य सितम्बर 1989 में दिल्ली प्रशासन को सौंपा गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि विनिर्देशनों के अनुसार प्लेकार्ड दोनों ओर डेढ से मी व्यास की दो तरफ मोड़ के साथ, विभिन्न रंगों के संयोजन से 60 से मी x 60 से मी के होने चाहिए थे। इसके लिए एक प्लेकार्ड के निर्माण हेतु 1.26 मी रंगे साटिन (चौड़ाई 85/91 से मी) की आवश्यकता थी। इसके लिए 87043.60 मीटर कपड़े की खपत के प्रति, संगठन ने वास्तव में 69019 प्लेकार्डों के निर्माण के लिए वास्तव में 96626.60 मीटर कपड़े की खपत की। 9583 मीटर कपड़े की अधिक खपत के कारण वि आ स ने 1.63 लाख रू की हानि उठाई।

10.3.13 भण्डार तथा स्टॉक प्रबन्धन

वि आ स द्वारा अपनायी गई खरीद प्रक्रिया के अनुसार खरीद समिति/कर्मचारियों ने फर्मों से व्यक्तिगत रूप में बिना सील के तत्काल उद्धरण (पोशाकों की खरीद छोड़कर) एकत्रित किये।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित कमियां दर्शाई:

- i) 10.27 लाख रू के उपभोज्य/अनुपभोज्य भण्डार की प्राप्ति का, बिलों पर गलत प्रमाण पत्र अभिलिखित करके कि वस्तुयें स्टॉक रजिस्टर के उक्त पृष्ठ पर प्रविष्टि की गई है, गैर-लेखांकन करना।
- ii) बिलों के अग्रभाग पर प्रमाण पत्र दर्ज किये बिना तथा भण्डार रजिस्टर में भण्डार की प्राप्ति की प्रविष्टि किये बिना 11.12 लाख रू के अनुपभोज्य भण्डार का गैर लेखांकन।
- iii) 8 लाख रू का खेल उपकरण खरीदा गया था परन्तु उपयोग हेतु भाग लेने वालों को वितरित नहीं किया गया था तथा उपकरण स्टॉक में पड़ा था। यह उपकरणों की अनावश्यक खरीद का संकेत करता है।

iv) 1.59 लाख रु के अनुपभोज्य भण्डार/उपकरण, राज्य समन्वयकों/ल रा स्वा शि म ग्वालियर को, कार्यक्रम के समापन के पश्चात तथा सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के बिना जारी किए गए थे।

v) 1.64 लाख रु के खेल उपकरण विद्यालयों तथा दिल्ली प्रशासन को कोचिंग तथा प्रशिक्षण हेतु उधार के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना जारी किए गए थे। उधार के आधार पर उपकरणों के जारी करने के संबंध में उचित स्टाक अभिलेख जैसे कि उनका मूल्य, जारी करने की तिथि, उधार लेने वालों द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति, जमा अवधि जिसके लिए उपकरण दिए गए थे, उपकरण वापस करने की वास्तविक तिथि, वसूल किया गया किराया इत्यादि, वि आ स द्वारा अनुरक्षित नहीं किए गए थे।

vi) 32.87 लाख रु के अनुपभोज्य उपकरण जैसे मेंपोल, अल्यूमीनियम पोल, हाफ् हूप्स इत्यादि, जो राज्य समन्वयकों तथा दिल्ली प्रशासन को जारी किए गए थे स्टाक लेखे को अंतिम रूप से प्रभारित कर दिए गए थे।

vii) वि आ स द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट ने जुलाई 1992 में भण्डार एवं स्टाक का वास्तविक सत्यापन किया तथा 3.87 लाख रु के मूल्य के स्टाक कम पाये गए। भण्डारों का वास्तविक सत्यापन, भण्डार अभिरक्षकों को छोड़कर अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था (नवम्बर 1994)।

viii) टेलीविजन, वी सी आर, कैरम बोर्ड, शतरंज बोर्ड इत्यादि जैसी मर्चें राष्ट्रीय भारतीयम प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वालों के मनोरंजन के लिए दान/निशुल्क में आपूरित किए गए थे। न तो उनका मूल्य निर्धारित किया गया था और न ही स्टाक रजिस्टर में कोई प्रविष्टि की गई थी।

ix) 3.85 लाख रु के मूल्य की मर्चें जैसे जानवरों के मुखोटे, बैनर कपडे, स्मृति चिन्ह, पोस्टर इत्यादि कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् खरीदे गए थे तथा भण्डार में पड़े थे (नवम्बर 1994)।

x) भण्डार की प्राप्तियों तथा निर्गमों के अभिलेखों में ओवर राइटिंग तथा मिटाने के बहुत अधिक मामले थे।

xi) भंडार बिना उचित प्राधिकार जारी किए गए थे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि भंडार अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा सतर्कता की कमी तथा आवश्यक जांच की कमी के कारण 21.39 लाख रु के मूल्य के स्टाक बिना लेखाबद्ध हुए

रह गए, इसके अतिरिक्त अन्य अनियमितताएं जैसे मांग से अधिक उपकरणों की खरीद (8 लाख रु) सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना उधार पर उपकरण का दिया जाना (1.64 लाख रु) स्टॉक का अंततः भंडार को प्रभारित करना (32.87 लाख रु) तथा स्टॉक कम पाया जाना (3.87 लाख रु) थीं।

10.3.14 कनवास के जूतों का अधिक वितरण

राष्ट्रीय भारतीयम 1989 के लिए 30000 भाग लेने वालों के लिए उपकरण और वेशभूषाएं प्रदान करने के लिए बजट प्राक्कलनों में 27.75 लाख रु का प्रावधान किया गया था। अगस्त 1989 में राज्यों और सं शा प्र को वेशभूषाओं और उपकरणों पर समस्त व्यय की पूर्ति करने के लिए सम्पर्क किया गया था, ताकि इस पर व्यय को घटाया जा सके। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य समस्त व्यय को वहन करने के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गये थे, जबकि गोवा और मणिपुर राज्य वेशभूषा और उपकरणों पर व्यय का 50 प्रतिशत व्यय वहन करने पर सहमत हुए थे। सितम्बर 1989 में गोवा और मनीपुर राज्यों द्वारा क्रमशः 6.00 लाख रु और 3.81 लाख रु के व्यय के प्राक्कलन प्रस्तुत किये गये। वि आ स ने अक्टूबर 1989 में गोवा और मणिपुर को इसके अंश के रूप में क्रमशः 3 लाख रु और 1.90 लाख रु की प्रतिपूर्ति की।

निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं:

- i) राज्य और सं शा प्र पूर्वाभ्यास और दिल्ली में अंतिम प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ ट्रेक सूट, कनवास के जूते, व्यायाम हेतु पौशाक और दो सैटों (जूते और पौशाक) को प्रदान करने के लिए सहमत हो गये थे। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वि आ स ने इन राज्यों के अपात्र भाग लेने वालों को 3137 जोड़े कनवास के जूते प्रदान किये थे, जिसके परिणामस्वरूप 1.13 लाख रु का निष्क्रिय व्यय हुआ।
- ii) बजट प्राक्कलनों के अनुसार, प्रत्येक बच्चे की वेशभूषा की लागत का बजट प्राक्कलन 92.50 रु परिकलित हुआ। इस प्रकार गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से 3137 भाग लेने वालों पर कुल बचत 1.13 लाख रु संगणित होगी। 1.13 लाख रु की बचत की बजाय, वि आ स ने बजट प्राक्कलनों से 9.05 लाख रु अधिक व्यय किया। यह अनुचित योजना और अवास्तविक तथा अपर्याप्त बजट का सूचक है।
- iii) वि आ स ने दिल्ली प्रशासन, रा के को और बाहर के भाग लेने वालों को क्रमशः 16349,7500 और 6455 जोड़े जूतों का वितरण किया। दिल्ली प्रशासन और रा के को के अभिलेखों के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा में किये गये प्रति सत्यापन, (नवम्बर 1994) में यह पता चला था कि 16349 और 7500 जोड़े जूतों के प्रति, रा के को सहित दिल्ली प्रशासन ने केवल

16233 को ही प्राप्त किया था। भाग लेने वालों को आगे जूतों के वास्तविक वितरण का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये थे। अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण हेतु दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई कारण उद्दिष्ट नहीं किये गये थे। इस प्रकार से 2.74 लाख रू मूल्य के 7616 जोड़े जूते लापता थे।

10.3.15 रोकड़ बहियों का अनुरक्षण

वि आ स ने दो रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया था। मूल रोकड़ बही, जिसका 25 जुलाई 1990 तक अनुरक्षण किया गया था, को वि आ स का अनुमोदन प्राप्त किये बिना अन्य रोकड़ बही में बदल दिया गया था। यह लेखा नियमों के अतिक्रमण में है। संवितरण अधिकारी ने नवम्बर 1994 में बताया कि मूल बही प्रविष्टियों की ओवरराइटिंग और अधिक कट फट के कारण बदली गई थी। वि आ स का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ओवर राइटिंग, काटने और मिटाये जाने के बहुत से उदाहरण दूसरी रोकड़ बही में भी थे।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पता लगी अन्य अनियमितताएं निम्नलिखित हैं:

- i) 28 मामलों में रोकड़ बही सं 1 और रोकड़ बही सं 2 के बीच 7.04 लाख रू का अन्तर था। अन्तर के लिए कारण नहीं बताये गये थे।
- ii) वाउचर प्रस्तुत किये बिना ही बिल प्रस्तुत तथा पास किये गये थे (0.95 लाख रू)।
- iii) बिलों/संलग्न दस्तावेजों के बिना भुगतान किये गये थे (0.52 लाख रू)।
- iv) मुद्रित बिलों/कैश मीमों की बजाय बिल, लेटरहेड पर प्रस्तुत किये गये थे (5.38 लाख रू)।
- v) डुप्लिकेट बिलों पर भुगतान किये गये थे (2.20 लाख रू)।
- vi) सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति तथा बिलों/कैश मीमो के समर्थन के बिना ही भुगतान पूर्णतया वाउच आकस्मिकता बिल प्रपत्रों पर ही भुगतान कर दिये गये (17.63 लाख रू)।
- vii) दिल्ली राज्य भारत स्काउट और गार्ड को 16 मई 1990 को 2600 रू के वाउचरों के प्रति 13500 रू के दो चैक जारी किये गये थे।
- viii) 31 जनवरी 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वि आ स के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे के अनुसार नकद अन्तःशेष 20,03,284.90 रू था जबकि कैश बुक ने

नकद अन्त शेष 19,57,157.34 रू प्रकट किया। इस प्रकार लेखाओं के दो सैटों के बीच 46,127.56 रू की भिन्नता थी।

10.3.16 परिसम्पत्ति रजिस्टर का गैर अनुरक्षण

वि आ स द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउटेन्ट द्वारा संकलित व्यय विवरण के अनुसार, वि आ स के पास 31 जनवरी 1992 को 1.77 करोड़ रु मूल्य के विभिन्न श्रेणियों की परिसम्पत्तियों जैसे भवन, तकनीकी उपकरण इत्यादि थे। तथापि, जैसा कि वित्तीय नियमावली में निर्धारित था, परिसम्पत्तियों के मदवार ब्यौरे दर्शाते हुए, केन्द्रीय परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। वि आ स में अनुरक्षित भंडार रजिस्ट्रों में प्रत्येक परिसम्पत्ति के मूल्य के विवरण उल्लिखित नहीं थे। लेखाओं में प्रदर्शित परिसम्पत्तियों का मूल्य, भंडारों की पृथक मदों के सकल मूल्य की जांच के लिए विश्वसनीय नहीं थे।

10.3.17 बिक्री कर के भुगतान के कारण हानि

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 के अंतर्गत 31 दिसम्बर 1989 तक भारतीयम 1989 के साथ जुड़े सभी सामान की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से छूट देते हुए दिल्ली प्रशासन ने दिनांक 31 अक्टूबर 1989 को अधिसूचना जारी की। इस प्रकार से, वि आ स बिक्री कर का भुगतान किए बिना ही पंजीकृत व्यापारियों से सभी सामानों को खरीद सकता था। इस छूट को प्राप्त करने के लिए, वि आ स को निर्धारित प्रपत्र में विक्रेता व्यापारी को एक घोषणा जारी करनी अपेक्षित थी। छूट प्रमाण पत्र को जारी करने के विवरण लेखापरीक्षा जांच हेतु उपलब्ध नहीं कराये गए थे।

22 क्रय फाइलों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 11 मामलों में, वि आ स ने फर्मों /व्यापारियों से की गई खरीदों पर बिक्री कर दिया गया था, यद्यपि, खरीदें छूट हेतु पात्र थीं। इसके परिणामस्वरूप 14.60 लाख रु का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

10.3.18 स्रोत पर आयकर न काटना

आयकर अधिनियम की धारा 194 ग के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी को फर्म के भुगतान करते समय स्रोत पर आय कर काट लेना चाहिए। लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 3 मामलों में फर्मों को किए गए भुगतानों में से कोई आयकर नहीं काटा गया था। इसके परिणामस्वरूप 2.16 प्रतिशत पर संगणित 3.20 लाख रु का अधिक भुगतान हुआ।

भारतीयम ग्राम पर सारा व्यय (1.66 करोड़ रू) सा क्षे उ (1.63 करोड़ रू) तथा दिल्ली राज्य भारत स्काउट तथा गाइड (3 लाख रू) से प्राप्त दान से किया गया। आयकर अधिनियम की धारा 80 (छ) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए दानियों से प्राप्तियां तथा दान भा खे प्रा के पक्ष में आहरित किये गए तथा वि आ स के खाते में सीधे क्रेडिट किये गए जो कि अनियमित थे। चूंकि भा खे प्रा ने दान सीधे अपने खाते में क्रेडिट नहीं किये सा क्षे उ को आयकर छूट प्रमाण पत्र जारी करना नियमानुसार नहीं था तथा इसका परिणाम आयकर (निगम कर) के बचाव में हुआ।

10.3.19 प्रबोधन और मूल्यांकन

प्रदान किए गए अनुदानों से प्राप्त लाभों के निर्धारण हेतु वि आ स द्वारा कोई योजनाबद्ध मूल्यांकन नहीं किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीयम कार्यक्रम का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था, अल्पावधि तत्काल मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

10.3.20 पेशगियां

वि आ स ने, आकस्मिक अर्थात् प्रासंगिक व्यय पूरा करने के लिए मुख्यता भा खे प्रा/मंत्रालय के बहुत से अधिकारियों को 6.02 लाख रु की पेशगी दी। इन पेशगियों के लिए चैक, संबंधित अधिकारियों के पक्ष में जारी किए गए थे तथा उनके व्यक्तिगत खाते में क्रेडिट किए गए थे। कार्य जिसके लिए राशि पेशगी में दी गई थी, की समाप्ति होते ही पेशगियों का लेखा भेजा जाना अपेक्षित था। पेशगियों के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था तथा इस प्रकार से समायोजन और बकाया पेशगियों के ब्यौरों का सही ढंग से सुनिश्चय नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित चूकों को प्रकट किया:

- i) सामान्य वित्तीय नियमावली का उल्लंघन करते हुए, कर्मचारियों को पेशगी में दी गई राशि को अंततः संबंधित शीर्षों के अंतर्गत प्रभारित कर दिया गया था।
- ii) 1989-90 की अवधि से संबंधित 2.33 लाख रु की पेशगियों का समायोजन/वसूली 31 अगस्त 1994 के अंत तक बकाया थी।
- (iii) इसके अतिरिक्त सामान की आपूर्ति और भारतीयम के कार्यों के निष्पादन के लिए निजी पार्टियों को 65.32 लाख रु की राशि पेशगी में दी गई थी। इसमें से 21.32 लाख रु के लेखे

प्रस्तुत नहीं किए गए थे तथा राशियां बकाया पड़ी थी (जनवरी 1992)। बकाया राशियों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि पेशगी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(iv) वि आ स ने सितम्बर तथा अक्टूबर 1989 में फर्म को निर्माण कार्य हेतु आनुपातिक आधार पर चालू बिलों से वसूली योग्य ब्याज मुक्त गतिशील अग्रिम के रूप में 1.38 करोड़ रू का भुगतान किया। इसमें से 1.22 करोड़ रू दिसम्बर 1989 में समायोजित किए गए थे तथा शेष अभी तक इसके खातों में असमायोजित पड़े है। अग्रिम भुगतान सरकार के आदेशों के विपरीत था जिसके अनुसार, ब्याज वाले गतिशील अग्रिम, निर्माण की लागत के 10 प्रतिशत की सीमा तक विशिष्ट प्रकृति के पूंजीगत भवन निर्माण के लिए ठेकेदार/फर्म को दिये जा सकते थे। इस प्रकार फर्म को अदेय सहायता हुई जिसके परिणामस्वरूप रियायती 10 प्रतिशत पर संगणित 10.63 लाख रू के ब्याज की हानि हुई।

10.3.21 टैटों को किराये पर लेना

कैम्प कमांडेट कार्यालय, नियंत्रण कक्ष, रसोईघर और भोजन वितरण केन्द्र इत्यादि के लिए भारतीयम ग्राम में आवास आवश्यकता की पूर्ति हेतु, उप निदेशक (समन्वय) ने व्यक्तिगत रूप से पांच फर्मों से उद्धरण एकत्र किये। कार्य निम्नतम मूल्यवाली फर्म को प्रदान किया गया था। फर्म ने 23 अक्टूबर 1989 और 16 नवम्बर 1989 के बीच की गई आपूर्तियों के लिए 2.04 लाख रू की राशि के सात बिल प्रस्तुत किये। बिलों से 0.31 लाख रू की राशि की कटौतियां की गई थी तथा 15 नवम्बर 1989 और 5 अगस्त 1991 के बीच फर्म को 1.73 लाख रू का पूर्ण और अन्तिम भुगतान कर दिया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच ने निम्नलिखित चूकों को प्रकट किया:

- i) दो लाख रूपयों से अधिक मूल्य के ठेकों को वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए, व्यक्तिगत पूछताछ आधार पर प्रदान किया गया था। इस प्रकार से तुलनात्मक दरों का लाभ भी नहीं उठाया जा सका।
- ii) शर्तों का उल्लेख करते हुए फर्म के साथ कोई औपचारिक संविदा/अनुबंध नहीं किया गया था।
- iii) फर्म को बिलों का भुगतान, कैम्प कमांडेट द्वारा भारतीय ग्राम पर मदों और प्रयोग की अवधि के सत्यापन के बाद किया जाना था। किसी भी बिल का कैम्प कमांडेट द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में फर्म को किये गये भुगतान की सत्यता को लेखापरीक्षा में जांचा नहीं जा सका।

iv) कार्य, टैटों, शामियानों आदि की अनुमानित आवश्यकताओं के मौके पर ही निर्धारण के आधार पर प्रदान किया गया था। 100 प्रतिशत उपयोग के आधार पर परिकल्पित 0.86 लाख रू के प्राक्कलन के प्रति 1.73 लाख रू का व्यय किया गया था (जो कि अनुमानित व्यय का 204 प्रतिशत था)।

जब बच्चों ने भारतीयम ग्राम में पहुंचना प्रारम्भ किया, सभी मोडयूल अधिपत्य में लेने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार से, उन्हें भारतीयम ग्राम में सभागार में लगाये गये शामियाने में जगह देना तय किया गया था। चूंकि बच्चों को फर्श पर स्थान दिया गया था, फर्म से फर्श, चटाइयों, रजाइयों को किराये पर लिया गया था। फर्म ने भारतीयम 1989 के दौरान इस द्वारा की गई आपूर्तियों के लिए 2.24 लाख रू की राशि के छः बिल प्रस्तुत किये तथा मंत्रालय के उद्धरण पर, इन बिलों के पूर्ण तथा अंतिम समाधान हेतु वि आ स ने फर्म को गद्दों, रजाइयों आदि (1.25 लाख रू), दरियों (0.35 लाख रू), टैटों, कनातों (0.15 लाख रू.) आदि के लिए 1.75 लाख रू का भुगतान किया। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अभ्युक्तियां प्रासंगिक हैं:

i) राष्ट्रीय भारतीयम 1989 के लिए बाह्य आकस्मिक व्यय के लिए प्रशासकीय अनुदेशों के अनुसार, एक छोटे तकिये, बैड शीटों, बैड कवर, दो हलके कम्बल अथवा एक हल्की रजाई और एक हल्के सूती गद्दे वाले बिस्तरबन्द, स्वयं भाग लेने वालों द्वारा लाये जाने थे। इस प्रकार से गद्दों और रजाई की आपूर्ति के लिए फर्म को किया गया 1.60 लाख रू की राशि का भुगतान अनियमित था। इसके अतिरिक्त, यदि वि आ स को, समय पर जियोड्यूलो के पूरा न करने के कारण इन बिस्तरबंदों को किराये पर लेने पर मजबूर होना पड़ा था, तो जियोड्यूलो के लिए निर्माता एजेसी से 1.60 लाख रू की समस्त राशि वसूल की जानी थी।

ii) वास्तविक आवश्यकता (तारीखवार) की तुलना में वास्तविक आपूर्तियों के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसके अभाव में लेखापरीक्षा में, किये गये भुगतान की सत्यता का सुनिश्चय नहीं किया जा सका।

iii) फर्म के साथ कोई संविदा/अनुबंध नहीं किया गया था।

iv) वि आ स द्वारा व्यय का अनुमोदन नहीं किया गया था तथा बोर्डिंग व लोजिंग की बजाय आकस्मिक व्यय शीर्ष को डेबिट किया गया था।

10.3.22 संगीत रचना

भा खे प्रा ने भारतीयम 1989 के लिए विषयवस्तु तथा प्रासंगिक संगीत की रचना के लिए मई 1989 में मैसर्ज आनंद शंकर प्रोडैक्सन से सम्पर्क किया तथा श्री आनन्द शंकर को मुख्य निर्माता नियुक्त करने की पेशकश की। प्रत्युत्तर में, फर्म ने, संगीत बजट के लिए 2.36 लाख रू

(शुल्क, दैनिक भत्ते और हवाई भाड़े को छोड़कर) तथा अनुरक्षण भत्ते के लिए 1.50 लाख रू का दावा प्रस्तुत किया। 15 मई 1989 को आयोजित अपनी बैठक में सक्षम समिति ने मुख्य निर्माता के रूप में श्री आनंद शंकर की नियुक्ति पर विचार किया। प्राक्कलनों को नीचे लाने के लिए, निदेशक, भारत उत्सव, संस्कृति विभाग, नई दिल्ली से सलाह करने का निर्णय किया गया। मामले की उस विभाग के साथ 22 मई 1989 को चर्चा की गयी थी तथा कीमत, मोलभाव से 2.38 लाख रू करने का निर्णय लिया। सक्षम समिति ने 4 मई 1989 को फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गए 3.86 लाख रू के बजट अनुमानों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया।

निम्नवत प्रसंग प्रकट होते हैं:

- i) वि आ स/सक्षम समिति ने विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में फर्म को 3.86 लाख रू (यात्रा छोड़कर) की लागत पर अनुबन्धित करने का निर्णय लिया जिसके परिणाम स्वरूप 1.49 लाख रू का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त कोई कारण/ तर्क दिये बिना कार्य अत्यधिक दरों पर दिया गया था।
- ii) ठेके के नियम व शर्तों के अनुसार बजट 3.86 लाख रू से बढ़ना नहीं चाहिए था। इसके प्रति वि आ स ने 5.33 लाख रू (यात्रा छोड़कर) का भुगतान किया जिससे 1.47 लाख रू की हानि हुई।

10.3.23 लेखाओं का संकलन तथा लेखापरीक्षा

भारतीयम 1989 के लेखे तथा लेखापरीक्षा मुख्य समारोह के बहुत समय पश्चात 29 मार्च 1991 को चार्टर्ड एकाउन्टेंट (चा ए) की फर्म को सौंपी गई थी। चूंकि मुख्य अभिलेखों जैसे कैश बुक, लेजर, खरीद/आपूर्ति आदेश तथा वाउचरों सहित लेखे बहुत बुरी हालत में पाये गए थे, चा ए को लेखे पुनः तैयार करने पड़े (31 जनवरी 1992 तक)। चा ए ने अपनी रिपोर्ट 21 जुलाई 1992 को प्रस्तुत की तथा बहुत सी अनियमितताओं, कमियों तथा प्रभावी नियंत्रण, जांच तथा अभिलेखों की कमियों को इंगित किया। उनके द्वारा देखे गए अधूरे अभिलेखों पर उनके निर्णयों के आधार पर उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों, आपूर्तिकर्ताओं तथा ठेकेदारों से विभिन्न राशियों की वसूली का सुझाव दिया। उन्होंने 444.90 लाख रू के कुल व्यय में से लगभग 51.67 लाख रू की हानि का भी निर्धारण किया। इसके अतिरिक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधिकार में एक डुप्लीकेट कैश बुक सहित दो कैश बुक भी पाई गई।

10.3.24 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

वि आ स ने बहुत सी मदों से सम्बन्धित पूरे अभिलेखे तथा सूचनाएं चा.ए. तथा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई इस प्रकार प्रभावी लेखापरीक्षा संवीक्षा में रूकावट आई। जहां सूचना प्रस्तुत भी की गई थी यह बहुत समय बीत जाने के बाद भी तथा बहुत से मामलों में अधूरी सूचनाएं तथा अभिलेखे प्रस्तुत किये गये थे। जून 1994 से नवम्बर 1994 के दौरान 65 में से 38 लेखापरीक्षा मीमों से सम्बन्धित अभिलेखे प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

चा ए ने यह इंगित किया था कि दिल्ली राज्य भारत स्काउट एवं गाइड को किया गया भुगतान सन्देह पूर्ण था। भारतीयम लेखाओं की सत्यता की जांच करने के लिए मांगी गई सूचना तथा/ अथवा अभिलेखे, संगठन से मांगे गये थे परन्तु नवम्बर 1994 तक ये प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

10.3.25 स्कूली बच्चों की भर्ती, अधिकतर दिल्ली से परन्तु सारे देश से भी, मई तथा अक्तूबर 1989 के बीच धमाके के आधार पर आयोजित की गई प्रतीत होती है। 14 नवम्बर 1989 को अंतिम विशाल प्रदर्शन प्रशिक्षण तथा निर्माण की ज्वरग्रस्त गतिविधियों से आरम्भ हुआ। प्रक्रिया में सरकारी नियमों तथा विनियमों की परिधि के बाहर एक तदर्थ अस्तित्व की रचना करते हुये मानक वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं से किनारा कर लिया प्रतीत होता है। यद्यपि प्रयत्न अच्छे आधुनिक मकानों का निर्माण करना, शानदार समारोह के लिए सबसे अधिक फैशनदार तथा महंगी वेशभूषा प्राप्त करना हो सकता है रमणीयता तथा गुणवत्ता के सम्बन्ध में परिणामों ने कमियों को एकत्र उद्धरणों अथवा भोजन के पैकटों अथवा परिवहन के लिए उच्च दरों अथवा भण्डार लेखांकन की कमियों को पूरी तरह प्रतिविम्बित करके नहीं दिखाया।

सामान्य

11.1 हानियां तथा बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य दातव्य

1993-94 के दौरान बट्टे खाते डाली गई/छोड़ी गई हानियों तथा अप्राप्य दातव्यों, शुल्कों, पेशगियों इत्यादि का विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट XI में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जायेगा कि 1993-94 के दौरान 223 मामलों में, मुख्यतः प्रणाली की विफलता अलग अलग सरकारी कर्मचारियों की ओर से उपेक्षा, धोखाधड़ी आदि तथा अन्य कारणों से, हानियों के द्योतक 61.73 लाख रु बट्टे खाते डाले गए थे।

11.2 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखाओं की स्थिति

31 मार्च 1994 को, वाणिज्यिक और अर्ध वाणिज्यिक प्रकार के विभागीय रूप से प्रबंधित 38 सरकारी उपक्रम थे।

इन उपक्रमों के वित्तीय परिणाम, प्रतिवर्ष सामान्यतः व्यापारिक, लाभ तथा हानि लेखे तथा तुलन पत्र से समाविष्ट प्रोफार्मा लेखे तैयार करके सुनिश्चित किए जाते हैं। तथापि, प्रकाशन विभाग, दिल्ली तथा भारत सरकार के मुद्रणालय केवल भण्डार लेखे तैयार करते हैं। लोक लेखा समिति के अपने इकतालिसवें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा -1971-72) के पैराग्राफ 1.107 में उल्लिखित अनुशंसाओं के अनुसरण में सरकार, भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए विनिर्माण, लाभ तथा हानि लेखे तथा तुलन पत्र तैयार करने के लिए सहमत हो गई। 1 अप्रैल 1983 से प्रभावी इस उद्देश्य के लिए लेखाओं का प्रारूप तदनुसार अनुमोदित कर दिया गया था।

वर्ष 1993-94 के लिए प्रोफार्मा लेखे, सुरक्षा मुद्रणालय, हैदराबाद को छोड़कर किसी भी उपक्रम से प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 1994)। उनके अंततम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के, संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट XII में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जायेगा कि प्रोफार्मा लेखे 1 से 21 वर्षों की अवधि से तैयार नहीं किए गए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

| अवधि जिससे बकाया में पड़े हैं | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| वर्षों की संख्या | अवधि | उपक्रमों की संख्या |
| 1-5 | 1989-90 से 1993-94 | 15 |
| 6-10 | 1984-85 से 1988-89 | 11 |
| 11-15 | 1979-80 से 1983-84 | 5 |
| 16-21 | 1973-74 से 1978-79 | 4 |
| | | *35 |

* (दो निकाय शामिल नहीं हैं, जिनके संबंध में प्रोफार्मा लेखाओं का सरलीकरण स्थगित रखा गया है)।

प्रोफार्मा लेखाओं के अभाव में, इन संगठनों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं की लागत, जो कि वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधन के लिए अभिप्रेत होते हैं, को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उनकी गतिविधियों हेतु किसी सामान्य निष्पादन सूचक, जैसे निवेश पर प्रतिफल, लाभदायकता इत्यादि को भी सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

प्रोफार्मा लेखाओं के संकलन में विलम्ब के कारण उपलब्ध नहीं थे। विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लेखाओं के संकलन में विलम्ब समय समय पर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों के भी ध्यान में लाये गए थे, परन्तु लेखाओं का संकलन करने तथा उनको अद्यतन करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गए थे।

11.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को, उनके सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही, उनमें उल्लिखित विभिन्न पैराग्राफों की लेखा परीक्षा द्वारा भली भांति जांच किये जाने पर, उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही को दशति हुए, उन्हें वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किये (अप्रैल 1982)।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुई अवधि तक विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (जैसे- सिविल, अन्य स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक विभाग) में सम्मिलित पैराग्राफों पर कार्यवाही टिप्पणियों की प्राप्ति से संबंधित स्थिति की समीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालयों ने उनसे संबंधित पैराग्राफों पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की हैं तथा 498 पैराग्राफों में से, जिन पर कार्यवाही टिप्पणियां भेजी जानी अपेक्षित थी, 302 पैराग्राफों (61 प्रतिशत) पर उपचारात्मक/शोधक कार्यवाही टिप्पणियां अभी भी प्रतीक्षित थीं (30 सितम्बर 1994)। 302 पैराग्राफों में से, 101 (33 प्रतिशत) 1986-87 से 1990-91 तक की अवधि के लिए प्रतिवेदनों से संबंधित थे। विभिन्न मंत्रालयों से प्रतीक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति प्रतिवेदन के परिशिष्ट-XIII में दर्शायी गई है।

भरत ओझा

नई दिल्ली

दिनांक 28 MAR 1995

(भरत ओझा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रतिहस्ताक्षरित

सि. जि. सोमैया

नई दिल्ली

दिनांक 29 MAR 1995

(सि.जि. सोमैया)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट: 1
(पैराग्राफ 1.6 में उल्लिखित)
निवेश पर प्रतिफल

(करोड़ रूपयों में)

| वर्ष के अंत में निवेश | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सांविधिक निगम | | | | | |
| (i) कुल निवेश | 33449.18 | 37134.66 | 40121.26 | 41858.23 | 44116.15 |
| (ii) लाभांश का अंश | 248.50 | 301.17 | 367.19 | 592.45 | 633.07 |
| (iii) लाभांश की प्रतिशतता | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 1.42 | 1.44 |
| 2. भारतीय रिजर्व बैंक | | | | | |
| (i) कुल निवेश | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
| (ii) अधिशेष लाभों का अंश | 210.13 | 210.12 | 350.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| (iii) अधिशेष लाभों की प्रतिशतता | 3610.48 | 3610.00 | 6013.75 | 25773.20 | 25773.20 |
| 3. राष्ट्रीयकृत बैंक | | | | | |
| (i) कुल निवेश | 2090.59 | 2861.46 | 2979.01 | 3739.59 | 9464.89 |
| (ii) लाभों का अंश | 55.47 | 50.70 | 54.59 | 80.88 | 3.58 |
| (iii) लाभों की प्रतिशतता | 2.65 | 1.77 | 1.83 | 2.16 | 0.04 |
| 4. भारतीय जीवन बीमा निगम | | | | | |
| (i) कुल निवेश | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| (ii) लाभों का अंश | 59.82 | 76.18 | 90.04 | 100.06 | 118.53 |
| (iii) अधिशेष लाभों की प्रतिशतता | 1196.40 | 1523.60 | 1800.00 | 2001.20 | 2370.60 |
| 5. सामान्य बीमा निगम | | | | | |
| (i) कुल निवेश | 64.50 | 107.50 | 107.50 | 107.50 | 215.00 |
| (ii) प्राप्त लाभांश | 20.21 | 26.88 | 26.88 | 32.37 | 26.94 |
| (iii) लाभांश की प्रतिशतता | 31.33 | 25.00 | 25.00 | 30.11 | 12.53 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6. | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | | | | | |
| (i) | कुल निवेश | 637.00 | 703.00 | 753.00 | 753.00 | 753.00 |
| (ii) | अधिशेष लाभों का अंश | 47.85 | 69.58 | 92.64 | 93.00 | 112.95 |
| (iii) | लाभांश की प्रतिशतता | 7.51 | 9.90 | 12.30 | 12.35 | 15.00 |
| 7. | राज्य सहकारी बैंक और अन्य बैंक | | | | | |
| (i) | कुल निवेश | 471.73 | 520.12 | 590.10 | 644.67 | 690.74 |
| (ii) | प्राप्त लाभांश | 7.00 | 8.00 | 9.01 | 10.00 | 12.39 |
| (iii) | लाभांश की प्रतिशतता | 1.48 | 1.54 | 1.53 | 1.55 | 1.79 |
| 8. | सहकारी समितियां | | | | | |
| (i) | कुल निवेश | 662.42 | 670.06 | 681.91 | 723.72 | 726.69 |
| (ii) | प्राप्त लाभांश | 40.33 | 31.41 | 41.40 | 61.01 | 45.74 |
| (iii) | लाभांश की प्रतिशतता | 6.09 | 4.69 | 6.07 | 8.43 | 6.29 |
| 9. | सहकारी क्रेडिट समितियां | | | | | |
| (i) | कुल निवेश | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| (ii) | प्राप्त लाभांश | उ न | उ न | उ न | उ न | उ न |
| (iii) | लाभांश की प्रतिशतता | उ न | उ न | उ न | उ न | उ न |
| 10. | अंतर्राष्ट्रीय निकाय | | | | | |
| (i) | कुल निवेश | 470.28 | 597.92 | 660.45 | 679.81 | 718.85 |
| 11. | निर्माणाधीन | | | | | |
| (i) | कुल निवेश | 4588.17 | 4588.87 | 3316.71 | 3520.93 | 6309.51 |
| (ii) | कुल निवेश | 42444.88 | 47194.59 | 49220.95 | 52038.46 | 63005.84 |
| (ii) | प्राप्त लाभांश | 689.41 | 774.03 | 1031.75 | 2469.77 | 2453.20 |
| (iii) | लाभांश/लाभों की प्रतिशतता | 1.63 | 1.64 | 2.10 | 4.75 | 3.9 |

परिशिष्ट II

(पैराग्राफ 1.7 में उल्लिखित)

20 वर्षों से अधिक से बकाया ऋण

| | सा क्षेत्र का नाम | मंत्रालय/विभाग | प्रारंभिक अवधि, जिससे ऋण बकाया है |
|----|---|--|--------------------------------------|
| 1 | केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लि. हावड़ा | कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) | 1969-70 |
| 2 | राष्ट्रीय कपड़ा निगम नई दिल्ली | वाणिज्य मंत्रालय (कपड़ा विभाग) | 1972-73 |
| 3 | युनाइटेड मिल्स बम्बई | वाणिज्य मंत्रालय (कपड़ा विभाग) | 1966-67 |
| 4 | डाक व तार सहकारी समितियां | संचार मंत्रालय (डाक विभाग) | 1966-67 |
| 5 | सहकारी समितियां, दिल्ली | गृह मंत्रालय (दिल्ली प्रशासन) | 1961-62 |
| 6 | दि वि प्रा दिल्ली | उपरोक्त | 1953-54 |
| 7 | डेसू दिल्ली | उपरोक्त | 1969-70 |
| 8 | दि न नि दिल्ली | उपरोक्त | 1969-70 |
| 9 | दिल्ली ज आ और म व्य वि | उपरोक्त | 1969-70 |
| 10 | विभिन्न शैक्षिक संस्थाएं और अभियांत्रिकी महाविद्यालय | मानव संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग) | 1971-72 |
| 11 | भारत भारी चद्दर और जलयान लि विशाखापट्टनम | उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग निगम) | 1971-72 |
| 12 | बारबिल केन्द्रीय सहकारी भंडार यू एस बारबिल | श्रम मंत्रालय | 1967-68 |
| 13 | केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम लि. कलकत्ता | भूतल परिवहन मंत्रालय | 1963-64 |
| 14 | दि प नि नई दिल्ली | उपरोक्त | 1963-64 |

| | | | |
|----|---|---|-------------------------------|
| 15 | रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भंडार दक्षिणी पूर्वी रेलवे पूर्वी रेलवे पश्चिमी रेलवे | रेलवे मंत्रालय उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त | 1966-67 1971-72 1970-71 |
| 16 | आंध्र राज्य बिजली बोर्ड | शहरी विकास मंत्रालय | 1972-73 |
| 17 | उपभोक्ता सहकारी समितियां लि. नई दिल्ली | उपरोक्त | 1964-65 |
| 18 | दि न नि | उपरोक्त | 1952-53 |
| 19 | दिल्ली ज आ और म व्य वि उ | उपरोक्त | 1953-54 |

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 1.13 में उल्लिखित)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | मंत्रालय/विभाग | सितम्बर 1992 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में मार्च 1994 के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की | | अनुदानों के लंबित रहने का प्रारंभिक वर्ष |
|----------|-----------------------------------|--|---------|--|
| | | संख्या | राशि | |
| 1. | कृषि | 596 | 151.22 | 1976-77 |
| 2. | * अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 267 | 10.10 | 1980-81 |
| 3. | दिल्ली प्रशासन | 2141 | 1220.58 | 1977-78 |
| 4. | सूचना और प्रसारण | 13 | 0.95 | 1982-83 |
| 5. | शहरी विकास | 173 | 46.52 | 1981-82 |
| 6. | जल संसाधन | 73 | 2.02 | 1984-85 |
| 7. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | | | |
| | (i) परिवार कल्याण | 995 | 98.32 | 1976-77 |
| | (ii) स्वास्थ्य | 2547 | 632.06 | 1976-77 |
| 8. | पर्यावरण व वन | 3845 | 251.92 | 1980-81 |
| 9. | समुद्री विकास | 715 | 43.77 | 1983-84 |
| 10. | गृह | 44 | 0.07 | 1987-88 |
| 11. | नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण | 30 | 3.11 | 1980-81 |
| 12. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 24 | 0.04 | 1988-89 |
| 13. | वाणिज्य | 141 | 262.72 | 1983-84 |
| 14. | कपड़ा | 51 | 42.04 | 1992-93 |
| 15. | हस्त शिल्प विकास आयुक्त, दिल्ली | 487 | 9.45 | 1977-78 |
| 16. | भूतल परिवहन | 16 | 8.50 | 1987-88 |

| | | | | |
|-----|---|--------------|----------------|---------|
| 17. | विदेश | 47 | 20.66 | 1985-86 |
| 18. | ग्रामीण विकास | 80 | 50.14 | 1989-90 |
| 19. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 76 | 8.86 | 1983-84 |
| 20. | कार्मिक लोक शिकायतें तथा पेंशन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 33 | 0.36 | 1986-87 |
| 21. | श्रम | 168 | 6.71 | 1979-80 |
| 22. | विधि और न्याय तथा कम्पनी मामले कानूनी मामले विभाग तथा विधायी विभाग | 81 | 0.24 | 1982-83 |
| 23. | इलैक्ट्रानिक्स | 1988 | 303.43 | 1979-80 |
| 24. | रसायन व उर्वरक | 65 | 108.94 | 1985-86 |
| 25. | योजना-योजना आयोग और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र | 50 | 1.01 | 1990-91 |
| 26. | वित्त | | | |
| | i) राजस्व | 34 | 1.95 | 1989-90 |
| | ii) आर्थिक मामले | 17 | 3.21 | 1990-91 |
| 27 | उद्योग | | | |
| | भारी उद्योग विभाग | 22 | 17.04 | 1990-91 |
| | लघु उद्योग और कृषि | | | |
| | ग्रामोद्योग | 24 | 6.96 | 1991-92 |
| | जोड़ | 14843 | 3312.90 | |

* 31 मार्च 1993 तक के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र सम्मिलित है।

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

परिशिष्ट-IV
(पैराग्राफ 1.14.3 में उल्लिखित)

प्रतिशेष

(करोड़ रूपयों में)

| क्र.सं. | विभाग का नाम | लेखा शीर्ष | 31-3-1994 को शेष |
|---------|--|---|------------------|
| 1. | सहायता लेखे और लेखा परीक्षा विभाग वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों का विभाग | i)6002-201-अरब आर्थिक विकास के लिए अबुधाबी से ऋण | डेबिट 12.13 |
| | | ii)6002-211 इराक सरकार से ऋण | डेबिट 1.38 |
| | | iii)6002-231 संयुक्त अरब अमेरात सरकार से ऋण | डेबिट 32.00 |
| | | iv)8012-112- कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी लि. द्वारा निक्षेप | डेबिट 578.88 |
| | | v) 6002-225-यू के सरकार से ऋण (ऋण जो ब्याज भारित नहीं है) | डेबिट 132.71 |
| | | vi)8449-116-यू एस ए से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पेशगी निक्षेप | डेबिट 15.67 |
| | | vii)8449-119-ए वि बैं से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पेशगी निक्षेप | डेबिट 70.80 |
| 2. | नियंत्रक लेखा वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग | i)6001-106-मुआवजा और अन्य बन्ध पत्र 5 वर्षीय ब्याज मुक्त ईनामी बंधपत्र 1965 | डेबिट 1.35 |
| | | ii) 8002-102-राज्य बचत प्रमाणपत्र | डेबिट 0.94 |
| | | iii) 8002-103-खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र | डेबिट 6.54 |
| | | iv) 8002-106-राष्ट्रीय विकास बंध पत्र | डेबिट 2.41 |
| | | v) 8012-105-भा यू टू को जारी विशेष प्रतिभूतियां | डेबिट 109.88 |
| | | vi) 8656-104-कांस्य और ताम्र सिक्के लेखा | क्रेडिट 2.14 |
| | | vii) 8670-00-103 विभागीय चैक | डेबिट 34.44 |
| 3. | पर्याटन और नागरिक विमानन | 7452/01/800-अन्य ऋण | क्रेडिट 1.26 |
| 4. | ग्रामीण विकास | 8670-00-103 विभागीय चैक | डेबिट 105.94 |
| 5. | नागरिक आपूर्ति | 7475-00-103 नागरिक आपूर्ति | क्रेडिट 2.00 |
| 6. | डाक विभाग | i)8002-104-रक्षा बचत प्रमाण पत्र | डेबिट 31.51 |
| | | ii) 8002-106-राष्ट्रीय विकास बंध पत्र | डेबिट 0.93 |

परिशिष्ट-V

(पैराग्राफ 2.4 में उल्लिखित)

अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों के मामले

(लाख रूपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | अनुदान/विनियोग की राशि | | | |
|---|--|------------------------|----------|---------------|----------|
| | | मूल | अनुपूरक | वास्तविक व्यय | बचत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| राजस्व दत्तमत | | | | | |
| संचार मंत्रालय | | | | | |
| 1. | 13-संचार मंत्रालय | 1073.00 | 40.00 | 714.08 | 398.92 |
| रक्षा मंत्रालय | | | | | |
| 2. | 16-रक्षा मंत्रालय | 159636.00 | 528.00 | 155300.97 | 4863.03 |
| वित्त मंत्रालय | | | | | |
| 3. | 27-वित्तीय संस्थाओं को भुगतान | 109838.00 | 5049.00 | 105657.14 | 9229.86 |
| 4. | 32-व्यय विभाग | 915.00 | 35.00 | 830.52 | 119.48 |
| 5. | 35-राजस्व विभाग | 10005.00 | 440.00 | 9123.54 | 1321.46 |
| खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय | | | | | |
| 6. | 39-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय | 4079.00 | 556.00 | 3936.94 | 698.06 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | | | |
| 7. | 40-स्वास्थ्य विभाग | 79952.00 | 6648.00 | 77095.66 | 9504.34 |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | | | | |
| 8. | 47-शिक्षा विभाग | 215596.00 | 3294.00 | 209633.27 | 9256.73 |
| उद्योग मंत्रालय | | | | | |
| 9. | 51-औद्योगिक विकास विभाग | 80630.00 | 50847.00 | 78939.51 | 52537.49 |
| 10. | 53-सार्वजनिक उद्यम विभाग | 144.00 | 11.00 | 130.96 | 24.04 |
| 11. | 54-लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग | 37629.00 | 201.00 | 34155.92 | 3674.08 |
| भूतल परिवहन मंत्रालय | | | | | |
| 12. | 75- भूतल परिवहन | 10690.00 | 132.00 | 6314.44 | 4507.56 |
| जल संसाधन मंत्रालय | | | | | |
| 13. | 82-जल संसाधन मंत्रालय | 35353.00 | 398.00 | 32443.24 | 3307.76 |
| कल्याण मंत्रालय | | | | | |
| 14. | 83-कल्याण मंत्रालय | 56494.00 | 2931.00 | 55272.30 | 4152.70 |
| राजस्व प्रभारित | | | | | |
| वित्त मंत्रालय | | | | | |
| 15. | 33-पेंशन | 236.00 | 37.00 | 228.73 | 44.27 |
| पूँजीगत दत्तमत | | | | | |
| रसायन व उर्वरक मंत्रालय | | | | | |
| 16. | 6-उर्वरक विभाग | 20560.00 | 801.00 | 19546.72 | 1814.28 |

| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 17. | 40-स्वास्थ्य विभाग | 26095.00 | 2211.00 | 25746.69 | 2559.31 |
| भूतल परिवहन मंत्रालय | | | | | |
| 18. | 75- भूतल परिवहन | 5469.00 | 1451.00 | 5402.00 | 1518.00 |
| 19. | 76-सड़कें | 67670.00 | 858.00 | 65472.29 | 3055.71 |
| 20. | 77-पत्तन, दीप स्तम्भ और जहाजरानी | 26871.00 | 2602.00 | 22810.12 | 6662.88 |
| शहरी विकास मंत्रालय | | | | | |
| 21. | 79-शहरी विकास और आवास | 23821.00 | 1765.00 | 19043.89 | 6542.11 |
| 22. | 80-लोक निर्माण | 14952.00 | 1387.00 | 14913.08 | 1425.92 |
| गृह मंत्रालय संघ शासित प्रदेश (विधान मंडल रहित) | | | | | |
| 23. | 95-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 15254.00 | 422.00 | 13767.16 | 1908.84 |
| पूँजीगत प्रभारित | | | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय | | | | | |
| 24. | 79-शहरी विकास और आवास | 2348.00 | 53.00 | 2243.18 | 157.82 |
| | जोड़ | 1005310.00 | 82697.00 | 958722.35 | 129284.65 |
| | जोड़ (करोड़ों में) | 10053.10 | 826.97 | 9587.22 | 1292.85 |

परिशिष्ट-VI

(पैराग्राफ 2.4 में उल्लिखित)

दत्तमत अनुदानों के अंतर्गत बचतें

दत्तमत अनुदान, जहां बचतें कुल अनुदान के 20 प्रतिशत से अधिक (प्रत्येक मामलों में 50.00 लाख रु से अधिक) है, नीचे दी गई है:

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | अनुदान | कुल अनुदान | व्यय | बचतें | बचतों की प्रतिशतता |
|---------|--|------------|----------|----------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | राजस्व | | | | |
| 1. | 94-दिल्ली | 129702.00 | 75218.56 | 54483.44 | 42.00 |
| 2. | 75-भूतल परिवहन | 10822.00 | 6314.44 | 4507.56 | 41.65 |
| 3. | 51-औद्योगिक विकास विभाग | 131477.00 | 78939.57 | 52537.49 | 39.96 |
| 4. | 13-संचार मंत्रालय | 1113.00 | 714.08 | 398.92 | 35.84 |
| 5. | 45-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | 40996.00 | 28340.79 | 12655.21 | 30.87 |
| 6. | 4-पशु पालन और डेयरी विभाग | 36903.00 | 25624.82 | 11278.18 | 30.56 |
| 7. | 65-योजना | 8935.00 | 6212.83 | 2722.17 | 30.47 |
| 8. | 78-कपड़ा मंत्रालय | 71440.00 | 54155.41 | 17284.59 | 24.19 |
| 9. | 68-विद्युत मंत्रालय | 48715.00 | 37864.85 | 10850.15 | 22.27 |
| 10. | 85 आणविक ऊर्जा योजनाएं | 44161.00 | 34852.26 | 9308.74 | 21.08 |
| | पूजीगत | | | | |
| 11. | 35-राजस्व विभाग | 139.00 | 10.36 | 128.64 | 92.55 |
| 12. | 55.सूचना और प्रसारण मंत्रालय | 1996.00 | 386.57 | 1609.43 | 80.63 |
| 13. | 1-कृषि | 1475.00 | 327.74 | 1147.26 | 77.78 |
| 14. | 69 ग्रामीण विकास विभाग | 675.00 | 152.15 | 522.85 | 77.46 |
| 15. | 7-नागरिक विमानन विभाग | 1173.00 | 361.89 | 811.11 | 69.15 |
| 16. | 39- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय | 1026.00 | 344.52 | 681.48 | 66.42 |
| 17. | 81.लेखन सामग्री एवं मुद्रण | 500.00 | 201.87 | 298.13 | 59.63 |
| 18. | 25.आर्थिक मामलों का विभाग | 14468.00 | 5931.92 | 8536.08 | 59.00 |
| 19. | 94.दिल्ली | 96997.00 | 55690.97 | 41306.03 | 42.59 |
| 20. | 97.लक्षद्वीप | 1886.00 | 1085.68 | 800.32 | 42.43 |
| 21. | 52-भारी उद्योग विभाग | 24818.00 | 15249.36 | 9568.64 | 38.56 |
| 22. | 60.खान मंत्रालय | 3770.00 | 2325.92 | 1444.08 | 38.30 |
| 23. | 61.गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय | 1004.00 | 620.00 | 384.00 | 38.25 |
| 24. | 64.पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 26639.00 | 18639.00 | 8000.00 | 30.03 |
| 25. | 42.गृह मंत्रालय | 1875.00 | 1317.17 | 557.83 | 29.75 |
| 26. | 24.विदेश मंत्रालय | 7976.00 | 5642.88 | 2333.12 | 29.25 |
| 27. | 71.विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 3252.00 | 2396.32 | 855.68 | 26.31 |
| 28. | 44-पुलिस | 46539.00 | 34446.35 | 12092.65 | 25.98 |
| 29. | 79-शहरी विकास और आवास | 25586.00 | 19043.89 | 6542.11 | 25.57 |
| 30. | 73.जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 600.00 | 452.00 | 148.00 | 24.67 |
| 31. | 77.पत्तन, दीप स्तम्भ और जहाजरानी | 29473.00 | 22810.12 | 6662.88 | 22.61 |
| 32. | 82.जल संसाधन मंत्रालय | 3115.00 | 2413.12 | 701.88 | 22.53 |
| 33. | 75.भूतल परिवहन | 6920.00 | 5402.00 | 1518.00 | 21.94 |
| 34. | 16-रक्षा मंत्रालय | 8185.00 | 6459.29 | 1725.71 | 21.08 |

परिशिष्ट-VII

(पैराग्राफ 2.5 में उल्लिखित)

निधियों का अभ्यर्पण

20 प्रतिशत से ऊपर और 1.00 करोड़ रु से अधिक, केवल आंशिक रूप से अभ्यर्पित की गयी बचतों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रूपयों में)

| क सं. | अनुदान | कुल बचतें | अभ्यर्पित राशि | अभ्यर्पित नहीं की गई राशि | अभ्यर्पित न की गई की प्रतिशतता |
|------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| राजस्व-दत्तमत | | | | | |
| 1. | 9-नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण | 8.94 | 5.08 | 3.86 | 43.18 |
| 2. | 11-वाणिज्य विभाग | 44.13 | 27.38 | 16.75 | 37.96 |
| 3. | 13-संचार मंत्रालय | 3.99 | 0.50 | 3.49 | 87.45 |
| 4. | 24-विदेश मंत्रालय | 15.84 | 5.25 | 10.59 | 66.85 |
| 5. | 26-मुद्रा, सिक्के और मोहरें | 47.97 | 37.74 | 10.23 | 21.32 |
| 6. | 35-राजस्व विभाग | 13.21 | 6.39 | 6.82 | 51.63 |
| 7. | 36-प्रत्यक्ष कर | 16.10 | 9.55 | 6.55 | 40.68 |
| 8. | 37-अप्रत्यक्ष कर | 44.59 | 15.38 | 29.21 | 65.50 |
| 9. | 38-खाद्य मंत्रालय | 59.58 | 38.23 | 21.35 | 35.83 |
| 10. | 39-खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय | 6.98 | 4.48 | 2.50 | 35.81 |
| 11. | 40-स्वास्थ्य विभाग | 95.04 | 48.61 | 46.43 | 48.85 |
| 12. | 42-गृह मंत्रालय | 15.50 | 8.34 | 7.16 | 46.20 |
| 13. | 43-मंत्रिमंडल | 6.54 | 0.57 | 5.97 | 91.28 |
| 14. | 44- पुलिस | 11.31 | 1.00 | 10.31 | 91.16 |
| 15. | 45-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | 126.55 | 44.29 | 82.26 | 65.00 |
| 16. | 47-शिक्षा विभाग | 92.57 | 59.83 | 32.74 | 35.37 |
| 17. | 48-युवा मामले और खेल विभाग | 9.86 | 3.46 | 6.40 | 64.90 |
| 18. | 49-कला और संस्कृति | 6.76 | 1.00 | 5.76 | 85.21 |
| 19. | 50-महिला और बाल विकास विभाग | 8.68 | 5.86 | 2.82 | 32.48 |
| 20. | 52-भारी उद्योग विभाग | 17.04 | 5.04 | 12.00 | 70.42 |
| 21. | 60-खान मंत्रालय | 3.43 | 0.33 | 3.10 | 90.37 |
| 22. | 63-कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन मंत्रालय | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 91.67 |
| 23. | 71-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 1.79 | 0.58 | 1.21 | 67.59 |
| 24. | 73-जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 5.58 | 3.38 | 2.20 | 39.42 |
| 25. | 75-भूतल परिवहन | 45.08 | 33.61 | 11.47 | 25.44 |
| 26. | 79-शहरी विकास और आवास | 6.14 | 0.98 | 5.16 | 84.04 |
| 27. | 84-परमाणु ऊर्जा | 15.97 | 6.01 | 9.96 | 62.37 |
| 28. | 85-आणविक ऊर्जा योजनाएं | 93.09 | 13.39 | 79.70 | 85.61 |
| 29. | 87 समुद्री विकास विभाग | 6.37 | 4.36 | 2.01 | 31.55 |
| 30. | 95-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3.66 | 1.79 | 1.87 | 51.09 |
| राजस्व-प्रभारित | | | | | |
| 31. | 58-विधि और न्याय | 2.40 | 0.10 | 2.30 | 95.84 |
| 32. | 79-शहरी विकास और आवास | 1.46 | 0.36 | 1.10 | 75.34 |

| पूँजीगत - दत्तमत्त | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------|---------|---------|-------|
| 33. | 25-आर्थिक मामलों का विभाग | 85.36 | 37.26 | 48.10 | 56.35 |
| 34. | 26-मुद्रा, सिक्के और मोहरें | 90.31 | 52.23 | 38.08 | 42.17 |
| 35. | 30 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण | 43.80 | 13.39 | 30.41 | 69.43 |
| 36. | 40-स्वास्थ्य विभाग | 25.59 | 13.15 | 12.44 | 48.62 |
| 37. | 44-पुलिस | 120.93 | 85.05 | 35.88 | 29.67 |
| 38. | 52-भारी उद्योग विभाग | 95.69 | 65.00 | 30.69 | 32.07 |
| 39. | 56-प्रसारण सेवाएं | 30.43 | 19.84 | 10.59 | 34.80 |
| 40. | 76-सड़कें | 30.56 | 0.01 | 30.55 | 99.97 |
| 41. | 79-शहरी विकास और आवास | 65.42 | 46.72 | 18.70 | 28.58 |
| 42. | 84-परमाणु ऊर्जा | 60.27 | 36.50 | 23.77 | 39.44 |
| 43. | 87-समुद्री विकास विभाग | 1.61 | 0.40 | 1.21 | 75.16 |
| पूँजीगत-प्रभारित | | | | | |
| 44. | 31-विनियोग-ऋण की चुकौती | 12289.46 | 8865.55 | 3423.91 | 27.86 |

परिशिष्ट-VIII

(पैराग्राफ 2.6 में उल्लिखित)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के मामले

1. मुख्य पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले, जो अनुपयोग के कारण अविवेकपूर्ण थे:-

(लाख रूपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या और नाम | मुख्य शीर्ष | उप- शीर्ष | उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि | पुनर्विनियोग के बाद उप शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत की राशि |
|----------|-----------------------------|---|--|----------------------------------|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 1-कृषि | 2401-कृषि संवर्धन 3601-राज्य सरकारों को सहायक अनुदान | ग.4(1)(3)-समेकित प्रबंधनोत्तर केन्द्र | 61.48 | 98.43 |
| | | | ग..8(16)-मशरूम विकास | 1.00 | 51.00 |
| | | | ड..2(4)(10)-मशरूम विकास | 99.00 | 73.75 |
| 2. | 11-वाणिज्य विभाग | 3451-सचिवालय आर्थिक-सेवा 3453-विदेशी व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन | क.1(1)-वाणिज्य विभाग | 80.00 | 86.33 |
| | | | घ.8(2)-अन्य संगठनों को अंशदान | 25.86 | 147.29 |
| | | | घ.9(1)(1)-उप-कर के संग्रहण के प्रति भुगतान | 249.00 | 242.57 |
| 3. | 12-आपूर्ति विभाग | 2057-आपूर्ति एवं निपटान | ख.2-निरीक्षण | 42.41 | 52.72 |
| 4. | 24-विदेश मंत्रालय | 2061-विदेश 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग | ख.8(1)-सीमाओं का सीमांकन | 19.89 | 55.01 |
| | | | घ.1(6)-अन्य विकासशील देशों को सहायता | 518.00 | 657.52 |
| 5. | 25-आर्थिक मामलों का विभाग | 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं 2070-अन्य प्रशासकीय सेवाएं | ख.1(1)-राष्ट्रीय बचत संगठन | 17.92 | 57.37 |
| | | | ग.1(2)-दसवां वित्त आयोग | 79.00 | 78.25 |
| 6. | 26-मुद्रा, सिक्के और मोहरें | 2046-मुद्रा, सिक्के और टकसाल 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं | क.4(1)-वापिस लिए गए सिक्कों को नष्ट करने से हानि | 13.00 | 173.00 |
| | | | क.6(1)-प्रबंध और स्थापना | 93.88 | 142.72 |
| | | | ख.1(1)-प्रबंध | 72.80 | 59.14 |
| 7. | 28-विनियोग ब्याज भुगतान | 2049-ब्याज भुगतान | क.1(5)-364दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज | 6500.00 | 74603.67 |
| | | | क.1(6)-ऋण प्रबंधन | 1765.00 | 1768.08 |
| | | | क.4(1)मूल्य हास, नवीकरण,आरक्षित निधियां | 543.19 | 537.10 |
| | | | क.4(3)-रेलवे विकास निधि पर ब्याज | 135.05 | 273.59 |
| 8. | 31-विनियोग ऋण की चुकौती | 6002-विदेशी ऋण | ख ख.17-अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यू एस ए से ऋण | 720.03 | 961.87 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|---------|---------|
| 9. | 33-पेंशन | 2071-पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ | क.1(7)-भविष्य निधियों को अंशदान | 86.36 | 114.82 |
| | | 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | ख.1(2)-निक्षेप से जुड़ी बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधियां | 32.72 | 122.78 |
| | | | ख.1(3)(1)-केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना | 2109.78 | 2112.71 |
| 10 | 35-राजस्व विभाग | 2875-अन्य उद्योग | छ.1(4)(4)-अन्य व्यय | 85.64 | 78.51 |
| 11. | 37-अप्रत्यक्ष कर | 2037-सीमा शुल्क | क.2(2)(1)(1)-अंतर लेखा अंतरण | 105.30 | 260.84 |
| | | | क.2(3)(1)(1)-अंतर लेखा अंतरण | 213.70 | 138.94 |
| | | 2038-संघ उत्पाद शुल्क | ख.2(2)-अन्य कार्यालय | 307.64 | 464.69 |
| | | 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | क क.1(1)(2)-मुख्य कार्यालय | 125.00 | 134.99 |
| 12 | 40-स्वास्थ्य विभाग | 2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य | ग.1(2)(1)-केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली | 214.93 | 159.35 |
| | | | ग.1(3)(2)-डा राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली | 200.00 | 131.68 |
| | | | ग.3(1)(2)(1)-सामान्य क्षेत्र | 20.00 | 97.50 |
| | | | ग.3(1)(4)-फार्माकोपिया भारतीय औषध प्रयोगशाला, गाजियाबाद | 1.00 | 193.48 |
| | | | ग.3(2)(3)- होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद | 0.55 | 54.49 |
| | | | ग.3(4)(1)(7)-क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, पाडिचेरी | 69.07 | 285.71 |
| | | | ग.4(3)(9)-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं | 127.98 | 168.79 |
| | | 3606-सहायक सामग्री और उपकरण | च.4(1)-राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता | 20.00 | 66.29 |
| | | | च.4(2)-राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता | 30.00 | 50.00 |
| 13 | 41-परिवार कल्याण विभाग | 2211-परिवार कल्याण | ख.5(1)-बिना विधान मंडल वाले संघ शासित प्रदेशों में व्यय | 7.00 | 117.95 |
| | | | ख.11(5)-ओरल पिलस स्कीम | 89.00 | 66.63 |
| 14 | 42-गृह मंत्रालय | 3454-जन गणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | घ.1(3)(15)-जन्म मृत्यु के आंकड़ों में सुधार | 24.97 | 223.31 |
| 15 | 44-पुलिस | 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | क क.1(1)(1)(2)(2)-केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 19.23 | 1070.86 |
| | | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | क क.1(1)(1)(1)-सीमा सुरक्षा बल | 140.00 | 196.00 |
| | | | ख ख.1(1)(1)(6)-समल्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस) | 66.00 | 60.09 |
| 16 | 47-शिक्षा विभाग | 2202-सामान्य शिक्षा | ग.2(6)(4)-मॉडल स्कूलों की स्थापना (नबोदय विद्यालय) | 29.00 | 50.00 |
| | | | ग.3(2)(3)-दूरवर्ती शिक्षा में राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नेटवर्क की स्थापना शिक्षण में राष्ट्रमंडल को भारत का योगदान | 50.00 | 75.00 |
| | | | ग.4(5)(10)-निरक्षरता उन्मूलन हेतु विशेष परियोजना | 92.35 | 249.01 |
| 17 | 48-युवा मामले और खेल विभाग | 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं | क.1-सचिवालय | 1.00 | 50.65 |
| | | 2204-खेल और युवा सेवाएं | ख.3(4)-राष्ट्रीय समेकन कार्यक्रम | 1.00 | 52.74 |
| | | | ख.4(15)-खेल और शारीरिक शिक्षा टीम विशेषज्ञ का अदान प्रदान | 50.00 | 66.31 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------|---------|
| 18 | 58-विधि और न्याय | 2015-चुनाव | ग.5-संसद के चुनाव करवाने के लिए प्रभार | 149.32 | 185.51 |
| 19 | 63-कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन | 2055-पुलिस | घ.1.(1)-केन्द्रीय जांच ब्यूरो | 38.00 | 66.94 |
| 20 | 69-ग्रामीण विकास विभाग | 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | ज4(1)(1)-जि.ग्रा.वि.ए. को आर्थिक सहायता | 51.28 | 71.69 |
| 21 | 77-पत्तन, दीप स्तम्भ और जहाजरानी | 5051-पत्तन और दीप स्तम्भों पर पूंजीगत परिव्यय | ख ख.1(1)(1)(4)-सर्वेक्षण के लिए उपकरण (एम पी एस ओ) | 80.00 | 58.39 |
| 22 | 78-कपड़ा मंत्रालय | 2851-ग्राम और लघु उद्योग | ख.4(1)(2)-अन्य | 7.00 | 67.61 |
| 23 | 79-शहरी विकास और आवास | 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं | क.1-सचिवालय | 22.50 | 58.75 |
| | | 2215-जल आपूर्ति और सफाई | ख.1(3)(5)-छोटे कस्बों को ए.आर.डब्ल्यू एस पी का विस्तार | 205.00 | 228.19 |
| | | 2216-आवास | ग.1(1)(1)(1)(1)-लघु निर्माण कार्य | 25.00 | 52.89 |
| | | | ग.1(1)(2)(3)(1)-पट्टा प्रभार | 30.00 | 82.81 |
| 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | ख ख.1(2)(10)-वित्त (राजस्व) | 1.25 | 1584.23 | | |
| 24 | 80 लोक निर्माण | 2059-लोक निर्माण | क.3(1)(2)(1)-नियमित स्थापना | 23.80 | 170.48 |
| | | | क.3(1)(2)(2)-नियमित स्थापना में परिवर्तित कार्य भारत स्टाफ | 6.92 | 78.73 |
| | | 4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | ख ख.2(1)-अभिलेखागार | 100.00 | 61.02 |
| | | 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | ड.ड.1-श्रम | 38.00 | 106.63 |
| | | 5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय | ढ.ढ.1-वेधशाला और मौसम स्टेशन | 136.00 | 111.11 |
| 25 | 84-परमाणु ऊर्जा | 2852-उद्योग | ख.1(5)(3)-वाणी में सामान्य सेवा संगठन | 70.70 | 95.23 |
| | | 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान | ग.2(1)-परमाणु ऊर्जा विनियम बोर्ड | 42.00 | 50.28 |
| | | 4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | ग ग.1(6)(2)(1)-मुख्य संयंत्र | 255.51 | 610.76 |
| | | | ग ग.3(7)(1)-रेडियेशन तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड | 39.56 | 59.16 |
| | | 5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | घ घ.1(7)(6)-लेजर सामग्री संसाधन | 83.00 | 158.27 |
| | | | घ घ.1(10)(2)-विविध निर्माण कार्य | 89.00 | 70.05 |
| | | | घ घ.5(2)-परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र | 22.00 | 61.25 |
| 26 | 88-अंतरिक्ष विभाग | 5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | ख ख.2(1)(6)-द्रव प्रणोदन प्रणाली (द्र प्र प्र) केन्द्र | 125.66 | 64.44 |
| 27 | 95-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 5052-जहाज रानी पर पूंजीगत परिव्यय | ट ट.2(1)(1)(1)-जहाजों की खरीद | 1118.24 | 1901.22 |
| 28 | 97-लक्षद्वीप | 3052-जहाजरानी | ट.2(1)(1)(1)-भारतीय जहाजरानी निगम | 57.33 | 69.03 |
| 29 | 98-चंडीगढ़ | 2215-जलापूर्ति तथा सफाई | त.3(1)(1)(2)-कार्य प्रभारित स्थापना | 0.10 | 72.64 |
| | जोड़ 1 | | | 18172.90 | |

2. अन्य उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजन के मुख्य मामले जिनके अंतर्गत अंतिम रूप से व्यय ने बकाया प्रावधान से अधिशेष दर्शाया:-

(लाख रु में)

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या और नाम | मुख्य शीर्ष | उप शीर्ष | अन्य उप शीर्ष को पुनर्विनियोजन की राशि | पुनर्विनियोजन के बाद आधिक्य की राशि |
|----------|------------------------------------|---|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 28-विनियोग ब्याज भुगतान | 2049-ब्याज भुगतान | क.2(30)-स्वीडन सरकार के कर्जों पर ब्याज क.3(4)-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज क.3(6)-सार्वजनिक भविष्य निधि पर ब्याज क 3 (10)-फील्ड डिपोजिट पर बोनस क.5(2)-दूरभाष कनेक्शन देने के लिए अग्रिम निक्षेपों पर ब्याज | 35.33 116.58 26.54 623.80 300.00 | 107.00 8368.81 10644.85 690.29 247.90 |
| 2. | 31-पुनर्विनियोजन ऋण की चुकौती | 6001-केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण 6002-विदेशी ऋण | क क.6(4)-कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय निधि ख ख.18-यू एस ए सरकार से अन्य विविध कर्जों | 106.63 13.47 | 160.01 790.88 |
| 3. | 33-पेंशन | 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | क.1(1)(1)-साधारण पेंशन क.1(4)(1)-परिवार पेंशन क.1(10)(6)-विविध पेंशन भुगतान | 250.40 947.80 383.61 | 5472.02 739.86 371.27 |
| 4. | 37-अप्रत्यक्ष कर | 2038-संघीय उत्पाद शुल्क | ख.3(5)(1)-लघु फत्तनों पर सीमा शुल्क एकत्रण की लागत ख.3(5)(2)-भूमि सीमा शुल्क एकत्रण की लागत | 105.30 213.70 | 260.84 138.94 |
| 5. | 44-पुलिस | 2055-पुलिस 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय | क.10(1)-अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किए गए प्रभार इत्यादि क क.1(1)(1)(2)(1)-सीमा सुरक्षा बल | 5.00 5.00 | 898.19 414.60 |
| 6. | 77-फत्तन द्वीप स्तम्भ एवं जहाजरानी | 3051-फत्तन तथा द्वीप स्तम्भ | ख.3(2)(5)-सामान्य आरक्षित निधि | 76.31 | 986.13 |
| 7. | 80-लोक निर्माण | 2059-लोक निर्माण 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | क.2(1)-अनुरक्षण तथा मरम्मत क क.2(1)(6)-धरेलू मामले | 67.00 160.00 | 204.19 100.75 |
| 8. | 82-जल संसाधन मंत्रालय | 2702-लघु सिंचाई | ग.2(1)(1)-केन्द्रीय भूजल बोर्ड (मु.) | 10.29 | 71.38 |
| 9. | 84-आणविक ऊर्जा | 4861-आणविक ऊर्जा उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय | ग ग.1(6)(6)-भारी जल संयंत्र धाल वैशात ग ग.3(2)(1)-ट्राम्बे में वेस्ट इममोबिलाइजेशन प्लांट | 268.00 325.00 | 231.65 183.04 |
| | जोड़ 2 | | | 4039.76 | |
| | जोड़ 1 + 2 | | | 22212.66 | |

परिशिष्ट-IX

(पैराग्राफ 2.7 में उल्लिखित)

वसूलियों में मुख्य भिन्नताएं

व्यय की कटौती में समायोजित बजट वसूलियों तथा वास्तविक वसूलियों के बीच, मुख्य भिन्नताओं के विवरण:-

(करोड़ रूपयों में)

| क्र. सं. | अनुदान | बजट अनुमान | वास्तविक वसूलियां | भिन्नताएं | |
|--|---|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | | रशि | प्रतिशतता |
| बजट अनुमानों के प्रति कम वसूलियां | | | | | |
| राजस्व | | | | | |
| 1. | 9-नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 56.25 |
| 2. | 35-राजस्व विभाग | 20.09 | 5.78 | 14.31 | 71.23 |
| 3. | 38-खाद्य मंत्रालय | 71.61 | 3.35 | 68.26 | 95.32 |
| 4. | 51-औद्योगिक विकास विभाग | 9.12 | 0.45 | 8.67 | 95.06 |
| 5. | 75-भूतल परिवहन | 70.06 | 33.06 | 37.00 | 52.80 |
| 6. | 78-कपड़ा मंत्रालय | 220.32 | 80.49 | 139.83 | 63.46 |
| 7. | 81-लेखन सामग्री और मुद्रण | 62.00 | 32.66 | 29.34 | 47.32 |
| 8. | 82-जल संसाधन मंत्रालय | 28.83 | 21.13 | 7.70 | 26.71 |
| 9. | 86-इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग | 13.58 | 7.29 | 6.29 | 46.32 |
| 10. | 94-दिल्ली | 26.92 | 10.58 | 16.34 | 60.70 |
| 11. | 96-दादरा व नगर हवेली | 21.17 | 0.90 | 20.27 | 95.75 |
| पूजीगत | | | | | |
| 1. | 10- कोयला मंत्रालय | 15.00 | - | 15.00 | 100.00 |
| 2. | 36-प्रत्यक्ष कर | 100.00 | 57.71 | 42.29 | 42.29 |
| 3. | 77-पत्तन, द्वीप स्तंभ और जहाजरानी | 31.72 | 22.64 | 9.08 | 28.63 |
| 4. | 94-दिल्ली | 228.74 | 68.72 | 160.02 | 69.95 |
| बजट प्राक्कलनों के प्रति वसूलियों का आधिक्य | | | | | |
| राजस्व | | | | | |
| 1. | 6-उर्वरक विभाग | 758.50 | 1051.51 | 293.01 | 38.63 |
| 2. | 52-भारी उद्योग विभाग | 136.00 | 179.09 | 43.09 | 31.68 |
| 3. | 60-खान मंत्रालय | 32.65 | 84.53 | 51.88 | 158.90 |
| 4. | 95-अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 21.06 | 28.36 | 7.30 | 34.66 |
| पूजीगत | | | | | |
| 1. | 26-मुद्रा, सिक्के और मोहरें | 117.19 | 504.87 | 387.68 | 330.81 |
| 2. | 76-सड़कें | 18.50 | 47.56 | 29.06 | 157.08 |
| 3. | 84-परमाणु ऊर्जा | 30.67 | 72.78 | 42.11 | 137.30 |
| राजस्व-प्रभारित | | | | | |
| 1. | 5- रसायन और उर्वरक विभाग | - | 5.72 | 5.72 | 100.00 |

परिशिष्ट X
(पैराग्राफ 10.1.5 में उल्लिखित)

विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की उन्नति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा निधियों का जारी करना तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनका उपयोग (1987-94)

(लाख रु में)

| सं. | राज्य/संघ शा.प्र. | जारी की गई सहायता | व्यय | कमी | % कमी | आधिक्य |
|-----|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------|--------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1369.38 | 708.75 | 660.63 | 48 | |
| 2 | असम | 673.50 | 479.84 | 193.66 | 29 | |
| 3 | बिहार | 571.19 | 307.92 | 263.27 | 46 | |
| 4 | गोवा | 128.78 | 120.85 | 7.93 | 06 | |
| 5 | गुजरात | 142.31 | 141.18 | 1.13 | 01 | |
| 6 | हरियाणा | 874.66 | 406.03 | 468.63 | 54 | |
| 7 | हिमाचलप्रदेश | 735.26 | 685.21 | 50.05 | 07 | |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 529.27 | 195.37* | 330.90 | 63 | |
| 9 | कर्नाटक | 1283.58 | 895.36 | 388.22 | 30 | |
| 10 | केरल | 553.07 | 441.60 | 111.47 | 20 | |
| 11 | मध्यप्रदेश | 682.95 | 419.07 | 263.88 | 39 | |
| 12 | महाराष्ट्र | 1376.45 | 1211.71 | 164.74 | 12 | |
| 13 | मणिपुर | 195.05 | 151.44 | 43.61 | 22 | |
| 14 | मेघालय | 36.00 | 30.88 | 5.12 | 14 | |
| 15 | मिजोरम | 246.01 | 217.72 | 28.29 | 11 | |
| 16 | उड़ीसा | 842.44 | 439.89 | 402.55 | 48 | |
| 17 | पंजाब | 1256.80 | 1307.43 | - | - | 50.63 |
| 18 | राजस्थान | 1412.74 | 993.31 | 419.43 | 30 | |
| 19 | सिक्किम | 33.08 | 28.44 | 4.64 | 14 | |
| 20 | तमिलनाडु | 1296.33 | 923.47 | 372.86 | 29 | |
| 21 | त्रिपुरा | 28.19 | 11.25 | 16.94 | 6 | |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 913.50 | 666.72 | 246.78 | 27 | |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 661.55 | 514.37 | 147.18 | 22 | |
| 24 | अं. नि. द्वीप समूह | 38.95 | 32.70 | 6.25 | 16 | |
| 25 | चंडीगढ़ | 27.09 | 26.63 | 0.46 | 02 | |
| 26 | दादरा व नगर हवेली | 5.22 | 4.59 | 0.63 | 12 | |
| 27 | दिल्ली | 421.46 | 208.14 | 213.32 | 51 | |
| 28 | लक्षद्वीप | 9.13 | 0.14 | 8.99 | 98 | |
| 29 | पांडिचेरी | 34.87 | 34.51 | 0.36 | 01 | |
| | जोड़ | 16378.81 | 11604.52 | 4824.92 | 29 | 50.63 |

जारी सहायता: जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया।
व्यय : जैसा कि राज्य म.ले. द्वारा सूचित किया गया
* कश्मीर मण्डल के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

परिशिष्ट XI
(देखिये पैराग्राफ 11.1)

1993-94 के दौरान बट्टे खाते डाली गई हानियों तथा अप्राप्य दातत्व्यों का विवरण
(राशि लाख रूपयों में)

| मंत्रालय/विभाग का नाम | इनके कारण बट्टे खाते डाली गई हानियाँ तथा दातत्व्य | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | प्रणाली की विकलता | | असावधानी/घोखाघडी इत्यादि | | अन्य कारण | |
| | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| परमाणु उर्जा | | | | | 4 | 0.25 |
| ऊर्जा | 1 | 0.12 | | | 13 | 0.76 |
| गृह | | | | | 14 | 3.06 |
| श्रम | | | | | 1 | 0.31 |
| खनन | | | | | 33 | 1.45 |
| अंतरिक्ष | | | | | 6 | 0.91 |
| भूतल परिवहन | | | 25 | 6.40 | 124 | 48.36 |
| शहरी विकास | | | | | 2 | 0.11 |
| | 1 | 0.12 | 25 | 6.40 | 197 | 55.21 |

परिशिष्ट XII
(पैरा 11.2 में उल्लिखित)

विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(आंकड़े लाख रुपये में)

| क्र. सं. | उपक्रम का नाम | लेखाओं की अवधि | सरकारी पूंजी | ज्यादा परिसम्पत्तियाँ (निवल) | आज की तारीख में मूल्य ह्रास | लाभ (+) हानि (-) | सरकारी पूंजी पर व्याज | कुल प्रतिफल | औसत पूंजी से कुल प्रतिलाभ की प्रतिशतता | अभ्युक्तिता |
|---------------------------------|--|----------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| कृषि मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 1. | दिल्ली दुग्ध योजना | 1987-88 | 1482.03 | 512.52 | 829.37 | (-) 1066.94 | 128.98 | (-) 937.96 | - | |
| 2. | बर्फ और प्रशीतन संयंत्र, कोचीन | 1987-88 | 41.17 | 40.67 | 33.30 | (-) 20.90 | - | (-) 20.90 | - | |
| रक्षा मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 3. | कैन्टीन भण्डार विभाग | 1989-90 | 48.00 | 298.85 | 409.46 | 2739.90 | 1030.24 | 3770.14 | 29.55 | |
| उर्जा मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 4. | विद्युत विभाग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1989-90 | 3075.02 | 2755.22 | 319.80 | (-) 1057.65 | 241.94 | (-) 1815.71 | - | |
| 5. | विद्युत विभाग लक्षद्वीप | 1982-83 | 185.80 | 110.57 | 36.76 | (-) 64.04 | 8.11 | (-) 55.93 | - | |
| वन एवं पर्यावरण मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 6. | वन विभाग, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1986-87 | 375.02 | 375.02 | 180.71 | (+) 778.52 | 132.40 | (+) 2465.79 | - | |
| वित्त मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 7. | भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक रोड़ | 1992-93 | 5396.65 | 4089.22 | 1403.80 | (+) 1636.73 | 1489.68 | 3126.41 | 21.61 | आंकड़े समायोजन के बाद लाभ तथा हानि पर आधारित |
| 8. | सुरक्षा मुद्रणालय हैदराबाद | 1993-94 | 1348.00 | 980.00 | 369.00 | (+) 302.00 | 214.00 | 516.00 | 26 | अलेखापरीक्षित अनंतिम आंकड़े |
| 9. | करैसी नोट प्रेस, नासिक रोड़ | 1992-93 | 7681.67 | 5498.00 | 2400.00 | (+) 2508.34 | 1966.87 | 4474.91 | 23.89 | आंकड़े समायोजन के बाद लाभ/हानि पर आधारित |
| 10. | सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर | 1987-88 | 146.41 | 28.62 | 24.02 | (-) 49.74 | 332.97 | (+) 283.23 | 7.66 | |
| 11. | सरकारी अफीम कारखाना, नीमच | 1988-89 | 204.09 | 188.67 | 16.66 | (-) 18.04 | 320.11 | 302.07 | 8.80 | |
| 12. | सरकारी क्षारोद कार्याशाला, नीमच | 1988-89 | 436.76 | 309.44 | 110.93 | (+) 59.22 | 66.85 | 126.07 | 19.71 | |
| 13. | सरकारी क्षारोद कार्याशाला, गाजीपुर | 1987-88 | 121.91 | 9.42 | 18.53 | (-) 93.98 | 35.77 | (-) 58.21 | - | |
| 14. | भारत सरकार टक्साल, बम्बई | 1983-84 | 29.89 | 516.46 | 25.22 | (+) 1561.18 | 193.32 | (+) 1754.50 | 63.98 | |
| 15. | भारत सरकार टक्साल, कलकत्ता | 1989-90 | 403.67 | 282.55 | 287.46 | (-) 1162.42 | 515.37 | (-) 647.05 | - | |
| 16. | भारत सरकार टक्साल, हैदराबाद | 1991-92 | 4453.70 | 583.67 | 337.63 | (-) 854.88 | 516.69 | 338.19 | 7.59 | |
| 17. | परसू विभाग, बम्बई | 1980-81 | 13.00 | 12.76 | 0.32 | (+) 8.04 | 0.43 | (+) 8.47 | 119.85 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----------|---------|---------|-------------|----------|-------------|-------|--|
| 18. | परख विभाग, कलकत्ता | 1989-90 | 0.83 | 0.31 | 0.16 | (+) 2.75 | शून्य | (+) 2.75 | - | |
| 19. | रजत परिष्करण शाला कलकत्ता | 1989-90 | 58.91 | 10.17 | 103.19 | (+) 824.05 | 146.43 | (+) 970.48 | - | |
| 20. | बैंक नोट मुद्रणालय देवास | 1988-89 | 5330.65 | 4004.41 | 1326.24 | (+) 400.57 | 1020.55 | 1421.12 | 26.88 | |
| 21. | सुरक्षा पेपर मिल होशंगाबाद | 1981-82 | 3171.16 | 2318.31 | 852.85 | (-) 152.39 | 198.80 | 46.50 | 1.47 | |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 22. | केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली | 1992-93 | 209.79 | 17.82 | 26.11 | 7.13 | 45.84 | 183.89 | 51.02 | |
| 23. | चिकित्सा भंडार डिपो | 1984-85 | (+)978.92 | 44.61 | 35.19 | (+) 38.14 | (+)79.98 | 1306.13 | - | आंकड़ों में स.चि.भं.डि. बम्बई और सं.वि.भं.डि. दिल्ली के परिणाम शामिल नहीं है। |
| 24. | केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची का वनस्पति उद्यान | 1992-93 | 0.31 | 0.25 | 0.003 | (-) 0.47 | 0.02 | 0.63 | 278 | |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 25. | आकाशवाणी | 1982-83 | 8325.15 | 5227.06 | 3098.09 | (-)3121.89 | 409.64 | (-)2712.25 | - | |
| राजस्व परिसम्पत्तियाँ | | | | | | | | | | |
| 26. | रेडियो प्रकाशन, आकाशवाणी | 1985-86 | 639.64 | 0.45 | 0.11 | (-) 48.58 | 0.90 | (-) 48.49 | - | |
| 27. | महानिदेशक, दूरदर्शन, नई दिल्ली | 1976-77 | 2545.61 | 2026.43 | 519.18 | (-) 575.45 | 117.88 | (-) 457.57 | - | |
| 28. | वाणिज्यिक बिक्री सेवा, दूरदर्शन, नई दिल्ली | 1976-77 | - | 0.14 | - | (+) 57.62 | - | (+) 57.62 | - | |
| राजस्व परिसम्पत्तियाँ | | | | | | | | | | |
| 29. | फिल्म प्रभाग, बम्बई | 1983-84 | 416.16 | 245.14 | 246.80 | (-) 83.20 | 47.61 | (-) 35.59 | - | (i) 1983-84 के लेखापद्धति में - परिवर्तन के कारण निवल हानि, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को की गई प्रिन्टों की आपूर्ति के संबंध में राजस्व तथा राज्य सरकारों को दी गई निःशुल्क आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय राजस्व (19.81 लाख रु) को लेख में लेने के बाद निकाली गई है। (ii) निवल हानि की गणना पिछले वर्षों से संबंधित समायोजनों को निकालने के बाद की गई है। (iii) 1984-85 के लिए प्रोफार्मा - लेखाओं के संकलन बकाया है। |
| 30. | वाणिज्यिक प्रसारण सेवा, आकाशवाणी | 1983-84 | 251.28 | 178.71 | 72.57 | (+) 1071.47 | - | (+) 1071.47 | - | |
| भूतल परिवहन मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 31. | दीपशाला तथा दीपपोत विभाग | 1988-89 | 3831.69 | 3447.84 | 1052.77 | (+) 717.48 | 537.00 | 1254.48 | 46.37 | |
| 32. | जहाजरानी विभाग अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 1972-73 | 43.58 | 56.80 | 7.89 | (-) 80.15 | 4.47 | (-) 75.68 | - | |
| 33. | नौका सेवा अंडमान | 1984-85 | 195.85 | 86.93 | 108.92 | (-) 95.45 | 18.49 | (-) 76.96 | - | |
| 34. | समुद्री विभाग (गोदी) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह | 1984-85 | 6.11 | 2.59 | 3.52 | (-) 31.76 | 19.52 | (-) 12.24 | - | |
| 35. | चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम, चण्डीगढ़ | 1988-89 | 1321.81 | 708.15 | 119.65 | (-) 406.77 | 111.00 | (-) 295.77 | - | |
| 36. | राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 1977-78 | 35.87 | 15.67 | 59.04 | (-) 26.88 | 1.98 | (-) 24.90 | - | |
| शहरी विकास मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| 37. | प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली | 1981-82 | | | | | | | | 'एक नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार की जा रही है तथा जब तक कि अंतिम निर्णय लिया जाए, प्रोफार्मा लेखाओं, लाभ और हानि, लेखे तुलन पत्र इत्यादि के सरलीकरण का मामला मंत्रालय द्वारा प्रसूतानस्था में रखा गया है।' |
| 38. | भारत सरकार के मुद्रणालय | 1981-82 | | | | | | | | -----उपरोक्त----- |

परिशिष्ट XIII
(पैराग्राफ 11.3 में उल्लिखित)

30 सितम्बर 1994 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित कार्यवाही टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

| क्र. सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | प्रतिवेदन का वर्ष | पैराग्राफों की संख्या जिन पर कार्यवाही टिप्पणियां | |
|----------|--|---|---|----------------------------------|
| | | | देय थी | प्रतीक्षित |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | कृषि | 1991-92 1992-93 | 5 2 | 1 2 |
| 2. | नागरिक विमानन | 1992-93 | 1 | 1 |
| 3. | वाणिज्य (वाणिज्यिक विभाग) (आपूर्ति विभाग) | 1986-87 1987-88 1988-89 1991-92 1992-93 1991-92 1992-93 | 6 10 7 8 6 2 4 | 2 1 5 7 4 1 3 |
| 4. | इलैक्ट्रानिक्स | 1992-93 | 1 | 1 |
| 5. | पर्यावरण एवं वन | 1989-90 1992-93 | 1 2 | 1 2 |
| 6. | विदेश | 1992-93 1993-94 | 11 13 | 2 8 |
| 7. | वित्त | 1990-91 1992-93 | 8 3 | 2 3 |
| 8. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 1986-87 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 | 7 8 5 12 7 4 | 1 3 2 5 3 4 |
| 9. | गृह | 1987-88 1988-89 1990-91 1991-92 1992-93 | 1 5 26 25 15 | 1 1 10 19 12 |
| 10. | मानव संसाधन एवं विकास (सांस्कृतिक विभाग) (शिक्षा विभाग) (महिला एवं बाल विकास विभाग) | 1989-90 1991-92 1992-93 1990-91 1991-92 1992-93 1992-93 | 6 1 5 14 15 15 1 | 1 1 4 2 6 15 1 |
| 11. | उद्योग | 1986-87 | 2 | 1 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---------|----|----|
| 12. | सूचना एवं प्रसारण | 1989-90 | 4 | 3 |
| | | 1990-91 | 5 | 3 |
| | | 1991-92 | 4 | 2 |
| | | 1992-93 | 8 | 8 |
| 13. | खान | 1989-90 | 2 | 2 |
| | | 1990-91 | 1 | 1 |
| | | 1992-93 | 1 | 1 |
| 14. | गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत | 1990-91 | 5 | 3 |
| | | 1991-92 | 1 | 1 |
| | | 1992-93 | 2 | 2 |
| 15. | योजना | 1992-93 | 2 | 2 |
| 16. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी | 1988-89 | 1 | 1 |
| | | 1989-90 | 2 | 2 |
| | | 1990-91 | 2 | 1 |
| | | 1991-92 | 9 | 3 |
| | | 1992-93 | 7 | 7 |
| 17. | अंतरिक्ष | 1992-93 | 5 | 4 |
| 18. | भूतल परिवहन | 1990-91 | 10 | 5 |
| | | 1991-92 | 28 | 5 |
| | | 1992-93 | 24 | 23 |
| 19. | शहरी विकास | 1987-88 | 10 | 6 |
| | | 1988-89 | 14 | 8 |
| | | 1989-90 | 13 | 6 |
| | | 1990-91 | 25 | 18 |
| | | 1991-92 | 18 | 17 |
| | | 1992-93 | 21 | 21 |
| 20. | जल संसाधन | 1990-91 | 4 | 4 |
| | | 1991-92 | 4 | 3 |
| | | 1992-93 | 1 | 1 |
| 21. | कल्याण | 1992-93 | 1 | 1 |

शुद्धि पत्र

| पृष्ठ | पंक्ति/कालम | अशुद्ध | शुद्ध |
|-------|---|---------------------|---|
| iii | नीचे से 10 | अनुवर्ती कार्यवाही | अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति |
| v | 16 | सरकारों को कर्जे | सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को कर्जे |
| v | 19 | 1.10.1 | 1.10 |
| 9 | नीचे से 11 | में 13.22 | में 26.21 |
| 9 | " 10 | घटकर 26.21 | घटकर 13.22 |
| 16 | पहली | 1.4.1 | 1.4 |
| 22 | 3 | 3572 करोड़ रु. | 3752 करोड़ रु. |
| 24 | तालिका | 1.10.1 | 1.10 |
| 54 | तालिका 2.5(क) क्रम सं 6 व 7 के बीच | ----- | पूजीगत प्रभारित |
| 56 | तालिका 2.8 क्र.सं 1 व 3 के बीच में क्रम सं 2 कालम 1 | ----- | 2 |
| | " " 2 | ----- | सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो के लिये मूल्य ह्रास आरक्षित निधियां भवन संयंत्र एवं मशीनरी, फिक्शचर तथा मोटर वाहन आदि जैसे स्थाई परिसम्पत्तियों के बदलाव हेतु 1269 |
| | " " 3 | ----- | स्वास्थ्य मंत्रालय अप्रैल 1976 (इसके सृजन से) |
| | " " 4 | ----- | ने म.नि.ना.वि. को कोई |
| | " " 5 | ----- | 11 कोबाल्ट थैरापी |
| | " " 6 | ----- | सका जो कि इसकी क्षमता का केवल 4.80 प्रतिशत था। |
| 68 | नीचे से 8 | ने कोई | दौरान 56.5 से 43.16 प्रतिशत की घटती |
| 106 | 5 | 10 कोबाल्ट थैरापी | 8.70 करोड़ रु. |
| 109 | 1 | सका। | 15 विद्यालयों |
| 109 | 9 | दौरान घटती | रा.शि.नी 1986 के अनुसार |
| 109 | नीचे से 5 | 18.70 करोड़ रु. | जिसे भारतीय 1989 के लिये मानव संसाधन |
| 149 | " | 22 विद्यालयों | संसाधन |
| 155 | नीचे से 5 | रा.शि.नी. के अनुसार | 23 अक्टूबर से |
| 165 | " 10 | जिसे मानव संसाधन | 25 अक्टूबर तक |
| 170 | 14 | 23 अक्टूबर से | 11 दिसम्बर 1990 |
| 170 | 15 | 25 अक्टूबर तक | 16 अक्टूबर 1989 |
| 173 | नीचे से 1 | 11 दिसम्बर 1990 | 16 नवम्बर 1989 |
| 175 | 11 | 16 अक्टूबर 1989 | 23 नवम्बर 1989 को |
| 175 | 12 | 23 नवम्बर को | 28 अक्टूबर 1989 को |
| 178 | 8 | 28 अक्टूबर को | नियंत्रक सहायता लेखे |
| 201 | कालम 1 | सहायता लेखे | 78939.51 |
| 204 | " 3 | 78939.57 | |

